खण्ड–493, अंक–5
गुरुवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(19 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–49
नियम–51 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	50
वरिष्ठ सदस्य द्वारा एवं वरिष्ठ मंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण	50–51
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	51–52
प्रदेश में सिंचाई की सुविधा हेतु लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत की गई बोरिंग फेल हो जाने के बाद भी लगातार विद्युत बिल आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद गोरखपुर के बालापार–टिकरिया से मछरिया पुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	52–53
विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत एन0एच0–56 व फैजाबाद मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर गोमती नदी में बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	53
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53–54
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली अन्तर्गत ग्राम झुण्डपुर के पास हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	54
उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन विभाग में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	55–56
डिफेंस कालोनी, रायबरेली रोड लखनऊ की भूमि संख्या–60 की आड़ में अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं आबादी क्षेत्र में नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56–57

विषय	पृष्ठ–संख्या
कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत डाली गई पेयजल योजना एवं सीवर लाइन से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	57
जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर व सहावर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद आगरा में पानी की कमी की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद बरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला चाहबाई तथा जगासी की सड़कों (गलियों) की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58
सहारनपुर महानगर में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
प्रश्नकाल की अवधि 80 मिनट के स्थान पर 120 मिनट किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	59
विधायक की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी को पेंशन न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	59
लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60
प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्नों की संख्या सीमित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60
साध्वी प्राची द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण (जारी)...	60–61
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	61
साध्वी प्राची द्वारा महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण	61–63
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	63–70
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–02 आवास विभाग (स्वीकृत) ...	70–99
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–12 कृषि तथा उससे सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या–94 सिंचाई	99–141

विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	142–160
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	161
जनपद रायबरेली स्थित समसपुर पक्षी विहार में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	161–162
जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत पांच सौ आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	162–163
जनपद फिरोजाबाद में किसानों को खराब आलू की दवा दिये जाने से किसानों की बर्बाद हुई फसल के नुक्सान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	163
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में जी0टी0 रोड पर स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	163
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सितम्बर में जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	163–164
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन स्थित बाबरी बिजली पर क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	164–165
प्रदेश में अनुसूचित जाति के बाहुल्य बस्तियों में जांच में सही पाये गये 197 विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिये जाने के	165

सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) ...

नत्थियां 166–187

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–316

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
35. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
40. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
41. आशीष यादव, श्री बदायूं
42. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
44. इकबाल, श्री बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री संभल
46. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
51. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी

55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
57. ओम कुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. कैलाश, श्री गाजीपुर
66. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री हापुड़
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
72. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
73. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गोमती यादव, श्री लखनऊ
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
80. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
81. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
87. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
89. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
90. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
94. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
100. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
101. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
102. दलजीत सिंह, श्री बांदा
103. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
107. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
108. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
109. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
110. धर्मराज, श्री बाराबंकी
111. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
112. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
113. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
114. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
115. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़

120. नारद राय, श्री बलिया
121. नाहिद हसन, श्री शामली
122. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
123. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
124. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
125. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
126. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
129. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
130. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
131. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
132. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
133. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
135. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
136. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
137. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
138. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
139. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
140. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
141. बदलू खां, श्री उन्नाव
142. बाबू खां, श्री हरदोई
143. बाबूलाल, श्री गोण्डा
144. बावन सिंह, श्री गोण्डा
145. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
146. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
147. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
148. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
149. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
150. बैजनाथ, श्री मऊ
151. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
152. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
153. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
159. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
160. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
161. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
162. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
163. महबूब अली, श्री अमरोहा
164. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
165. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
166. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
167. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
168. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
169. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
172. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
173. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
174. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
175. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
176. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
177. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
178. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
179. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
180. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
181. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
182. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
183. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
184. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
185. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद

186. यासर शाह, श्री बहराइच
187. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
188. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
189. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
190. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
191. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
192. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
193. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
194. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
195. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
196. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
197. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
198. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
199. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
200. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
201. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
202. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
203. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
204. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
205. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
206. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
207. राजिव, श्री सहारनपुर
208. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
209. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
210. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
211. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
212. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
213. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
214. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
215. राधे श्याम, श्री अमेठी
216. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
217. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
218. राम करन आर्य, श्री बस्ती
219. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
220. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
221. राम गोविन्द, श्री बलिया
222. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
223. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
224. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
225. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
226. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
227. राम मगन, श्री बाराबंकी
228. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
229. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
230. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
231. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
232. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
233. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
234. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
235. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
238. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
239. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
240. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
241. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
242. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
244. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
245. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
246. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
247. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
248. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
249. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
250. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद

252. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
253. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
254. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
255. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
256. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
257. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
258. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
259. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
260. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
261. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
262. वीरपाल राठी, श्री बागपत
263. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
264. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
265. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
266. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
267. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
268. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
269. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
270. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
271. शाकिर अली, श्री देवरिया
272. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
273. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
274. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
275. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
276. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
277. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
278. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
279. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
280. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
281. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
282. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
283. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
284. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
285. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
286. संजय कपूर, श्री रामपुर
287. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
288. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
289. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
290. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
291. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
292. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
293. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
294. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
295. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
296. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
297. सियाराम सागर, डा0 बरेली
298. सीमा, श्रीमती जौनपुर
299. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
300. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
301. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
302. सुधाकर, श्री मऊ
303. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
304. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
305. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
306. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
307. सुरेश राणा, श्री शामली
308. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
309. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
310. सुल्तान बेग, श्री बरेली
311. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
312. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
313. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
314. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
315. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद

316. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय

'01—डा0 धर्मपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012—13 व 2013—14 में आगरा सहित प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का ग्राफ अत्यधिक तेजी से बढ़ने के कारण लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)—

जी हां।

जी हां।

आगरा सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित कराया जाता है। डीजल जेनरेटर सेट्स पर नियमानुसार समुचित ऊंचाई की चिमनी एवं ध्वनि नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर की स्थापना सुनिश्चित करायी जाती है। कार्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों एवं वाहनों में उपलब्धता के आधार पर स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति किया जाना सम्मिलित है। शहर में संचालित वाहनों की अधिकतम अनुमन्य आयु सीमा का निर्धारण किया जाना सम्मिलित है। वर्तमान में प्रदेश में वाहनों में प्रयोग हेतु लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ एवं बरेली में सी0एन0जी0 की आपूर्ति उपलब्ध है। वाहन प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों में भारत स्टेज—4/भारत स्टेज—3 मानकों का अनुपालन कराया जाना एवं पी0यू0सी0 प्रमाण—पत्रों की नियमित जांच किया जाना सम्मिलित है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्य की योजना भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

डा0 धर्मपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी सरकार ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक हाल के शोध में शिकागो, येल और हावर्ड के विशेषज्ञों ने एक शोध किया माननीय अध्यक्ष जी उस शोध में उनका यह निष्कर्ष निकला कि भारतीयों की जो औसत आयु है वह वायु प्रदूषण के कारण तीन साल कम हो रही है। वायु प्रदूषण का प्रभाव जो आर0पी0एम0 के छोटे—छोटे कण होते हैं, वह सांस के द्वारा अंदर जाकर चाहे वह बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा साथी हों उनकी कोशिकाओं को सिकोड़ने का काम करती हैं माननीय अध्यक्ष जी। सरकार ने खुद माना ही वायु प्रदूषण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो महानगर हैं, उनमें अभी इस वायु प्रदूषण को नापने के कितने केन्द्र स्थापित हैं और जो माननीय अध्यक्ष जी केन्द्र स्थापित हैं, उनमें जो सयंत्र लगे हैं वह बहुत पुराने हैं। सरकार से माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दो सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह है कि इन महानगरों में कुल कितने केन्द्र स्थापित हैं वायु प्रदूषण को नापने के लिए। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी मेरा सवाल है वह यह है कि जो संयंत्र वहां लगे हैं वह बहुत पुराने हो गए हैं, उन संयंत्रों को बदलकर क्या ऑटोमेटिक संयंत्र लगाने पर विचार करेगी?

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के 20 प्रमुख महानगरों में कुल 52 स्थलों पर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है जो संयंत्र हैं, वह 52 संयंत्र मैनुअल हैं और जहां तक सवाल है आगरा शहर वायु व्यवस्था के अनुश्रवण का लेटेस्ट में आगरा शहर की वायु व्यवस्था के अनुश्रवण हेतु आटोमेटिक स्वचालित प्रवेशीय वायु गुणता केन्द्र की स्थापना की गई है। इससे वायु के प्रदूषण के जो स्तर है, वह इस आटोमेटिक मशीन से पता चल जाता है कोई मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कम्प्यूटराइज्ड है और हमारे प्रदेश का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसको बराबर आंकड़ा मिलता रहता है, टाइम–टू–टाइम कि प्रदूषण का क्या स्तर है ? सल्फर डाई ऑक्साइड या कार्बन डाई ऑक्साइड या पर्टिकुलर तत्व का क्या प्रतिशत वह पता चलता रहता है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन महानगरों में वायु प्रदूषण के मानक क्या हैं और अभी कितना है ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पर्टिकुलर मैटर है जो 10 माइक्रान से कम आकार के कण होते हैं इनका जो एनुअल जो स्टैण्डर्ड है वह 7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और जो नाइट्रोजन डाई आक्साइड गैस (एनओटू) इसका जो एनुअल स्टैण्डर्ड है वह 30 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और सल्फर डाई आक्साइड जो गैस है उसका एनुअल स्टैण्डर्ड है 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर यह है रेट स्टैण्डर्ड।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह विषय पूरे प्रदेश से सम्बन्धित था और माननीय मंत्री जी ने अन्य जिलों का जिक्र भी किया है मेरे पास गोरखपुर के मोमेन्टल स्टेटस रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष–

अब यह आगरा से संबंधित था सवाल।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सारे महानगरों से संबंधित है सारे महानगरों का जिक्र किया है। मेरे पास गोरखपुर मोमेन्टल स्टेटस रिपोर्ट है। मान्यवर, एक जो यह कहती है कि गोरखपुर शहर में टू स्ट्रोक इंजन दोपहिया वाहन संचालित हैं यह सरकारी रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, दो पहिया वाहन चालित हैं। भारत स्टेट वन और स्टेट टू के वाहन अभी भी शहर के अन्दर चल रहे हैं। जनपद में अधिकांश वाहन पेट्रोल और डीजल चालित हैं सी0एन0जी0 चालित वाहनों की संख्या अत्यन्त सीमित है जिसका प्रमुख कारण है शहर में केवल एक अदद सीएनजी पम्प है। नगर में सी0एन0जी0 पम्पों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है यह सरकार के अपने विभाग की रिपोर्ट है और सरकार के पास पिछले एक साल से है। माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः यह रिपोर्ट पढ़ी होगी नहीं भी पढ़ी हो तो पढ़ सकते हैं क्या अगर रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है कि गोरखपुर में सी0एन0जी0 पम्प्स की संख्या कम है और सी0एन0जी0 पम्प्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तो क्या माननीय मंत्री जी गोरखपुर में एक अतिरिक्त सी0एन0जी0 के पम्प को लगवाने की व्यवस्था करेंगे नम्बर एक, बहुत स्पष्ट प्रश्न है। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने अभी–अभी एक मानक बताया अच्छा हुआ हम लोगों को दोहराना नहीं पड़ेगा। सस्पेन्डेड पर्टिकुलर मैटर्स का जो लेबिल इन्होंनें बताया वह 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और जो रिपोर्ट हमारे पास गोरखपुर की है गोरखपुर के प्रदूषण की, गोरखपुर के रेजीडेन्सियल एरिया आवासीय क्षेत्र में जो दिसम्बर, 2014 तक मानक पाया गया है वह 76.16 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, कामर्शियल क्षेत्र में जो पाया गया है वह 92.87 पर क्यूबिक मीटर है और इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में जो पाया गया है वह 98.12 पर क्यूबिक मीटर है अर्थात् माननीय मंत्री जी के मानकों को अगर स्वीकार किया जाय तो पूरा का पूरा गोरखपुर क्षेत्र चाहे वह आवासीय क्षेत्र हो चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, वायु प्रदूषण का जो 70 प्रतिशत जो कारण है वह है वाहन और जो इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे भी जैसे सीमेन्ट है या हर चीज जो प्रयोग किया जाता है धूल गर्दा उड़ता है उसके कारण भी है इसीलिए इसकी जो माइक्रान का जो पर्टिकुलर मैटर है उनकी परसेन्टेज इसलिए वातावरण में ज्यादा है और इसके लिये जो कारण है जैसे सड़कों का निर्माण सरकार कर रही है, अच्छी मानक की सड़कें बन रही हैं तो जैसे–जैसे इण्डस्ट्रिलाइजेशन में जब वो सेचुरेशन आयेगा तो प्रदूषण आटोमेटिक कम हो जायेगा। जैसा कि सवाल है तो इसके लिये सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र उद्योगों में लगाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप सल्फर डाई ऑक्साइड गैस का जो परसेण्टेज है, वो कम हुआ है। नाइट्रोजन डाई आक्साइड का परसेण्टेज कम हुआ है, लेकिन अगर यह व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो जो पर्टिकुलर मैटर है उनकी परसेन्टेज जो धूल–गर्दा है जो सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ी है, वाहनों इसलिये कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड आदि ग्रीन हाऊस गैसेज का परसेन्टेज वायुमण्डल में बढ़ा है जिसे हम कण्ट्रोल कर रहे हैं और जहां तक धूल–

गर्दा और कणों का सवाल है तो डाक्टर साहब जानते हैं कि प्रभावी नियंत्रण तभी होगा जब हम खुद भी देखेंगे कि हम कम से कम वाहन का इस्तेमाल करें। हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ने साइकिल ट्रैक की व्यवस्था की है।

(विपक्ष से कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न सीधा सा था, अगर इतनी बड़ी भूमिका माननीय मंत्री जी को बनानी है तो मैं इनसे भी बड़ी भूमिका बना सकता था। मैं बिना भूमिका के सवाल पूछ रहा हूं और माननीय मंत्री जी भूमिका बना रहे हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सल्फर डाई आक्साइड गैस है, जो नाइट्रोजन डाइ आक्साइड गैस है जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं, उनका परसेन्टेज घटा है, हमारी सरकार और हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयास से, लेकिन जहां तक सवाल है, पर्टिकुलर मैटर है उसका परसेन्टेज व्यवहारिक रूप से है कि धूल–गर्दा और कणों से होता है। यह धूल से होता है, सड़कों पर वाहनों के चलने से होता है तो इसको भी हमारी सरकार ने कण्ट्रोल किया है। जैसे पुराने जो वाहन हैं उनकी आयु सीमा तय की गई है। आर0टी0ओ0 के माध्यम से उसकी चेकिंग होती है इसके साथ ही प्रदूषण नापने का काम पेट्रोल पम्पों पर तमाम कंपनियों को दिया गया है कि वह मानक के अनुसार इसमें नापते हैं कि प्रदूषण का परसेन्टेज क्या है ? इस प्रकार हमारी सरकार की यह सारी व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रदूषण कम करने का उपाय बता रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे उपाय नहीं जानना है, मेरे प्रश्न बहुत सीधे से थे और बड़े सीमित थे। मैं चाहता तो घण्टों इन प्रश्नों को पढ़ता, लेकिन मैं समय नहीं खराब करना चाहता था इसलिये मैंने सीधा सवाल पूछ लिया। मुझे इण्डस्ट्रीज की संख्या गिनानी होती तो कम से कम 500 इण्डस्ट्री की सूची मेरे पास है, जिसे मैं गिना देता हूं। मेरे प्रश्न बहुत स्पेसिफिक हैं, नम्बर–1 आपके प्रदूषण विभाग ने आपको रिपोर्ट दी है। आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा यह आपकी समस्या है। मैं वह रिपोर्ट आपके सामने अधिकृत रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं, वह रिपोर्ट कहती है कि गोरखपुर में सी0एन0जी0 पम्प की संख्या कम है और अतिरिक्त पम्प लगाये जाने चाहिये तो क्या यह सरकार वहां अतिरिक्त सी0एन0जी0 के पम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी और नम्बर–2 आप कहते हैं कि नामेण्टल कमेटी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। मैं यह रिपोर्ट लेकर आया हूं, यह आधिकारिक रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि जो मैं कहता हूं वह सत्य कहता हूं या तो आप कह दें कि जो मैं कह रहा हूं, वह गलत है, तो अगर सही है तो कम से कम इतना कहिये कि मैं इसकी जांच करा लूंगा और जांच के बाद जो रिपोर्ट आयेगी उस पर जो

यथोचित वैज्ञानिक कार्यवाही होगी वह मैं करूंगा। अब आप हमको थ्योरी पढ़ाईयेगा तो मैं तो घण्टों पढ़ा दूंगा। इसलिये दोनों जवाब दिलवाइये अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब अब आपने तो स्वयं ही जवाब दे दिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी बतायें कि पम्प लगेगा कि नहीं ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 साहब पता नहीं क्यों गोरखपुर में ही लोकलाइज हो गये। सी0एन0जी0 का जो सवाल है वह केन्द्र का अधिकार है। आपको पता है कि डाक्टर साहब कि केन्द्र में बैठे हुये हैं, आप व्यवस्था कराइये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, सीधे सवाल को डायवर्ट मत करवाइये, अन्यथा मत कहियेगा कि हम लोग बार–बार आकर डिस्टर्ब करते हैं। इतनी अच्छी तरह से माहौल चल रहा है, सीधा–साधा, सपाट प्रश्न है, अगर आपकी कमेटी ने रिपोर्ट किया है, अगर आपके विभाग ने रिपोर्ट किया है। यह आधिकारिक विभाग है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण कण्ट्रोल बोर्ड, यह आपका विभाग है, भारत सरकार का विभाग नहीं है। आपको रिपोर्ट मिली होगी, आपने उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा तो कहिये कि आपने उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है और रिपोर्ट कह रही है कि सी0एन0जी0 पम्प कम हैं तो आप बताइये न कि हां कम हैं और हम लगवायेंगे।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय मंत्री जी, इसका इस प्रश्न से संबंध है ही नहीं और जहां तक सी0एन0जी0 का सवाल है, तो डाक्टर साहब स्वयं विद्वान हैं, वह जानते हैं कि सी0एन0जी0 पेट्रोल पम्प कैसे बढ़ाये जायेंगे ? कैसे उपलब्ध होगा, यह हमको सी0एन0जी0 पम्प उपलब्ध करा दें तो हम लगवा देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सी0एन0जी0 पम्प की बात कर रहा हूं, अगर आपको रिपोर्ट मिली है तो क्या आपने भारत सरकार को यह रिपोर्ट भेजी है कि हां गोरखपुर में सी0एन0जी0 पम्प कम है और वहां इस रिपोर्ट के हिसाब से सी0एन0जी0 पम्प लगाये जाने चाहिये।

डा0 शिव प्रताप यादव–

अब आपने कहा है, आप लिख कर दे दीजिये। आवश्यकतानुसार कार्यवाही कराई जायेगी ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अब इसमें लिख कर क्या दे देना। यह सदन की कार्यवाही है, कार्यवाही का मुद्दा है।

डा0 शिव प्रताप यादव–

पहले गैस तो उपलब्ध करायें, न कोयला दे पा रहे हैं, न बिजली दे पा रहे हैं, न गैस दे पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हर चीज हो जाये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने 250 से ज्यादा पत्र लिखे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय मंत्री जी, आप बैठिये। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अभी इन्होंने अपने जवाब में कहा कि पर्यावरण के लिये दो सेक्टर दोषी हैं, एक तो वाहन और दूसरा उद्योग। न जाने कितने उद्योग उत्तर प्रदेश में, जो छोटी–छोटी बस्तियों में चल रहे हैं, आगरा में भी चल रहे हैं जो प्रदूषण पैदा करते हैं और जिनसे निकलने वाले कण स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं और उनको वह सब एन0ओ0सी0 मिल जाती है, बिजली आदि की व्यवस्था हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिये। आप पर्यावरण मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का पर्यावरण ठीक होना चाहिये तो क्या आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि आप प्रशासन को कहें कि ऐसी फैक्टरियों को चिन्हित करें, जहां पर कनेक्शन मिल गये हैं, उनके कनेक्शन काटे जायें। दूसरा इससे सीधे बेरोजगारी भी जुड़ती है, एक विषय यह भी आता है तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय बहुत छोटा है, इसका बजट भी छोटा है लेकिन इसका क्षेत्र इतना बड़ा है, जो हर एक चीज को प्रभावित करता है। कल इसके बजट पर बहस भी नहीं हो पायी तो इसका को–आर्डीनेशन हर एक चीज से रहना चाहिये तो पर्यावरण दुरुस्त करना मंत्री जी का काम है, तो यह अन्य मंत्रालयों से मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि उद्योग दूरस्त स्थान पर स्थापित हों, क्या ऐसी कोई प्लानिंग मंत्री जी की है ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, कोई भी उद्योग लगता है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 ली जाती है और एन0ओ0सी0 मिलने की एक प्रक्रिया है, एन0ओ0सी0 जो दिया जाता है, उसकी कंडीशन है, प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र लगा है कि नहीं लगा है, इसकी नियमित जांच की जाती है और अगर प्रदूषण नियंत्रण का संयंत्र नहीं लगा है तो उस उद्योग के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, यहां तक कि बन्दी की भी कार्यवाही की जाती है तो सारी व्यवस्था पहले से मौजूद है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने खुद जवाब दिया है कि 20 शहरों में केवल 52 स्थान पर यह केन्द्र स्थापित हैं, और आगरा टी0टी0जेड0 क्षेत्र में आता है, बहुत सेंस्टिव क्षेत्र है और इसी के मारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे टी0टी0जेड0

क्षेत्र घोषित किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महानगरों में जो केन्द्र स्थापित हैं, उनकी संख्या अभी बहुत कम है जबकि महानगरों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है तो क्या माननीय मंत्री जी महानगरों में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अब जो स्वचालित आटोमेटिक संयंत्र हैं, उनको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे आगरा में लगाया गया है। वह ज्यादा परफेक्ट होगा, मैनुअल नहीं होगा। तो उसके लिये हमारी सरकार काम कर रही है और भी लगाया जायेगा।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर श्री दलवीर सिंह जी उपस्थित नहीं थे)

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरे अब बहुत सवाल हो गया, 20 मिनट एक सवाल पर हो गया, अब नहीं। आप लोग बैठो। आप लोग सवाल लगाते नहीं हो और दूसरे के सवाल में हस्तक्षेप करते हो। यह जो किसानों से जुड़ा मामला है, अगर समय बचेगा तो उसको ले लिया जायेगा।

प्रदेश में आलू उत्पादन एवं भण्डारण की क्षमता बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी

'02–श्री दलवीर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू उत्पादन का औसत क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आलू भण्डारण क्षमता में वृद्धि एवं अधिक उत्पादन वाली किस्मों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)–

प्रदेश में 120 से 135 लाख मै0 टन आलू का उत्पादन होता है। प्रदेश में वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक आलू के आच्छादन एवं उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	क्षेत्रफल (ला0हे0)	उत्पादन (ला0 मै0टन)
2010–11	5.57	137.76
2011–12	5.58	123.16
2012–13	5.48	133.36
2013–14	5.70	120.60

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उ0 प्र0 में आलू का औसत उत्पादन 128. 22 लाख मै0 टन है।

आलू भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु नवीन शीतगृहों की स्थापना पर प्लान्ट, मशीनरी एवं तकनीकी सिविल वर्क की इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 140 लाख अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

अधिक उत्पादन वाली किस्मों के विकास के लिये भारत सरकार की संस्था केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कार्यरत हैं जिनके द्वारा उच्चगुणवत्ता के ब्रीडर आलू बीज प्रदेश को उपलब्ध होते हैं। प्रदेश में आलू के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 आलू विकास नीति–2014 का प्रख्यापन किया गया है।

आवश्यकता नहीं है।

'03–श्री मनीष असीजा–

रू 7वें सोमवार के तारां0 प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ,

प्रदेश में नये उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक नीति सम्बन्धी जानकारी

'04–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति बनायी गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2012 से दिसम्बर, 2014 तक प्रदेश में कितने नये उद्योग स्थापित हुए तथा कितने उद्योग पलायन कर गये ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 बनायी गयी है।

प्रदेश में अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2014 तक रु0 15976.29 करोड़ के पूंजी निवेश से 111555 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग स्थापित हुये हैं।

किसी उद्योग के पलायन की सूचना नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, उद्योग किसी भी प्रदेश की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं और उसके ऊपर यह उत्तर आया है जो कि आपके सामने है। चौथा बजट सरकार का है तीन साल हो गये हैं। इन्होंने बताया कि तीन साल में 1 लाख 11 हजार 555 उद्योग लगे और 15 हजार 976 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि औद्योगिक ईकाई जिसमें सूक्ष्म भी है, मध्यम भी है और वृहद उद्योग भी है इस प्रकार से 14 लाख 32 हजार का एवरेज आता है एक उद्योग के ऊपर। मान्यवर, इसमें वर्ष 2012 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आगरा में औद्योगिक घरानों के साथ एक मीटिंग की थी और फिर दिल्ली में एक समिट की थी। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं मान्यवर, मा0 मंत्री जी से दो सवाल पूछूंगा और उसके बाद यदि आपकी अनुमति होगी तो आगे पूछूंगा। आगरा समिट में मान्यवर, इन्होंने जिन लोगों के साथ एम0ओ0यू0 तय किया था उससे बड़ी इण्डस्ट्रीज में कितना निवेश आया, उत्तर प्रदेश में कितने वृहद उद्योग स्थापित हुए, कितना उन पर पूंजीनिवेश हुआ है और कितने लोगों को रोजगार मिला है ? इसके अतिरिक्त जो समिट आगरा और दिल्ली में हुई थी उस

समिट में जो एम0ओ0यू0 हुए थे वह जमीन के ऊपर उतर कर आये हैं या नहीं आये हैं ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

मा0 अध्यक्ष जी, आगरा में जो समिट हुई थी उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों को बढ़ाने के लिए 2012 की नीति बनाई थी, उसका उन्होंने उसमें विमोचन किया था। वहां कोई एम0ओ0यू0 नहीं हुआ था और दिल्ली में वैसे तो कई कम्पनियों ने भाग लिया था लेकिन 20 कम्पनियों ने 22 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये थे।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है या वह उत्तर देना नहीं चाहते हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि कितने एम0ओ0यू0 साइन हुए, मेरा यह सीधा प्रश्न था कि कितनी हैवी इण्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगीं ? यह स्पेसिफिक प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है। मैंने बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर पूछा भी नहीं है ताकि मा0 मंत्री जी को कठिनाई न हो। मैंने पूछा कि कितने उद्योग स्थापित हुए ? यदि 22 एम0ओ0यू0 साइन हुए थे उसमें बहुत बड़े–बड़े होर्डिंग लगे थे कि 8 हजार करोड़ रुपया इसके द्वारा, 6 हजार करोड़ रुपया इसके द्वारा, 5 हजार करोड़ रुपया इसके द्वारा, बहुत बड़ी–बड़ी होर्डिंग लगी थीं, इसे आपने भी देखा होगा आपकी भी निगाह बहुत रहती है। कानपुर जा करके छोटे से कार्यकर्ता की होर्डिंग देख लेते ये तो बहुत बड़ी होर्डिंग हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने वृहद उद्योग लगे क्योंकि 2012 में भी मान्यवर, इस प्रकार के एम0ओ0यू0 साइन करने की यहां पर बात कही गई थी आज वह मुकर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं कही गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यही सवाल है, मेरा जो पहला प्रश्न था मैं उसी पर स्टैण्ड कर रहा हूं कि कितने उद्योग लगे क्योंकि मान्यवर, उद्योगों के लिए जो वातावरण होना चाहिए वह उत्तर प्रदेश में नहीं है। उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे मान्यवर, मेक इन इंडिया के लिए मेक इन इंडिया का वातावरण बनाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये। आप पूछ रहे हैं कि कितने बड़े उद्योग लगे और कितने छोटे उद्योग लगे, यही तो आपका सवाल है तो इसका उत्तर ले लीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेक इन इंडिया उद्योगों से ही सम्बन्धित है। मान्यवर, उद्योगों को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो विद्युत की दरें इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में हैं वह आस–पास के सारे स्टेट्स से ज्यादा हैं तो उद्योग कैसे आयेगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो उद्योग कैसे आयेगा ? लॉ एण्ड आर्डर है नहीं तो उद्योग कैसे आयेगा ? तो मैं आपके

माध्यम से स्पष्ट पूछ रहा था कि जितने एम0ओ0यू0 साइन हुए थे उसमें कितनी हैवी इण्डस्ट्रीज लगी हैं और कहां–कहां लगी हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जो एम0ओ0यू0 साइन हुए थे क्या उसमें कोई बड़ी इण्डस्ट्री लगी ?

श्री राम मूर्ति वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैसर्स श्रीसीमेण्ट्स, मै0 पसवारा पेपर्स, मै0 एस्सेल ग्रुप (सोलर पॉवर परियोजना), मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकाम इन चार कम्पनियों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इसमें ज्यादातर कम्पनियां बहुत जल्द ही अपने उत्पाद मार्केट में उपलब्ध करने वाली हैं और तीव्र गति से इस दिशा में काम हो रहा है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कुछ कम्पनियों के नाम गिना दिये और इतनी तेजी से हो गया कि दूसरे, प्रश्न के उत्तर में इतनी स्पीड पकड़ ली गयी, मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा अनुपूरक, आप जिसको अनुमति देंगे वह पूछेगा और अगर आपकी अनुमति होगी तो आखिरी अनुपूरक पूछूंगा। इन्होंने 4 कम्पनियों के नाम गिना दिये, 2012 में एम0ओ0यू0 हुए नहीं, दिल्ली में एम0ओ0यू0 हुए कम्पनीज भी लग गयी और उत्पाद भी बाजार में आने के लिए तैयार हो गये। 2013–2014 में कम्पनी भी लग गयी और उत्पाद भी आने लगे। मेरा स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक प्रश्न है कि ये जो 04 कम्पनियां गिनाई हैं, पहली बात तो 04 गिनाई कई बड़े–बड़े होर्डिंग्स लगे थे उनमें कईयों के नाम थे, छोड़िये उनमें से एक भी नहीं हैं। अब यह कह रहे हैं कि कैफे काफी डे ने उद्योग लगा दिया, कैफे काफी डे अगर दुकान खोल लेगी, दो–चार लोगों को काफी पिलायेगी और उसको आप उद्योग की श्रेणी में गिनेंगे तो इसको प्रदेश में कोई मानने वाला नहीं है। मेरा मान्यवर, स्पष्ट प्रश्न है यदि नहीं उत्तर आता है तो इसका मतलब है कि यह सरकार उत्तर देना नहीं चाहती और उद्योगों के बारे में सेनसियर नहीं है। यह बतायें कि ये 04 उद्योग क्या–क्या मैन्यूफैक्चर करेंगे और कितने का पूंजीनिवेश उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया ? हो सकता है कि जो 15 हजार करोड़ बतायी है ये चार में ही पूरा हो जाए, मेरे को खुशी होगी अगर चार में पूरी हो जाए तो क्या यह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कितना इन्होंने निवेश उत्तर प्रदेश में किया है ? यह मेरा प्रश्न है, उसके बाद अंतिम प्रश्न आप अनुमति देंगे तो कर लेंगे।

श्री राममूर्ति वर्मा–

मान्यवर, मै0 श्रीसीमेण्ट्स इसने दिसम्बर 2015 से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा है और भी जो तीन कम्पनियां हैं उनका भी कार्य काफी प्रगति पर है और इसमें कुल 6659.55 करोड़ का निवेश हुआ है।

श्री प्रदीप चौधरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर प्रदेश का सबसे लास्ट का जिला है और जो उद्योग वहां पर लगे हुए हैं उनकी हालत खराब है और नये उद्योग वहां लग नहीं रहे हैं। पड़ोस का प्रदेश उत्तराखण्ड वहां उद्योग बड़ी तेजी से डेवलप हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सहारनपुर को विशेष औद्योगिक दर्जा दिये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरी–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी से जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

कैसे जवाब दिलवा दें, इस प्रश्न से ही संबंधित नहीं है। महाना जी आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए। प्रदीप जी बैठिये, सहारनपुर का मतलब ही नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। आप अलग से सवाल लगाईएगा और सहारनपुर का उत्तर लीजिएगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी प्रकार का कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है। कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। एन0सी0आर0 के अंतर्गत न्यू ओखला इण्डिस्ट्रयल डेवलपमेण्ट अथॉरिटी (नोयडा) वहां पर वह सिर्फ एक कालोनी के रूप में डेवलप होकर आ रही है, वहां पर भी इण्डस्ट्री समाप्त हैं। नोएडा में मकान ज्यादा इम्पोर्टेण्ट है इण्डस्ट्री लगाना इम्पोर्टेण्ट नहीं है, इलाहाबाद भी गायब है मान्यवर, ये जो बड़े शहर हैं कानपुर औद्योगिक नगरी के रूप में है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, प्रश्न पूछिये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं इन्होंने 6600 करोड़ रुपया एक औद्योगिक इकाई के लिए बता दिया अब यह उससे नीचे पांच लाख रुपए पर आ गए। प्रति इण्डस्टी पांच लाख देंगें। पांच लाख में आजकल एक कमरा नहीं बनता है। यह इण्डस्ट्री लगा रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा आखिरी प्रश्न है जिनका शायद इनके पास उत्तर नहीं है फिर भी मैं कर लेता हूं। कानपुर इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्तर्गत।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बंधित नहीं है ।

श्री सतीश महाना–

कानपुर और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने सवाल पूछा है कि कि प्रदेश में नए उद्योगों को आकर्षित करने हेतु कोई औद्योगिक नीति बनाई गई है। सरकार यह भी बताएगी कि वर्ष 2012 से दिसम्बर 2014 तक कितने उद्योग स्थापित हुए उन्होंने बता दिए । अब इसमें बचा क्या है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं भटक गया था लेकिन आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। आपने मुझे याद दिला दिया कि मैंने प्रश्न क्या पूछा था। औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो विद्युत

की दरें ज्यादा हैं अगर विद्युत की दरें ज्यादा होंगी तो उद्योग लगाने का माहौल ही नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी अब अगला प्रश्न ले लेने दीजिए यह बहुत इम्पार्टेन्ट हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जब बजट आए तब आप इस पर अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना–

इसका बजट हो हल्ले में खत्म हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप ही लोगों के कारण ऐसा हुआ। आप ही का उसमें कटमोशन था।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं उस समय यहां पर उपस्थित नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाइए मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री सतीश महाना–

सरकार उद्योगों के सम्बंध में सेन्सियर नहीं है विद्युत की दरें बढ़ रही हैं ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है उद्योगों के प्रति सरकार चिन्तित नहीं है इसीलिए मैं आपकी अनुमति से इस सदन से वाकआउट करता हूं।

(श्री सतीश महाना के साथ अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से वाक आउट कर चले गए)

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब आप नहीं गए बहुत होशियार हैं महाना जी को बाहर कर दिया।

प्रदेश में जेनेटिकली मॉडीफाईड बीजों के सम्बन्ध में जानकारी

'05–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेनेटिकली मॉडीफाईड (जीन आधारित परिवर्तनों से विकसित) बीजों के उपयोग हेतु क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के किन–किन कृषि जिन्सों पर ऐसे जी0एम0 बीजों का उपयोग किया जा रहा है तथा उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में जेनेटिकली मॉडीफाईड (जीन आधारित परिवर्तनों से विकसित) बीजों के उपयोग हेतु वर्तमान में कोई नीति नहीं है।

प्रदेश में किसी भी जेनेटिकली मॉडीफाईड (जीन आधारित परिवर्तनों से विकसित) बीजों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी सवाल एकदम सीधा है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने तो कुछ स्वीकार नहीं किया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

इसीलिए तो सवाल है। स्वीकार कर लिया होता तो सवाल ही नहीं होता। सरकार के शब्द देखिए सरकार कह रही है कि वर्तमान में कोई नीति नहीं है हमारे पास सरकार के एक अधिकारी का बयान है जिन्होंने यह कहा है चीफ सेकेट्री का यह बयान है वी आर नाट अगेंस्ट द आइडिया बट द डिसीजन हैज एट–टू–बी टेकन अर्थात् हमें इस विचार का कोई विरोध नहीं है लेकिन इस पर निर्णय लिया जाना है। मेरा प्रश्न यहीं से है किसी भी चीज को जब हम सम्पादित करना चाहते हैं तो पहले उस विचार के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक भाव बनाते हैं और फिर उस पर एक नीतिगत निर्णय लेते हैं अगर सरकार का सबसे आला कमान अधिकारी यह कह रहा है कि वी आर नाट अगेंस्ट द आइडिया हम इस विचार के विरोध में नहीं हैं अर्थात हम इसके समर्थन में हैं लेकिन हमने इस पर कोई नीति गत निर्णय नहीं लिया है यहीं यह प्रश्न है क्योंकि जब यह लागू हो जाएगा तो बहुमत है लागू कर देगा। समस्या वह है जो पूरे देश में हो रही है चाहे वह बी0टी0 कॉटन के बारे में हो चाहे वह बी0टी0 बैगन के बारे में हो चाहे वह जो अन्य क्राप्स हैं जिनमें इस प्रकार के हमने क्राप्स का प्रयोग किया है चाहे वह गोभी हो, चाहे आलू हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, या गेहूं हो, मूंगफली हो। इनके बारे में सब कुछ स्पष्ट है। यह बता करके कि आपका उत्पादन बढ़ जायेगा अधिक उत्पादन का लालच दे करके यह पूरे देश की कृषि को बर्बाद कर रहे हैं और यहां तक बर्बाद कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में इनकी फसलें बो दी जाती हैं अध्यक्ष जी, चूंकि आप सीधे गांव से हैं। अगल बगल के क्षेत्र में नॉन जी0टी0 फसलें जी0एम0 फसलें बोई नहीं जा सकती। वह उन पर संक्रमण कर लेती हैं और उनका खेल यह है कि एक बार जिस खेत में इनका बीज पहुंच गया जो हम कहते हैं कि हम अपने पुराने बीजों का उपयोग करके अगले साल फसल जमा देंगे जी0एम0 बीजों में यह होता नहीं है। अगले साल आदमी को फिर उन्हीं से बीज खरीदना है और दोनों के दाम में कम से कम दस गुने का अंतर है, खाली बैगन के दाम से मैं कह सकता हूं। 10 गुना तो कम से कम अंतर है यानि छोटे छोटे किसानों के ऊपर जो आज हमारी मंडी समितियों की जो नयी नियमावली बनी है उसमें हम उनको पूरा पूरा अधिकार दे देंगें कि छोटे किसानों का एक तंत्र बना करके उनकी एक को–आपरेटिव बना करके वहां इन बीजों को वह डाल देंगे और एक बार वह बीज वहां पहुंच जायेंगे तो फिर उन किसानों की बाध्यता हो जायेगी उन बीजों का प्रयोग करना और अध्यक्ष जी सबसे बड़ी समस्या कि इसके लिये चाहिए पानी और आपका

बताना नहीं है कि पानी की स्थिति क्या है। जो इसे बोता है वो अंत में रोता है। 2 लाख लोग इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं इससे। इसलिये सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि सरकार सैद्धान्तिक रूप से इस प्रकार के जी0एम0 बीज के प्रयोग की विरोधी है और इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)–

अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरा पढ़ दूं या मैं आपको नट सेल में बताऊं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में बता दीजिये पढ़िये नहीं।

श्री राजीव कुमार सिंह–

राष्ट्रीय स्तर पर डा0 स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित फॉस्पोस की रिपोर्ट में भी जीन संवर्धित तकनीकी केवल उसी स्थिति में अपनाने का सुझाव दिया गया और जब कोई और विकल्प न बचे क्योंकि यह तकनीकी कृषि रोजगार के अवसरों को कम करती है वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में और परिपेक्ष्य में आनुवांशिक एवं आणविक विज्ञान से सम्बद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा अनुवांशिक संशोधित/परिवर्धित बीजों के उपयोग हेतु हतोत्साहित किया जाता है किन्तु सीधे खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसलों में इनकी उपयोगिता से पूर्व इनका मानक स्वास्थ्य पर्यावरण एवं पर होने वाले प्रभावों के मद्देनजर इस सम्बन्ध में अध्ययन कराया जाना आवश्यक है। जी0एम0 बीजों के फील्ड ट्रायल हेतु देश में वर्तमान में लागू मानकों तथा बायो सेफ्टी बायो एसिटिकल तथा आइसोलेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रपोजल कमेटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। प्रदेश की कृषि एवं कृषकों के हित में दृष्टिगत जी0एम0 फसलों के सम्बन्ध में बायो सेफ्टी संबंधित नियमों के पर्यावरण सुधार एवं समुचित अध्ययन के उपरान्त ही नीति निर्धारण के सम्बन्ध में लिया जाना उचित होगा। आपने कहा है कि चीफ सेक्रेट्री साहब ने कुछ ऐसा लिखा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेंगे ? उनका एक ही आशय था।

श्री राजीव कुमार सिंह–

इस पर न भारत सरकार विचार कर रही है, न उत्तर प्रदेश शासन कोई विचार कर रहा है, यह प्रश्न के उत्तर में पहले ही आ चुका है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

विचार इसमें कोई नहीं कर रहा है लेकिन घुस तो गई हैं यह बीजें भारतवर्ष में और छोटी मोटी जमीनों में नहीं देश के बहुत बड़े हिस्से में तो यह बिना विचार के पहुंच गई और यह जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वह बहुत इन्टेलीजेंट आदमी हैं। यह रिपोर्ट मेरे पास है। यह काठ का घोड़ा है जिसके माध्यम से बीजों को घुसाया जा रहा

है। सेफ्टी नार्म्स के नाम से यह सर्टिफिकेट दे करके कि यह सुरक्षा मानकों में बहुत नुकसान नहीं कर रही हैं और इन्ट्री दे दी जायेगी और होगा क्या ? जहां यह पहुंचेगी हमारे प्रदेश में और विशेष कर हमारे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 85 प्रतिशत किसान लघु सीमान्त हैं एक बार उनके हाथ से जमीन गई तो लौटकर उनके पास आएगी नहीं। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सिर्फ सुरक्षा मानक हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हमारे जो छोटे और लघु सीमान्त हैं हम उनकी आजीविका पर चोट न होने दें। अगर उन्हें खेत में पानी नहीं मिला तो आत्महत्या का वही दौर शुरू होगा जो तमिलनाडु, गुजरात, और आसपास के राज्यों में हुआ। मैं इसे राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह स्पष्ट करें कि सिर्फ सेफ्टी मानक पर तय करेंगे या किसानों की आवश्यकता या उनकी भूमि की सीमाओं के आधार पर कोई सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाएगा ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

अभी ऐसा कोई ऐसा विचार नहीं है जो आपने कहा, तो स्वास्थ्य के संबंध में आपको बताया जा चुका है कि इससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होगा और पर्यावरण प्रभावित होगा। फसलें जो आपकी हैं, प्रदेश की कुछ मुख्य फसलें हैं वह सब भी प्रभावित होंगी। ऐसी स्थिति में यह निर्णय होना उचित नहीं होगा।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी स्वदेशी बीज थे हमारे पास, एक बीज तो धान का ऐसा था कि साठ दिनों में ही वह धान पक जाता था। इसको साठी धान कहा जाता था। आज हमारे पास हमारे स्वदेशी बीज भी रह नहीं गए हैं। हाइब्रिड बोए जाते हैं हर साल किसान को नये बीज खरीदने पड़ते हैं बीज से बीज बना नहीं सकते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार की स्वदेशी बीजों को संरक्षण प्रदान करने की कोई योजना है ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर, जो साठ दिन के बीज की, धान के बीज की, बात कही गई है उस पर कानपुर चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, इस वर्ष उस बीज का बहुत व्यापक पैमाने पर वितरण भी किया गया क्योंकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं था इसलिए उस धान की प्रजाति का नाम बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर समय देंगे तो नाम बता दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रबुद्ध साथी से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या सवाल करेंगे ? मंत्री होकर नहीं पूछा जाता है।

श्री राजीव कुमार सिंह–

एक सवाल डा0 साहब का आया था। मॉडीफाइड सीट पर आया सी0एन0जी0 पर आया यह सारी चीजें भारत सरकार की हैं और 45 परसेन्ट बजट भी काट दिया।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए अब।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति करने सम्बन्धी जानकारी

'06–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर कक्षाओं एवं प्राविधिक शिक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपया 2 लाख थी, उन सभी को प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से उन वंचित छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्रदान की गयी जबकि केन्द्रांश की शत–प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रदेश में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में एन0आई0सी0 की छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड छात्रों जिनके माता–पिता की वार्षिक आय सीमा रुपया 2.00 लाख तक थी, उन्हें दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खातों में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किये गये छात्रवृत्ति डाटा के अनुरूप अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनपद स्तर पर वितरित की गयी है। वर्षवार मांग व व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	आवश्यकता	लाभार्थी संख्या	व्यय		योग
			राज्यांश	केन्द्रांश	
2012–13	1396.03	953947	661.30	734.73	1396.03
2013–14	1462.16	1092422	661.30	782.38	1443.68

वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रदेश के अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में एन0आई0सी0 की छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड छात्रों जिनके माता–पिता की वार्षिक आय सीमा रुपया 2.00 लाख तक थी, उन्हें छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खातों में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रेषित की गयी एवं वर्ष 2013–14 में वरीयता श्रेणी 'क' अर्थात् शासकीय विद्यालयों में पूर्ण रूप से एवं वरीयता श्रेणी 'ख' अर्थात् शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) के छात्रों को जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 40000/– तक है, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर दशमोत्तर

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान कर दी गयी है। वर्षवार मांग व व्यय की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	आवश्यकता	लाभार्थी संख्या	व्यय		योग
			राज्यांश	केन्द्रांश	
2012–13	707.08	5678	479.76	227.32	707.08
2013–14	1620.20	4513	402.40	––	402.40

वर्ष 2012–13 में छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड छात्रवृत्ति डाटा के अनुसार अनुसूचित जाति के समस्त छात्रों को पात्रतानुसार एवं नियमानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2013–14 में जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किये गये डाटा के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर समस्त छात्रों को पात्रतानुसार जिला स्तर से भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जनजाति में केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण शासकीय विद्यालयों में पूर्ण रूप से एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति (जनपद गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) के उन छात्रों को जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 40,000/तक है, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान कर दी गयी है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहला यह कि यह प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है और इन छात्रों के वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में पूरे प्रदेश में की गई शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के अन्दर कितनी अनियमितताएं, कितने घोटाले के मामले पकड़े गये एवं इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा, कानपुर के कितने विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की गयी है और कितने वंचित हैं तथा कितने छात्रों को मिला है और कितने छात्रों को नहीं मिला है क्या संख्या बतायेंगे ? क्या जिन छात्रों को नहीं मिला है उन विद्यालयों पर कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, इसमें तो संख्या लिखी है वह तो कॉलम में लिखा है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मा0 सदस्य जिनको मैं मा0 विधायक मानता हूं, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है मान्यवर, प्रश्न की कापी आपके सामने भी है हमारे पास भी है, बिल्कुल उससे हटकर के पूछ रहे हैं और जितना प्रश्न पूछा गया है सबका जवाब हमनें वर्बेटिम दे दिया है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें इतना बड़ा घोटाला है, मंत्री जी बताना नहीं चाहते हैं हटना चाहते हैं। इतना बड़ा घोटाला है पूरा सदन जानता है। विद्यालयों में कितना बड़ा घोटाला है, छात्रवृत्ति का सबसे बड़ा घोटाला है। छात्रों को पैसा नहीं मिलता है विद्यालय पैसा डकार जाते हैं और उसमें कहीं–कहीं हिस्सेदारी होती है। मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मैं पहला विधायक हूं। मा0 मंत्री जी कई बार विधायक रहे हैं और विधायक मान भी लिया है। 'क्षमा बड़न को चाहिये छोटन को अपराध', आपने माफ भी कर दिया जो मैंने कहा और उसको कार्यवाही से भी निकाल दिया, लेकिन मा0 मंत्री जी यह जरूर बता दें कि यह घोटाला कैसे चल रहा है ? क्यों चल रहा है ? क्यों बंटवारा चल रहा है ? मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें यह सब कहां है। यदि कोई घोटाला हो तो आप लिखकर दे दें तो मा0 मंत्री जी उसकी जांच करा लेंगे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, घोटाला है आप भी जान रहे हैं और यह सदन भी जान रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिये। इसका जवाब दिला दीजिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मा0 अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। जो इसमें प्रश्न आया है, भाई रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी के प्रश्न के जवाब में मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है। इस उत्तर से यह साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सरकार या तो जानबूझ कर इन छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का इंतजाम नहीं करा पा रही है या भारत सरकार में समय से इनकी पैरवी नहीं की जा रही है। मान्यवर, आप देखें, मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 2012–13 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसमें 1396.03 की आवश्यकता थी और उसको वितरित 1396.03 यानी बराबर उनको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति समय से प्रदान की गई। इसी में माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि जब वित्तीय वर्ष 2013–14 आया तो 1462.16 की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने दिया 1443.68, बीस करोड़ की कमी उधर हो गई। इसी तरह मान्यवर, फिर इन्होंने नीचे स्वीकारा है कि वर्ष 2012–13 में 707.08 की आवश्यकता थी, 707.08 बंटा, वर्ष 2013–14 में जब इनकी गवर्नमेण्ट आई, 15 मार्च को आपकी सरकार आई है, 2012 में 1620.20 की आवश्यकता थी, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि उसके पहले बराबर छात्रवृत्ति दी गई, वर्ष 2013–14 का वित्तीय वर्ष बीतने जा रहा है, 1620.20 में से अभी तक 402.40 दिया गया है। इसमें एक साल से ज्यादा बीतने को जा रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मेरे दो प्रश्न हैं, आपने कहा कि गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष जगह शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति प्रदान की गई। मान्यवर, गौतमबुद्धनगर को बार–बार छोड़कर, इसको दो बार छोड़ा गया, इसके बारे में मा0 मंत्री जी उत्तर दें, वहां के छात्रों को इससे क्यों वंचित किया गया है और दूसरा क्या मा0 मंत्री जी अभी भी प्रयासरत हैं कि वह जो

भारत सरकार से केन्द्रांश की बात करते हैं कि भारत सरकार से केन्द्रांश आ जायेगा, उसके लिए क्या पैरवी की है, कितने पत्र लिखे हैं, कितनी बार भारत सरकार में गए हैं ? क्या मा0 मंत्री जी अभी आश्वस्त हैं कि इन छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मा0 सदस्य को भी सौभाग्य रहा, समाज कल्याण विभाग के मंत्री होने का। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हमने लिखकर दिया है, उसमें भी समझदारी करने में कोताही बरती। श्रीमन्, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वर्ष 2013–14 में मा0 सदस्य ने बताया कि 1620.20 लाख की आवश्यकता थी और जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की संख्या थी 4513, जिसमें लिखा है, लाभार्थी संख्या, वह मान्यवर, छात्र संख्या थी और जो इन्होंने बताया 402.40, यह मान्यवर, राज्यांश है, यह राज्यांश है, 402 करोड़ 40 लाख, जिसे हमारी सरकार ने दिया है।

श्री अध्यक्ष–

जो केन्द्रांश है, वह इसमें नहीं लिखा है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, दूसरा सवाल जो है, यह सवाल गौतमबुद्धनगर से है। श्रीमन्, गौतमबुद्धनगर में वहां के जिलाधिकारी ने इस बात की सूचना दी कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी तरीके से अपने को लोड करा लिया है और फर्जी तरीके से वह पैसा लेने के प्रयास में हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तुरन्त उन्हें रोक दिया गया और मेरठ मण्डल के आयुक्त को बिन्दुवार सूची दे करके उनसे जांच कराई गई और कहा गया कि जब तक जांच न हो जाए एक पैसा भी न जा पाए जिससे कहीं भी पैसे में हेरा–फेरी न हो पाए। मान्यवर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 80 संस्थाओं की जांच–पड़ताल हो गई है। जिसकी जांच–पड़ताल हो गई है उन सबको एक सप्ताह के अंदर पैसा मिल जायेगा। जहां तक चिन्ता का सवाल है और मा0 सदस्य ने जो कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से इस प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को बांटने में पूरी तरह से पारदर्शी कदम उठाए हुए है। पी0एफ0एम0एल0सी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा जाने की व्यवस्था है। एक रुपया भी किसी को खाने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर उत्तर नहीं आया मेरा सीधा–सा सवाल था जो केन्द्रांश बारह सौ करोड़ रुपये नहीं आया है उसके लिए मा0 मंत्री जी ने क्या प्रयास किया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर यह केन्द्र में किसकी सरकार है और सरकार के नेता कौन हैं इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है यह आज सारी दुनिया जान रही है। चुनाव के समय में उस समय के जो प्रत्याशी थे उन्होंने प्रदेश और देश की जनता के सामने क्या–क्या कहा था और क्या–क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इनका कहना है कि आपने कोई प्रयास किया है या नहीं। बस उसी तक सीमित रखिए।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर हमारे अधिकारी सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं। हर चौथें दिन वहां जा रहे हैं। वहां से आश्वासन मिल रहा है। जैसे ही आश्वासन के बाद हमको पैसा मिलेगा चौबीस घण्टे के अंदर हम पैसा बंटवा देंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर मा0 मंत्री जी का सही उत्तर नहीं आया है। 2013–14 बीत गया 2014–15 बीतने जा रहा है। दो साल हो रहे हैं और आज तक यह सरकार सही पैरवी करके अनुसूचित जाति के जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं करा पाई। मान्यवर यह लचर पैरवी है। समाजवादी पार्टी की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः सर्वे करके जो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिलाया। इसी तरह छात्रों की अनदेखी की जा रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य और मैं सदन से बर्हिगमन करते हैं।

(श्री इन्द्रजीत सरोज ने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर यह वही लोग हैं जिन्होंने उस पार्टी की सरकार से मिलकर सरकार चलाई थी और छः महीने इन्होंने चलाई और छः महीने उन्होंने और आज जब वह सरकार केन्द्र में बैठी है और अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को अनदेखा कर रही है तो आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या जो भी छात्रवृत्ति के लाभार्थी होंगे एक–एक पैसा हमारी सरकार दे देगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

अब एक आखिरी सवाल है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर एक ही सवाल काफी है। मा0 मंत्री जी का बयान आपने सुना। 2013–14 में केन्द्रांश न आने का प्रश्न था। मंत्री जी ने 2013–14 लिखा है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार थी जिनकी कथनी और करनी में फर्क था, वादा कुछ और किया, सत्ता में आ गए अब दे नहीं रहे हैं। मान्यवर मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम कि 2013–14 में केन्द्र में एक ऐसी सरकार चल रही थी जिनको इनकी बैसाखी मिली हुई है। यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अध्यक्ष जी सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर राज्य सरकार को केन्द्रांश नहीं मिला तो जिस सरकार को वह केन्द्र में समर्थन दे

रहे थे, क्यों दे रहे थे, वह जाने किन कारणों से दे रहे थे मैं इसे सदन में नहीं कहूंगा। तो मेरा प्रश्न दूसरा है। इन्होंने प्रयास क्या किया कि सरकार को समर्थन दे रहे थे और अनुसूचित जाति की छात्रवृत्तियां केंद्र सरकार ने नहीं दी, इन्होंने प्रयास नहीं किया। मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने यह किया कि असंवैधानिक काम किया और लिखित रूप से इस उत्तर में स्वीकार कर लिया। किसको छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति मिलेगी इसका एक मानक तय है। मानक है दो लाख रुपये की आय का, यह मानक पूरे देश में लागू है। इन्हें क्या अधिकार था कि इन्होंने इस मानक को बदल दिया और यह तय कर दिया कि जिस परिवार की आय 40 हजार से कम होगी उसको ही प्रतिपूर्ति दी जायेगी। लिखित रूप से स्वीकार किया है मैं पढ़ दे रहा हूं। वर्ष 2013–14 में वरीयता श्रेणी–क शासकीय विद्यालयों के पूर्ण रूप से और वरीयता श्रेणी–ख शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जिनके माता–पिता की वार्षिक आय रु0 40 हजार तक है धनराशि की उपलब्धता के आधार पर प्रदान कर दी गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, इसीलिए पूरे प्रदेश में समस्या है। चारो ओर आक्रोश है जब आपने दो लाख से घटाकर चालीस हजार कर ही दिया तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र थे आपको केंद्र का अंश तो नहीं मिला, उन बेचारे चालीस हजार से दो लाख के बीच के लोगों को अपना अंश भी नहीं दिया। इसलिए जो यह कह रहे हैं वह भी सही है और दूसरा तथ्य यह भी है कि आप भी नहीं देना चाहते थे। मैं सरकार के माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो घटाया गया है दो लाख से घटाकर चालीस हजार, क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी ? उन सारे छात्रों को जिसे सरकार ने अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए असंवैधानिकपूर्ण निर्णय लेते हुए छात्रवृत्ति नहीं लेने दिया है उन्हें पुनः छात्रवृत्ति देने की घोषणा करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, विद्वान साथी ने दो–तीन बातें कह डाली। उस पर हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। लेकिन यह जानते हैं कि हमारी पार्टी ने हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को क्यों समर्थन दिया था। इसलिए समर्थन दिया था कि इस देश और प्रदेश में साम्प्रदायिक ताकतें मजबूत न होने पायें। इसलिए दिया था। आप इसको स्वीकार करो। और आपने जो सवाल पूछा कि दो लाख वार्षिक आय वालों को जब दे रहे थे तो चालीस हजार वार्षिक आय जिन अभिभावकों की होगी उनको देने का आपने फैसला क्यों ले लिया। श्रीमन, हमने अपने उत्तर में ही यह निवेदन कर दिया है कि धन अभाव के कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा है। हमारी कोई मंशा नहीं थी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को यह अधिकार नहीं है कि दो लाख की सीमा में अपने आधार पर कोई परिवर्तन कर सके। यह दो लाख की सीमा तय की हुयी पूरे देश की सीमा है। और सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रतिपूर्ति मिलने में अवरोध पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी इसका गंभीर विरोध करती है और इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करती है।

(भारतीय जनता पार्टी के डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

प्रदेश में औद्योगिक निवेश सम्बन्धी जानकारी

'07–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार के आने के बाद से अब तक कितना औद्योगिक निवेश प्रदेश में बाहर से आया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उनके प्रयासों से आगरा व दिल्ली में उद्योगपतियों की जो बैठक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए की गयी थी, उसके प्रतिफल स्वरूप कितनी यूनिटें व धन का निवेश प्रदेश में हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विदेशी पूंजी निवेश की सूचना उपलब्ध नहीं है।

आगरा में सम्पन्न 'ग्लोबल पार्टनरशिप सम्मिट' कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 का विमोचन किया गया व नई दिल्ली में आयोजित 'इन्वेस्टर्स कान्क्लेव' में 20 विभिन्न निवेशकों के साथ कुल 22 सहमति पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित हुए थे। इनमें से निम्न 04 इकाइयों द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है :–

(1) मै0 श्री सीमेण्ट्स (2) मै0 पसवारा पेपर (3) मै0 एस्सेल ग्रुप (सोलर पावर परियोजना) (4) मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं हैं।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने सम्बन्धी नीति की जानकारी

'08–श्री नदीम जावेद तथा श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की नीति और अनुमन्य धनराशि क्या है ? क्या उक्त नीति के अन्तर्गत पात्र सभी वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन दिये जाने हेतु कोई नई पारदर्शी नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बी0पी0एल0 सूची 2002 के आधार पर समाज के सभी गरीब वर्गों के पात्र वृद्धजनों को पेंशन दिया जाना अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 सूची 2002 का मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को चयनित करने के लिये

नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 मानक अपनाये जाने की व्यवस्था है।

योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 200/– (रु0 दो सौ मात्र) केन्द्रांश के रूप में एवं रु0 100/– (रु0 एक सौ मात्र) राज्यांश के रूप में प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अर्थात् कुल रु0 300/–(रु0 तीन सौ मात्र) दिया जाना अनुमन्य है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/–(रु0 पांच सौ मात्र) प्रतिमाह, प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वापस आ गये।)

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अग्रवाल साहब और सम्मानित सदस्यगण।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने अगला प्रश्न ले लिया तो यह किस नियम के तहत खड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, गलत परम्परा नहीं पड़नी चाहिए। जब आपने अगला प्रश्न बुला लिया तो मा0 मंत्री जी को बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री ओम प्रकाश–

मा0 सदस्य का जवाब ही उसी कड़ी में दे रहा हूं। आपको अधिकार है हमें अधिकार नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी मंत्री जवाब दे सकते हैं।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सहित भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

सदन के नियम आपकी मर्जी से नहीं चलेंगे और आपकी तेज आवाज से नहीं चलेंगे। पूरे मंत्रि–मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है किसी भी प्रश्न का जवाब कोई भी

मा0 मंत्री दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से, लेकिन कोई भी माननीय मंत्री किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। मान्यवर, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, लिहाजा वहां नेताओं की आज कमी नहीं है इसलिए यह अव्यवस्था पैदा हो रही है लेकिन यह कहना कि माननीय मंत्री जवाब नहीं दे सकते, मान्यवर यह नई परिपाटी सिर्फ तेज आवाज के बिना पर नहीं बदली जा सकती न नियम बदले जा सकते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रि–मण्डल की, कोई भी मंत्री किसी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जब अगला प्रश्न ले लिया गया तो आप किसी को अनुपूरक प्रश्न पूछने नहीं देते हैं तो फिर मंत्री कैसे जवाब देंगे। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत ही ऐतराज की बात है कि यह माननीय सदस्य इतने पढ़े–लिखे और पुराने होने के बावजूद पीठ पर इस तरह का, यह आक्षेप ही करना है, आपको बोलने न देना, आपको निर्णय न लेने देना और स्वयं अपनी बात को ही निर्णय मान लेना, मान्यवर, यह उचित नहीं है। यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, राधा मोहन दास जी जब यह उत्तर दे रहे थे तो आप संतुष्ट नहीं थे, आपने बर्हिगमन किया और जब आप बर्हिगमन कर रहे थे तभी मंत्री जी आ गये। खड़े होकर बोलना चाहते थे, हमने ध्यान नहीं दिया और दूसरा प्रश्न ले लिया लेकिन अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो उसे सुनने में क्या हर्ज है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य को इस पर ऐतराज है तो फिर यह तय कर लें कि जब आप आगे बढ़ जायेंगे तो फिर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जायेगा। आपका ही नुकसान उसमें ज्यादा होगा।

श्री ओम प्रकाश–

आपके माध्यम से उसी सन्दर्भ में जो माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि राज्य सरकार किसी भी इश्यू पर कभी भी किसी भी बात पर पता कर लीजिये। कभी भी केन्द्रान्श में जो राज्यांश का शेयर है, हमेशा परसू करते हैं और उनके मंत्री से उनके अधिकारियों से परसू करते हैं, 03–04 बार मैंने बैठक की है। 2013–14 में जिस दिन आचार–संहिता लागू हो रही थी उस दिन जो भारत सरकार ने बजट पास किया जो टोकन ग्रान्ट किया, उसके बाद यह व्यवस्था हाईपर है जो उसके बाद बजट आ रहा है, उसमें आपको बजट अवमुक्त कर दिया जायेगा। 2013–14 और 14–15 का मात्र दो–चार–दस दिन रह गये हैं। आप पता कर लीजिये, पर्यटन विभाग है, आपके संज्ञान में आप पीठ पर कुछ भी संज्ञान में लेकर निर्देश दे सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। आदरणीय अग्रवाल साहब हम लोग भी पढ़े लिखें हैं, केवल पढ़ने लिखने का सर्टिफिकेट आप के ही पास नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, पढ़ने लिखने का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम और आप एक ही संस्था के पढ़े हैं। पढ़ने लिखने पर मत जाइये जो विषय चल रहा है, उस विषय पर जवाब दीजिये।

श्री ओम प्रकाश–

हम और आप एक जगह से पढ़े है, हम आपको जानते हैं और आप हमें जानते हैं। मैंने यह आरोप लगाया है कि जो सेन्ट्रल में सरकार है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भेद–भाव कर रही है और हमारा जो सेन्ट्रल शेयर है वह नहीं दिया जा रहा है यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, एक आदमी सदन को हाईजैक करता रहे और उन्हीं की बात सब सुने यह सम्भव नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात माननीय मंत्री जी ने कही है, उसका जवाब तो आना चाहिए। उन्होनें आज का अखबार नहीं पढ़ा। जो इन्होनें कहा उसका जवाब आज ही इनके प्रमुख सचिव ने दिया है। इन्होंने पढ़ लिया होता तो यह सवाल न आता। 2014–15 के बजट में 35 सौ 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इनके माननीय प्रमुख सचिव ने आज ही अखबार में बयान दिया है। कम से कम पढ़ लेते, और अच्छा होता। मैं तो यह कह रहा हूं कि आज समाचार पत्र में बयान था 35 सौ 35 करोड़ रुपये दिये जाने का तो कम से कम इसका उल्लेख कर लिया होता।

श्री अध्यक्ष–

बस अब आप खत्म करिये, हो गया।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही जजबाती और इन्सानियत से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए है चूंकि यह बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है और बुजुर्गों की अपनी जिन्दगी के आखिरी हिस्से को बुढ़ापे को गुजारने के लिए भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा एक पालिसी है और उसमें जिनकी उम्र 60 साल से 79 साल है, उनको 300 रुपये प्रतिमाह और जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक है, उनको 500 रुपये प्रति माह देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, जो संसाधन राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जिलों में उपलब्ध कराये जाते हैं, वह समान रूप से ब्लाक में बांट दिये जाते हैं, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, बहुत सारी जगहों पर पात्र होने के बावजूद, क्वालीफाई करने के बावजूद, पेपर होने के बावजूद, जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोग यह कहते हैं कि हम इसलिए नहीं दे पायेंगे आपको वृद्धावस्था पेंशन कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन नहीं हैं। तो मेरा प्रश्न मा0 अध्यक्ष जी यह है कि क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करायेगी, जो राज्य सरकार ने जवाब में दिया है कि जो भी लोग इसको क्वालीफाई करेंगे, उनको पूरी तरह से जो पेंशन का आधार है, उस आधार पर उनको पेंशन उपलब्ध कराई जायेगी। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी एक छोटा सा सवाल और इसमें जोड़ता हूं कि बहुत सारी जगहों

पर चार महीने से लेकर एक साल तक की जो वृद्धावस्था पेंशन है, वह उन लोगों को नहीं दी गई है। तो क्या राज्य सरकार इसको भी सुनिश्चित करायेगी कि जिनको चार महीने से एक वर्ष तक की पेंशन नहीं मिल पाई है पिछले वर्षों में, उनको भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी और मैं तो यह भी कहूंगा कि न केवल उनको पेंशन दी जाय, बल्कि उस पर जो ब्याज होता है, उसको भी जोड़ कर दिया जाय।

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं, एक तो पूछा है कि बहुत लोग वंचित हैं, मैं आदरणीय सदन के माध्यम से मा0 सदस्य से जानना भी चाहता हूं कि इनके संज्ञान में, इनके क्षेत्र में या इनके जिले में या प्रदेश के किसी भी जिले में अगर पात्र व्यक्तियों की, लाभार्थियों की संख्या पड़ी हो, तो मुझे बता दें, एक सप्ताह के अन्दर उनके खाते में पैसा हम पहुंचा देंगे। मान्यवर, इस साल की जो भी वृद्धावस्था पेंशन है, श्रीमन् एक दूसरा मैथड अपनाया गया है, जिसके द्वारा कहीं पर भी किसी प्रकार के बिचौलियों को या किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करना चाहे उसको, उसका मौका नहीं मिलेगा। ऑन लाइन करके सीधे यहां से पैसा उसके खाते में जायेगा, जहां का वह रहने वाला है। उसको किसी बिचौलिये के पास प्रयास करने की जरूरत नहीं है और हमारा यह भी प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष का पैसा उसके खाते में पहुंच जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से उत्पन्न शोर के मध्य)

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 200/– केन्द्रांश के रूप में एवं रु0 100/– राज्यांश के रूप में प्रतिमाह, प्रति लाभार्थी अर्थात् कुल रु0 300/– दिया जा रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि यह जो 100 रुपये राज्यांश है, राज्य सरकार ने यह कब से देना शुरु किया है नम्बर एक प्रश्न तो मेरा यह है और नम्बर दो सवाल यह है कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुये भारत सरकार केन्द्रांश के रूप में जो 200 रुपये मिलाती है तो क्या राज्य सरकार भी उसमें 200 रुपया मिलाने का काम करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, अच्छा होता कि मा0 सदस्य जो दो बार समाज कल्याण मंत्री थे, वही बढ़ा दिये होते तो आज यह नौबत न आती।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, 150 से 300 रुपये हमारी सरकार ने किया था, आपको पता ही नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जो चिन्ता मा0 सदस्य की है उससे कहीं ज्यादा चिन्ता इस प्रदेश के गरीबों के लिये, अशक्तों के लिये, दलित समाज के लिये और प्रदेश के सभी वर्गों के लिये जो गरीब हैं उससे कहीं ज्यादा चिन्ता हमारी सरकार को है और हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी को है। इसी का नतीजा है कि हमने समाजवादी पेंशन योजना लागू की है और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पहली बार है कि इस प्रदेश में 40 लाख लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि यह जो विषय है, जो यह सवाल किया गया है, बहुत संवेदनशील सवाल है क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल है। यहां पर बैठे हुये सभी मा0 सदस्यगण जब अपने क्षेत्रों में जाते होंगे तो उनको बड़ी पीड़ा होती होगी जब वे 70–70 साल के बुजुर्ग एकदम दौड़ करके आपके पास आते होंगे कि मेरी पेंशन नहीं आई। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि बिना बताये जो अनेकों वृद्धजन हैं उनकी पेंशन बन्द कर दी जाती है। हम आपके माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि गांवों में जो अनेक वृद्धजनों की पेंशन बन्द कर दी गयी है तो क्या सरकार ऐसे सभी वृद्धजन जिनको पहले पेंशन मिला करती थी उनको पेंशन देने पर विचार करेगी और नम्बर दो प्रश्न है कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र वृद्धजनों को जो केन्द्रांश का 500 रुपये देती है तो क्या उसमें राज्य सरकार राज्यांश का कुछ अंश मिलाती है या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं हमारी बहन एवं मा0 सदस्या जी से आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरह से कोई जानकारी है, एप्लीकेशन है जिनको पेंशन मिलती रही है और कट गयी है तो वे दे दें। हम उसको दिखवा लेंगे कि यह किस कारण से है। अगर कोई बड़ा कारण नहीं है तो दिलवा देंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, उसका जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में फिल्मों को टैक्स फ्री करने सम्बन्धी नीति की जानकारी

'09–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फिल्मों को टैक्स फ्री करने की क्या नीति है तथा उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या सरकार द्वारा 'कटियाबाज' फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है ? यदि हां, तो उसे किस मानक के अन्तर्गत किया गया है ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अखिलेश यादव–

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–11 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार शांति, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना, कला, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये या अन्य लोकहित में सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी करके किसी मनोरंजन को या मनोरंजन वर्ग को इस अधिनियम के अधीन कर देयता से छूट प्रदान कर सकती है। इसी क्रम में प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1053/क0नि0–6–2000, बीस0आर0 (10)/96, दिनांक 13–06–2000 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–791/11–क0नि0–6–2003–बीस0आर0 (10)/96, टी0सी0 दिनांक 16–04–2003, शासनादेश संख्या–182/11–क0नि0–2005–बीस–ई0 (10)/2004 दिनांक 17–02–2005 तथा शासनादेश संख्या–86/11–क0नि0–6–14–बीस0आर0 (10)/96 दिनांक 17–01–2014 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिग्रहीत फिल्म, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म, परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो, राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन0एफ0डी0सी0 एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो तथा ऐसी फिल्में जिनका प्रदेश में फिल्मांकन 50 प्रतिशत से अधिक किया गया हो, मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की जा सकती है।

जी हां।

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर 1979 की धारा–11 (1) के अन्तर्गत अन्य लोकहित के आधार पर तथा शासनादेश दिनांक 13–6–2000 एवं शासनादेश दिनांक 17–1–2014 में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के किसानों को अनाज उत्पादन एवं लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने की मांग

'10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के खेती पर प्रति हेक्टेयर गेहूं, धान एवं गन्ना तथा अन्य फसलों पर लागत के सापेक्ष क्रमशः कितना उत्पादन होता है ? क्या सरकार किसानों की लागत एवं उत्पादन को देखते हुए समर्थन मूल्य बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश सरकार द्वारा 2013–2014 में फसलों पर कृषि सांख्यिकी विभाग द्वारा कराये गये उत्पादन लागत सर्वेक्षण के आधार पर आगणित उत्पादन लागत (रु0/कुं0) तथा औसत उपज (कुं0 हे0) निम्नवत् है :–

फसलें	उत्पादन लागत (रु0/कुं0)	औसत उपज (कुं0हे0)
धान (सामान्य)	1343	36.69
धान (बासमती)	2192	29.51
ज्वार	1271	10.51
बाजरा	1180	20.33
मक्का	1136	18.37
अरहर	3053	9.03
उर्द	3274	4.46
मूंग	3416	3.21
मूंगफली	2874	8.93
सोयाबीन	2109	5.76
गेहूं	1434	32.01
जौ	1209	28.80
चना	2373	4.60
मटर	2295	9.92
सरसों	2767	10.14
मसूर	2652	6.91
गन्ना	251	637.53

उत्पादन लागत के आंकलन में पारिवारिक श्रम, फसल बीमा का प्रीमियम एवं भूमि का किराया भी शामिल है।

प्रदेश के कृषकों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा मा0 कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'मूल्य परामर्शदात्री परिषद्' द्वारा भारत सरकार स्तर पर गठित 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' को फसलों के सहाय्य मूल्य संस्तुत किये जाते हैं ताकि आयोग भारत सरकार को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने हेतु अपनी संस्तुतियों में प्रदेश सरकारों द्वारा प्रेषित किये गये सहाय्य मूल्यों को संज्ञान में लेते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की संस्तुति करे। इन्हीं संस्तुतियों पर विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को दूर करने की मांग

'11—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रबी की फसलों के लिए इस वर्ष यूरिया खाद की कमी हो रही है और जो खाद सरकार को उपलब्ध हो रही है, वह भी किसानों को नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद के वितरण की कोई पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

यूरिया उर्वरक की आपूर्ति पूर्णतया भारत सरकार के नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह यूरिया उर्वरक का आपूर्ति प्लान उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर जनपदवार प्लान तैयार करके जनपदों एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। प्रदेश में रबी 2014—15 में दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक निर्धारित लक्ष्य 31.04 लाख मी0 टन के सापेक्ष 29.30 लाख मी0 टन यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है, जिसका वितरण सहकारिता, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, गन्ना संघ, औद्यानिक संघ एवं निजी क्षेत्रों के वितरण केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को किया जा रहा है। दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक 26.98 लाख मी0 टन यूरिया उर्वरक का वितरण किया जा चुका है।

प्रदेश सरकार की उर्वरकों के वितरण पर सतर्क दृष्टि है। जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का वितरण विकास खण्डवार नियोजन के अनुसार अपने मार्ग—निर्देशन में कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर जनपद में कार्यरत कृषि, सहकारिता तथा अन्य विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उनके समक्ष उर्वरक वितरण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विधान सभा सदस्यों को पांच—पांच ग्राम जनेश्वर मिश्र योजनान्तर्गत विकास करने सम्बन्धी प्रकरण

'12—श्री संजय कपूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के प्रस्ताव पर उन्हें पांच—पांच ग्राम जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत सरकार चयनित कर विकास करने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

मण्डी परिषद् के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण ऐसा कर पाने में कठिनाई है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद–जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज बनवाये जाने की मांग

01–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन के 219, माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु लगभग 40 या 50 किमी0 दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान में नगर पालिका कोंच एवं टाउन एरिया, रामपुरा एवं कस्बा वगरा में राजकीय डिग्री कालेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कोई राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। किन्तु 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 04 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–जालौन में ग्रामीण स्टेडियम योजना बनाये जाने की मांग

02–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जालौन के केवल उरई में इन्डोर स्टेडियम के कारण टाउन एरिया नदी गांव एवं टाउन एरिया रामपुरा के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को उरई से लगभग 60 कि0मीटर की दूरी पर स्थित स्टेडियम से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेलों के विकास हेतु ग्रामीण स्टेडियम योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में निर्धारित मानक 06 से 07 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने तथा योजना के मानकों से आच्छादित होने पर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विकसित किया जाना है।

03–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

खदिनांक 18–03–2015 को अता0प्र0सं0–189 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नीति सम्बन्धी जानकारी

04–श्री वीरपाल राठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाना, प्रतियोगिता का आयोजन एवं विशेष प्रतिभाओं को चिन्हित कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेज संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में एवं पुलिस विभाग में समूह 'ग' एवं 'घ' पर नियुक्त किये जाने हेतु 02 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद धनराशि से पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत एकल एवं टीम गेम्स में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले (उ0 प्र0 के मूल निवासी) खिलाड़ियों को नकद धनराशि से पुरस्कृत करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किये जाने पर पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा उक्त खिलाड़ियों को किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद के आयोजन में निःशुल्क प्रवेश का अधिकार है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा में इण्डस्ट्रीज की शिफ्टिंग हेतु कराये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

05–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सुविख्यात पेठा निर्माण कुटीर उद्योग की इकाइयों का प्रदूषण कर व्यवस्थित एवं विकसित करने हेतु सन् 2009 में आगरा प्रशासन द्वारा रैमको कंसल्टेंट कम्पनी के माध्यम से सिकन्दरा के निकट स्थित नवीन फल सब्जी मंडी के पीछे यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की 56 एकड़ जमीन पर इस उद्योग की इकाइयों को बसाने हेतु चिन्हित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार की ग्रीन सब्सिडाइज्ड गैस की पाइप लाइन बिछाकर इसे बसाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के अन्दर चल रही इण्डस्ट्रीज की शिफ्टिंग हेतु फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य कन्सल्टेन्ट मे0 रैमकी एनवायरों इन्जी0 प्रा0लि0 नई दिल्ली के द्वारा कराया गया था।

आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा के पत्र दिनांक 10–02–2010 द्वारा जे0एन0एन0यूआर0एम0 योजनान्तर्गत आगरा जनपद में स्थित नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में जे0एन0एन0यूआर0एम0 योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को भेजा गया था।

जी नहीं।

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा जनपद आगरा में सिकन्द्रा के निकट नवीन फल सब्जी मण्डी के पीछे न तो कोई भूमि अर्जित की गयी है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है।

जनपद जौनपुर के ब्लाक शाहगंज में स्थित गूजरताल के पुनर्निर्माण सम्बन्धी जानकारी

06–श्री नदीम जावेद–

क्या मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के शाहगंज ब्लाक मे स्थित गूजर ताल पर स्थापित मत्स्य बीज केन्द्र बदहाल स्थिति में होने के कारण मत्स्य पालकों को बीज मिलने में असुविधा हो रही है ? यदि हो, तो क्या सरकार उक्त बीज केन्द्र के पुनर्निर्माण की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप मत्स्य बीज उत्पादन तथा मत्स्य पालन हेतु उपयोगी समुचित जलक्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है।

प्रदेश में माइक्रो–यूट्रीयेनट्स मिश्रण के घोटाले की जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

07–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को आपूर्ति किये जाने वाली माइक्रो–यूट्रीयेनट्स मिश्रण के घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10493195, दिनांक 11–08–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती–पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी। जांच के उपरान्त शिकायत बलहीन पायी गयी है एवं इसके सम्बन्ध में अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4190/12–2–2015 दिनांक 22 जनवरी, 2015 द्वारा मा0 सदस्य को बिन्दुवार आख्या की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक–मोहम्मदी व पसगवां में कन्या डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

08–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के ब्लाक–मोहम्मदी व पसगवां में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकासखण्डों में कन्या डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक–मोहम्मदी में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय तथा ब्लाक पसगवां में 03 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद की तहसील–मेजा में बन्द पड़ी मेजा कताई मिल के भवन को अन्य उपयोग में लाने की मांग

09–श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की तहसील–मेजा में स्थित मेजा कताई मिल विगत 8 वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द कताई मिल के भवन को अन्य किसी रूप में उपयोग में लाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उ0 प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की कताई मिल मेजा (इलाहाबाद) को दिनांक 11–10–2007 को शासन द्वारा निजीकरण/विक्रय के माध्यम से चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त मिलों के पुनर्वासन से सम्बन्धित संशोधित पुनर्वासन योजना दिनांक 21–10–2010 को शासन द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त मा0 बी0आई0एफ0आर0 द्वारा अधिकृत आपरेटिंग एजेन्सी आई0डी0बी0आई0, नई दिल्ली के माध्यम से पुनर्वासन योजना दिनांक 15–11–2010 को मा0

बी0आई0एफ0आर0 को प्रेषित की जा चुकी है, जो मा0 बी0आई0एफ0आर0 के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 27–08–2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद की बन्द पड़ी मेजा कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने की मांग

10–श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की तहसील–मेजा मुख्यालय पर स्थित मेजा कताई मिल लगभग 8 वर्षों से बन्द होने के कारण स्टाफ/श्रमिक भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को पुनः चालू कराने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, उ0 प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की मेजा (इलाहाबाद) इकाई उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक रूप से दिनांक 16–10–2000 से स्थाई रूप से बन्द हो चुकी हैं तथा मिल बन्दी की विधिक तिथि से ही पात्र कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से नियमानुसार वी0आर0एस0/छटनी का भुगतान कर दिया गया है, परिणामस्वरूप सभी कार्मिकों की सेवायें समाप्त हो चुकी हैं।

उ0 प्र0 स्टेट यार्न कं0 लि0, कानपुर की इकाई कताई मिल मेजा (इलाहाबाद) को दिनांक 11–10–2007 को शासन द्वारा निजीकरण/विक्रय के माध्यम से चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त मिल के पुनर्वासन से सम्बन्धित संशोधित पुनर्वासन योजना दिनांक 21–10–2010 को शासन द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त मा0 बी0आई0एफ0आर0 द्वारा अधिकृत आपरेटिंग एजेन्सी आई0डी0बी0आई0, नई दिल्ली के माध्यम से पुनर्वासन योजना दिनांक 15–11–2010 को मा0 बी0आई0एफ0आर0 को प्रेषित की जा चुकी है जो मा0 बी0आई0एफ0आर0 के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 27–08–2015 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के आदिवासी समाज के जीवन स्तर को सुधारने सम्बन्धी योजना की जानकारी

11–श्री राजबली जैसल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत निवास कर रहे आदिवासी (कोल) समाज के जीवन स्तर को सुधारने के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

भारत सरकार के अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 में उ0 प्र0 के लिये जारी अनुसूचित जाति सूची में कोल जाति क्रमांक 49 पर सूचीबद्ध है प्रदेश में अनुसूचित जातियों हेतु संचालित योजनाओं का लाभ जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत निवास कर रहे कोल अनुसूचित जाति को भी प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में एन0एफ0एस0एम0 योजना को प्रदेश के किसानों को दिलवाये जाने की मांग

12—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत कितने कृषक लाभान्वित हुए ? क्या सरकार उक्त योजना का लाभ प्रदेश के समस्त कृषकों को दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश (कुल 28 जनवद) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के चावल घटक से 14 जनपद गेहूं घटक से 21 जनपद तथा दलहन घटक से सभी 28 जनपद आच्छादित है। गत तीन वर्षों में योजनान्तर्गत लाभार्थियों की संख्या निम्नवत् है :—

घटक	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
चावल	2011—12	437962
	2012—13	350905
	2013—14	302135
दलहन	2011—12	226140
	2012—13	153297
	2013—14	174769
गेहूं	2011—12	3470321
	2012—13	1691897
	2013—14	1557550

उक्त के अतिरिक्त कोर्स सीरियल घटक तथा कामर्शियल क्राप्स—जूट 02—02 जनपदों में वर्ष 2014—15 से प्रारम्भ किये गये हैं।

एन0एफ0एस0एम0 योजना एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसका शत—प्रतिशत बजट भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रदेश में योजना का संचालन किया जाता है। वर्तमान में

चावल घटक 23 जनपद, गेहूं घटक 31 जनपद, दलहन घटक प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में, कोर्स सीरियल घटक 20 जनपद तथा कामर्शियल क्राप, 33 जनपदों (कपास–04, गना–24 तथा जूट 05 जनपदों में) संचालित हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में गुलरिया चीनी मिल की कतिपय चीनी मिल के प्रदूषित पानी की रोकथाम के उपाय

13–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में गुलरिया चीनी मिल व खम्भारखेड़ा चीनी मिल से निकला गन्दा दूषित, जहरयुक्त पानी गांवों के नाले व किसानों के खेतों में बहता है जिसको पीने से जानवर मर जाते हैं तथा नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी में संचालित मै0 गुलरिया चीनी मिल गुलरिया व मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, खम्भारखेड़ा में उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित एवं संतोषजनक रूप से संचालित है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 28–02–2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों चीनी मिलों से जनित उत्प्रवाह से किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पत्र दिनांक 28–02–2015 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों चीनी मिलों से जनित उत्प्रवाह के पीने से पशुओं के मरने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–खीरी के विकास खण्ड पसगवां में डिग्री कालेज खोलने की मांग

14–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–खीरी के विकास खण्ड पसगवां में डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगवां में 03 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की मांग

15—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये ब्लाक स्तर पर मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक ब्लाक स्तर पर मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य बीज आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ में स्थापित है जिसके माध्यम से मत्स्य बीज संवर्धन एवं वितरण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में अब तक 218 हैचरियों की भी स्थापना उक्त कार्य हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदानित करते हुए करायी जा चुकी है।

16—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

खदिनांक 18—03—2015 को अता0प्र0सं0—187 द्वारा उत्तरित,

जनपद फिरोजाबाद में वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

17—श्री मनीष असीजा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ऐसे कितने वृद्धजन हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन—पत्र स्वीकृत एवं पात्रता श्रेणी में होने के बावजूद बजट के अभाव के कारण व पेंशन का लाभ लेने से वंचित हैं ? क्या सरकार इन वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने हेतु तत्काल बजट धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जनपद फिरोजाबाद का वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य 20385 निर्धारित है जिसके सापेक्ष समस्त पात्र वृद्धजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जनपद में ऐसा कोई पात्र वृद्धजन नहीं है, जिसे बजट के अभाव में पेंशन नहीं दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन के पात्रों हेतु बजट धनराशि अवमुक्त करने की मांग

18—श्री मनीष असीजा—

क्या विकलांग जन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन की पात्रता रखने वाले ऐसे कितने सूचीबद्ध विकलांग जन हैं जो बजट के अभाव में पेंशन नहीं पा रहे हैं ? क्या सरकार इनके लिये बजट धनराशि अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)—

जनपद फिरोजाबाद में विकलांग पेंशन की पात्रता रखने वाले कुल 449 विकलांगजनों को बजट के अभाव में विकलांग पेंशन नहीं प्राप्त हो रही है, जिनका तहसीलवार/विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :—

तहसील फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद में 52 विकास खण्ड नारखी में 127 तहसील टूण्डला के विकास खण्ड टूण्डला में 25 तहसील शिकोहाबाद के विकास खण्ड शिकोहाबाद में 55, विकास खण्ड अरांव में 70, मदनपुर में 15, तहसील जसराना के विकास खण्ड जसराना में 12, विकास खण्ड खैरगढ़ में 40 व विकास खण्ड एका में 53 विकलांगजन को पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रही है।

सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय राजमार्ग संख्या—38 के अन्तर्गत जयशंकर ईंट भट्ठे को संचालित करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

19—श्री मुहम्मद गाजी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय राजमार्ग संख्या—38, बालामऊ—उन्नाव रेलमार्ग, मल्लावां नगरपालिका के मोहल्ला—मिर्जापुर की आबादी के 01 कि0मी0 अन्दर जयशंकर ईंट भट्ठे को पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बगैर एन0ओ0सी0 लिये अवैध रूप से संचालित किये जाने विषयक श्री अनूप गुप्ता, विधायक, सीतापुर का पत्र दिनांक 6—1—2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

दिनांक 06—01—2015 के पत्र में समावेशित बिन्दुओं का परीक्षण व स्थलीय जांच बोर्ड द्वारा दिनांक 16—02—2015 को किया गया जिसमें पाया गया कि मै0 जयशंकर ईंट भट्ठा, ग्राम—मिर्जापुर, गाटा सं0—157, पोस्ट—मल्लावां, जनपद हरदोई को वाणिज्य कर अधिकारी हरदोई के पंजियन दिनांक 25—11—2013 के अनुसार दिनांक 12—02—1986 से ईंट भट्ठा स्थापित किया गया है।

उक्त ईंट भट्ठा स्थल व आम के बाग की दूरी के सम्बन्ध में जिला पंचायत हरदोई द्वारा जारी उपविधि के अनुरूप होने के कारण जिला उद्यान अधिकारी हरदोई के पत्र दिनांक 11–04–2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है। फलस्वरूप उक्त ईट भट्ठा पर उत्तर प्रदेश सरकार ईंट भट्ठा (स्थापना एवं स्थलीय मापदण्ड) नियमावली 27–06–2012 लागू नहीं होती है। जिला पंचायत हरदोई की उपविधि के अनुरूप पाये जाने पर पूर्व से स्थापित व संचालित पक्की चिमनी के ईंट भट्ठे में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु भूतल से 111 फीट ऊंची पक्की चिमनी एवं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की स्थापना की गयी है। बोर्ड के द्वारा उक्त ईंट भट्ठा को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत सशर्त सहमति (जल/वायु) दिनांक 29–09–2014 को वर्ष 2015 व 2016 हेतु जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के ग्राम जैतपुर में स्टेडियम निर्माण की मांग

20–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद व तहसील रायबरेली ग्राम जैतपुर के गाटा संख्या–521 (4.5600 हे0) जो जिला खेलकूद के नाम दर्ज है, पर स्टेडियम के निर्माण विषयक श्री अनूप गुप्ता, स0वि0स0, सीतापुर का पत्र दिनांक 15–12–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद रायबरेली में पूर्व निर्मित स्टेडियम में प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान, तरणताल निर्मित है, जहां पर खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जनपदों में आवास विहीन मदुवा समुदाय हेतु आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

21–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में आवास विहीन मछुआ समुदाय के लोगों को क्या सरकार आवास उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

प्रदेश में मछुआ आवास योजना केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ कल्याणार्थ योजना के अन्तर्गत संचालित है। भारत सरकार से प्रदेश को सीमित मात्रा में धनराशि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश के जनपदों को सीमित संख्या में ही आवास विहीन मछुआ समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के बन्द पड़ी सहकारी कताई मिलों को चलाये जाने की मांग

22—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बन्द पड़ी सहकारी कताई मिलों को निजी क्षेत्र में देकर उन्हें चलाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है, उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय विषयक शासनादेश दिनांक 12—11—2014 की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने सम्बन्धी जानकारी

23—श्री सतीश महाना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

समय—समय पर राज्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये जाते है।

विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण को पत्र संख्या—154 से 167/सी0एम0—1—2014 दिनांक 26—06—2014, पत्र संख्या—599/सत्तर—01—2014 दिनांक 26—12—2014 एवं पत्र संख्या—94/सत्तर—01—2015 दिनांक 10—02—2015 द्वारा दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नियमावली सम्बन्धी जानकारी

24—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी स्व—वित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों से ली जाने वाली फीस और उन्हें मिलने वाली सुविधा, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के निर्धारण एवं शिक्षकों के नियुक्ति के मानक, प्रक्रिया, वेतन एवं सुविधाओं के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु सरकार ने किसी अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली का निर्माण किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों से ली जाने वाली फीस और उन्हें मिलने वाली सुविधा, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के निर्धारण एवं शिक्षकों के मानक आदि के सम्बन्ध में किसी अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली का निर्माण नहीं किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 11–11–1997, शासनादेश 30 अक्टूबर, 1999, शासनादेश दिनांक 9–5–2000, शासनादेश दिनांक 02–07–2003, शासनादेश दिनांक 11–1–2008, शासनादेश दिनांक 23–8–2011, शासनादेश दिनांक 30 मई, 2013, शासनादेश दिनांक 5–2–2014 व शासनादेश दिनांक 12–3–2014 निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के नगर क्षेत्र में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत पात्रों के गलत चयन सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

25–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के नगर क्षेत्र में समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत निर्धारित संख्या से बहुत कम पात्रों का गलत चयन करने सम्बन्धी शिव सेवक सिंह, पार्षद तथा दिनेश गुप्ता छेदी पार्षद का पत्र, संलग्न प्रश्नकर्ता द्वारा तथा सम्बोधित आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोहगढ़िया समाज के परिवारों के उत्थान हेतु कार्य योजना की मांग

26–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क के किनारे लकड़ी की गाड़ी के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोहा पीट/लोहगढिया समाज के परिवारों के उत्थान के लिये कोई विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

समस्त कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। लोहा पीटा/लोहगढिया न ही अनुसूचित जाति में आते है और न हीं अनुसूचित जनजाति में आते है। अतः लोहा पीटा/लोहगढ़िया को

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ दिये जाने की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की मांग

27—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबों के लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत गरीबों को मिलने वाले अनुदान हेतु प्रक्रिया के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई सरल नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रदेश में गरीबों की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाता है।

शासनादेश संख्या—2418/26—1—82(एस0एन0डी0)—11, दिनांक 27—07—1982 एवं शासनादेश संख्या—2896/26—3—2006—4(82)/2005, दिनांक 11—08—2006 तथा शासनादेश दिनांक 06—09—2013 द्वारा शादी अनुदान के भुगतान हेतु सरल प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फिल्मों को टैक्स फ्री किये जाने के मानक सम्बन्धी जानकारी

28—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फिल्मों को टैक्स फ्री किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वह मानक क्या हैं और वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं जनवरी, 2015 तक किन—किन फिल्मों/डाक्यूमेंटरी को टैक्स फ्री किया गया है ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम—1979 की धारा—11 (1) में प्राविधान है कि राज्य सरकार शांति, अर्न्तराष्ट्रीय सद्भावना, कला, खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए या अन्य लोकहित में सामान्य या विशिष्ट आदेश जारी करके किसी मनोरंजन को या मनोरंजन वर्ग को इस अधिनियम के अधीन कर देयता से छूट प्रदान कर सकती है। इसी क्रम में प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—1053/क0नि0—6—2000 बीस0आर0(10)/96, दिनांक 13—06—2000 यथा संशोधित शासनादेश संख्या—791/11—क0नि0—6—2003—बीस0आर0(10)/96टी0सी0 दिनांक 16—04—2003, शासनादेश संख्या—182/11—क0नि0—2005— बीस—ई0(10)2004, दिनांक 17—02—2005 तथा शासनादेश संख्या—86/11—क0नि0—6—14— बीस0आर0(10)/96 दिनांक 17—01—2014

द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहीत फिल्म, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म, परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो, राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन0एफ0डी0सी0 एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो तथा ऐसी फिल्में जिनका प्रदेश में फिल्मांकन 50 प्रतिशत से अधिक किया गया हो, मनारेंजन कर से मुक्ति प्रदान की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में किसी भी फिल्म/डाक्यूमेन्ट्री को टैक्स फ्री नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में फिल्म कृष्ण और कंस, भाग मिल्खा भाग, टू–लिटिल इण्डियन्स, डेढ़ इश्किया, जय हो एवं या रब को कर मुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह जनवरी, 2015 तक फिल्म/डाक्यूमेन्ट्री भुतनाथ रिटर्न, मर्दानी, मैरीकॉम, कटियाबाज, चार साहबजादे, पी0के0, तेवर को को कर मुक्त किया गया है।

प्रदेश में इंडोर एवं आउटडोर खेल मैदान हेतु निशुल्क भूमि पर खेल मैदान विकसित करने सम्बन्धी जानकारी

29–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आरजीकेए योजना लागू किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 25 अगस्त, 2014 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निःशुल्क भूमि पर इंडोर स्पोर्ट्स हाल तथा आउट डोर खेल मैदान हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में व ब्लाकों पर निःशुल्क भूमि पर इंडोर स्पोर्ट्स हाल तथा आउट डोर खेल मैदान का चयन कर खेल मैदान के रूप में विकसित किया गया है ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत कोई धनराशि अवमुक्त नहीं किए जाने के कारण खेल मैदान विकसित नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदो में निर्माणाधीन मण्डी समिति में कराये गये कार्यों में अनियमितता की जांच कार्यवाही की मांग

30–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में निर्माणाधीन मण्डी समिति में कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31–12–12 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को भी पृष्ठांकित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रकरण में जांच करायी गयी है, जांच अधिकारी द्वारा जांच में पाइल की गहराई निर्धारित मानक के अनुरूप तथा ढलाई हेतु प्रयुक्त मसाले की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत न कराये जाने की मांग

31–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत न कराये जाने के कारण गड्ढा युक्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या मण्डी समिति द्वारा निर्मित करायी गयी सड़कों की मरम्मत कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। समयान्तराल एवं आवागमन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

मण्डी समिति, बस्ती की वित्तीय स्थिति ऋणात्मक होने के कारण प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की राजकीय कालोनी बादशाहनगर में बाउंड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

32–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में ब्लाक संख्या–यू–21 से यू–17 तक एवं यू ब्लाक संख्या–01 से 03 के सामने बाउन्ड्रीवाल न होने से अराजक तत्वों तथा जानवरों की आवाजाही रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं, राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में ब्लाक संख्या यू–21 से यू–17 के सामने आंतरिक मार्ग है तथा पीछे चहारदीवारी एवं लोहे की जाली की फेन्सिंग

लगी है। इसी प्रकार यू–ब्लाक संख्या–01 से 03 के सामने मार्ग के समानान्तर पूर्व से ही सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

33–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुल कितने कुलसचिवों के पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितने प्रोन्नति के पद रिक्त हैं एवं कितने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों की कार्य निष्पादन क्षमता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए कुल सचिवों के रिक्त पदों को भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पूर्व में कुलसचिव के स्वीकृत 12 पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त थे। वर्तमान में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13–01–2015 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा के कैडर रिव्यू के फलस्वरूप कुलसचिव के कुल पदों की संख्या 28 हो गयी है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 22 पद रिक्त हैं।

उक्त रिक्त 22 पदों में से 07 पद प्रोन्नति के रिक्त हैं एवं 15 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं।

कुलसचिवों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसलों को खतरनाक कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध एवं आरगेनिक खेती को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य–योजना की जानकारी

34–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों में प्रयोग होने वाले स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक रसायनों/कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने तथा आरगेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार कोई कार्य योजना लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

फसलों में कीट एवं रोग की रोकथाम करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कीटनाशकों के लिए सेन्ट्रल

इन्सेक्टीसाइडस बोर्ड (सी0आई0बी0) फरीदाबाद में स्थापित है, जो फसलों में कीटनाशी रसायनों के प्रयोग से मानव एवं जानवरों में दुष्परिणाम को रोकने के लिए निर्माता इकाईयों द्वारा प्रस्तुत नवविकसित कीटनाशी रसायनों का परीक्षण करता है। परीक्षण के उपरान्त ही मानव एवं जानवरों की सुरक्षा के दृष्टिगत फसलों में उसकी मात्रा को निर्धारित करते हुए सी0आई0बी0 द्वारा पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण पत्र में यह इंगित होता है कि अमुक फसल के लिए कितनी मात्रा में प्रयोग किया जायेगा अर्थात लीथल डोज का निर्धारण होता है इससे अधिक मात्रा में कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाना फसलों, मानव स्वास्थ्य एवं जानवरों के लिए हानिकारक होगा।

पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ विषरहित खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्थापित 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइडस/बायोएजेन्टस का उत्पादन कर 75 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का कम करने के दृष्टिग्त जैविक कीटनाशकों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।

आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभाग के द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–51 की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, कल आपने रात को जब हम सदन में बैठे थे, तब आपने कहा था कि नियम–51 में आपकी सूचना ले ली गई है।

श्री अध्यक्ष–

सुनो हमारी बात हम समझ गए आपकी बात तीन लोग नहीं आए थे तो उसमें से एक आपकी ले ली गई होगी। वह नहीं चढ़ा होगा, चढ़ जायेगा।

एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा एक वरिष्ठ मंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर बात है, माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने इस माइक पर सुना है अपने कान से, महाना जी से वरिष्ठ सदस्य भाजपा के आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है और अभी इन्होंने कहा है और हम लोगों ने सुना है। बहुत ही आपत्तिजनक मैं, उन शब्दों को नहीं बोल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर बात है इस सदन के अंदर इतने वरिष्ठ मंत्री के बारे में इतनी गंभीर बात, यह शोभा नहीं देता। हमने अपने कान से इस सदन में सुना है। माननीय समाज कल्याण मंत्री के बारे में माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर बात कही गई है। इसकी गंभीरता का आप संज्ञान

लीजिए, माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने कहा है। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद...

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के अपनी सीटों पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात रखने के प्रयास से घोर व्यवधान की स्थिति)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध किया गया और माननीय सदस्य से पूछा गया कि क्या कहा गया है, वह बतायें)

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, असंसदीय भाषा को मैं कैसे बोलूँ। वह असंसदीय भाषा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, वह कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, सदन के संज्ञान में आया नहीं है।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने सुना है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सम्मान की बात है।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए, बैठिए।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तेज नारायण पाण्डेय जी, मेरी बात नहीं सुनेंगे, कहो तो हम उठकर चले जाएं। बात यह है कि वह कह रहे हैं हमने कुछ नहीं कहा और उनकी कोई ऐसी बात हमारी रिकार्ड में नहीं आई।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

अध्यक्ष जी, हम झूठ बोल रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर बात है मैंने इसको सुना है इस बात को अपने कान से।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से कहा गया कि माननीय सदस्य बतायें कि क्या बोला गया है)

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

मैं कैसे बोलूं, मैं असंसदीय भाषा नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोल दूं। सबने सुना है, इस बात को सबने सुना।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तेज नारायण जी बैठ जाए। अब आप सब लोग बैठ जाएं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब बात खत्म आप लोग बैठ जाएं।

ख्समय 12 बजकर 24 मिनट, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईः–

पहली सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की प्रदेश में सिंचाई की सुविधा हेतु लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत की गई बोरिंग फेल हो जाने के बाद भी लगातार विद्युत बिल आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के बालापार–टिकरिया से मछरिहा पुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर), चौथी सूचना श्री राम मगन की विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के अन्तर्गत एन0एच0–56 व फैजाबाद मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर गोमती नदी में बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर), छठी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में उपस्थित न होने पर), आठवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली अन्तर्गत ग्राम झुण्डपुर के पास हिन्दन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री उदयराज की सचिवालय प्रशासन विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारवीं सूचना श्री राम सिंह की सचिवालय प्रशासन विभाग में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ल की डिफेंस कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ की भूमि संख्या–60 की आड़ में अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं आबादी क्षेत्र में नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी की है वह उपस्थित नहीं हैं देख लीजिए यही थे उठकर चले गये रोज देर से आते हैं और रहते नहीं हैं हमारा भी समय और दूसरे माननीय सदस्यों का भी समय लेते हैं अभी बैठे थे अभी गये हैं दस्तखत करके, मैं अगली सूचना ले रहा हूं, पन्द्रहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत डाली गई पेयजल एवं सीवर लाइन से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि 4 माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं अतः उनके स्थान पर 4 माननीय सदस्यों श्री ममतेश शाक्य, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 अरूण कुमार, श्री रवीन्द्र जायसवाल उपस्थित नहीं है इसलिए श्री राजीव गुम्बर की सूचनायें ले रहा हूं निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार

की गयी श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दिलनवाज खान, श्री विजय कुमार दुबे, श्री पूरन प्रकाश, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजनारायण बुधैलिया उर्फ रज्जू महराज, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री काली चरण सुमन और श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

प्रदेश में सिंचाई की सुविधा हेतु लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत की गई बोरिंग फेल हो जाने के बाद भी लगातार विद्युत बिल आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

ख्महोदय, प्रदेश में सिंचाई की सुविधा हेतु लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत किसानों को बोरिंग कराकर विद्युत कनेक्शन दिये गये परन्तु बोरिंग कुछ समय में फेल हो गयी और विद्युत बिल लगातार आता रहा है और बोरिंग ठीक नहीं करायी जा रही है। ग्राम रोमई मुस्तकिल विकास खण्ड कुठौंद जनपद जालौन के ऋषि पुत्र स्व0 सुभाष चन्द्र के वर्ष 2013–14 में चयनित लोहिया ग्राम में कराई बोरिंग फेल हो जाने की शिकायत करने और आपके द्वारा जिलाधिकारी जालौन को निर्देश दिये जाने के बाद भी आज तक सिंचाई हेतु कराई गई बोरिंग को सही नहीं कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि जब से बोरिंग करायी गयी है उसी समय से ही बोरिंग फेल है सिंचाई हेतु उक्त बोरिंग चालू भी नहीं हुई और बिजली का बिल आ रहा है जिसके कारण कृषि कार्य करने हेतु कृषक के सामने गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिजली बिल माफ करने और तत्काल बोरिंग ठीक कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के बालापार–टिकरिया से मछरिया पुल तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव–

ख्महोदय, जनपद गोरखपुर के आने वाला मार्ग बालापार–टिकरिया रोड से ग्राम सभा महराजगंज जमुनारा होते हुए मंगलपुर, टोला, नगवां, लक्ष्मीपुर, भैसाड़ी होते हुए मछरिहा पुल तक क्षतिग्रस्त अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग में जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है और इस मार्ग से होकर स्कूल जाने वाले छात्र–छात्रायें समय से स्कूल नहीं पहुंच पाती है। यहां तक कि मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेन्स भी इस रास्ते सुरक्षित अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है। यह मार्ग जनपद गोरखपुर का महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण/मरम्मत न कराये जाने से आवागमन की समस्या को लेकर जनमानस में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ अन्तर्गत एन0एच0–56 व फैजाबाद मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर गोमती नदी में बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन–

ख्अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में एक ऐसी सड़क है जो एन0एच0–56 राष्ट्रीय राज मार्ग व फैजाबाद मार्ग को जोड़ने का कार्य करती है, उस मार्ग पर गोमती नदी पर बना पुल काफी पुराना व जर्जर हो गया है। कभी भी गिर सकता है, जिससे आवागमन का भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भारी संख्या में मार्ग पर वाहन चलते हैं। जनहित का है तथा लोक महत्व का है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में नया पुल बनवाने की कृपा की जाय तथा मेरी विधान सभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा गोमती नदी पर धौरहरा घाट पर बना पुल जिसकी दोनों तरफ की सड़कें सकरी होने के कारण वाहनों को आने–जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है। दोनों तरफ की सड़कें चौड़ीकरण होना अत्यन्त जनहित में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में धौरहरा घाट पुल के दोनों छोर की सड़कों का चौड़ीकरण कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मेहरबानी करें। जिसके लिये क्षेत्र की जनता व मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आप व सरकार के आभारी रहेंगे।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया अन्तर्गत बी0एस0टी0 बन्धा जो घाघरा नदी के किनारे बना है वह बन्धा घाघरा की कटान से प्रभावित होने की स्थिति में आ गया है जिसके पास बसे गांव इब्राहिमाबाद नौबरार (अठगवां) जिसमें 8–9 पुरवे हैं। पिछली बार घाघरा के जबरदस्त कटान से डेढ़ सौ से अधिक घर घाघरा नदी में विलीन हो गये हैं। आज भी दसों की आबादी बाढ़ के रोकथाम के अभाव में भयाक्रान्त है। पिछली बार शासन द्वारा 17 करोड़ से अधिक की राशि ठोकर एवं रिंग बांध बनाने के लिये स्वीकृत हुई थी। लेकिन अभी तक उक्त धनराशि आज तक अवमुक्त नहीं की गयी है। जिससे मौके पर कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है। समय रहते तत्काल उक्त धनराशि अवमुक्त कराकर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो दसों हजार की आबादी को बचाया नहीं जा सकता है जिससे काफी धन–जन की हानि हो सकती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस पर तत्काल वक्तव्य दिये जाने एवं स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली अन्तर्गत ग्राम झुण्डपुर के पास हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र छपरौली, जनपद बागपत के अन्तर्गत ग्राम झुण्डपुर के पास हिन्डन नदी पर पुल न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी असुविधा होती है। इस नदी के एक ओर जनपद बागपत तथा दूसरी ओर जनपद मेरठ है। हजारों लोग तथा दोनों जनपदों के अधिकांश लोग इन नदी को जोखिम भर कर पार करते हैं। आये दिन नदी पार करते समय लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस नदी पर पुल न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष है।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण त्वरित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्ररहमान–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की तहसील कांठ का मुख्यालय, जिला मुख्यालय मुरादाबाद से लगभग 40 कि0मी0 दूरी पर है। तहसील कांठ की जनसंख्या लगभग तीन लाख से अधिक है तथा कांठ नगर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, दो डिग्री कालेज, लगभग दस इण्टर कालेज, दो नगर पंचायत, डाकघर, आठ राष्ट्रीय बैंक शाखाएं, अमरोहा, बिजनौर, ठाकुरद्वारा एवं मुरादाबाद को सड़क मार्ग, दो थानें पूर्ण एवं तीन थानों का आंशिक भाग तथा तीन क्षेत्राधिकारियों के सर्किल सहित लगभग 201 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। तहसील क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र का न्यायिक क्षेत्र जनपद मुख्यालय मुरादाबाद स्थित सिविल एवं क्रिमिनल न्यायालयों के अन्तर्गत आता है। क्षेत्र की जनता, छात्र, तहसीलवार के सदस्य, शिक्षक, कृषक एवं उनके संगठन तथा क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधियों में तहसील स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की मांग की है। कई बार सभी लोग उचित माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं तथा शान्तिपूर्वक क्षेत्रीय जनता अहिंसात्मक रूप से आन्दोरनरत रह चुकी है। मैं स्वयं भी कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र के माध्यम से तहसील कांठ में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिये अनुरोध कर चुका हूं। परन्तु अभी तक जनपद मुरादाबाद की कांठ तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना न होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं तहसीलवार के सदस्यों में आक्रोश है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मान्यवर मैं उपरोक्त लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिये सदन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय प्रशासन अनु0–5 (अधि0) संख्या–254/बीस/ई–5–2015–37/सामान्य/2014 लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2015 में समानता के आधार पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या–1640/बीस/ई–2014–46/सामान्य/2014 दिनांक 01–12–2014 द्वारा समस्त शाखा अधिष्ठानों को निर्देश दिये गये थे की तरफ ले जाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के वरिष्ठ समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों के बराबर वेतनमान करते हुए उनसे अधिक वेतन पा रहे कनिष्ठ समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों के बराबर वेतन करते हुए समयमान वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि कनिष्ठ के समान निर्धारित की जा चुकी है। अर्थात् वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की लाभ अनुमन्य कराने की तिथि को उसकी सेवायें 14/16 वर्ष मानी जा चुकी हैं।

उपरोक्त ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वेआ0–2–330/15 दिनांक 04–03–2015 में प्राप्त उनकी सहमति निर्गत किये जा रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी जो अपने से कनिष्ठ सहायक समीक्षा अधिकारियों से कम वेतन पा रहे हैं। इससे समीक्षा अधिकारियों में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त है। उन्हें इसका लाभ मिल सके इसके लिये इसे इसी वित्तीय वर्ष 2015 में भुगतान के आदेश कराने के साथ इसे उच्च न्यायालय राजस्व, परिषद्, उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा एवं विधान परिषद् में लागू कराने हेतु उच्चादेश निर्गत कराने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान सचिवालय प्रशासन अनुभाग–3 (अधिष्ठान) संख्या–5040/बीस–ई0–3–2013–196 (विविध)/09, लखनऊ, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना में उ0 प्र0 सचिवालय कम्प्यूटर सहायक सेवा नियमावली की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसके भाग–3 भर्ती (भर्ती का स्रोत) 5 (एक) में उल्लेख है कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों में से हाई स्कूल पास के कर्मचारियों की जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कम्प्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों कि पदोन्नति की जायेगी तथा उसी के भाग–5 (दो) में मौलिक रूप से नियुक्त सचिवालय के समूह 'घ' कर्मचारियों में से इण्टरमीडिएट पास को भी 26 शब्द प्रति मिनट की गति हो को पदोन्नति दी जायेगी जो कुल संख्या को 15:50 के अनुपात में विभाजित करके की जायेगी।

वर्तमान में इस स्थिति में हाई स्कूल पास कर्मचारियों को 15: और इण्टरमीडिएट पास को 05: के अनुपात में पदोन्नति करने से हाई स्कूल पास कर्मचारी इण्टरमीडिएट पास सीनियर कर्मचारी से पहले पदोन्नति पा रहे हैं अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त/योग्यताधारक कर्मचारी को 5: पदोन्नति और हाई स्कूल पास अपेक्षाकृत निम्न योग्यताधारक कर्मचारी को 15: पदोन्नति देकर जो असमानता है उससे कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में पुनः विचार करने के साथ कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करते हुए एक जांच कराकर सभी को समान मानते हुए (अनुपयुक्त को छोड़ते हुए) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

डिफेंस कालोनी, रायबरेली रोड लखनऊ की भूमि संख्या–60 की आड़ में अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–7024/एस0टी0–ए0डी0एम0 (प्रशा0)/2013 दिनांक 21–01–2015 की तरफ ले जाना चाहता हूं। जिसमें डिफेन्स कालोनी रायबरेली रोड, पो0–दिलकुशा, लखनऊ की भूमि संख्या–60 आदि की आड़ में खसरा नं0–57 व 98 पर तालाब की भूमि को अवैध रूप से पाट कर नगर निगम शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण किया जा रहा है जबकि खसरा नं0–57 व 58 पर तालाब की भूमि का रकबा लगभग 12 बीघा से अधिक है।

उपरोक्त प्रकरण में कार्यालय–ज्ञाप संख्या के आधार पर एक टीम का गठन कर वादग्रस्त भूमि की नियमानुसार चिन्हाकर/पैमाइश सुनिश्चित कर अनाधिकृत कब्जा/निर्माण रुकवाये जाने व आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के आदेश हुए हैं।

मैं चाहता हूं कि उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ तालाब की भूमि का लगभग 12 बीघे से ज्यादा भूमि की भी पैमाइश कर चिन्हित कराने एवं 1359 फसली के सरकारी रिकार्ड में तालाब दर्ज को षड़यंत्र बताकर फर्जी तरीके से तालाब की भूमि को अपने नाम करने की भी जांच कराते हुए तालाब के गन्दे पानी की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निकासी की समुचित व्यवस्था यथाशीघ्र कराने हेतु इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं आबादी क्षेत्र में नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू–

ख्महोदय, जनपद फिरोजाबाद में निम्न मार्गों का चौड़ीकरण व आबादी क्षेत्र में नाली व सी0सी0 कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिन मार्गों का कार्य कराया जाना है। वह निम्न प्रकार है :–

(1) जसरथपुर भरत पुरा मार्ग से बघेल जाटव आबादी होते हुए जलेसर रोड तक निर्माण कार्य ।

(2) ऐरई से रजापुर अन्त तक निर्माण कार्य जलेसर रोड से आबादी के अन्त तक मार्ग निर्माण।

(3) जलेसर रोड से आबादी के अन्त तक मार्ग निर्माण।

(4) रैमजा बाई पास ग्राम में होते हुए खुशालपुर की सड़क तक।

(5) दारापुर से वास भरना ग्राम अन्त तक।

अतः महोदय मैं उपरोक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग सरकार से करता हूं तथा सरकार के वक्तव्य की मांग में सदन में करता हूं।,

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत डाली गई पेयजल योजना एवं सीवर लाइन से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय, कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति एवं सीवर लाइन हेतु पाइप डाली गयी। पाइप डालने के उपरान्त उसको मिट्टी डालकर ढक दिया गया। जिसमें कुछ दिनों बाद मिट्टी धंसने के कारण सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। पूरी सड़कें आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त खराब स्थिति में हैं। रायपुरवा, जी0टी0 मेन रोड, फूलबाग चौराहा, वी0आई0पी0 रोड, नवीन मार्केट, काकादेव, सर्वोदय नगर, कालपी रोड, किदवई नगर, बाबूपुरवा, श्यामनगर, लाल बंगला, शीशामऊ, ग्वालटोली, नवाबगंज, विष्णुपरी आदि स्थानों सहित सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र में पाइप लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत न होने से नागरिकों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। कई बार गाड़ियों के पहिये गड्ढों में धंस जाते हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा इस सम्बन्ध में शासन–प्रशासन को लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर व सहावर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर व सहावर में राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को हो रही परेशानी की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।

उक्त के न होने से छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। जिससे जनता में काफी रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद आगरा में पानी की कमी की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय, आपका ध्यान आगरा में पानी की कमी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। यहां ताजमहल सहित चार विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं। जिसे देखने प्रतिमाह लाखों की संख्या में देश–विदेश के पर्यटक आते हैं। किन्तु यहां की जमुना जी में सड़क लेवल तक मिट्टी व कूड़ा होने के कारण जमुना में पानी ठहराता नहीं है। आगे बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात व बाढ़ का पानी आने पर वह जमुना जी में नहीं ठहर पायेगा तथा सड़क पर बहकर सड़कों को खराब करेगा। आगरा में पानी की बेहद कमी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि आगरा में वर्ष भर पानी मिले उसके लिये ताजगंज ताजमहल से लेकर कैलाश महादेव मन्दिर सिकन्द्रा तक जमुना की कम से कम छः फुट गहरी खुदाई कर आगरा के पानी की समस्या का स्थाई निराकरण करने की अति आवश्यकता है। आगरा की जनता पानी के कारण बहुत दुखी हैं।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में जमुना जी छः फुट गहरी खुदाई की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला चाहबाई तथा जगासी की सड़कों (गलियों) की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला चाहबाई (गुद्दड़बाग) एवं मोहल्ला जगासी में सड़क (गलियों) की स्थिति बहुत खराब है। जिससे स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती है तथा आये दिन दुर्घटना होती रहती हैं/आशंका बनी रहती है। जिससे जनता में रोष व्याप्त है। क्या सरकार जनहित में इन गलियों को शीघ्र बनवाने का निर्देश देगी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

सहारनपुर महानगर में सीवर व्यवस्था को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय, सहारनपुर महानगर में सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप्प होने के कारण यहां की जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर महानगर में पुरानी पड़ी हुई सीवर लाइन में से 80 प्रतिशत सीवर लाइनें ठप्प हैं और नई बसी कालोनियों में तो सीवर लाइन ही नहीं है जिसके कारण जल निकासी के अभाव में सड़कों पर ही गन्दा पानी बहता रहा है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है और सीवर ठप्प होने से बह रहे गन्दे पानी के कारण संक्रामक बीमारियां भी पैर पसार रही हैं।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहारनपुर की ठप्प 80 प्रतिशत सीवर व्यवस्था तथा नई बसी कालोनियों में शीघ्र नई सीवर लाइन डालने की कार्य हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

ख्समय 12 बजकर 27 मिनट, प्रश्नकाल की अवधि 80 मिनट के स्थान पर 120 मिनट किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत एक सूचना श्री सतीश महाना की प्राप्त हुई यह प्रश्नकाल की अवधि 80 मिनट के स्थान पर 120 मिनट किये जाने के सम्बन्ध में है महाना जी, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक मुझे सुनने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है कई बार ऐसा होता है कि 20 प्रश्न लेने के लिए आप कार्यसूची में रखते हैं और 20 प्रश्न को लेने की आपकी मन्शा भी रहती है और स्वाभाविक रूप से जब भी आप माननीय सदस्यों को संरक्षण भी देते हैं पूरा यह भी सच है और संरक्षण देने के साथ साथ आप हमारे अधिकारों का भी ध्यान रखते हैं। मान्यवर, यह एक बजकर बीस मिनट तक है चूंकि प्रश्न के माध्यम से सरकार का उत्तर आता है और उत्तर के माध्यम से कई बार ऐसी समस्याएं होती है कि सरकार का आश्वासन बन जाता है उसमें उसकी पूर्ति हो जाती है और काम हो जाता है इसलिए यदि आप

कृपापूर्वक इसको एक घण्टा बीस मिनट से बढ़ाकर थोड़ा सा और बढ़ाने का विचार करेंगे यह आपके अधिकार क्षेत्र में है तो सबको लाभ हो जायेगा।

विधायक की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी को पेंशन न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी मेरे जिले में 1989 में एक विधायक जीते थे जिनकी मृत्यु 26 मार्च, 1990 में दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी लेकिन अभी तक उनके परिवार को उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल पा रही है

श्री अध्यक्ष–

यहां आये दरख्वास्त दें, आवेदन करें।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो व्यवस्था है वह यह है कि पूर्व विधायक की पत्नी को तो पेंशन मिलेगी मृत्यु अगर हुई है लेकिन वो विधायक रहते हुए उनकी मृत्यु हुई हैं यह विधायक रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है।

श्री अध्यक्ष–

यह पूर्व विधायकों की पत्नियों का तो हैं देखिये यह व्यवस्था नहीं है अब नियम की बात है नियम में क्या है ?

लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, हम लोग यहां पर आते हैं जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक पुल बने हैं हम लोग । यहां पर चर्चा चलती है उसमें जो समयाभाव के कारण भाग नहीं ले पाते हैं आपका संरक्षण मिलता है कि हम लोग लिखकर दे दें अपने वक्तव्यों को अपनी मांगों को हम देते हैं लेकिन न जाने नीचे क्या कर रहे हैं यह लिखित में लगातार दो दिन पी0डब्लू0डी0 में भी मैंने लिखकर दिया और पर्यावरण पर भी लिखकर दिया दोनों की कार्यवाही मैंने देख ली है आया नहीं है तो यह व्यवस्था का प्रश्न है कि पीठ व्यवस्था दे रही है लेकिन लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कह दिया मुझसे मैं व्यक्तिगत दिखवा लूंगा और उसे जुड़वा दूंगा।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, नीचे वालों को कहिये यह क्या कर रहे हैं।

प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्नों की संख्या सीमित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप कई बार इस भावना को व्यक्त कर चुके हैं और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो प्रश्न उपस्थित होते हैं, हालांकि यह पूरे सदन की सम्पत्ति बन जाते हैं, लेकिन अनुपूरक करने की संख्या अगर आप सीमित नहीं करेंगे, तो बहुत से लोगों के प्रश्न उपस्थित नहीं हो पाते हैं, अनुत्तरित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं बिल्कुल चाहता हूं कि एक प्रश्न पर दो–तीन से ज्यादा अनुपूरक न पूछे जाये। अगर आप सब सहमत हों तो आज ही फैसला हो जाये कि तीन से ज्यादा अनुपूरक नहीं रहेंगे। सहमत हैं, तो चलिये। अब एक प्रश्न पर तीन से ज्यादा अनुपूरक नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता को दो और दूसरा कोई माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछ सके, ऐसी व्यवस्था दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, चलिये हो गया। कल से यह व्यवस्था लागू रहेगी, फिर हल्ला मत करियेगा।

साध्वी प्राची द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण

'श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, साध्वी प्राची द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि उन्होंने जस्टिस काटजू को भी मात दे दिया है। आज स्थिति यह है उनकी अनर्गल टिप्पणी से देश उद्वेलित हो रहा है जिससे साध्वी को गिरफ्तार किया जाना चाहिये और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, आप यहां यह क्या ले आये। आप लोग बैठिये। आप प्रतिदिन कोई न कोई चीज ऐसी लेकर यहां आ जाते हैं जिससे यहां कार्यवाही बाधित होती है। पहले आप नियमों में लिखकर देते नहीं हैं, फिर अचानक खड़े होकर बोलने लगते हैं। कृपया आप लोग बैठिये पहले नियमों के अन्तर्गत लिखकर दीजियेगा, फिर बोलियेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसे कार्यवाही का अंग न बनने दिया जाये। इस बात को कार्यवाही में नहीं आना चाहिये मान्यवर।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये, पहले नियमों में दीजिये, बैठिये–बैठिये। आज बहुत बड़ा बजट है, हल्ला मत करिये। आप लोग लिखित सूचना देते नहीं हैं, ऐसे ही उठकर खड़े होकर कहने लगते हैं। मद संख्या–4 के एवं मद संख्या–5 में कुछ नहीं है।

ख्12.37, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब हम मद संख्या–6 कार्य स्थगन पर आते हैं। आज दिनांक 19.03.2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं। नियम–56 के अंतर्गत शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। नम्बर–1 पर श्री अखिलेश प्रताप सिंह की सूचना है जो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पंचायत राज अधिनियम की मौलिक भावनाओं के विपरीत कतिपय पदों को समाप्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है तथा दूसरी सूचना डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी की पूरे प्रदेश में विद्युत की चोरी रोकने के नाम पर नागरिकों के मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं। श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी आप बोलिये।

साध्वी प्राची द्वारा महात्मा गांधी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किये जाने विषयक प्रकरण (क्रमागत)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग विद्वान सदस्य हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग बैठिये। इसे नियमों में उठाईये तब इस पर विचार किया जायेगा, जब मर्जी होती है कोई बात उठा देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है, बैठिये। अनुग्रह नारायण जी, आप बैठिये अब हम नियम–56 ले लिये हैं, आप लोग बैठिये।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गये)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, यह क्या तरीका है ? आप भी वेल में आते हैं, आप यहां सदन संचालित करते हैं आप अधिष्ठाता मण्डल के सदस्य हैं। अब बाद में देखा जायेगा। आप लोग अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठिये। आप अपने कार्य स्थगन पर बोलना चाहते हैं, आप लोग एक आदत बना लिये हैं हल्ला करने की। इससे तो अच्छा है कि बजट पास करा लिया जाये और कार्यवाही बन्द करा दी जाये, चले जाईये घर। जनता चुनकर इसलिये नहीं भेजती है कि आकर आप वेल में बैठकर कार्यवाही बाधित करें। पांच लोग आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री प्रदीप माथुर–(अपने आसन से)

माननीय अध्यक्ष जी, साध्वी ने महात्मा गांधी जी के खिलाफ अत्यन्त आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, इसलिये मान्यवर इनको गिरफ्तार किया जाये। सरकार

को सख्त एक्शन लेना चाहिये इस पर। हमने नियम–110 के अंतर्गत नोटिस दी है, उसका आप संज्ञान ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग तो ऐसा करिये, जिस नोटिस में दिया है, उस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। पहले नोटिस आपको 10 बजे के पहले देना चाहिये था तो मैं पढ़ता और उसको देखता कि उसमें क्या है। आप बाद में लिखकर लाते हैं तो उसमें हम क्या पढ़े। आप कल उस पर नोटिस दीजिये तो उस पर बात किया जायेगा। अब आज नहीं नोटिस लिया जायेगा। चलिये आप लोग चलिये अपनी–अपनी सीटों पर, आप कार्यवाही चलने देंगे कि हम बन्द कर दें बताईये। हम बजट पास करा दें, छुट्टी मिले, जाईये क्या फायदा है। आप पांच लोग मिलकर यह कर रहे हैं। जब आप हमको सुबह मिले थे तो आज सुबह आपने इस पर चर्चा नहीं की, आपने अपने नियम–56 और अन्य बातों पर बात की। आप हमें देते तो हम उसको पढ़ते और फिर उस पर हम बात करते। यह नियम–110 अकेले नहीं होता है कि उस पर आप चाहे जब उठा लीजिये। इस पर नेता सदन और नेता विपक्ष की राय होती है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, हमने यह नियम–110 के अंतर्गत लिखकर नोटिस दे दी है। कृपया आप इसका संज्ञान ले लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी आपने नोटिस दी है तो फिर अभी कैसे संज्ञान लिया जायेगा, जब किसी नेता की उस पर राय होती है, तब लिया जाता है। आपके कहने से ले लिया जायेगा, आप नियम पढ़ो, नियम। ....

(घोर व्यवधान के मध्य)

सीनियर एम0एल0ए0 हो, नियम पड़ो । आप कहें तो बन्द कर दें, आप लोगों की क्या राय है, पास करायें ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह संदेह पैदा करता है, साम्प्रदायिक ताकतों पर यह कुछ बोल नहीं रहे हैं, उसको आप गिरफ्तार कराइये ।

(वेल में मौजूद सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसे नहीं होता है, नेता विरोधी दल और नेता सदन सहमत होते हैं तो उस पर प्रस्ताव होता है। आपके खाली देने से कुछ नहीं होगा, उसका नियम है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, लगता है प्रदीप माथुर जी पर कल की दावत का खुमार अभी बाकी है । बात तो मान्यवर, गंभीर है, एक आदत सी बन गयी है, जिसका

जी चाह रहा है, बापू को अपमानित कर रहा है और यह काम ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इससे पहचान तो हुयी उनकी । लेकिन यह बात तो है बहुत शर्मिन्दा करने वाली और एक अजीब सा फैशन यह बन गया है कि कोई बात अगर कानून की करिये तो वही साथी, जो हमारे कानून की दुहाई देते हैं, वही उस पर एतराज करते हैं । अब फेसबुक पर समाज के लिये बहुत बुरी बॉतें लिखी गयी हैं, उससे हिन्दू–मुस्लिम उन्माद पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, उस पर मुकदमा कायम हुआ, 19 साल उसने उम्र बताई थी, लेकिन उस नौजवान की 35 साल उम्र है, गिरफ्तारी हो गयी, इस पर नेता प्रतिपक्ष ने जितनी भली बुरी कल बॉतें कहीं, वह खुद में हमें शर्मिन्दा करती हैं कि इतने जिम्मेदार लोग ऐसी बात करेंगे । एक तरफ तो कहेंगे कि कानून का राज कायम होना चाहिये, दूसरी तरफ कानून का राज कायम करो तो हमदर्द हो जाते हैं उन लोगों के । ऐसे में मान्यवर, तय करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है । आप एक बार फिर ऐसी कोशिश कर लें कि सभी आपके साथ बैठ जायें और अब क्योंकि राजनैतिक दलों में और खासकर जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, अब साधु महात्माओं, साध्वियों पर इनका क्या अंकुश होगा तो वह बिल्कुल बेलगाम से हैं, बेलगाम हैं मान्यवर और बेलगामों को लगाम देना जरा मुश्किल है लेकिन बात बहुत निन्दनीय है, मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस पर कानूनी तौर पर कोई न कोई हल निकाला जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप बैठ लीजियेगा संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ, नेताओं की बैठक हो जायेगी, उसके बाद निर्णय हो जायेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वैसे इन चीजों की रोक तो होना ही चाहिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

अब चलिये, पहले नियम–56 हो जाने दीजिये । अब माननीय अखिलेश प्रताप जी आप अपना प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 के तहत हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, वह तीन पंचायतें चलाती हैं । हमारे देश के संविधान के अनुसार पहली देश की जो पंचायत है, जिसका संचालन लोकसभा के द्वारा होता है, दूसरी प्रदेश की पंचायत है जिसका संचालन प्रदेश की विधानसभाओं के द्वारा होता है और तीसरी स्थानीय पंचायतें हैं जो ग्रामसभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संचालित होती हैं और यह त्रिस्तरीय पंचायतें बोली जाती हैं। इन पंचायतों के हमारे लोकतंत्र में बहुत ही अधिकार हैं, बहुत ही विकास के काम हैं और बहुत बड़ा संवैधानिक दायित्व भी है। जब केन्द्र के द्वारा पंचायत राज एक्ट लाया गया था तो उसमें मंशा यही थी कि स्थानीय स्तर पर ही बहुत से जो

विकास या प्रशासन के कार्य हैं, वह इन पंचायतों के द्वारा निष्पादित कर दिये जायें और वह कानून भलीभॉति इस हिन्दुस्तान में चालू भी था और चल भी रहा था लेकिन विगत पिछली सरकार ने इस त्रिस्तरीय पंचायत कानून में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ परिवर्तन कर दिये। वह परिवर्तन इतने खतरनाक हो गये कि जिसके कारण से पंचायतों की जो मूल भावना है और संविधान की जो भावना थी और जो क्रियाकलाप थे उसमें भारी अड़चनें आनी शुरू हो गई हैं। वह परिवर्तन यह था कि जो ग्राम प्रधान थे उनके साथ एक उप प्रधान का पद होता था उसे समाप्त कर दिया गया, जो क्षेत्र पंचायत समितियां होती थीं क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के साथ ज्येष्ठ और कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे इन पदों को समाप्त कर दिया गया और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ उप जिला पंचायत अध्यक्ष का पद होता था, उसे समाप्त कर दिया गया। यही नहीं, इन अध्यक्षों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार थे उसे भी काफी सीमित कर दिया गया है जैसे कि ए0सी0आर0 लिखना और पैसा विड्रा करने में ज्वाइन्ट एकाउन्ट की बात। मान्यवर, इन परिवर्तनों के कारण जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा अवरोध और समस्या आनी शुरू हो गई जब उप प्रधान कोई नहीं है तो यदि प्रधान की किसी कारण से अकाल मृत्यु होती है, उसका निलम्बन होता है, उस पर अविश्वास होता है तो उप प्रधान न होने के कारण एक समिति बनती है वह समिति बनने में देरी होती है और कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता है जब तक कि प्रधान का दूसरा चुनाव न होने पाये। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के ज्येष्ठ प्रमुख, उप ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ ज्येष्ठ प्रमुख न होने के कारण अगर किसी पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास आता है या किन्हीं अन्य कारणों से वह पद रिक्त होता है तो उस पद पर दूसरे पद की नियुक्ति तक बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके कारण प्रशासनिक और वित्तीय समस्या भी आ जाती है। इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण किन्हीं कारणों से उपाध्यक्ष का पद न होने के कारण वहां भी यह समस्या आ जाती है।

मान्यवर, अभी त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव अगले कुछ ही महीनों में ड्यू हैं और अब यह बड़ा समसामयिक भी है कि प्रदेश की सरकार, जो मूल भावना थी पंचायत राज ऐक्ट की जिसमें इन त्रिस्तरीय पंचायतों में उप प्रधान, ज्येष्ठ और कनिष्ठ, उप जिला पंचायत अध्यक्ष का पद था, जिसे 2007 में प्रदेश की सरकार ने समाप्त कर दिया था इस कानून को पुनः उसी रूप में जो सरकार ने समाप्त किया था, परिवर्तन किया था उसे पुनः निरस्त करते हुए इस व्यवस्था को बहाल किया जाए जिससे कि त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें उप प्रधान, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख और उप जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो सकें। चूंकि यह .....

(इस समय 12 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

सरकार जो अभी वर्तमान में है, हमारा भी मत है कि यह सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आस्था रखती है इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि उस लोकतान्त्रिक व्यवस्था की, उस लोकतान्त्रिक अधिकार की जो त्रिस्तरीय पंचायतों में देश की जनता को मुकर्रर की गई थी, जिन्हें परिवर्तित कर दिया गया था उसे पुनः बहाल किया जाए जिससे कि यह जो

अनियमितता, अव्यवस्था और संवैधानिक जो अड़चनें आने लगी हैं, इसे समाप्त किया जाए।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है कि जो उनको वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार थे, जैसे क्षेत्र पंचायत का वित्तीय एकाउंट ज्वाइन्ट होता था और उन्हें अपने अधिकारी, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी इन पंचायत अध्यक्षों की बनती है उन अधिकारियों के ए0सी0आर0 लिखने के जो अधिकार थे, उनकी चरित्र पंजिका में जो टिप्पणी करने के अधिकार थे, जिससे उन्हें वंचित रखा गया है, उन अधिकारों को भी बहाल किया जाए। क्योंकि आप यदि चुने हुए प्रतिनिधियों से काम की अपेक्षा करते हैं उनसे रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं तो यदि उन्हें आप अधिकार नहीं देंगे तो वह किस तरीके से काम करा पायेंगे। मान्यवर, इस सदन में अधिकांश सदस्य इस त्रिस्तरीय पंचायत से आगे बढ़ करके यहां तक पहुंचे होंगे और वह मेरी भावना से पूरी तरह से सहमत होंगे, संविधान की जो भावना है उससे पूरी तरह से सहमत होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि यह श्रेय आपकी सरकार ले कि त्रिस्तरीय चुनाव में जो पुरानी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है जिसे निलम्बित कर दिया गया था। एक आर्डीनेन्स के द्वारा 2007 में उसे बहाल करते हुए उप प्रधान, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख एवं उप जिला पंचायत अध्यक्षों के ये पद बहाल किये जांए और इनके चुनाव आगामी चुनाव के साथ कराये जांए। चूंकि यह बहुत ही लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय विषय है इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन का सारा कार्य रोककर इस पर व्यापक चर्चा करायी जाए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगें ?

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के हन्न का इतना बड़ा विषय है।

श्री कैलाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अखिलेश सिंह का सवाल उचित है। पिछली सरकार में इसका संशोधन हुआ था, पहले उप प्रधान का भी पद था और जिला पंचायत में भी उप जिला पंचायत अध्यक्ष का पद था लेकिन उसको पिछली सरकार में खत्म किया गया है, पुनः इस पर हम विचार करेंगे और विचार करके इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैंने मा0 श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी व माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं उत्तर प्रदेश के करीब–करीब सभी जनपदों के नागरिकों की जो समस्या है, आपने उसे मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में रखने का अवसर दिया। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की चोरी बहुत हो रही है। यहां का जो एग्रीगेट टेक्किनीकल और कामर्शियल लॉस है आज 31–32 प्रतिशत है, इससे कोई असहमति किसी की नहीं है। बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां यह लॉस बहुत कम है क्योंकि उन्होंने कुछ मेजर्स लिये हैं इसलिए कुछ कम हुआ है। अधिष्ठाता जी, ए0टी0एन0सी0 लॉस के दो हिस्से होते हैं एक तो जो सरकार का सिस्टम उत्पादन से लेकर बिजली पहुंचाने तक जो टेक्निकल लॉस है वह है, और दूसरा यह जो कामर्शियल हिस्सा है जिसको लेकर के नागरिकों पर आरोप लगाये जाते हैं। मैं इस सदन में खड़ा हूं तो इस बात के लिए नहीं हूं कि जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का संरक्षण दिया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह रहा हूं कि जिन भी नागरिकों के द्वारा बिजली की चोरी की जा रही है हम कोई उनके साथ नहीं हैं और बहुत कड़ाई के साथ अभियान चलाना चाहिए। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, कोई कितना भी अच्छा काम हो, अगर उसके काम करने का तरीका अच्छा न हो, उसे पूरी पारदर्शी तरीके से न किया जाए और जनभावनाओं का ख्याल करके न किया जाए तो बहुत बार जो अच्छे काम होते हैं वह भी बुरे हो जाते हैं और कभी–कभी ऐसा लगता है कि जैसे राजनैतिक मंशा के विपरीत अधिकारी जानबूझकर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं कि जो वास्तविक लक्ष्य सरकार का हो सकता था अधिकारी उसको सैबोटॉज कर रहे हैं और इसलिए इतने अलोकतांत्रिक तरीके से वह कार्य करते हैं कि उनके प्रतिक्रिया में एक जनाक्रोश पैदा हो जाता है। हम सबको इसमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं क्यों कह रहा हूं इसके कुछ कारण हैं।

यह जो हमारा विद्युत संकाय पहला अधिनियम, 2005 है या जो हमारा इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003 है उसमें सबकी जिम्मेदारियां बांटी गयी हैं। आज फीडर पर ट्रांसफार्मर हैं तो फीडर पर मीटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर पर मीटर लगे हुए हैं। हर ए0ई0 और जे0ई का दायित्व तय है कि वह अपने–अपने क्षेत्र में 10 प्रतिशत कन्ज्यूमर्स को देखेगा, प्रतिमाह निरीक्षण करेगा और देखेगा कि उनका जो मीटर है वह सही है या नहीं। अब अधिष्ठाता महोदय, अगर वह अवर अभियंता, सहायक अभियंता अपना काम जो उनका दायित्व था, ईमानदारी के साथ कर रहे होते तो जो लोग बिजली की चोरी की इच्छा रखते थे उनकी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि देखते कि जे0ई0 और ए0ई0 जा करके चेक कर रहे हैं कि उनका मीटर सही है या नहीं। सरकार ने अपने तंत्र को यह सुनिश्चित नहीं किया। अधिष्ठाता महोदय, कोई अवर अभियंता इत्यादि शक्ल नहीं दिखाते। जब से यह बिजली के बिलों का प्राईवेटाइजेशन हुआ है, बिजली के बिल नहीं मिलते हैं, उस पर तो मैं नहीं आऊंगा क्योंकि यह आज का विषय नहीं है उन प्राइवेट कम्पनियों के अलावा कोई जे0ई0ए0ई0कहीं जाता नहीं है। प्रश्न यह है कि जो काम उनका था चोरी को रोकना उनका काम था जो उन्होंने किया नहीं किया ठीक उल्टा कंज्यूमर के पास जाना उन्हें चोरी करने के तरीके सिखाना उन्हें बताना कि इस तरीके

से करोगे तो तुम्हारा बिल घटकर इतना आ जाएगा सात महीना दस महीना साल भर जिस हल्के में रहना वहां कमा लेना और जब दूसरे हल्के में चले जाना तो पुराने हल्के वाले को बता देना यह बिजली बिभाग ने अपनी खुद की प्रक्रिया डेवलप की हुई है। इसी के विपरीत आज चूंकि मार्च और फरवरी का महीना आया राजस्व कम हो गया राजस्व को इकट्ठा करने का जोर बढ़ा तो राजस्व इस तरीके से निकालने चल पड़े । अध्यक्ष जी मैं गोरखपुर का उदाहरण देता हूं आप गोरखपुर में जांच करना चाहते हैं आपके फीडर पर मीटर लगा है आपके ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा है आपको मालूम है कि किस फीडर पर और किस ट्रांसफार्मर पर सबसे अधिक चोरी हो रही है आप जनता का सहयोग लेना चाहते हैं आपको अखबार में विज्ञापन कर देना चाहिए कि गोरखपुर महानगर के इन इन फीडरों का वसूली का यह स्तर है। हम यहां इतनी अधिक चोरी हो रही है इसलिए यहां पर सबसे कड़ाई के साथ सबसे पहले जांच करेंगे। अब अगर अधिकारी ऐसा करे कि जहां चोरी सबसे अधिक हो रही है उसको छोड़ दें । जहां चोरी सबसे कम हो वहीं जांच करने पहुंच जांय। तो अधिष्ठाता महोदय आक्रोश स्वाभाविक है।

जब यह अभियान चल रहा था और हम लोगों ने अधिकारियों से पूछा कि क्या आप हमें ट्रांसफार्मर लास और फीडर लास की सूचना दे सकते हैं उन्होंने कहा कि दे सकते हैं हमने कहा कि दिखाइए उन्होंने दिखा दिया जितने मोहल्ले जहां सबसे अधिक चोरी होती थी वहां कोई जांच नहीं हुई और जितने मोहल्ले जहां सबसे कम चोरी होती थी वहां सबसे अधिक कड़ाई से जांच होती है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना सरकार जितनी कड़ाई के साथ जितने गन्दे तरीके से जांच कराना चाहे कराए आक्रोश जनता को होगा और सरकार के विरुद्ध आक्रोश पनपेगा हमारे विरुद्ध तो पनपेगा नहीं और सरकार ने जो अच्छे काम किए होंगे मैं कहता हूं किए हैं वह सारे काम इस बिजली और कानून व्यवस्था की गोद में चले जाएंगे। यह आप का काम है कि आप देखिए कि बिजली के नाते समाज में कितना आक्रोश पैदा हो रहा है। अध्यक्ष जी बहुत साफ उदाहरण देना चाहता हूं यह लोग 50 लोग लेकर किसी के घर में घुस जा रहे हैं महिला हो या कोई घर में अकेली महिला रहती है यह लोग सीधे मीटर पर अटैक करते हैं। मीटर का सील नहीं चेक करते हैं सीधे मीटर को तोड़ते हैं हथौड़ा लेकर जाते हैं और सीधे हथौड़ा मारकर उसको निकालते हैं कहते हैं कि चोरी हो रही है । जो विद्युत संहिता अधिनियम है इसमें अधिष्ठाता महोदय बहुत स्पष्ट प्राविधान किए हुए हैं सवाल यह है कि जब आप उन प्राविधानों को जानते हैं तो इसके बावजूद आप जानबूझकर कार्यवाही क्यों कर रहे हैं। जैसे उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि यह एक भी कंज्यूमर को चोर घोषित कर सकें। अगर इन्हें लगता है कि कोई मीटर गड़बड़ है तो सील जो तोड़ी गई है वह तो दिखेगी लेकिन अगर सील तोड़ी नहीं गई है और कोई मीटर गड़बड़ है तो इन्हें यह अधिकार नहीं है कि यह वहीं तय कर लें आन द स्पाट सलमान खान की तरह फैसला कर लें इन्हें यह अधिकार नहीं है कि वह कह दें कि तुम चोर हो। इनका काम है कि मीटर को निकालें मीटर को एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में भेजें उसकी जांच करें जांच करने के पहले उस उपभोक्ता को नोटिस दें कम से कम सात दिन की नोटिस दें जांच करने के दौरान वह उपभोक्ता वहां उपस्थित रहे मैं जो कुछ कह रहा हूं यह इलेक्ट्रीसिटी एक्ट का हिस्सा है मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं उपभोक्ता

वहां उपस्थित रहे जांच की जाय जांच करके जो गलती निकले उसका निर्धारण किया जाय। निर्धारण कैसे अगर सील टूटी है तो साल भर का पुराना बिजली बिल अगर सील टूटी नहीं है तो तीन महीने का बिल तीन महीने का बिल भी कैसे एक किश्त में नहीं यह तीन किश्तों में लें यह लोग कर क्या रहे हैं मीटर तोड़ा डिफेक्टिव है चोरी की है जिस आदमी का बिल दो हजार रुपया आता था उसका निर्धारण किया तीन लाख अभी दो नहीं दिया तो एफ0आई0आर0 कराएंगे। और तुमको जेल जाना पड़ेगा। यह गोरखपुर का अनुभव नहीं है, पूरे प्रदेश का अनुभव है।

अध्यक्ष महोदय। मैंने सारे माननीय विधायकों से बात की, सब यही रो रहें हैं और एफ0आई0आर0 की धमकी देकर जबरन पैसे की वसूली की जा रही है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो अभी तुम्हारा कनेक्शन काट दे रहे हैं। जबकि प्राविधान क्या है? अगर आपको लग गया कि चोरी हुई है तो आप एफ0आई0आर0 करवाइये, प्रशमन शुल्क का प्राविधान है, आप प्रशमन शुल्क ले लीजिये। प्रशमन शुल्क लेने के बाद आपको उसको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होगा। मुकदमा चलेगा, चोरी का निर्धारण होगा, कोर्ट फैसला करेगा। और आपने उसको जेल में जाने की धमकी देकर प्रशमन शुल्क भी ले लिया और निर्धारण करके लाखों रुपये भी ले लिये। अधिष्ठाता महोदय, आप समझ सकते होंगे कि पूरे प्रदेश में इस चोरी के खेल से, अधिकारियों के चोरी के खेल से मैं इसे कहता हूं, नागरिकों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। दूसरी बात मान्यवर, प्राविधान इलेक्ट्रीसिटी एक्ट का यह कहता है कि जहां मीटर जांच करने जायेगी वह स्वतंत्र प्रयोगशाला होगी और यह मीटर जाती कहां है? उसी बिजली विभाग में जाती है, उसी बिजली विभाग के अधिकारी उसकी जांच करते हैं यानि जो संविधान की व्यवस्थापित मान्यता है कि एक व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। उसके विरुद्ध बिजली विभाग आरोप लगाता है और बिजली विभाग तय करता है कि तुम चोर हो। जब हर शहर में पॉलीटेक्निक उपलब्ध हैं, बहुत से पॉलीटेक्निक एक्सपर्ट उपलब्ध हैं, इंजीनियरिंग कालेज उपलब्ध हैं आप उसके इलेक्ट्रिक विभाग को जिम्मा दे सकते हैं कि जितने मीटर आयेंगे आप स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में जांच करिये।

आप जो डेट तय करेंगें उस डेट को बिजली विभाग भी जायेगा और उपभोक्ता भी जायेंगें, दोनों के सामने जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी। चोर है, तो जो सजा है वह पाये और नहीं है तो शोषण करके लो, यह तो अस्वीकार है अधिष्ठाता महोदय। तीसरी चीज आपने मीटर काट दिया और अपना चेक मीटर लगा दिया। आप भी कहीं रहते हैं अधिष्ठाता महोदय, और हम भी कहीं रहते हैं। किसी ने आपको कभी नहीं दिखाया कि जो चेक मीटर वह लगा रहे हैं वह सही है कि नहीं। लगाने वालों का काम क्या यह नहीं होता अधिष्ठाता महोदय कि जिस घर में वह चेक मीटर लगा रहे हैं अगर दस मिनट उसको चला दें तो सबको पता है कि चेक मीटर में एक किलोवाट आवर की बिजली एक घंटे में उठेगी, आप दस मिनट चलाकर दिखा दीजिये उसका 1/6 हिस्सा उठ गया यानि चेक मीटर सही है, हम उसको लगवा लेंगे। आपने चेक मीटर लगवाया जो तेज चल रहा था और बाद में आपने कहा कि आपके चेक मीटर ने यह रीडिंग दे दी इसलिये तुमने इतने अधिक की चोरी की।

यह कौन सा खेल है? क्या यह नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन है कि नहीं? मान्यवर, इसी तरह से यह बात मैं कह रहा हूं कि निर्धारण शुल्क और एरियर में अंतर होता है। माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, बहुत बेहतर तरीके से मेरी बात को ताकीद कर सकते हैं। निर्धारण और एरियर में अंतर होता है। यह जो हम निर्धारण कर रहे हैं 3–3 लाख रुपये का, हम यह एरियर के रूप में कर रहे हैं । एरियर के रूप में करने के नाते जो उनको छूट मिल सकती थी मान्यवर वह उनको नहीं मिलती और वह छूट छोटी मोटी नहीं होती है। अगर आपने 3 लाख रुपये का निर्धारण कर दिया तो वह छूट कम से कम 3,4,5 हजार तक जायेगी। यह छूट भी जो नागरिकों का अधिकार था, यह विभाग उनसे छीन ले रहा है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, कहना चाहिए मुझे लगता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बिजली विभाग के जितने कर्मचारी हैं उनको आपने एक निश्चित मानक दे दिया।

आप उन्हें अन्य मीटर सप्लाई देना चाहते हैं हम उसका समर्थन करते हैं चलिये लेकिन आपने किया क्या? एक 300 रुपये क्लास–4, 370 रुपये क्लास थर्ड, 600 रुपये जे0ई0, 780 रुपये ए0ई0, 830 रुपये एक्सई0एन, 1160 रुपये एस0ई0 और 1300 रुपये । कभी आपने जानने की कोशिश की कि यह जो छूट उन्हें दी गई है उसके बदले में वह कितनी बिजली चला रहे है? प्राविधान यह है कि अगर उनके घर ए0सी0 लगे हों तो हर ए0सी0 550 रुपये लिया जाय। कभी आपने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हर बिजली के छोटे से छोटे कर्मचारी के घर ए0सी0 लगा होता है। क्या वह कभी ए0सी0 का बिल अदा कर रहा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि प्रदेश के सभी विद्युत कर्मियों को सिर्फ एक घर में निःशुल्क बिजली देने की छूट है .....

(इस समय 1 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

एक ही शहर में या प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उसके पास कितने घर हैं और कितनी जगह पर सिर्फ बाहर लिख देते हैं कि– पावर कारपोरेशन, उसकी कोई जांच करने नहीं जा रहा है क्या यह बिजली की चोरी नहीं है। क्या सरकार को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, मीटर के अन्दर संट होता है मतलब प्रतिरोधक, कोई इन अधिकारियों से पूछे कि सील टूटी नहीं है तो संट गया कैसे? सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि ऐसा कोई मीटर नहीं होता है जिसमें प्रतिरोधक न लगा हो। प्रतिरोधक आप लगाते हैं नागरिक तो जानता नहीं है उसके बाद वह दूर से दिखाते हैं कि संट लगा है और संट लगाने के नाम पर आप उस पर विद्युत की चोरी का आरोप लगा देते हैं और एफ0आई0आर करने की धमकी देते हैं और जितनी चाहे वसूली करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, बेईमानी की सीमा क्या है। कानूनी कार्यवाही कराना चाहते हैं आपने ऐसी एफ0आई0आर0 सुनी है जिसमें एक एफ0आई0आर0 में दस–दस उपभोक्ताओं के नाम डाल दिए जाते हैं। अगर यह लोग भ्रष्ट और बेईमान लोगों को दंडित करने की इच्छा रखते होते तो ईमानदारी के साथ एफ0आई0आर0 कराते। एक–एक एफ0आई0आर0 में माननीय अध्यक्ष जी, दस–दस उपभोक्ताओं के नाम लिख दिए जाते हैं

जिससे कि यह सारे केसेज कानूनी पचड़ों में पड़कर समाप्त हो जाए और उसके बाद सेटिंग कर ली जाए। मान्यवर, एक कुटीर ज्योति योजना चलती थी मैं एक स्पेसिफिक केस लेकर आया हूं गोरखपुर का, मान्यवर, 1997 में योजना शुरू हुई और नियम यह बनाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बल्व होगा तो 12/—रुपये प्रतिमाह और तीन बल्व अगर होंगे तो अधिकतम 18/—रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। 1997 की योजना थी और अब 2014 में मान्यवर, कन्ज्यूमर को 49000/—रुपये का बिल भेज दिया गया।

एक देहाती गरीब बेचारा जिसके पास अपने खर्चे के पैसे नहीं हैं जिसे हमने कहा था कि तुम्हें 12 रुपये पेमेन्ट करना है जब उसके पास 49000/—रुपये का बिल आया तो अध्यक्ष जी आप भी समझ सकते हैं कि वह उस बिल की अदायगी कहां से करेगा। जब वह अधिकारियों से मिलने गया तो मेरे पास अधिकारियों के लिखित बयान हैं उसको बताया गया कि कुटीर ज्योति योजना 2005 से समाप्त कर दी गई है और यह पूरी तरह असत्य है। कुटीर ज्याति योजना कभी भी समाप्त नहीं हुई। 2005 तक यथावत चलती रही और 2005 के बाद राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में इसे समाहित कर दिया गया और दो हजार में योजना समाप्त कर दी गई और इसकी नोटिस दे करके उससे 49000/—रुपये का बिल मांग लिया गया। यह अधिकार उस ग्रामीण का था कि अगर वह 12 रुपये का पेमेन्ट कर पाता इसलिए उसने कनेक्शन लिया था अगर उसे पता होता तो बिल 49000/रुपये का आएगा तो वह अपना कनेक्शन कटवा देता।

आपने उससे पूछे बगैर उसका बिल बदल दिया सामान्य बिल में कन्वर्ट कर दिया। मीटर के सारे खर्चे जोड़ते हुए 49000/—रुपये का बिल दे दिया। मैं अपना विषय समाप्त कर रहा हूं सिर्फ इस आग्रह के साथ, यह विषय मेरा नहीं है यह विषय सरकार का है क्योंकि इससे नुकसान अध्यक्ष महोदय हमारा नहीं होगा, सरकार का होगा। जो आक्रोश पूरे प्रदेश में पनप रहा है बेहतर होता कि सरकार में बैठे हुए लोग उस जनाक्रोश को देख लेते। जिस प्रकार से उनको बदनाम करने का खेल खेल रहे हैं उस पर नियंत्रण लगा लेते वरना आने वाले समय में यह जो स्वभाविक और वैधानिक आक्रोश है उसका खामियाजा न भुगतना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। सरकार की तरफ से कोई बोलेगी ? संसदीय कार्य मंत्री जी इनका कहना है कि जो बिजली की वसूली हो रही है इसमें ज्यादती हो रही है इसके संबंध में आप कुछ कहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, बिल्कुल पारदर्शी होगी। वसूली हो न हो ताकि राजनैतिक बेचैनी हो। देखिये, बिजली सरकार देती है, कटिया से भी देती है और बिल से भी देती है और गरीबों को भी देती है और बगैर पैसे के उनका पम्प चलाती है, क्योंकि जो भी खजाना है वह गरीबों का, मेहनतकशों का, किसानों का है। सरकार जो भी नीति रखेगी वह समाज की भलाई के लिये रखेगी और जाहिर है कि वसूलियां भी की जायेंगी, लेकिन उन वसूलियों में कोई दहशत, कोई नाइंसाफी और कोई ज्यादती नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

नियम–56 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण हेतु दो सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 अरूण कुमार की राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षक, डा0 राम दुलारे द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर, 2014 की रात्रि को भगवान श्रीराम एवं हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति चोरी के उपरान्त पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं– श्री सतीश महाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री पंकज गुप्ता, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, कु0 कौशल सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्री दलजीत सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री नदीम जावेद, श्री वीरपाल राठी, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री महावीर सिंह राणा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री रामचन्द्र यादव, श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री दिलनवाज खां, श्री राधेश्याम।

ख्समय 1.07, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–02 आवास विभाग

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव) –

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,68,09,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, आज हम आवास विकास का महत्वपूर्ण बजट बहुत सुविधाओं के साथ बढ़ती हुयी आबादी, बढ़ते हुये शहर और इस बढ़ती हुयी आबादी और बढ़ते हुये शहर में और आवासीय सुविधाओं के साथ मध्यम वर्ग के लोगों के लिये, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिये और यातायात की सुविधाओं के साथ यातायात में निहित सुविधाओं में सुधार हमारी सरकार ने किया है और पर्यावरण अच्छा रहे, वृक्षारोपण भी हो। जो भी नयी कालोनियां बनें और नयी कालोनियों में सड़कों की भी अच्छी व्यवस्था हो। गिरते हुये पानी का जल संरक्षण भी बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को ले करके आवास विकास का जो महत्वपूर्ण बजट है और आवास विकास के इस बजट में महत्वपूर्ण नीतियॉ भी जरूरी थीं तो उन महत्वपूर्ण नीतियों के साथ आज हम आवास विकास का बजट लाये हैं और प्रयास भी किया है। हमारी सरकार ने इन तीन सालों में प्रयास भी किया है कि हमारी सरकार में इस प्रदेश के, इस शहर के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधायें मिलें।

इसलिये हम यह महत्वपूर्ण बजट लाये हैं। नयी राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति– प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के संतुलित, सुनियोजित एवं सुस्थिर विकास तथा समाज के समस्त वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार विकसित भूमि, आवास, रोजगार के अवसर एवं स्वास्थ्यकर पर्यावरण आदि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'राज्य शहरी आवास

एवं पर्यावास नीति–2014, शासनादेश संख्या–455/आठ–1–14–129 विविध/2012, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत की गयी है।

इस नीति से प्रदेश के नागरिकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई दिशा मिलेगी। नई आवास नीति के क्रियान्वयन हेतु अधिकांश शासनादेश निर्गत कर दिए गए हैं तथा उक्त हेतु विकास शुल्क नियमावली, नगरीय विकास प्रभार नियमावली तथा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क नियमावली भी निर्गत कर दी गयी है। अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के माध्यम से निम्न–मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक क्षमता अनुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अफोर्डेबल हाउसिंग नीति जारी की गई है। इस नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है। समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 02 कमरे, रसोईघर, बाथरूम, शौचालय एवं बालकनी की सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका कारपेट एरिया 75 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा तथा लागत रु0 15 से 30 लाख के अन्तर्गत होगी। इस योजना का क्रियान्वयन निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कराया जायेगा। योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार तथा विकास प्राधिकरणों/उत्तर प्रदेश आवास एवं परिषद् के नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा फैसिलिटेटर एवं रेगुलेटर की भूमिका निभाई जायेगी।

योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 05 एकड़ एवं अधिकतम 100 एकड़ भूमि हो सकती है, जिसकी व्यवस्था उपयुक्त स्थलों पर निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जायेगी। विकसित योजनाओं की सेवाओं का रख–रखाव स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण होने तक सम्बन्धित विकासकर्ता/शासकीय अभिकरण द्वारा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत अगले 02 वर्षों में लगभग 03 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण किए जाने का प्रयास किया जायेगा। नजूल भूमि एवं पट्टागत भूमि को फ्री–होल्ड किए जाने की नीति– नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और इसके निस्तारण तथा फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में नजूल भूमि नीति–2014 तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी प्रकार की पट्टागत भूमि को फ्री–होल्ड करने के लिए नई नीति बनायी जा चुकी है। जिससे एक तरफ अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण होगा, साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में आबादी की वृद्धि व उन्हें समुचित आवास उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के माध्यम से सभी प्रकार के अवस्थापना सुविधाओं युक्त इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स विकसित किए जाने हेतु हाईटेक, इन्टीग्रेटेड एवं पुनर्निरीक्षित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीतियां निर्गत की गयी हैं, जिसके सापेक्ष विभिन्न टाउनशिप्स विकसित किये जा रहे हैं। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत कुल रु0 5126 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है तथा तथा 31 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में भी कुल रु0 5248 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

हाईटेक और इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में 372 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का निर्माण किया जा चुका है तथा 14625 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 आवास निर्माणाधीन हैं। सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी योजनाओं में गरीब

पात्र व्यक्तियों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3138/आठ–1–13–80 विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा दुर्बल आय/अल्प आय वर्ग हेतु भवनों के अनिवार्य निर्माण हेतु निर्गत नई नीति का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु बजट में व्यवस्था की गयी है। लखनऊ मेट्रो रेल के निर्माण के लिए 425 करोड़ का प्राविधान किया गया है। गोमती नगर में जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 600 करोड़। सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण 25 करोड़। संस्कृति स्कूल लखनऊ के निर्माण हेतु 5 करोड़। स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि का प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन, भत्ते आदि के लिए 116 करोड़ का प्रावधान। अंतराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश 1.50 लाख। इस तरह से 1372.50 लाख का प्रावधान करके इतने महत्वपूर्ण तथा इतनी सुविधाओं से इस प्रदेश के विकास के लिए जो बजट आया है हमारा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सकारात्मक सुझाव देते हुए इस महत्वपूर्ण जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है जिसके लिए यह बजट हम लाए हैं उसको सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सतीश महाना जी आप कटौती का प्रस्ताव रखें।

ख्समय 1.18, 'श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मा0 अध्यक्ष जी यह चौथा बजट प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बात सच है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वह मा0 मुख्य मंत्री जी अपने पास रखते हैं जिससे उनकी सही तरह से चिन्ता हो सके। मैं इस बात को अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले कहना भी चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर चिन्तित भी रहते हैं क्योंकि मेरी उनसे कई बार बातचीत भी हुई है। चार बार यह बजट आदरणीय वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह जी ने रखा। चारों बार मेरा एक ही अनुरोध था कि जिस बजट को आप रख रहे हैं क्या उस बजट के बारे में आपको जानकारी है ? जानकारी का मतलब क्या आपके पास समय है कि आप उसकी समीक्षा कर सकें।

आपकी वरिष्ठता आपकी धमक के बारे में किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। चूंकि आवास विभाग का बजट है मैंने पिछली बार कहा था रिकार्ड में है मैंने पूछा था कि पिछली बार से लेकर इस बार आपने आवास विभाग का बजट रखा है क्या आपने कभी उसकी समीक्षा की। मैंने स्वयं उसका उत्तर दिया था 'नहीं'। फिर वही प्रश्न आज दोबारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खड़ा होता है कि चौथी बार आप बजट रख रहे हैं तो तीन सालों में आपने जो कुछ यहां कहा क्या आपने स्वयं उसकी समीक्षा की ? उसका उत्तर है 'नहीं'। सौभाग्य की बात है कि आज यहां मुख्य मंत्री जी हैं। पिछली बार बजट पर मैंने व्यक्तिगत रूप से जा कर निवेदन करके यह कहा था कि आप भी रहें। लेकिन उस दिन एक दुर्घटना हो गई थी आप चले गए थे। मा0 शिवपाल जी के लिए पूरा आदर रखते हुए क्योंकि यह काम सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम है आपने अभी जब बजट भाषण देने के लिए शुरुआत की तो आपने कहा कि यातायात की सुविधाओं को आपने बोला जो कुछ आपने बोला मैं कह रहा हूं जहां पर गलती हो आप मुझे कह सकते हैं कि यह नहीं है।

यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह बजट दिया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह बजट दिया गया है। जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह बजट दिया गया है। सड़क की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बजट दिया गया है। जो मुख्य बात है जिसके लिए आवास विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ था वह आपने नहीं किया। शहरों की बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए एक मास्टर प्लान बने और उसके हिसाब से टाउन प्लानिंग होती है उसके अनुरूप शहरों में हर चीज व्यवस्थित हो और आवास विभाग और आवास विकास परिषद् के द्वारा अधिक संख्या में शहरी आबादी के लिए मकान बनाये जायें उसके लिए इस विभाग का गठन हुआ था वह शायद आपकी प्रियारिटी में नहीं था आपने बताया भी नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, आवास विभाग के कार्य–कलाप क्या हैं। पर्यावरण उसका एक पार्ट हो सकता है, सड़क बनाना उसके महत्वपूर्ण अंग हो सकते हैं। आज की तारीख में भी बहुत सी कालोनी इस तरह से डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं कि कानपुर में आवास विकास परिषद् के द्वारा कालोनियॉ आज भी बन रही हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने उनको फोन करके पूछा कि सीवर और पानी की लाइन का काम आप साथ में करेंगे ? तो उन्होंने कहा कि उसकी योजना बन रही है और मकान बनाने की योजना पहले शुरू हो गयी। किसी भी प्लानिंग में यदि आप पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे। आप पहले मकान बनाकर खड़े कर दोगे तो जो आज विकास प्राधिकरण की कालोनियों के अंदर जो समस्या है वह बनी रहेगी।

मान्यवर, शहरों की बढ़ती हुयी आबादी को लेकर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा। चिंता इतनी है लेकिन अनुश्रवण कुछ नहीं है। मानीटरिंग कुछ नहीं है। मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है तो उसकी सबसे ज्यादा मानीटरिंग होनी चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत यहां से की कि यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये यह मा0 मुख्य मंत्री जी के पास है। मान्यवर, टाउन प्लानिंग किस प्रकार से हो रही है। मान्यवर, एक बहुत बड़ी कालोनी बनी है एक लाख से ज्यादा की आबादी होगी। प्लानिंग में वहां पर सरकारी अस्पताल के लिए जगह नहीं है। किसी भी स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाना हो तो बिजली के लिए ट्रांसफार्मर रखने की जगह नहीं है। जिसके घर के सामने लगा है वह कहता है कि मेरे घर के सामने क्यों लगा रहे हो। वहां पर सब्जी बेचने वालों के लिए छोटी सी जगह की व्यवस्था नहीं की गयी है वह सड़क किनारे लगाते हैं तो उन्हें

भगा दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से सड़क जाम होती है तो भगाना चाहिए। लेकिन इनके लिए व्यवस्था कहां करेंगे। पुलिस चौकी, थाना एक्स्टेंशन के हिसाब से खोलना है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। वह मजबूरी में सड़क के ऊपर बन जाता है। तो जब टाउन प्लानिंग नहीं होगी तो मान्यवर, इस विभाग का मतलब समाप्त हो जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो शहरों की आबादी बढ़ रही है आउट्सकर्ट्स में । मान्यवर, महानगरों की आधी से ज्यादा आबादी आउट्सकर्ट्स में आकर बस गयी हैं और बहुत वर्षों से बस गयी है। और इसलिए बस गयी है कि हमने उतनी बड़ी संख्या में मकान उपलब्ध ही नहीं कराये। तो किसी भू–माफिया ने अपने खेत काटकर उसको बेच दिया । सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसका सहयोग कर दिया। वह जिंदगी भर की कमाई लगाकर 100–200 गज लेकर वह वहां रहने को मजबूर हुआ। जहां पर पानी, सीवर, सड़क, बिजली नहीं है। एक दिन बारिश हो जाय तो दो महीने तक वह घर नहीं जा सकता। यह सत्य है। माननीय अध्यक्ष जी, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। मैं 2015–16 की बजट पुस्तिका में यह ढूंढ रहा था। मुझे कहीं नहीं मिला कि इस साल आपने कितने ई0डब्ल्यू0एस0 मकान बनाये हैं। कितने आपने एल0आई0जी0 बनाये हैं, कितने आपने एम0आई0जी0 बनाये हैं। मान्यवर, यह कहीं नहीं मिला, यह नहीं है इसमें। और इसके अलावा कोई साहित्य भी नहीं मिला कि दूसरी पुस्तिका में हो। फिर मैंने ढूंढ़ा कि मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में कुछ मिलेगा। इसमें कुछ मिलेगा, मुझे मिला। बजट भाषण 2015–16 जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया उसमें पेज नम्बर 36 पर मिला कि सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2014 तक सबके लिए आवास होगा। माह दिसम्बर, 2014 तक 3578 मकान बनेंगे सभी श्रेणियों के। जितने जिले हैं उनमें 50 मकान भी एक जिले में नहीं आयेंगें। इस पुस्तिका में तो था ही नहीं, बड़ी मेहनत कर ढूढने पर यह मिला।

माननीय अध्यक्ष जी, जब गम्भीरता को नहीं समझा जायेगा और इस तरह की टीका–टिप्पणी की जायेगी तो हम समझ सकते है कि बजट के लिए कितना महत्व है और विशेष रूप से जो बगल में मंत्री बैठे हैं वह भी टीका–टिप्पणी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बताते हैं कि लाखों की संख्या में मकान बना देंगें, रिजल्ट क्या है ? सरकार बता रही है कि 3000 मकान आप बनायेंगे। 50 मकान भी प्रत्येक जिले के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक 40 प्रतिशत से ज्यादा शहरों की आबादी होगी। आप हाउसिंग पालिसी लायें है, माननीय मंत्री जी आप जो 2014 हाउसिंग पालिसी लाये हैं, जिसका आपने जिक्र किया, क्या उसमें आमूल–चूल परिवर्तन कर दिया आपने ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरा विश्व घूमा हुआ है, इनको पता है कि कई बड़े देशों में जाओं तो 150 मन्जिला, 60 मन्जिला 100 मन्जिला बिल्डिंग होती है। यहां 1.25 एफ0ए0आर0 है यानी फ्लोर एरिया रेशियो मान्यवर, 1.25 से 1.5 उसमें कौन सी आपने बढ़ोत्तरी कर दी ? नहीं की है। आपने कह रहे है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, आउट्सकर्ट्स के अन्तर्गत एफ0ए0आर0 भी नहीं है। आउट्सकर्टस में आपके पास जमीन नहीं है। पिछले दिनों एक नई लैण्ड एक्यूजीशन पालिसी आयी है अभी इस पर चर्चा चल रही है। जमीन के दाम जो किसान के वर्तमान सर्किल रेट है, सर्किल रेट पर सरकार जमीन बेचती है। वर्तमान जो पालिसी है जमीन अधिग्रहण की, उसके हिसाब से

आउट्सकर्टस में आपको 04 गुना दाम आपको देना पड़ेगा तब आप उस लैण्ड को एक्वायर कर सकेंगे और शहरी क्षेत्र में 02 गुना दाम देना पड़ेगा। लैण्ड बैंक, विकास प्राधिकरण के पास है नहीं और जमीन एक्वायर करने की जो स्थिति है उसके अन्तर्गत इतना पैसा आपका लग जाना है जिसमें आम आदमी के, उपभोक्ता के, उससे जो मकान बनाना चाहता है उससे उसकी रीच के बारे में और डिपार्टमेन्ट भी जिस समय उसको कलकुलेट करता है मैं आपको सत्य जानकारी देना चाहता हूं अगर आप मकान बना रहे हैं आप यह जो पालिसी लायें है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो पहले कांशी राम जी आवास के नाम से थी, आपने उसको बन्द कर दिया। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने विधान सभा में इस बात को स्वीकारा कि बहुत खराब मकान बने थे, और यह सच है। लेकिन जो आप उसका नाम परिवर्तित करके मकान बना रहे है, आप जानकारी कर लीजिये जहां मकानों की कमी है, लोगों को मकान नहीं मिल रहे। यह मल्टीस्टोरी मकान जो बना रहे हैं जितने आप मकान बना रहे हैं उतनी आपके पास एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन न होने का कारण है कि आपकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने कहा कि हम 75 स्कवायर मीटर के अन्तर्गत बना रहे हैं, आपने कीमत रखी 15 से 30 लाख। जो गरीब आदमी के लिए मकान बना रहे हैं उसकी कीमत है 15 से 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपये का मतलब हुआ 40 हजार रुपये गज की जमीन।

श्री अध्यक्ष–

कुछ सुझाव दीजिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सुझाव ही दे रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, अगर महाना जी अन्यथा न लें, इसमें कोई शक नहीं संजीदा बात करते हैं और जो बातें कहीं हैं, सबमें बल है, एक आपकी नीति है केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी स्कीम, अगर उसका कोई खाका आप दे दें, तो हमे भी उससे सीखने का मौका मिलेगा और जो संशोधन करने होंगे, उस पर सरकार विचार कर लेगी और यह भी जानकारी मिल जाती कि कानपुर पर कृपा हुई या नहीं हुई स्मार्ट सिटी की।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान मंत्री हैं, मान्यवर, यह मैंने इसीलिए किया था ताकि थोड़ा माहौल अच्छा हो जाय। क्या मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को यह पता है कि अगर कानपुर महानगर को कुछ लेना–देना हो तो बिना केन्द्र के उत्तर प्रदेश सरकार से सीधा कुछ डायरेक्ट देने का भी प्राविधान है। अगर होगा तो मुझे बतायेंगे, नहीं तो फिर मैं उसमें प्रयास करूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिये बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो राज्य सरकार अपने तौर पर भी चलाती है, मिसाल के तौर पर जे0एन0एन0यू0आर0एम0 थी, भारत सरकार चलाती थी, आपने उसे

बन्द कर दिया, लेकिन उससे विडम्बना क्या हुई, कहीं 20 प्रतिशत काम हो गया था, कहीं 40 प्रतिशत, कहीं 60 प्रतिशत, कहीं 80 प्रतिशत और कहीं 98–99 प्रतिशत । आपके बन्द कर देने से पूरे भारत वर्ष के उन मेहनतकश लोगों का पैसा बरबाद चला गया। तो ये एक ऐसी विडम्बना है, राजनैतिक विडम्बना, इतना बड़ा अन्याय है उस पैसे के साथ, जो पैसा राष्ट्र का है, किसी व्यक्ति का, किसी राजनैतिक दल का नहीं है, लेकिन हमने किसी भी, मा0 नेता सदन यहां बैठे हैं, तमाम स्कीम्स का पैसा आपकी तरफ से जारी हो रहा है और हम कोई भी जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की स्कीम को नहीं रोकेंगे। उन्हें शतप्रतिशत पूरा करने जा रहे हैं, एक बात। दूसरे, ये मेट्रो ट्रेन की कृपा आपकी तरफ से अगर इतनी हो जाय कि उसकी इजाजत मिल जाय, इंजन का ड्राईवर मिल जाय, तो ट्रेन और पटरी तो हम बनवा ही देंगे।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी अब बोल कर जल्दी खत्म कर दें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो बात आयेगी तो फिर दूर तलक जायेगी जिस जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की आप बात कर रहे हैं, जिस जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के ओवर हेड टैंक बनाकर आपने कहा कि वह सारे झूल रहे हैं, सारे गिरवाने की स्थिति में हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

महाना जी, आपसे यह उम्मीद नहीं है, आपसे बेईमानी की उम्मीद नहीं है, आप सच बोलिये, देखिये हमारा आपका झगड़ा मंहगा हो जायेगा।

श्री सतीश महाना–

यह हो ही नहीं सकता, मैं आपसे झगड़ करूंगा ही नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वह तो भाई सजल योजना थी।

श्री सतीश महाना–

हां, मुझे कहने तो दीजिए, पूरी बात तो आने दीजिए, अगर कुछ लोग पाप करेंगे, कब तक चलेगा। पाप को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, सुझाव दीजिए, बहुत सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, सबके नाम आ गये हैं।

श्री सतीश महाना–

आप तो कृपा पूर्वक बहुत देर तक हाऊस चलाते हैं, चलिये मान्यवर मैं आपकी बात मानता हूं, सुझाव यह है मा0 मुख्य मंत्री जी कि कुछ अख्तियार बढ़ाने की बात है। यह जो इन्होंने इण्टीग्रेटेड टाउनशिप की बात कही, यह केवल बड़े आदमियों के लाभ के लिए है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नेता सदन जानना चाह रहे हैं, कुछ तो मेट्रो पर कह दीजिए।

श्री सतीश महाना–

मैं अभी उस पर भी आ रहा हूं। मान्यवर, इण्टीग्रेटेड टाउनशिप जो लोग बना रहे हैं, वह लोग दो करोड़, तीन करोड़, चार करोड़ रुपये का पैक बनाकर दे रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

नहीं ऐसा नहीं है।

श्री सतीश महाना–

कानपुर महानगर के अन्दर, मान्यवर अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कहें तो मैं नाम ले लेता हूं, कानपुर महानगर के अन्तर्गत मान्यवर, लक्ष्मणबाग में जो बन रहे हैं, उसको नियमों के विपरीत जाकर आपने 1.25 से 2.5 का अख्तियार दे दिया और तीन से चार करोड़ रुपये का मान्यवर वह फ्लैट दे रहे हैं, वह आपके इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति से मेरी व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, मैं पॉलिसी के ऊपर यहां बोलने के लिए खड़ा हूं। सरकार की आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को भी यह कहूं कि आप इसमें इन्वाल्व हैं, मेरा किसी के प्रति भी कोई नकारात्मक भाव नहीं है। केवल उस विभाग के ऊपर और उस विभाग से मैं क्या निकाल सकता हूं, मुख्य मंत्री जी उपस्थिति का क्या लाभ ले सकता हूं, केवल मुझे यही है। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपने कई बार इस बात को कहा है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में जो बिल्डिंग सीज हैं, गलत हैं लेकिन अगर 500–600 बिल्डिंग सीज कर देंगे। मैं आपको लीगल में बता रहा हूं कि जितने प्रतिशत इटावा में होंगे, उससे थोड़े ज्यादा कानपुर में होंगे। अगर मैं कानपुर की बात करूं।

श्री अखिलेश यादव–

जब आप कानपुर की बात कर रहे हो तो कानपुर की बात करिये। आप कह रहे हैं कि एफ0ए0आर0 बढ़ना चाहिये, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग से टाउनशिप बननी चाहिये, आप चाहते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो कुछ सुझाव तो आये या स्मार्ट सिटी की तरह जनता को फिर गुमराह कर रहे हो आप ? मेट्रो के लिये पूछा है मैंने। मेट्रो का डी0पी0आर0 आपके यहां भी बन रहा है। जहां मेट्रो शुरू नहीं हो पाई इस देश में, वहां तो आप सब कुछ कर रहे हो। लखनऊ आते होंगे आप रास्ते में तो आज कुछ दिख रहा है आपको। आपका सहयोग कितना है उसमें और आपका सहयोग कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, हमारा सहयोग है न। ये कह रहे हैं कि देख रहे हो, हम कह रहे हैं कि देख रहे हैं, बिना देखे हमारा सहयोग कैसे है ?

श्री अखिलेश यादव–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूछ रहा था कि कुछ सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा।

श्री सतीश महाना–

आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हो तो हम कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हो ?

श्री अखिलेश यादव–

आप कानपुर का यह भी बता दें कि इन्होंने कहीं लीगल बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग देखी हो तो बता दें।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी लैण्ड एक्विजीशन पालिसीज की बात आई।

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, लैण्ड एक्विजीशन पर तो आपको बात नहीं करनी चाहिये। जिस तरह का ऑर्डिनेन्स और जिस तरह का कानून आ रहा है तो आपको चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, जो स्टेट के द्वारा लैण्ड एक्विजीशन पालिसी बनाई गई है उसमें स्टेट के द्वारा यह कहा गया है, कि जो बहुफसली खेती है उसका 20 प्रतिशत ये एक्वायर कर सकते हैं। मान्यवर, टोटल 40 प्रतिशत बहुफसली खेती है जिसमें से 50 परसेण्ट ये एक्वायर करने के लिये तैयार हैं और मैं लैण्ड एक्विजीशन पालिसी के ऊपर तो बोल ही नहीं रहा। मैं यह कह रहा हूं कि 4 गुना दाम देने के लिये ये वहां पर तय किया जिसके ऊपर आप भी सहमत हैं और गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ने भी उसमें रखा हुआ है। गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ने भी कहा है कि 4 प्रतिशत देंगे।

श्री अखिलेश यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने या तो लैण्ड एक्विजीशन ऐक्ट पढ़ा नहीं है। विरोध क्यों हैं पूरे देश में आखिरकार। किस कारण की वजह से विरोध है ? यह भी जानकारी सदन को दे दें। मा0 अध्यक्ष महादेय, मैं मा0 सदस्य से कहूंगा कि कानपुर का कुछ सुझाव ऐसा दे दें और मैं खुद इस चीज को महसूस करता हूं कि जिस तरह से शहर बस रहे हैं ये ठीक शहर नहीं बस रहे। आपकी टाउन प्लानिंग हो, आपके मास्टर प्लान्स बनें, एफ0ए0आर0 कितना, क्या हो। इस पर रास्ता निकाल रही है सरकार क्योंकि शहर आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, आबादी कितनी है शहर की। यह प्रदेश तो ऐसा है कि ग्राम प्रधान भी कई बार नक्शे पास कर देता है। कई जगह ऐसी हैं। बहुत जगह जिला पंचायतें नक्शा पास कर रही हैं। अगर कोई ऐसा सुझाव है आपके पास क्योंकि मा0 सदस्य आप बहुत सीनियर हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मैंने दुनिया घूमी है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने दुनिया में कुछ शहर न देखे हों।

आपको अगर चण्डीगढ़ अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा कि मा0 सदस्य बतायें ताकि हमारे यहां भी कोई चण्डीगढ़ बन जाये। अच्छा अगर इण्टीग्रेटेड टाउनशिप लाये हैं, हाईटेक सिटी लाये हैं तो वह हमारी जमीन पर तो दिखाई दे रही है। महंगाई का कारण अलग है, जमीन की महंगाई का कारण अलग है। मा0 सदस्य ये तो जानते होंगे कि जमीन की रजिस्ट्री नम्बर एक और नम्बर दो में होती है। मा0 सदस्य अगर इस बात को न जानते हों तो बता दें और फिर काले धन की बहस तो बहस लगती है लेकिन हम संकल्प तो लें काले धन का। काले धन की बात बहस में तो अच्छी लगती है लेकिन ये बताइयेगा कि रजिस्ट्रियां क्या नम्बर एक और नम्बर दो में नहीं हो रही हैं। ये सस्ते घर कैसे उपलब्ध हों, हमारे बगल में मा0 मंत्री जी बैठे हैं, वे भी चाहते हैं कि नगर क्षेत्र में सस्ते घर उपलब्ध हों। हम लोगों की भी कोशिश है कि नगर क्षेत्र में और कैसे बन सकें। अध्यक्ष जी, आबादी शहर में न आये इसीलिये लोहिया आवास हम तीन लाख रुपये का दे रहे हैं क्योंकि आबादी कम से कम वहीं पर तो रूके जहां पर है। अगर देश में कहीं कोई गरीब को तीन लाख का आवास दे। हालांकि संख्या पर बहस हो सकती है कि संख्या कितनी है लेकिन लोहिया आवास के माध्यम से अभी हम लोग 1000, 1500 करोड़ रुपया लोन भी ले रहे हैं, कि गांव में तो बन जायें घर। शहरों में आबादी कैसे बसी क्योंकि शहर बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं और यह नहीं सर्विस सेक्टर के साथ–साथ कितने और भी हैं, नोएडा तो बसा दिया मान्यवर, हमने लेकिन कितने लोग और बाहर से आ गए हैं। जहां पर ड्राइवर है, माली है, किचेन में हैं और भी लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में घर देने होंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बहुत अच्छा सुझाव हो। सरकार स्वीकार करेगी आपके सुझाव को, पॉलिसी में लाने के लिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जैसे मुम्बई में थोड़ी–सी जगह है और वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां हॉरीजेन्टल जा रहे हैं। ये मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह जो बात आपने कही है, अगर एफ0ए0आर0 मान्यवर, आप बढ़ा देंगे, हॉरीजेन्टल ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे मान्यवर, क्योंकि जनरली यह कहा जाता है कि उसके लिए हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रेचर नहीं है, विद रिस्पेक्ट सर, जो आउटर स्कर्ट्स में आप जाते हैं आउटर स्कर्ट्स में भी आपको नया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किये तो आप वहां जा नहीं सकते हैं तो जब आपको वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है तब आप इसकी अपग्रेडिंग करके हॉरीजेन्टल बिल्डिंग के लिए एफ0ए0आर0 बढ़ाने का अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है, उसी जमीन पर जब ज्यादा एफ0ए0आर0 मिलेगा तो उसका दाम कम होगा और लोगों को वह मिलेगा। यह महत्वपूर्ण सुझाव है जिसको आप चाहेंगे तो अपनी नई पॉलिसी में ले सकते हैं। जो नई पॉलिसी आपकी गई है, जैसे कि आपने गाजियाबाद के लिए पॉलिसी बनाई। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने जो आपको रिकमेन्ड करके भेजा उसको आपने स्वीकार कर लिया, उन्होंने तीन एफ0ए0आर0 तक का अपना बॉधकर दिया और उनको दे दिया गया और गाजियाबाद दे सकते हैं तो कानपुर महानगर क्यों नहीं दे सकता है, जब कानपुर महानगर दे सकता है, तो कानपुर महानगर को भी दें, जिस प्रकार से गाजियाबाद को दिया गया। एक ही स्टेट के अन्तर्गत

सारी बातें वह आप कर देंगे तो आपका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जायेगा और हाउसिंग पॉलिसी जो आपने बनाई है उसका सार्थक परिणाम निकल कर आएगा। हमारा यह सुझाव है। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है।

श्री अध्यक्ष–

बहुत समय हो गया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय एक महत्वपूर्ण बात है। इस बुक में ये पेज नंबर आठ पर है मान्यवर, यह अनाधिकृत कॉलोनियों के विनियमितीकरण की गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी अवैध कॉलोनियों के बारे में बहुत चिन्तित रहते हैं। मैं भी चिन्तित हूं, सब लोग चिन्तित हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शहरों की 50 परसेंन्ट से ज्यादा आबादी वहां है। मान्यवर, राज्य शहरी आवास नीति के प्राविधान के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण करने हेतु वर्ष 2001 में गाइडलाइन्स जारी की थी। अब मैं उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत हो गया, बाद में कहिएगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह आपने गाइडलाइन्स तैयार कर ली, फिर कोई पॉलिसी बनाइये, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इनको ऑफ लाइन कह दीजिए। आप एक्चुअल्स के ऊपर जाइये, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो कॉलोनियां आउटर स्कर्ट्स में बनी थीं, आज भी वह इल्लीगल कॉलोनी हैं। उसमें दो प्रकार की कॉलोनी हैं एक तो वह हुआ जिसमें एक आदमी ने अपना खेत काटकर बेच दिया और एक वह हैं जिसमें आपकी हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आपका आवास विभाग करता है। जब हाऊसिंग सोसाइटी का उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उस रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस समय वह वहां पर जमीन बेचने के लिए बैठता है और यह कहता है कि मेरी यह सोसाइटी रजिस्टर्ड है आवास विभाग के द्वारा तो फिर वह लोगों को गुमराह करने में सफल हो जाता है कि ''यह है रजिस्टर्ड सोसाइटी'' मैं जो कुछ बेच रहा हूं, वह ठीक बेच रहा हूं। मेरा एक निवेदन है कि जिस दिन हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने उसका ले–आउट प्लान पास करने के लिए बोला, हाउसिंग सोसाइटी पूरा ले–आउट प्लान आवास विभाग के अन्तर्गत देती है। आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, यदि आपने उसे स्वीकार नहीं किया तो वहां पर निर्माण नहीं होने दीजिए। स्वीकार कर लिया तो उसके डेवलपमेंट की जो जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, आप उनके ऊपर दवाब डालेंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा और आउटर स्कर्ट्स में जो इस प्रकार की समस्यायें हैं मान्यवर, जो अवस्थापना सुविधायें नहीं हैं, उससे सारी–की–सारी दूर होंगी।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये। अब बाद में बोलिएगा। अब बहुत समय हो गया है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने आलोचना करनी नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मुझे आलोचना नहीं करनी है, केवल सुझाव देना है। अब मैं आलोचना नहीं करूंगा मान्यवर। आलोचना के लिए मैंने बहुत सारा बना रखा था और आलोचना करने का भाव भी अच्छा था.....

श्री अध्यक्ष–

आपने बहुत समय ले लिया। बहुत समय हो गया, अभी बहुत–से सदस्य बैठे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, ठीक है, बाद में बोल लेंगे।

ख्समय 1.45, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, आपने आवास विभाग के बजट पर जो कटौती रखी गयी है उस पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आवास एक ऐसी आवश्यकता है कि वह प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए ओर जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान उसमें यह आती हैं। आवास को लेकर के गांव से लगाकर शहरों में जिस तरह की आबादी हमारी बढ़ रही है और आवास लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं उसमें सरकार के द्वारा गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करी जाती है उसमें प्रमुख रूप से आवास विकास परिषद् और कुछ प्राधिकरण गठित किये गये हैं जो कि लोगों के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, यह विभाग लोगों की जमीन को एक्वायर करके और वहां पर कालोनियां बनाने का काम कर रहे है। और इसी तरह से अभी जैसे कि बात आई तमाम ऐसी अविकसित कालोनियां है और खास तौर से अभी माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां पंचायतें नक्शा पास कर देती हैं और हमारे प्रदेश के खासकर राजधानी से लगे हुए आस–पास के गांव में इस तरह का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है कि जिला पंचायतें इनकी मुहर लगाकर नक्शा पास कराकर कालोनियां बनाने का लोग काम कर रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर यह काम चल रहा है।

तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि लाभ लेने के बाद उनको कोई अवस्थापना सुविधा नहीं मिल रही है। वहां पर सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, बिजली नहीं है ऐसे जो बहुत तेजी के साथ तमाम डेवलपर काम कर रहे हैं उन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है और विशेषकर जो लोग पैसे वाले हैं जिनके पास पैसा है तो वह अपने मकान की व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में जो गरीब लोग हैं चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में रहते हों उनके आवास की चिन्ता यहां पर करनी चाहिए उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए । इसी कड़ी में गांव में बीपीएल के लिए आवास की व्यवस्था है लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते परन्तु वह ऐसे गरीब हैं कि वह बेचारे अपनी छत नहीं बना सकते उनके लिए आवास की व्यवस्था के बारे में यहां चिन्ता होनी चाहिए । मान्यवर, जैसा कि अभी मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना की भी बात आई यह योजना वाकई में एक ऐसी नायाब योजना थी कि

शहरों में नगर पंचायतों में, नगरपालिकाओं में रहने वाले कमजोर गरीब लोग जो शायद कभी अपनी छत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे ऐसे लोगों को वहां रहने के लिए आवास बने और वह वहां रह भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर ध्यान दे और बगैर राजनीतिक सोच के उन कमजोरों के लिए जो अधिक से अधिक सुविधा दी जा सकती है उन सुविधाओं को वहां मुहैया कराने का काम करे।

मान्यवर, लखनऊ के अन्दर आज आवास विकास परिषद् और लखनऊ विकास प्राधिकरण आवास बनाने का काम करता है कालोनियां बनाने का काम करता है आज लखनऊ में मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों का जाल फैला हुआ है पूरी तरह से लेकिन इसके साथ एक दूसरा जो कारोबार चल रहा है अवैध निर्माण का अवैध निर्माण चाहे वह रेजीडेन्शियल काम्पलेक्स हों और चाहे वह व्यावसायिक काम्पलेक्स हों। इसमें इतनी तेजी आई है कि सरकार के द्वारा प्राधिकरण के द्वारा कुछ को सील करने की कार्यवाही की गयी और कुछ को आज सील किया कल खोल दिया। मान्यवर, यह जो अवैध काम्पलेक्स बन रहे हैं कालोनियों के अन्दर जहां के लोग आवासीय मकान ले करके प्लाट लेकर के रह रहे हैं और वहां पर बगल में एक रेजीडेन्शियल काम्पलेक्स बना दिया गया, व्यावसायिक काम्पलेक्स बना दिया गया, शादीघर बना दिये गये, व्याहघर बना दिये गये यह अवैध रूप से जो बने हैं इनको पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता है और एक सुझाव भी है सरकार को कि जैसे हमारे यहां यह बहुमन्जिला इमारते हैं एक प्लाट पर अगर कोई फ्लैट बनाना चाहता है तो सरकार की नीति है कि 22 हजार स्क्वायरफिट से कम का प्लाट है तो वह नहीं बना सकता अगर इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है तो जो छोटे प्लाट हैं उनको भी एफआर देकर उनको भी आवास बनाने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए ।

मान्यवर, जैसे अभी आज से लगभग 30 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक कानपुर रोड योजना पर एक कालोनी बसाई उसके कई सेक्टर हैं उसमें प्रमुख रोड से 4 सेक्टरों को विकसित करने का काम उनको बेचने का काम और वहां की सारी अवस्थापना सुविधाएं हैं वह देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक अन्सल हाउसिंग है उसको उन्होंने दे दिया। अन्सल ने उस जमीन को डेवलप किया, बेचा और वहां पर लोगों को रहने के लिए आवास दे दिये, वहां के 4 सेक्टर हैं जेके और एमएनएन वहां दसो हजार लोग रहते हैं और वो लोग जो वहां रहते हैं उन्होंने जो जमीन/सम्पत्ति खरीदी है उसकी रजिस्ट्री एल.डी.ए. ने की है, एल.डी.ए. से उसकी उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, एल.डी.ए. ने उसको बेंचा है और एल.डी.ए. ने अंसल से क्या कान्टैक्ट किया यह एल. डी.ए. और अंसल के बीच की बात है। आज वहां दसों हजार परिवार अवस्थापना सुविधाओं के लिये परेशान हैं, पीड़ित है और कई बार वहां आंदोलन भी हुआ लेकिन सरकार और एल.डी.ए. इस समस्या का निस्तारण करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र में यह स्थिति है कि एल.डी.ए. की साख भी खराब हो रही है, लोग कहते हैं कि यह कैसी एल.डी.ए. की कालोनी है और वहां पर सड़कें ऐसी हैं कि जिन पर चलना मुश्किल है। वहां पर जलभराव है, वहां पर पार्कों की दुर्दशा है, वहां पर जितनी भी अवस्थापना सुविधायें होनी चाहिये, वह वहां पर कतई मौजूद नहीं हैं।

इसके बावजूद वहां के लोग हाउसिंग टैक्स दे रहे हैं, जल टैक्स दे रहे हैं, वहां की बिजली भी नगर निगम देख रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को वहां नहीं निभा रहा है कि उस कालोनी को पूरी तरह से दुरुस्त कराकर नगर निगम के हवाले करने का काम करे। यहां पर एल.डी.ए. की साख को बट्टा लग रहा है।

मान्यवर, एल.डी.ए. के द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. मकान बनाने का जो प्राविधान है, क्योंकि हर जगह पर जहां पर कोई कालोनी बनेगी तो वहां पर गरीबों के लिये पहली व्यवस्था की जाये, उसी कालोनी के अंदर ई.डब्ल्यू.एस. मकान बनाने का जो प्राविधान था वह आज तक पूरा नहीं कराया गया है और तमाम ऐसे लोग जिनको आवंटन भी दे दिया गया, वो लोग चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे गरीबों के लिये जो यह योजना थी उसके लिये सरकार गंभीरता से ध्यान देकर इसको लागू कराने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं कहूंगा कि जो अभी मेट्रो की बात आई, मेट्रो लखनऊ में आई है अच्छी बात है और लखनऊ में मेट्रो चलेगी तो यहां पर दबाव भी कम होगा और कल भी मैंने परिवहन के बजट पर यह बात कही थी कि जिस तरह से मेट्रो लाई जा रही है और सरकारी सेवायें लाई जा रही हैं उनको अगर गति दी जाये तो शायद जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाले हैं वह अपने वाहनों को खड़ा कर देंगे, क्योंकि तमाम ऐसी सिटी हैं जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है और दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां कार से लोग चलना कम पसंद करते हैं और सार्वजनिक साधनों से चलते हैं तो यह अच्छी बात है कि मेट्रो आई है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी महाना जी से कह रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि महाना जी उस पर कुछ करने की स्थिति में हैं। इसलिये अगर आपको बात करनी है तो आप सीधे ऊपर बात करिये, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िये ये तो कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिये इस पर यह कुछ बोले भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखे हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं इनकी जो योजनायें हैं और खासकर एल.डी.ए. के जो लोग हैं इनको यह दुरूस्त करने का काम करें और गरीबों के जो आवास बनने चाहिये उन पर यह विशेष ध्यान देने का काम करें। मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। धन्यवाद।

'श्री गोमती यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अति महत्वपूर्ण आवास के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आवास विभाग का यह बजट अति पारदर्शी, आम नागरिकों की आवासीय समस्याओं को देखते हुये बनाया गया है और मैं तो यह कहूंगा कि यह आवासीय सुविधाओं को देखते हुये बनाया गया है और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है, जहां पर आवास नहीं बन रहे हों। मान्यवर, अगर हम तीन साल पीछे चले जाये तो जो पिछली सरकार थी, उसके समय में ऐसा लग रहा था कि प्राधिकरणों का और आवास विकास का अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि पिछली सरकारों में मात्र स्मारक बनाये गये, पत्थरों के काम हुये। जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, तो मैं लखनऊ से विधायक हूं और तब जेल रोड और एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर तक ही विकास का कार्य दिखता था और यहां पर पत्थर ही पत्थर दिखता था। यह स्थितियां पैदा हो गई थी कि प्राधिकरण के कर्मचारी हम लोगों से कहते थे कि विधायक जी हमारे सैलरी कैसे बनेगी, किस प्रकार से सैलरी मिलेगी और 600 कर्मचारी, जो मूर्तियां लगाई गईं और जो स्मारक बनाये गये उनकी सुरक्षा में लगाये गये, अनायास पैसा उसमें बरबाद किया गया और मैंने देखा कि कोई भी कंक्रीट योजना उसमें नहीं बनाई गयी, मात्र स्मारक उसमें बनाये गये और वहीं पर हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लोहिया पार्क बनवाया और जहां पर मान्यवर, अम्बेडकर पार्क बना, अम्बेडकर पार्क के अंदर 98 प्रतिशत कंक्रीट वर्क है और मात्र 2 प्रतिशत उसमें ग्रीनरी का कार्य है। वहीं पर हमारा लोहिया पार्क नेताजी ने बनवाया, हमारे मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, उसके अंदर 95 प्रतिशत हरियाली है और मात्र 5 प्रतिशत पत्थर लगे हैं । जो इन्होंने अम्बेडकर पार्क बनवाया, उसमें इनकी कोई योजना नहीं आई, उसकी खासियत मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र रहा है उस अम्बेडकर पार्क में इतना राजस्थान का पत्थर लगा है, अगर आप उसमें गर्मी में जायें तो इतनी गर्मी होती है कि आप उस पार्क में बैठ नहीं सकते, टहल नहीं सकते ।

एक खासियत और है उसकी, वहीं पर अगर आप जाड़े में उस पार्क के अंदर जाइये तो पत्थर इतना ठंडा होता है कि बिना कंबल के आप उसके अंदर जा नहीं सकते । वहीं पर हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क बना हुआ है, हमारा लोहिया पार्क बना हुआ है, जा करके आप देख लीजिये । मैं मान्यवर, आकड़ें बताना चाहता हूं प्रतिदिन 12 से 13 हजार रुपया, 5 रुपये का टिकट है, वह लोहिया पार्क से आमदनी हो रही है। अम्बेडकर पार्क का देख लीजिये, प्रतिदिन वहां पर 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, हजार पार नहीं हो रहा है, वहां लोग जाते नहीं हैं, चूंकि गर्मी में गर्मी लगती है और जाड़े में जाड़ा लगता है। मान्यवर, कुछ ही दिनों में हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क एक ऐतिहासिक पार्क बन जायेगा । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार द्वारा पार्क बना है उसके अंदर विश्वस्तरीय पौधे लगे हैं, ऐसे–ऐसे पौधे लगे हैं, पुराणों के पौधे लगे हैं, पारिजात वृक्ष उसके अंदर लगाया गया है, और मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्राधिकरण में जो पिछली सरकार में हुआ । नीरज मौर्य जी अभी बात कर रहे थे, मेरे वह मित्र हैं, कांशीराम योजना उनकी बनी, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत भी 4400 मकान बनाये गये लेकिन मान्यवर, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी से हमने कहा तो वहां पर बिजली की व्यवस्था बनाई गयी, हम लोगों ने मान्यवर, बिजली दिया और वहां पर चलकर शाम को देख लीजिये, कांशीराम योजना के जो मकान बने हुये हैं, फारच्यूनर और सफारी गाड़ियॉ उसके अंदर खड़ी हुयी हैं। आप पात्रता सूची मंगाकर देख लीजिये कि कौन से पात्र लोगों को यह मकान मिले हैं। हमारे जो लोहिया आवास हैं, हमारे समाजवादी योजना के जो आवास हैं, जो पात्र गरीब लोग हैं, उनको मान्यवर, इन्हें दिया जा रहा है।

मान्यवर, मेरे कुछ सुझाव हैं कि आज की तारीख में जो पिछली सरकार के द्वारा लखनऊ के अंदर लगभग 14 हजार एकड़ प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी गयी, मैं

मान्यवर, उन प्राइवेट बिल्डर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अब प्राधिकरण का अस्तित्व बचे, हवा विकास का अस्तित्व बचे, आवासीय योजनाओं के लिये आगे जो लैन्ड एक्वीजीशन हो, वह प्राधिकरण और आवास विकास के अन्तर्गत ही हो ताकि यह मकान अच्छी गुणवत्ता वाले हों और आम नागरिक को यह मकान मिल सकें और मान्यवर, चूंकि प्राधिकरणों के पास लैंड बैंक खत्म हो रहा है, लैंड बैंक है नहीं । प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वाले आकर मकान बना रहे हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि फिलहाल आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस सभी जगह पर लैंड बैंक खत्म हो रहा है, इस लैंड बैंक को रोका जाय और जो पिछली सरकार ने इसको अनापशनाप तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स को दिया, उस पर रोक लगनी चाहिये ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो धारा–4 गजट और धारा–6 नोटीफिकेशन के तहत मान्यवर, प्राइवेट बिल्डर्स को जो जमीनें दी जा रही हैं, इसको रोकने का पूरा प्रयास होना चाहिये और प्राधिकरणों के द्वारा ही विकास कार्य होना चाहिये। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो नक्शा पास कराने की परम्परा है जो सिस्टम है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति मकान बना लिया है और वह नक्शा पास कराना चाहता है और प्राधिकरण में पैसा जमा करना चाहता है तो मान्यवर, उस व्यवस्था का सरलीकरण किया जाय और उसका नक्शा पास किया जाय । साथ में मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अतिमहत्वाकांक्षी योजनायें हमारी हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिये, उनकी चर्चा यहां पर नहीं हो रही है । आदरणीय महाना जी को भी मैंने सुना, कुछ अच्छे सुझाव थे लेकिन जो अच्छी बातें हो रही हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। आज लखनऊ में अवध विहार योजना बन रही है उसके अन्दर चार हजार फ्लैट बन रहे हैं, सृष्टि अपार्टमेंट बन रहा है कुर्सी रोड पर, वृन्दावन योजना बन रही है, पारा में 6 हजार मकान मा0 मुख्य मंत्री जी ने 3 लाख रुपये की लागत से बनाने की घोषणा की है और मान्यवर, एशिया का ही नहीं बल्कि विश्वस्तरीय जय प्रकाश नारायण प्रेक्षागृह गोमतीनगर में बन रहा है इसमें 5 हजार लोग एक साथ बैठ करके ऑडीटोरियम में किसी कार्यक्रम को देख सकते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 2017 में इसको बना करके कम्प्लीट कर देंगे। वहीं पर इंटरनेशनल स्टेडियम, आई0टी0 सिटी बना रहे हैं। जो हमारे बच्चे टी0वी0 के अन्दर जो टी–20 देखते हैं, 50–50 देखते हैं, एक डेढ़ साल के अन्दर हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बन करके तैयार हो जायेगा और हमारे बच्चे टी–20 भी देखेंगे और टेस्ट मैच भी यहीं पर देखेंगे वह यहीं पर धोनी को भी देखेंगे और यहीं पर विराट कोहली को भी देखेंगे। मान्यवर, यहां पर आई0टी0 सिटी बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल विश्वस्तरीय बन रहा है, वेदान्ता हास्पिटल लाया गया गया है, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान यहीं पर बन रहा है। एक मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से बड़े शहरों में 12 प्राधिकरण हैं उसी प्रकार से पूर्वांचल के जिलों में भी प्राधिकरण का निर्माण होना चाहिए और प्राधिकरण के माध्यम से मकान बनने चाहिए ताकि गरीबों को आवास की सुविधा सुलभ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री नदीम जावेद–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि हाउसिंग और मकान जो लोगों को उपलब्ध हों उस पर बात करने के लिए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का मौका दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, जो उत्तर प्रदेश का डाटा है वह कहता है कि पूरे देश का जो अर्बनाइजेशन है जो कि पूरे देश में नम्बर–2 पर है। मा0 अध्यक्ष जी, यदि लैण्ड की समस्या (प्रति कैपिटा लैण्ड) सबसे अधिक यदि किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है यानी कि प्रति व्यक्ति एक इंसान के पास जो जमीन है वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। मा0 अध्यक्ष जी, कुल आबादी का लगभग साढ़े 22 प्रतिशत अरबन एरिया उत्तर प्रदेश में है, जहां पर अरबन पापुलेशन रहती है। मा0 अध्यक्ष जी, देश में सबसे ज्यादा टाउन, छोटे शहर और बड़े शहर मिला करके 915 उत्तर प्रदेश में हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और एक ही बात जो इस पूरे बजट की खास बात है वह इस सरकार में गरीब लोगों के लिए योजना लाये हैं। मैंने महाराष्ट्र की भी पॉलिसी पढ़ी है, हरियाणा की भी पॉलिसी पढ़ी है और मुझे कहते हुए बड़ा शुकून हो रहा है कि जो दूसरे प्रदेशों की पॉलिसी है उसकी तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश की पॉलिसी काफी बेहतर है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो चेन्ज ऑफ लैण्ड यूज है, जो जमीनों का बदलाव है अगर खेती की जो जमीन है उसको कामर्शियल ऐक्टिविटी के लिए या हाउसिंग के प्रोजेक्ट के लिए ली जायेगी तो उसकी जो फीस है वह माफ की जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह है कि जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं वह खत्म किये जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकार के द्वारा ली जा रही थी उसको रिलैक्स किया जा रहा है और कोशिश यह हो रही है, प्लान यह कह रहा है कि 24 लाख यूनिट्स बनाई जायेंगी जिसमें लगभग 65 प्रतिशत यूनिट्स गरीब लोगों के लिए और उसके ऊपर के लोगों के लिए होंगी।

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें एक समस्या भी है और वह बड़ी महत्वपूर्ण है, सवाल इस बात का है कि अगर गाजियाबाद में जिसे आप 'ए' कैटेगरी का शहर मानते हैं वहां 3 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट फ्लैट की कास्ट तय करते हैं या लखनऊ में आपकी पॉलिसी के हिसाब से 28 सौ रुपए और 'बी' क्लास सिटी में आप 25 सौ रूपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब फ्लैट बेचते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जो डेवलपर होगा, जो बिल्डर होगा और इस फील्ड में जो काम करने वाला होगा वह दो यूनिट मिला करके एक यूनिट कर दे और उसको मार्केट में कामर्शियल रेट पर बेच दे और जिन लोगों के पास वह जमीन और फ्लैट पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचेगा। उसका अध्यक्ष जी कारण है, वह यह है कि आज तक जितने भी डेवलपमेंट अन–अथराइज्ड हो रहे हैं उसके पीछे सरकार की यही एजेंसियॉ पैसे लेकर करा रही हैं जिसकी वजह से शहर में तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पॉलिसी में यह क्लियर होना चाहिए कि लोगों को जो फ्लैट उपलब्ध हों वह किस आधार पर हों, क्या उसको ओपेन तरीके से।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(मा0 मंत्री श्री शिव प्रताप यादव के मा0 मुख्य मंत्री के पास खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यादव जी, आप काफी देर से वहां झुके खड़े हैं, आप चलिये बाद में मिल लीजिएगा।

श्री नदीम जावेद–

पर्चियां डालकर गरीब लोगों की जमीन को हम निकाल सकें। दूसरी मा0 अध्यक्ष जी, एक बात और निकल कर आ रही है, अभी हमारे साथी ने कहा और बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। उन्होंने यह कहा कि पूर्वान्चल अर्बनाइजेशन में बहुत पीछे है। अध्यक्ष जी, 34 प्रतिशत अर्बनाइजेशन पश्चिमी यू0पी0 में है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल 13 प्रतिशत अर्बनाइजेशन है। ईस्टर्न यू0पी0 में गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक जो माइग्रेशन हो रहा है उसके पीछे मूल कारण यह है कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर डेवलपमेण्ट के कोई तरीके नहीं हैं इसलिए लोग वहां से दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं, तो अर्बनाइजेशन को विशेष रूप से ईस्टर्न यू0पी0 में फोकस करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य के मुख्य मंत्री इस दिशा में जरूर ध्यान देंगें और वहां पर अर्बनाइजेशन के लिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के लिए प्राधिकरण का निर्माण करेंगे। एक और बड़ा सवाल है, वह यह है कि जो कामर्शियल लैण्ड है, उस कामर्शियल लैण्ड के लिए 2013 में एक गवर्न्मेंट ऑफ इण्डिया की एक पॉलिसी आयी थी। राज्य ने भी उस पॉलिसी को एडाप्ट किया था उसके चलते कामर्शियल लैण्ड का जो सर्किल रेट है वह अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सर्किल रेट से कम रेट पर ही जमीन बिक जाती है। लेकिन पॉलिसी यह है कि अगर सर्किल रेट से कम रेट पर हम जमीन लेते हैं तो हमें टैक्स सर्किल रेट का देना पड़ता है, तो जो सेल होती है कामर्शियल सेक्टर में वह उत्तर प्रदेश में पिछले दो–तीन वर्षों में बहुत कम हुई है इसलिए सरकार को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के बिना हम पूरे राज्य का डेवलपमेण्ट नहीं कर सकते हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस दिशा में काम करेगी। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, यह स्कीम तो हम बहुत अच्छी ले आये और हम गरीब लोगों के लिए फ्लैट की सुविधा बड़े शहरों या छोटे शहरों में उपलब्ध करायेंगे लेकिन जो इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेण्ट है, वहां पर सीवर सिस्टम कैसे हो, वहां पर इण्टरनल रोड्स कैसे हों, पानी की सप्लाई कैसे हो, बिजली की समस्या का समाधान कैसे हो, सेनिटाइजेशन कैसे हो ये बुनियादी रोजमर्रा के सवाल हैं लेकिन इन पर कोई क्लीयरकट कम से कम मुझे इस बजट में खास चीज दिखायी नहीं दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना में इस बात को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा कि बेसिक सवाल जो रोजमर्रा के हैं वह इस डेवलपमेण्ट मॉडल में कैसे आयेगा ? मैं कटमोशन के पक्ष में बात रखते हुए अध्यक्ष जी आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे कटमोशन के पक्ष में बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि बहुत बजट हैं मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आवास विभाग पर श्री सतीश महाना जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आवास विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि कैसे कालोनियां बसें, कैसे शहर बसे, बुनियादी सुविधायें कैसे वहां पर लायी जायें लेकिन आवास विभाग पूरी तरह से दिशा विहीन हो गया है। आवास विभाग में आज मैं देख रहा हूं कि यह महज कमाने–खाने का केवल विभाग बन गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहां पर पढ़ा था तीन–चार दिन पहले कि यहां के ठेकेदारों ने आन्दोलन भी किया था कि लखनऊ के वी0सी0 हमसे कमीशन मांगते हैं। बहुत बड़ा यहां पर आन्दोलन हुआ था वह माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी आया होगा।

मान्यवर, मेरे दो–तीन सुझाव हैं कि आवास विभाग जो भी काम कराता है चाहे कालोनी बसाये, चाहे प्लाट काटे, उसके बाद नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिससे न तो वहां पर रोड बनायी जाती हैं, न बिजली लगायी जाती है, न सीवर लाइन बिछायी जाती है। पूर्णतया डेवलप करके प्लाट देने का काम भी नहीं किया जाता। मान्यवर, प्रायः मैंने देखा है और मा0 हाई कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा है लोगों को प्लाट आवंटित कर दिये जाते हैं, लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं उसके बाद भी कई–कई वर्षों से उस पर कब्जा देने का काम प्राधिकरण नहीं करता है। इस पर कोई नीति बननी चाहिए, दो साल, चार साल, पांच साल, दस साल क्योंकि लम्बे अरसे से लोग रजिस्ट्री कराये पड़े हैं और उनको कब्जा देने का काम प्राधिकरण नहीं करता। एक तो इस पर काम करना चाहिए, दूसरा प्राधिकरण अब तो भूमि अधिग्रहण कोई कर नहीं पाता क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून इतना सख्त बन गया है कि भूमि अधिग्रहण तो की नहीं जाती है लेकिन प्राधिकरण शहर के कई–कई कि0मी0 के दायरे में अपना बोर्ड गाड़ देता है कि यहां तक प्राधिकरण की सीमा है और उस पर जो भी लोग काम कराना चाहता हैं एक तो नक्शा नहीं पास होता वहां पर कोई भी स्कूल कालेज या पालीटेक्निक कालेज बनाता है मकान बनाता है तो उनसे अवैधानिक तरीके से सुविधा शुल्क लेने का काम प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारीगण करते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए मैंने देखा है आवास विभाग के द्वारा हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती की सरकार ने मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना बनाई थी। जिससे गरीबों को, असहायों को छत मिल सके। मकान मिल सके आज तक उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों में आवास बने पड़े हैं जिनका इतने सालों तक आवंटन नहीं हुआ है मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहूंगा हमने मान्यवर कांशीराम आवास बनवाया था लेकिन वोट मांगने 2012 में हम गए थे तो जहां आवंटन हुआ था वहां ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बी0एस0पी0 का झण्डा लगाए थे आपकी सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ जिन लोगों को मिल रहा है यह जरूरी नहीं है कि सबके सब आपको वोट दे दें। हमारी सरकार में जो योजनाएं चलाई गईं जिनको लाभ मिला वह सब बी0एस0पी0 को वोट दे दें ऐसा संभव नहीं है मान्यवर उन आवासों को आवंटित कर दिया जाना चाहिए मैंने प्रदेश में देखा लोग उसके खिड़की दरवाजे निकाल कर लिए जा रहे हैं कम से कम गरीब रहे तो वहां जिस रूप में आवंटित करना चाहते हैं माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि फार्चूनर गाड़ी वाले वहां खड़े हैं जांच करा लीजिए आपकी सरकार है उनको बेदखल कर दीजिए। जो

पात्र लोग हैं उनको कर दीजिए लेकिन जहां खाली है वहां गरीबों को आवंटन करना चाहिए।

मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं मैंने देखा है माननीय हाई कोर्ट ने एक ऐसी बिल्डिंग को गिरवाया प्राधिकरण के अधिकारियों ने उसका नक्शा पास किया बड़ा टावर बना फ्लैट बनाए गए इलाहाबाद के अन्दर और जब वह फ्लैट बनकर खड़ा हो गया तो कोर्ट में जब मुकदमा चला तो वह अवैधानिक पाया गया आवंटियों को जो उसमें रहते थे उनको निकाल कर पूरा धाराशाही किया गया । तो मान्यवर ऐसे लाभार्थी लोग परेशान हो रहे हैं आप नीति तय करिए कि जो आपके प्राधिकरण के लोग उसके नक्शे को पास करते हैं उसके बाद भी वह अवैधानिक है और अवैधानिक तरीके से वह बनाए गए हैं और लाभार्थी उससे परेशान हो रहे हैं अगर वह परेशान हो रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मेरा कहना है । इलाहाबाद क्षेत्र जैसा कि हमारे साथी नदीम साहब ने कहा कि इलाहाबाद तट के लोग पलायन कर रहे हैं क्यों पलायन करेंगे इसके विषय में आपको पता होगा इलाहाबाद और बनारस में एच0एफ0एल0 लागू है इलाहाबाद का हाई फ्लड लेबिल 500 मीटर है गंगा के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मकान नहीं बना सकता वहीं बनारस में एच0एफ0एल0 लागू है कि 200 मीटर के दायरे में कोई मकान नहीं बना सकता इस पर सरकार को चाहिए कि हाई कोर्ट में ऐसी पैरवी करे जो समान रूप से 500 मीटर से 200 मीटर पर लाया जा सके । मैं समझता हूं कि इससे इलाहाबाद में बहुत जमीन मिल सकती है। और उसमें प्राधिकरण मकान बना सकती है। यह एच0एफ0एल0समान रूप से लागू होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है हम सभी विधायक चाहें सत्ता पक्ष या विपक्ष जो पिछली बार थे उन्हें मधुबन बापू धाम में प्लाट आवंटित किए गए थे लोगों ने सारा पैसा देकर कर्ज लेकर रजिस्ट्री करा लिया लेकिन आज तक इस पर कब्जा नहीं मिला। हम लोग ब्याज भर रहे हैं इसको दिखवा लें मधुबन जो गाजियाबाद डेवलपमेंट एथॉरटी में है उसका कब्जा आज तक हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग कर्जा लेकर प्लाट लिए थे वह कब्जा तो मिल जाना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया । जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र से यह पहले देहात का इलाका था अब शहरी इलाका है। आधा हिस्सा शहर और आधा देहात वहां पर अंसल हाउसिंग को 1985–86 में एल0डी0ए0 ने जमीन बेच दी। उसके बाद जब उसने वहां निर्माण कार्य शुरू किया, आशियाना कालोनी उसने वहां डेवलप की। आज तक 26 साल गुजर गये उस आशियाना कालोनी का न तो पूरा डेवलपमेंट हुआ और न नगर निगम को ट्रांसफर हुई। आज वहां के बाशिन्दों की यह हालत है कि सारे के सारे परेशान हैं और सड़कें टूट गई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। स्थिति यह है कि अगर 25–30 करोड़ रुपये नगर निगम को दे करके और नगर निगम के हैंड ओवर कर दी जाय वह कालोनी तो शायद बेहतर हो सकती है।

मान्यवर, वहीं पर, अभी बसपा के लोग कह रहे थे जो झील करीब 200 एकड़ की थी नवाब शीश महल की उसमें एल0डी0ए0 का तमाम निर्माण वहां हो गया। एक स्मृति वन जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल शहीदों के नाम पर माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे उन्होंने कारगिल शहीद स्मृति उपवन का निर्माण किया उसके बाद जब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने उस उपवन को वृक्षों से आच्छादित किया और वहां पर उसमें 101 बत्तखें डलवाईं और 5 बोट डलवाई और स्थिति यह हुई कि जब इनकी सरकार आई तो मायावती जी ने उस झील को पाट दिया, बराबर कर दिया और उसके दो हिस्से कर दिये। 21 एकड़ में कारगिल शहीद स्मृति उपवन को रखा जिसमें आज भी वह 101 बत्तखें उस कारगिल शहीद स्मृति उपवन के छोटे से बाड़े में बन्द हैं और वह बोट जो नागरिकों के लिये छोड़ी थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो शहरवासियों के लिये नावें डलवाई थीं झील में, वह वहीं पर बेहाल पड़ी हैं साथ ही वहीं बीच में दीवार खड़ी कर दी और वह स्थिति इतनी खराब है यहां कि अगर सरकार चाहे तो व्यवस्थित हो सकती है। वहीं पर खजाना मार्केट है। हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय एस0पी0 यादव ने हमारे साथ दौरा करके 26 साल के बाद उस खजाना मार्केट के जो व्यापारी थे उनको मालिकाना हक दिलाने का काम किया और आज वह अपनी दुकानों के मालिक हैं। अभी उसका अण्डरग्राउन्ड..

श्री अध्यक्ष–

कुछ सुझाव दीजिये, कुछ ऐसी बात बताइये। आप इतिहास बता रहे हैं।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

साथ ही 1 करोड़ 40 लाख रुपया अभी खजाना मार्केट के डेवलेपमेंट के लिये मिला है सरकार से। उसके सामने 8 एकड़ का तालाब है जिस पर एक आई0ए0एस0 आफिसर कब्जा कर रहा है उस तालाब का अगर सौन्दर्यीकरण कर दिया जाय और यह कारगिल शहीद स्मृति उपवन की जो झील है, जो 80 एकड़ की है जिसे मायावती जी ने बांट दिया अगर उसको एक में मिला दिया जाय, झील डेवलेप कर दी जाय तो पानी का जो जल स्तर है वह ऊपर उठेगा और साथ ही एक बहुत अहम काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया, पकरी का पुल। जब यह नहर निकली थी लखनऊ से तो नहर कासिमपुर पकरी गांव जब दो भागों में विभाजित हुआ तो अंग्रजों ने नहर पर पुल बना दिया। और उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने विधि विश्वविद्यालय बनाया। उस पकरी के पुल को हमारे माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने खुलवा दिया। आज स्थिति यह है कि यह आवास विभाग के अण्डर में है। अगर वह दीवार, थोड़ी सी दीवार 4–5 फुट हटा दी जाय तो पूरी की पूरी सड़क खुल सकती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में इतने तालाब हैं अगर उन तालाबों को, जिन पर लोग कब्जा कर रहे हैं अगर उन तालाबों को ठीक कर दिया जाय तो जलस्तर ठीक हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब आप बोलिये।

(दो तीन सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, पहले मैंने बुला लिया है राधा मोहन जी को, उनको बोलने दीजिये। डाक्टर साहब संक्षेप में कहिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सतीश महाना जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हूं और मैं जानता हूं मेरे समय की सीमा है। इसलिये जो दो–तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, मैं उन्हीं पर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो यह कि जो चर्चा बापू धाम योजना की आई। बसपा की पांच साल की सरकार में एक काम अगर ईमानदारी के साथ हुआ है तो बापू धाम योजना का आवंटन। पूरे पारदर्शी तरीके से हुआ है, चाहे इधर के हों या उधर के सबने समान रूप से लाटरी निकलवा कर दिया है। मैंने कहा कि एक काम अगर ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से हुआ है तो बापू धाम का आवंटन। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत सारे विधायकों ने सचमुच अपना पूरा पैसा दिया है और सबके पास बहुत पैसा नहीं होता। यह योजना फंसी हुई है और 11, 12, 13, 14, 15 पांचवा साल हो रहा है। सारा पैसा देने के बाद वस्तुतः आवंटन नहीं हुआ है। उन मा0 सदस्यों को जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पूरा पैसा लगाया है यह सुनिश्चित हो कि वह आवंटित हो जाए। अध्यक्ष जी, अब मैं मूल बात पर आता हूं प्राधिकरणों का जो कार्य होता है जैसा माननीय महाना जी कह रहे थे, नगरों का सुनिश्चित विकास, और तीन तरीके से काम होता है बहुत सारी कालोनियां प्राधिकरण स्वयं बनाते हैं दूसरा बहुत सारी कालोनियां, बहुत सारे कालोनाइजर, प्राधिकरणों के द्वारा ले आउट पास कराकर बनाते हैं। तीसरा बहुत सारे लोग प्राधिकरणों के अधिकारियों और अभियन्ताओं की मिली–भगत से बिना ले–आउट पास कराए जहां चाहते हैं वहां कालोनियां बनाते हैं। यह तीन समस्यायें हमारे सामने हैं। आज मैं चर्चा प्राधिकरणों की कालोनियों की नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो बिन्दुओं की चर्चा करूंगा जिनका सीधा संबंध नागरिक सुविधाओं से है प्राधिकरण की कालोनियां खराब होती होंगी लेकिन कम से कम सड़क, पानी, नाली, बिजली थोड़ी बहुत बनी होती है लेकिन यह जो ले–आउट पास करके कालोनियां बनी हैं और जो अवैधानिक कालोनियां बनी हैं यह विषय लगातार हम लोग सदन में लाते रहे हैं।

ले–आउट पास कराने के बाद प्राधिकरण एक अभियन्ता नियुक्त करता है एक ए0ई0 और एक जे0ई0 नियुक्त होता है उस ए0ई0 और जे0ई का काम होता है कि लगातार इस ले–आउट कालोनी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के द्वारा निर्माण हो रहा है या नहीं यह सुनिश्चित करना। देखने में यह आ रहा है जितने भी लोगों ने ले–आउट पास कराया चाहे वह खुद की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो, धार्मिक स्थल की जमीन हो, हेल्थ सेन्टर की जमीन हो, पार्क की जमीन हो, ले आउट पास होता है, मकान बेचे जाते हैं और बाद में यह सारी जमीनें अवैधानिक रूप से बेच दी जा रही हैं। मैं आपको

उदाहरण दे सकता हूं गोरखपुर में एक कालोनी है दिव्य नगर, 1991 में पास हुई, अच्छी बनी थी, जितने भी उसमें थे सबको बेच दिया गया, अन्तिम बचा उसमें हेल्थ सेन्टर, अभी पिछले साल उसको भी बेच दिया गया। जब नागरिकों ने वहां आपत्ति की, वह मंडलायुक्त के पास गए, मंडलायुक्त ने स्पष्ट आदेश लिखा किसी भी ले–आउट पास कालोनी जो सामुदायिक सुविधा का स्थल है उसे किसी कालोनाइजर को बेचने का अधिकार नहीं है। इसमें जांच की जाए कार्यवाही की जाए और ऐसे मानचित्र को निरस्त किया जाए। मंडलायुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष महोदय उनके स्पष्ट आदेश के बावजूद, उन सारे मानचित्रों को पास कर दिया यह भ्रष्टाचार का चरम है जो अधिकारी और कालोनाइजर मिलकर कर रहे हैं और इस संदर्भ में एक बात और मा0 अध्यक्ष जी, पिछले सदन में, पिछले बजट में आपने घोषणा की थी कि जितनी भी ऐसी कालोनियां हैं जिनका ले– आउट पास है और जो किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा वैधानिक रूप से बनाई गई हैं उनका ट्रांसफर नगर निगम में नहीं हुआ है। अब झेलना पड़ता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, यह तो जितना करना था करके चल दिए, अब इनका सारा पाप अगर कोई झेलता है तो नगर विकास मंत्री झेलते हैं। यह कालोनियां आज भी नगर निगम को हैण्डओवर नहीं हैं।

आज भी प्राधिकरण के लोग उन कालोनाइजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। आज भी सुविधाओं से वंचित लोग नगर निगम पर दबाव डालते हैं और नगर निगम इस बात को कहता है चूंकि यह कालोनियां हमको हैण्डओवर नहीं की गईं इसलिए हम इस पर किसी सड़क, नाली का निर्माण नहीं करेंगे।अगर प्राधिकरण ने उनका मानचित्र पास किया है अगर कालोनाइजर उसको पूरा नहीं करा रहा है तो यहां पर प्राधिकरण कालोनाइजर को दंडित करें। प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि जब तक वह कालोनियां नगर निगम को हैण्डओवर न हों तब तक उनके अनुरक्षण का काम प्राधिकरण को करना होगा। तीसरी बात पिछले बजट में मा0 मंत्री जी आपको याद होगा पिछली बार आपने सदन में खड़े होकर कहा था आपने सदन में घोषणा की थी कि जितनी अवैध कालोनियां बनी हैं उनका विनियमितीकरण किया जाएगा। यह आपकी स्पष्ट घोषणा थी। इस सदन के अन्दर भी थी और सदन के बाहर भी थी । आपकी घोषणा के बाद एक नई आशा जगी थी। जितने लोग अवैधानिक कालोनियों में रह रहे थे इनको लगा था कि जांच होगी और जिन लोगों ने जमीनें बेची हैं उनको दंडित किया जाएगा और इन कालोनियों को रेगुलराइज करके सुविधायें दी जाएंगी। लेकिन मा0 मंत्री जी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कदम भी हम लोग उस बिन्दु पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं और यह बहुत बड़ी समस्या है। आपने सदन में वायदा किया है। यह सदन की गरिमा का भी सवाल है और मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि आपको समीक्षा करने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन कम से कम इतनी समीक्षा करिये कि जिन चीजों का आपने सदन को आश्वासन दिया है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि वह आश्वासन पूरे हो जायें। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, यह जो विकास शुल्क बढ़ाया गया है इसकी कोई मर्यादा तय होनी चाहिये, कोई सीमा तय होनी चाहिये। हमनें इतना अधिक शुल्क बढ़ा दिया है कि कोई नागरिक वैधानिक तरीके से नक्शा पास कराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फैजाबाद, रायबरेली, बांदा, रामपुर में

400 रुपये स्क्वायर मीटर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, खुर्जा, हापुड़, पिलखुआ, बागपत, बड़ौत, खेखड़ा, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, झांसी में 700 रुपये स्क्वायर मीटर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ में 1000 रुपये स्क्वायर मीटर, लखनऊ, कानपुर, आगरा मे 1400 रुपये स्क्वायर मीटर, गाजियाबाद में 2500 रुपये स्क्वायर मीटर और अगर विकास शुल्क लगने के बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार अन्य शुल्क बन्द कर दिये होते तो भी चलता। यह उपविभाजन शुल्क भी लेंगे, ये कम्पाउण्डिंग शुल्क भी लेंगे, इसके अतिरिक्त हर चीज यह लेंगे जबकि इसी में यह प्राविधान लिखा हुआ है कि विकास शुल्क एक बार आ गया तो अन्य सभी लिये जाने वाले शुल्क समाप्त कर दिये जायेंगे। स्पष्ट आदेश के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी लगातार नागरिकों का शोषण कर रहे हैं।

एक अन्तिम बात मा0 अध्यक्ष जी, गोरखपुर में सहारा ने एक बहुत अच्छी टाउनशिप बनायी है। तकरीबन पांच हजार लोग उसमें रहते हैं। वह हमारे नागरिक हैं। आज वह सारी सुविधाओं से महरूम हैं, वह इसलिये महरूम हैं कि पिछली सरकार के दौरान एक मण्डलायुक्त द्वारा अपने अहंकार की पूर्ति में उनके यहां छापा मारा गया। उनके दरवाजे को गिरा दिया गया, उनके ऊपर मुकदमें दर्ज कर दिये गये और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर स्टे ले लिया गया। आज भी वह पांच हजार नागरिक खड़ंजे की सड़कों पर चलते हैं। आने–जाने के लिये उनके पास सुविधायें नहीं हैं इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी। आपके संज्ञान में यह विषय आ गया है, मैं जानता हूं कि कार्यवाही होगी। नियमों में यदि कहीं थोड़ा सा संभव हो तो इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिये कि हम लोग सहारा पर इस बात का दबाव बना सकें कि वहां समुचित विकास के काम कराये जा सकें।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बजट के समर्थन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, रार नहीं ठानेंगे हार नहीं मानेंगे। हम लोहिया और नेता जी के लोग हैं। मान्यवर, आज शहरी विकास और शहरी नियोजन के बजट पर आदरणीय वरिष्ठ मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये आदरस्वरूप आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, शहरी विकास और शहरी नियोजन का उद्देश्य सुनियोजित विकास करना और नगरीय क्षेत्रों में निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक क्षमता अनुसार आवास की सुविधा मुहैया कराना है। मान्यवर, 19 अरब रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसके लिये मैं मा0 मंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा और बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि कटौती प्रस्ताव पर हमारे विपक्ष के वरिष्टतम् नेता आदरणीय महाना जी खड़े हुये थे मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि सर, आपने खुद ही प्रश्न किया कि तीन साल में क्या हुआ और आपने स्वतः ही उत्तर दे दिया कि कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, इसके सापेक्ष मैं कहना चाहूंगा कि तीन साल में जो कुछ भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। मान्यवर, आपने अपने कटौती प्रस्ताव में यह भी कहा कि कहीं कोई योजना नहीं है, कहीं कोई प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है। मैं कहीं और नहीं

जाना चाहता, लेकिन मैं अपने इलाहाबाद शहर की बात करता हूं। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कालिन्दीपुरम् में मंगल विहार आवास योजना बनायी जा रही है, कालिन्दीपुरम् में ही वसुधा विहार आपार्टमेंट बनाया जा रहा है, नैनी में मानस विहार आवास योजना बनायी जा रही है, कालिन्दीपुरम् में ही मौसम विहार आवास योजना बनायी जा रही है, गोविन्दपुर में अलकनन्दा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, कालिन्दीपुरम् में ही सुगम विहार आवास योजना बनायी जा रही है, कालिन्दीपुरम् में ही सृजन विहार आवास योजना, शगुन विहार आवास योजना तथा त्रिवेणीपुरम् में डिवाईन अपार्टमेंट आदि तमाम ऐसी आवासीय योजनायें विकसित की जा रही हैं।

आप मान्यवर, कह दें कि कुछ नहीं हो रहा है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका स्वागत है। मान्यवर, समाजवादी आवास योजना जो बजट में रखी गई है, वह सराहनीय है। इसके तहत् निर्धन और मध्यम वर्ग के लिए, ड्यूपलेक्स 75 वर्ग मीटर के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, 15 से 30 लाख लागत में और 5 एकड़ न्यूनतम और 100 एकड़ अधिकतम क्षेत्र में यह आवास सृजित किए जायेंगे और 03 लाख फ्लैट इसके माध्यम से बनेंगे, इसके लिए भी मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, इसमें 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' और 'ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज' की भी व्यवस्था की गई है। इस हेतु भी मैं बधाई देना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे इलाहाबाद में बहुत सी नजूल की भूमि है। नजूल की भूमि को फ्री–होल्ड करने की जो नीति आयी है, इससे सचमुच राजस्व की विभाग को प्राप्ति भी होगी और साथ ही नगरीय नियोजन और बहुत से लोगों को आवास देने में और समायोजन करने में बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी। मान्यवर, 'हाईटेक सिटी' और 'इन्टीग्रेटेड टाउनशिप' यह बहुत ही अच्छी योजना है जिसके माध्यम से एम0आई0जी0, एल0आई0जी0 और ई0डब्ल्यू0एस0 का निर्माण किया जा रहा है और रियायती दर पर सभी सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, लखनऊ मेट्रो रेल के लिए 425 करोड़ का प्राविधान किया गया है और ऐसी एक, दो नहीं बल्कि 8–8 शहरों में मेट्रो रेल की योजना शुरू की जा रही है, इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री और समाजवादी सरकार और मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग गुजरात में बता दीजिए, एक भी मेट्रो आपने शुरू की है, बहुत विकसित क्षेत्र आप कहते हैं, उसके सापेक्ष में लखनऊ सहित प्रदेश में 8–8 मेट्रो रेल की योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो शहरी नियोजन में चार–चांद लगाने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, केवल दो बातें कह कर कान्क्लूड करता हूं। अध्यक्ष जी, जान्ह्वीपुरम् आवास योजना, इलाहाबाद एडीए द्वारा बनायी जा रही है। वहां के जो कुछ मूल निवासी हैं, जो उस योजना के बाहर के हैं, उनको रास्ता मिलने में कठिनाई हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो जान्ह्वीपुरम् आवासीय योजना है, उसमें जिनका रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, वहां के पड़ोसी लोगों का, स्थानीय लोगों का,

उनके लिए उसमें रास्ता निकालने की सुविधा कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद बाईपास जो कोखराज, कौशाम्बी से सोरांव–इलाहाबाद से होते हुए हन्डिया तक है, उस बाईपास के किनारे–किनारे पर भी इन्टीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाए। इन्हीं सब आग्रह के साथ मैं आवास विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अमर पाल शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आवास विभाग के कटमोशन पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी चले गए, अभी 1989–90 में जब जनता दल की सरकार थी, आदरणीय मा0 मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उस समय गाजियाबाद के अन्दर मेरी विधान सभा के अन्दर एक कालोनी बनी थी, आवास विकास के द्वारा 'वसुन्धरा', और वसुन्धरा कालोनी अपने आप में गाजियाबाद का बहुत अच्छा स्वरूप निकाल कर कालोनी बसाई गई थी और उसका बाकायदा मानचित्र दर्शाया गया था कि इस कालोनी के अन्दर हम यह–यह सुविधा देंगे। उस कालोनी में सेक्टर–1 से लेकर सेक्टर–19 तक सेक्टर बसाये गए थे और जनता से जुड़ी सुविधाओं की जगह दर्शायी गयी थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारे सेक्टर बसते गए, जब लोग आते गए तो उनसे यह कहते गए कि सेक्टर–2 बस गया है, सेक्टर–3 में यह सुविधा देंगे और जब सेक्टर–3 बस गया तो कहा कि सेक्टर–4 में यह सुविधा देंगे। मान्यवर, इसी तरह से वहां सेक्टर 7 और 8, जिसमें लगभग 102 एकड़ भूमि आज भी मौजूद है, वह इसलिए छोड़ी गई कि उसमें जो भी पूरे क्षेत्र की जरूरत के साधन हैं, वह उसमें खोले जायेंगे। डिग्री कालेज, स्टेडियम, स्कूल, अस्पताल यह सारी लोगों की मूलभूत सुविधा की जायेगी लेकिन आज तक उस कालोनी का बार–बार अधिकारी नक्शा चेंज करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। उस क्षेत्र में न कोई सरकारी स्कूल है, न कोई अस्पताल है, न बच्चों के खेलने का कोई स्टेडियम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 1989–90 का नक्शा है, उसी को आप निकाल कर देख लें, उसके प्रारूप में जो सुविधा दर्शायी गयी है, वह सुविधा दिलाने का काम करें। एक छोटी सी बात मा0 अध्यक्ष जी, और कहना चाहूंगा, आवास विकास के द्वारा ही भोपुरा के करीब डेढ़ सौ एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी। वहां के अधिकारी मिलीभगत करके मान्यवर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे किस तरह से सरकार को चूना भी लग रहा है।

आपको इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से सरकार को चूना भी लग रहा है कुछ अधिकारियों ने वहां के भू–माफियाओं से मिली–भगत करके उनकी जमीनों पर कब्जे करवा रहे हैं। पहले छोटी बाउण्ड्री करवाते हैं फिर उनमें थोड़ा बहुत कूड़ा–करकट डलवाते हैं। गाजियाबाद का आवास विकास प्राधिकरण आंख बन्द करके बैठा हुआ है और जब उनकी तादाद ज्यादा हो जायेगी आप बुल्डोजर ले कर जायेंगे तो जनता विरोध में खड़ी हो जायेगी कि हमने तो उससे खरीदी थी। जबकि वह पूरी भूमि आवास विकास की है। इससे वहां पर अराजकता भी पैदा हो रही है। वहां पर सीवर नहीं है नालियां

नहीं है खड़न्जा नहीं है। हम लोग जाते हैं तो जनता हमें चिपकती है कि यहां पर विकास कराईये। जब जमीन सरकारी है तो उस पर कैसे विकास कराया जा सकता है। आवास विकास के अधिकारी उस तरफ ध्यान दें। अपनी जमीन को अपने कब्जे में लें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। श्री पूरन प्रकाश जी। अमर पाल शर्मा जी अब बैठिए।

(श्री अमर पाल शर्मा तथा श्री पूरन प्रकाश एक साथ बोलते रहे लेकिन उनका माइक आफ हो जाने पर उनकी आवाज सुनाई नहीं दी)

श्री अमर पाल शर्मा–

साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बैशाली, बसुन्धरा व अन्य कई बिल्डर्स व होटल मालिकों ने नालों पर अतिक्रमण कर लिया है नाली की सफाई न होने के कारण जिनसे पूरे क्षेत्र के नाले का पानी आवागमन बन्द हो गया। नगर विकास मंत्री जी को यह बात सबसे ज्यादा सहन करनी पड़ती है। उन अवैध निर्माणों को भी हटाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप त्रिपाठी जी क्या बोलोगे गांव से आप आते हैं ये शहर का विषय है।

श्री पूरन प्रकाश–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। जीवन की एक ही चाहत होती है कि कहीं पर उसको छत मिल जाए रहने के लिए मकान मिल जाए। आज हमारे प्रदेश में आवास का जो बजट आया है उस पर मैं बहुत ज्यादा न कहकर अपना सुझाव देना चाहूंगा। मा0 अध्यक्ष जी मथुरा उत्तर प्रदेश का वह जनपद है जहां पर पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा राजस्व जो प्रतिशत विकास सूची में प्राप्त होता है वह मथुरा से प्राप्त होता है। लेकिन मूलभूत जरूरतों से मथुरा आज भी वंचित है। अभी मेरे साथियों ने कहा कि अधिकारियों–कर्मचारियों की मिली–भगत से, मैं इनका समर्थन करता हूं पीछे अधिकारीगण बैठे हैं नोट कर लें। मा0 अध्यक्ष जी दस–दस पन्द्रह–पन्द्रह साल से एक–एक जे0ई0 एक–एक ए0ई0 एक–एक बाबू वहां पर बैठा हुआ है। अगर कहीं परिवर्तन आए तो मंत्री जी भी नहीं दे पाएँगे आप भी नहीं दे पायेंगे और उसके पास जाइये तो प्लाट भी मिल जायेगा और मकान भी मिल जायेगा। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न जनपदों में जिनमें तीन साल से अधिक तैनाती चल रही है। हमारे जनपद मथुरा में आवास विकास परिषद् में श्री सिरोही हैं। दस साल हो गए हैं उनको, कोई काम नहीं कर सकते हैं। आवास विकास परिषद् की कालोनियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ की एक भगवान नगर कालोनी है वहां पर लोगों ने कैसे–कैसे घर–मकान बनाये हैं लेकिन ड्रेनेज की सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए।

श्री पूरन प्रकाश–

मा0 अध्यक्ष जी आखिरी बात रह गई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मा0 मंत्री जी बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं इस सदन में साथी लोग बैठे हैं क्या विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर बिना नीलामी बोले दो सौ ढाई सौ गज का प्लाट आवास विकास प्राधिकरण मुहैया करायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

कहां ? यह तो बताइए किस जगह ?

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, जिनके पास नहीं है उनको मुहैया करायेगा। नोएडा हो, गाजियाबाद हो।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए आपके जनपद में यमुना है वही रहो। मा0 सण्डा साहब।

श्री अनूप सण्डा–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

अब समय ज्यादा नहीं है। सभी पार्टी के सदस्य बोल चुके हैं। आपके तो तीन लोग बोले हैं।

'श्री अनूप सण्डा–

मान्यवर, माननीय आवास मंत्री जी द्वारा रखे गए आवास विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, समाजवादी आंदोलन की शुरुआत में यह नारा दिया गया था कि 'रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिन्दुस्तान' मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उसको सिर छुपाने के लिए एक छत चाहिए और आज यह हालात हैं खासतौर पर बड़े नगरों और महानगरों में गरीबों के पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 आवास मंत्री जी को जिनके दिल में गरीबों के लिए संवेदना है। गरीबों का दर्द जो समझते हैं किसी भी गरीब की पीड़ा उनके दिल को पीड़ा पहुंचाती है। इस बात को समझते हुए उन्होंने तमाम योजनाओं की शुरुआत की है। समाजवादी आवास योजना, इसके अन्तर्गत सस्ते दामों पर जो लोग आवास उपलब्ध कराना चाहते हैं जो संस्थायें जो बिल्डर आवास बनाना चाहते हैं उनको तमाम सुविधायें देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो योजनायें बनती थीं वह बनती तो थीं लेकिन लागू नहीं हो पाती थीं उसको समयबद्ध करके कि 60 दिन के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो डेवलपर होगा उसको तमाम सारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 आवास मंत्री जी को बधायी देना चाहता हूं जिन्होंने लगातार एक सिलसिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरू किया है नगरों के विकास का। लोगों को आवास उपलब्ध कराने का और तमाम अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का। मेट्रो रेल जिसकी आने वाले समय में लगभग 23 किमी0 की लम्बाई एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक होगी। मेट्रो रेल के माध्यम से यह लखनऊ भी देश के तमाम महानगरों की तरह से पूरे देश के नक्शे पर आने वाला है। जहां मेट्रो रेल की लगभग 6880 की करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना प्रारम्भ होगी और इसके माध्यम से विकास के नये दरवाजे खुलेंगे। तो प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा। इस बात के लिए हम बधाई देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अनूप सण्डा–

मान्यवर, हम लोग तो कभी बोलने को नहीं पाते। कभी आपसे निवेदन भी नहीं करते। आज मौका मिला है तो दो मिनट में अपनी बात कह लेने दें। कुछ लोग हाईजैक किये रहते हैं और वही लोग लगातार बोलते हैं। थोड़ा हम लोगों को भी अपनी बात कह लेने दें। मा0 अध्यक्ष जी, नगरीय निर्बल वर्ग आवास योजना, जिसके अन्तर्गत अल्प आय वर्ग आवास योजना, मध्यम एवं उच्च वर्ग आवास योजना हैं। मैं मा0 आवास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए जितने संवेदनशील हैं और जितने संवेदनशील ढंग से इन योजनाओं को लागू कराने के लिए आप लगातार व्यक्तिगत रूप से श्रम करके समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं को लागू करा रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। विपक्ष के कई सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि उनके कार्यकाल में जो स्मारक, संग्राहलय और तमाम कथित तौर पर जो पत्थर के पार्क बने हैं उनकी देख–रेख नहीं हो पा रही है। उनकी देख–रेख के लिए 11 हजार 116 करोड़ रुपये का बजट मा0 आवास मंत्री जी द्वारा रखा गया है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैं सुल्तानपुर से चुनकर आता हूं। सुल्तानपुर एक बहुत छोटा सा शहर है बहुत छोटी सी नगर पालिका है जिसकी कुछ समस्यायें हैं। वह मैं मा0 आवास मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया था कि मान्यवर, कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बने थे। सुल्तानपुर में 168 मकान बन्द होकर उनमें ताला बन्द है। और लगभग 600 से ज्यादा आवेदन डूडा के पास पड़े हुए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अगर इस संबंध में कुछ विचार कर लिया जाये कि उनमें से चाहे लाटरी के माध्यम से चाहे जांच कराकर किसी भी तरह से अगर वह 168 मकान जो खाली पड़े हैं अगर वह उन गरीबों को आवंटित किये जायें तो 168 परिवारों को रहने के लिए छत मिल जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

विधायक जी यह तो आप अपने जिलाधिकारी से कहिये यह तो बड़ा स्थानीय काम है। इसे तो जिलाधिकारी ही कर देंगे। यह तो इस स्तर की बात ही नहीं है।

श्री अनूप सण्डा–

मा0 अध्यक्ष जी, एक अन्तिम निवेदन मैं मा0 मंत्री जी से करना चाहूंगा कि सुल्तानपुर बहुत छोटा सा शहर है और उरई जैसे शहरों में भी विकास प्राधिकरण का गठन हो गया है। आप जानते हैं कि सुल्तानपुर का बहुत अनियोजित तरीके से विकास हो रहा है। अगर सुल्तानपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में भी सरकार कोई विचार करेगी तो इससे भी सुल्तानपुर का विकास बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश बंसल–

मान्यवर, मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तरफ से तीन लोग बोल चुके हैं। आप लिख कर दे दो। मैं जुड़वा दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन बड़े सम्मान का दिन है। जितना इण्टरवीन माननीय नेता सदन ने आपके कटमोशन पर किया है, हमें याद नहीं इतनी बार किसी मुख्य मंत्री ने इण्टरवीन किया हो। अब यह देखना है, आप कितने भले आदमी हैं ? आप भले तो हैं, अगर आज आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो मैं भी लिख कर दे दूंगा कि आप भले आदमी हैं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात कही है उसके लिए मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं। जो सच है उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि जिन कालोनी को रेगुलराइज करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और सरकार चाहती भी है उसमें कोई कोर्ट का मामला है। इसी प्रकार का मामला कोर्ट का दिल्ली के लिए था जहां पर अवैध कालोनी थी वहां पर सरकार ने एक कानून बनाकर लाई थी और तो निर्धारित मानकों के अन्तर्गत निर्धारित नियम बना दीजिये तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। मान्यवर, दूसरी बात जो कालोनीज हैं, उनको मूलभूत सुविधायें कम से कम जल निकासी की और मुख्य मार्गों की वह हो जाये बाकी मैं नहीं कह रहा कि नाली वगैरह बनवा दीजिये लेकिन जल निकासी और मुख्य मागों के बनने का निर्देश अगर आप दे देंगे तो वह बनना प्रारम्भ हो जायेगा जो रुका हुआ और अन्त में एक बात जो आवास विभाग का जो सारा बजट है यह लखनऊ के लिए है। आज जितना भी बजट है अगर मैं मदवाइज गिनता हूं तो कठिनाई हो जायेगी, सारा लखनऊ के लिए है।

अगर लखनऊ में ही सारा प्रदेश होता तो यह वापस आ जाता। आपसे निवेदन है कि लखनऊ के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। विनम्रतापूर्वक आखिरी सेन्टेन्स कह कर अपनी बात खतम करूंगा कि कानपुर में विश्व बैंक, बर्रा एक कालोनी है, जो विकास

प्राधिकरण द्वारा डेवलप की गयी थी उसमें ए,बी,सी,डी,ई,एफ,आई,जे,के यह 9–10 ब्लाक हैं। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारे एक साथी विधायक के निवेदन के उपरान्त, सारे ब्लाक के सीवर को दुरुस्त करने का आदेश दे दिया था। उसमें आई,जे,के यह तीन सेक्टर बाकी हैं। मेरा निवेदन है कि अगर आप इन तीन सेक्टर के बारे में भी आदेश कर देंगे क्योंकि 12 सेक्टर में से अगर 3 सेक्टर बाकी रह जायेंगे तो यह एक मिसिंग लिंक होगा, उससे कठिनाई होगी। उन 03 के बारे में भी आप कह देंगे तो कृपा होगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने बहुत से सुझाव दिये, अच्छे सुझाव हैं और हम महाना जी को बताना चाहते हैं शहरों में जितने भी कालोनियां और गांव हैं वह सभी मास्टर प्लान, सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। पुलिस चौकी से लेकर अस्पताल, शिक्षक संस्थाओं से लेकर सभी आवश्यकताओं उपयोग को ध्यान में रख कर मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जाते हैं और जो अभी विश्व बैंक के द्वारा जो कालोनी का है, जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और पैसा भी दे दिया है वह जो आई,जे,के सेक्टर आप बता रहे हैं, उन सभी में वह सुविधायें पूरी हो जायेंगी और समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत जो आपने जानना चाहा था, तो दो से तीन लाख तक आवास बनाया जाना है, यह इस बजट में प्रस्तावित भी है और जो मध्यम वर्ग के लोगों को और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को जरूरत भी है, आज के मंहगाई के युग में जरूरत भी है, जो कालोनियां बन रही हैं, एक–एक करोड़ से ऊपर के भी आवास हैं, जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग नहीं मकान ले सकते हैं उनके लिए चार लाख से ले करके पन्द्रह लाख तक के मकानों की व्यवस्था की गई है, उनका ध्यान रखा गया है और हम महाना जी से चाहेंगे कि आप भी नगर विकास आवास मंत्री रहे हैं, जो भी कालोनी आपने स्वीकृत की हो और उसमें सभी सुविधायें जो अधूरी रह गई हों, वह भी बता देना।

श्री मोहम्मद आजम खां–

या ऐसी कालोनी जिसमें सभी सुविधायें रही हों, जो आपने की हों, वह बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

तो ऐसी भी कालोनी बता देना और जो डाक्टर साहब ने कुछ बातें कही हैं, गोरखपुर में दिव्यनगर कालोनी और जितनी अवैध कालोनियां हैं, ले–आउट पास करके उन पर रोक लगाई जायेगी और जिस तरीके से आपने कहा कि हेल्थ सेण्टर और इसके साथ–साथ अवैध निर्माण को रोकने के लिए अरबन प्लानिंग ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की है, इसमें जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। जो शर्मा जी ने कहा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कब्जे से मुक्त विकास की ओर हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किये दे रहे हैं और हम दिखवा भी लेंगे उनको। नीरज कुशवाहा जी ने भी अरबन प्लानिंग ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए जो बात कही है तो उसमें भी जो दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

और मा0 शुक्ला जी ने जो बताया उसको भी दिखवा लीजिएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वह भी दिखवा लेंगे, जो पंचायतों द्वारा अवैध नक्शा पास किया जा रहा है, उसे भी दिखवा लिया जायेगा, उस पर भी रोक लगा दी जायेगी, पंचायतें नक्शा पास न करें। तो इस तरीके से महाना जी आपने जो कहा, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। मैंने पहले तो चकगंजरिया में शुरुआत कर दी है, 320 एकड़ भूमि पर अवस्थापना सुविधाओं द्वारा 100 एकड़ भूमि पर आई0टी0 सिटी, 50 एकड़ भूमि पर भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय कैंसर संसथान मेडिसिटी तथा चिकित्सा सुविधायें 20 एकड़ भूमि पर पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कार्डियोलॉजी सेण्टर तथा 20 एकड़ भूमि पर आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लाण्ट, 25 एकड़ भूमि पर प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, 10 एकड़ भूमि पर संस्कृत स्कूल, 05 एकड़ भूमि पर सी0एस0आई0 टावर की स्थापना, तो हमने तो शुरुआत कर दी है। डा0 साहब इसी तरीके से गोरखपुर में, इसी तरीके से अन्य सभी शहरों में हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। मेट्रो रेल की शुरुआत लखनऊ से कर ही दी है, गाजियाबाद में एक्सटेंशन हो ही रहा है। जनेश्वर मिश्रा पार्क बन ही रहा है, आप जनेश्वर मिश्रा पार्क में चले जाना, देख लेना उसमें बहुत सुविधायें होंगी और हरा–भरा होगा, पत्थरों का नहीं होगा, हरा–भरा होगा, टेम्परेचर घटेगा, बढ़ेगा नहीं। साइकिल ट्रैक भी होगा, वॉटर बॉडी, टॉयलेट से ले करके जॉगिंग के लिये सभी सुविधायें उसमें होंगी। उस पार्क में लन्दन आई के पैटर्न पर लखनऊ आई की स्थापना होगी वह इन सभी सुविधाओं से युक्त होगा। गोमती के तट पर तो शुरू हो गया है, बहुत बार नारे दिये गये, बहुत बार उस पर सफाई हुई, झाड़ू भी चले, फोटो भी खींचे गये, बहुत कुछ हुआ लेकिन अब गोमती पर देख आना, चले जाना इस काम की शुरुआत हो गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, क्रीड़ा संकुल का निर्माण इन सब कामों की शुरुआत कर दी है। आगरा में इनर रिंग रोड का विकास शुरू हो गया है। शहरों की जो मेन समस्या है हैण्ड पम्पों की तो उसकी भी शुरुआत की जा रही है, शुद्ध पानी भी मिले, ये भी शुरुआत की जा रही है। वह नेता सदन यहां पर बीच में करेंगे। लखनऊ शहर में जो यातायात की समस्या का सवाल है तो आर0ओ0बी0 बन रहे हैं। लखनऊ शहर में समाधान के लिये डालीगंज, मोहिबुल्लापुर, पुरनिया चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ–सुल्तानपुर राजमार्ग पर ईस्ट आर0ओ0बी0 का काम शुरू कर दिया गया है। बनारस में भी आर0ओ0बी0 कर दिये हैं। गोरखपुर में भी बता देना, जहां–जहां से आर0ओ0बी0 पुल की आवश्यकता थी शहरों में उनकी भी शुरुआत कर दी गयी है। सारी सुविधाओं की हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। अब शहरों की बढ़ती हुयी आबादी पर हमारी सरकार ने कि गांव का आदमी गांव में रुके इसलिये बिजली भी गांव की ज्यादा बढ़ाई है। वहां पर स्कूल भी बनें ताकि गांव का आदमी गांव में रुके तो ये सब काम किये जा रहे हैं। हम महाना जी से कहेंगे कि जब इतनी सुविधाओं से आपकी बात मान

ली है, संसदीय कार्य मंत्री ने भी आपको कहा है तो ये कटौती का प्रस्ताव वापस करो। सुझाव दे देना और कुछ बता देना इसलिये ये कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, गोरखपुर में जो सहारा कालोनी पर रोक लगी हुयी है, उसको देख लीजिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ठीक है, उसको भी देख लेंगे। अब तो प्रस्ताव वापस ले लो। अच्छा और भी कुछ हो तो कान में चुपचाप बता देना। डा0 साहब से कहेंगे कि योगी महाराज के लिये भी कुछ मांग लो। आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लो और सर्वसम्मति से बजट पास करा दो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,68,09,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख्समय 3 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–12 कृषि तथा उससे सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो यह जो भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग है, यह सिंचाई विभाग में जुड़ गया, तो एक ही साथ सभी ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

क्या तो सिंचाई भी साथ में ले रहे हैं। आप प्रस्ताव रख दीजिए लेकिन विपक्ष का कटमोशन अलग–अलग रखने का विचार है। ठीक है, विपक्ष वाले कटमोशन अलग–अलग रख लीजिएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,08,19,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 76,54,76,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 34,43,60,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 03 बजकर 04 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष जी, यह सिंचाई विभाग का बजट है। बहुत पुरानी और सबसे बड़ी सिंचाई योजना, नहर विभाग में 1823 में यमुना नहर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1854 में अपर गंगा नहर की शुरुआत हुई थी और 1900 में सुकवा–ढुकवा डैम जैसी अनेक सिंचाई संरचनायें बनीं जो आज भी अपना काम कर रही हैं तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग का बजट है और हमारी सरकार ने वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और वह इसलिए लिया है माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं 1954 में हमारी समाजवादी पार्टी के महान नायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चिन्तक और अर्थशास्त्र के विद्वान डॉ0 राम मनोहर लोहिया वर्ष 1954 में आह्वान किया था कि बढ़े हुए नहर का वेट घटाने के लिए उन्होंने पूरे देश में पूरे देश ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया था और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी मात्र उस समय 14 वर्ष के थे और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी उस आन्दोलन में। लोहिया जी जर्मनी से अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि लेकर भारत लौटे थे तो वह जानते थे लोहिया जी कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर और बेहतर किये बिना जनता का भला नहीं हो सकता और हमारी पार्टी का उस समय नारा भी था कि दवा, पढ़ाई मुफ्त हो और आबपाशी सस्ती हो तो उस समय यह आन्दोलन चलाया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने वायदा भी किया था किसानों के बीच में कि सिंचाई को ट्यूबवेल की सिंचाई और नहरों की सिंचाई को माफ करेंगे तो हमारी सरकार ने अभी इस वायदे को पूरा कर दिया है। दवा, पढ़ाई भी मुफ्त कर दी है और किसानों की सिंचाई को भी मुफ्त कर दिया है और इतना ही नहीं हमारा संकल्प भी है, हर खेत को पानी देने का हमारा संकल्प भी है और कोई भी किसानों की, कहीं भी किसानों की फसल सूखने न पाये। यह हमारा संकल्प है और इसके लिए हमने शुरुआत कर दी है हमने शुरुआत करी है।

अभी आपने देखा भी होगा कि साल में दो बार नहरों की सिल्ट सफाई मैने कराई है और इसकी वजह से 12 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था करी है तो यह

केवल यह ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किये हैं और इसी के तहत हमने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश का चाहे बुन्देलखण्ड हो, चाहे पूर्वान्चल हो और चाहे मध्यांचल हो, पश्चिमांचल हो, रूहेलखण्ड हो तो इसके लिए मैंने कहा कि आज भी हमारी जो सिंचाई व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था है, नहर व्यवस्था है, 73000 किलोमीटर नहरे हैं और 31 हजार ट्यूबवेल प्रदेश में इस समय काम कर रहे हैं और 275 लिफ्ट कैनाल और 65 जलाशय हैं जिसके द्वारा सिंचाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में तो यह बहुत बड़ी सिंचाई व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की तो इसके लिए मैंने काम किया है और इसी के लिए बजट हम लाये हैं और बहुत योजना लाये हैं और बहुत पूरे प्रदेश मे शुरुआत भी हमने कर दी है उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था न केवल ऐतिहासिक अपितु विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था में से एक है पूर्वी यमुना नहर, अपर गंगा नहर, ढुकवा डैम जैसी अनेक सिंचाई योजनायें आज भी अपना काम कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार राजकीय सिंचाई की सुविधा किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में पहली बार अभियान चलाकर खरीफ और रबी की दोनों फसलों के दौरान प्रदेश की नहरों की पूर्ण सिल्ट सफाई का काम कराया गया है। सिंचित क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसकी व्यापक प्रशंसा हुई है। विश्व बैंक द्वारा भी इस प्रयास की सराहना की गई है। विगत दो वर्षों में कुल 37983 किलोमीटर नहरों की सफाई कराई गई है, जिसमें लगभग 12 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन सुविधा किसानों को उपलब्ध हुई है। इस प्रकार 49552 किलोमीटर कुल ड्रेनेज के सापेक्ष 4087 किलोमीटर ड्रेनों की सफाई कराई गई है। उत्तराखण्ड सरकार से वार्ता कर हमने टिहरी डैम जिसमें पहले 820 मीटर तक का पानी भरा जाता था उसको हमने बढ़वा कर 830 मीटर तक करवाया है। पहले इसमें 820 मीटर पानी भरा जाता था, अब 830 मीटर तक पानी उसमें भरा जायेगा। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर स्नान आदि के लिये श्रद्वालुओं के लिये जल की कोई कमी नहीं आने दी गई है।

आपने देखा है कि नदियों में कभी–कभी पानी नहीं रहता था, कुंभ के समय तक में कभी–कभी पानी की कमी हो जाती थी और भी धार्मिक अवसरों पर पानी की कमी हो जाती थी तो इन तीन वर्षों में कहीं पर भी पानी की कमी नहीं आने दी गई है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लखनऊ के तेलीबाग में अत्याधुनिक कमाण्ड सिस्टम की स्थापना करके देश में एक अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उस सेण्टर को एक बार जाकर अवश्य देख लें। आज पहली बार प्रदेश में नहर प्रणाली के लिये वैज्ञानिक रूप से डायग्राम विकसित कर लिया गया है, जिसकी सहायता से ऐसी नहरें चिन्हित की गई हैं जिसकी क्षमता सिल्ट जमा होने के कारण कम हो गई है। ऐसी नहरों के पुनरोद्धार के कार्य बृहद् स्तर पर प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को न केवल यह अवगत कराना चाहता हूं, बल्कि विभाग के अधिकारियों को बधाई भी देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयासों के चलते चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्त तक

सिंचाई संसाधनों के सुधार, विकास एवं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये लगभग 4500 करोड़ रुपये उपयोग करने में हम सफल हुये हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार किसी भी वर्ष 2600 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय नहीं कर सकी थी। मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्र से वित्त पोषित सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से का 722 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों में से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर धन स्वीकृत करते हुए उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है, जो वर्तमान सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी को इस बात से अवगत होना चाहिये कि प्रदेश के विकास एवं किसान के हित को राजनीति से परे रखा जाये। ऐसी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं, जिनका लाभ समय से किसानों तक न पहुंचे। मैं विभाग की अपनी पूरी टीम की प्रशंसा करना चाहूंगा कि ऐसी परियोजना जो पिछले 25–30 वर्षों में केवल समय–समय पर ठेके देने के लिये प्रारंभ की गई थी को अब न केवल समयबद्ध रूप से पूरा कराया जा रहा है, अपितु कृषकों को इससे लाभ भी मिलना प्रारम्भ हो गया है। उदाहरण के रूप में ऐसी कुछ परियोजनाओं के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। सरयू परियोजना विगत 32 वर्षों से क्रियाशील है। इस परियोजना में 9 जनपद क्रमशः बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, सिद्वार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज लाभान्वित होंगे। 1982 में इसकी लागत 299 करोड़ थी जो अब बढ़कर 7270 करोड़ हो चुकी है और अब वर्तमान दर और भूमि के मूल्य में हुयी वृद्वि के कारण इसे पूरा करने के लिये लगभग 5 हजार करोड़ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी । इन 32 वर्षों में 2844 करोड़ रुपये का व्यय तो किया गया लेकिन वास्तव में नहरों में 1400 गैप्स होने एवं 125 किमी0 लम्बी राजकीय नहर में एक इंच भी खुदाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई का कोई लाभ नहीं मिला । हमारी सरकार के गठन के पश्चात् मात्र दो वर्षों में परियोजना को राजकीय परियोजना घोषित कराते हुये एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1000 गैप पूर्ण करके और 103 किमी0 मुख्य नहर और 150 किमी0 रजवाहे, अल्पिकायें खुदाई कर 7 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्वि की गयी । इस परियोजना हेतु 2015–16 में 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसके अलावा एक बाणसागर परियोजना है, यह भी बहुत पुरानी परियोजना है, 20 वर्ष पूर्व इसकी लागत मात्र 300 करोड़ थी और वर्ष 2008 की दरों पर यह लागत बढ़कर 3145 करोड़ रुपये हो गयी । इसमें दो जनपद इलाहाबाद और मिर्जापुर के किसान लाभान्वित होंगे । अधिष्ठाता महोदय, आपको अवगत कराना है कि इस परियोजना पर पिछली सरकार के कार्यकाल में 1270 करोड़ रुपये व्यय कर दिये गये किन्तु इलाहाबाद और मिर्जापुर के किसानों को एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिये नहीं मिला । यह भी एक रोचक तथ्य है कि अलीगढ़ में बैठकर चीफ इंजीनियर इसका संचालन कर रहे हैं, कहां बाणसागर परियोजना है और अलीगढ़ से इसका संचालन हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, किसानों की हितैषी हमारी इस सरकार के गठन के पश्चात्

436 करोड़ रुपये व्यय करके करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है, इससे 50 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा किसानों को मिल जायेगी । परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 में 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जिससे यह परियोजना वर्ष 2016 तक पूरी कर दी जायेगी ।

एक और कनहर परियोजना है, यह सोनभद्र की रूबी विधायक जी बैठी होंगी, अधिष्ठाता महोदय, यह सोनभद्र जिले के सूखाग्रस्त और पिछड़े क्षेत्र की परियोजना है। 33 वर्ष पूर्व जब यह परियोजना प्रारम्भ हुयी थी तो इसकी लागत मात्र 27 करोड़ थी हमारी सरकार के आने से पूर्व यह परियोजना शिथिल अवस्था में थी । हमारी सरकार के बनते ही परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा केवल उक्त परियोजना को नाबार्ड से स्वीकृत करा लिया गया । इस योजना के जितने भी लोकल मुद्दे थे वह सभी सुलझा लिये गये और इस चालू वित्तीय वर्ष में 195 करोड़ रुपये व्यय करके इसको बहुत गति दे दी गयी । सरकार द्वारा योजना से प्रभावित जितने भी कृषक परिवार के लोग थे, जो भी गरीब लोग थे, उनके परिवारों को पुनर्वास हेतु 150 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल स्वीकृत कर दी गयी ....

(इस समय 03 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

तो यह वहां पर बसा दिया गया है, वहां पर जितने भी प्रभावित लोग थे, 150 करोड़ रुपए लगा करके उनका वहीं पर पुनर्वास करा दिया गया है। एक योजना बदायूं सिंचाई परियोजना है इसकी बदायूं में बहुत जरूरत है वहां पर डार्क ब्लॉक हो रहे हैं, गंगा पड़ोस में है। तो बरेली के कृषकों को 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देने के लिए गत सरकार ने बिना वित्तीय साधन जुटाये ठेके पर दे दिये। हमारी सरकार द्वारा नाबार्ड से परियोजना हेतु 537 करोड़ रुपए स्वीकृत करके गत दो वर्षों में 300 करोड़ रुपए व्यय किये, शीघ्र ही यह परियोजना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर ली जायेगी। वैसे तो हमने स्वयं देखा है मौके पर जा करके। परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 108 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में कर दिया है। जनपद आजमगढ़ नहर प्रणाली का पुनरोद्धार करना है उसमें पानी नहीं जाता है, अभी हम लोग वहां पर गये थे किसानों की मांग भी थी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, शारदा सहायक से आजमगढ़ जनपद की नहरों में टेलों तक पानी न पहुंचने के कारण 108 करोड़ रुपए की कार्य योजना बना कर नहरों के पुनरोद्धार का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसमें दरियाबाद, सुल्तानपुर, फैजाबाद, टांडा, गौरीघाट, निजामाबाद, लालगंज आदि नहरों पर कार्य किया जाना है और मुझे विश्वास है कि नहरों के पुनरोद्धार सम्बन्धी इन कार्यों में बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़ जनपदों में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की सुविधा होगी। आजमगढ़ में टेल तक लगातार पानी पहुंचेगा, बलिया है, मऊ है, गाजीपुर है, हमने तो स्वयं जा करके देख लिया है, गाजीपुर भी देख लिया, मऊ भी देख लिया है मैनें सारे पूर्वांचल के जिले देख लिये हैं और इसी तरीके से मैनपुरी में 30 करोड़ की लागत से बरनाल नवीं नहर का निर्माण कराया जा रहा है वहां पर भी डार्क ब्लॉक हो रहे थे, मैनपुरी में भी डार्क ब्लॉक हो रहे थे, वहां पर मैंने बदनपुर और बरनहाल, दो नहरें निकालीं हैं, उनका शुद्धीकरण कराना है और इसकी लम्बाई 18 किलोमीटर आगे

बढ़ाने का कार्य कराया गया है, इससे मैनपुरी के किसानों को पर्याप्त सुविधा मिल जायेगी। कन्नौज में डार्क जोन में आने वाले दो विकास खण्ड, कन्नौज में भी दो डार्क ब्लॉक हो रहे थे, तो अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा भी थी, अन्तर्गत जनपद कन्नौज के सालग्राम, जलालाबाद ब्लॉक डार्क जोन में आ गये हैं। सतही सिंचाई परियोजना के तहत देवा नहर से लगभग 30 किलोमीटर की लम्बाई की नई नहर का निर्णय लिया है इसके लिए 244 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार है। इस परियोजना में उक्त ब्लॉकों में भू–जल स्तर रिचार्ज तथा खेतों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। रामपुर में भी, जनपद रामपुर हेतु नया बैराज बना कर वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करनी है जनपद रामपुर में कोसी नदी पर नया बैराज बना कर 216 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2015–16 में 30 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था अभी है, 30 करोड़ रुपए तुरन्त इस बजट में कर दिया गया है। गण्डक नहर प्रणाली के पुनरोद्धार की परियोजना। गण्डक की भी बहुत मांग थी कुशीनगर और देवरिया में। अधिष्ठाता महोदय, कई वर्षों से गण्डक नहर प्रणाली का पुनरोद्धार न होने के कारण इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में 15,800 क्यूसेक से घटकर 10,000 क्यूसेक रह गयी थी, 15800 क्यूसेक पानी देना था और पानी रह गया था 10,000 क्यूसेक। इस नहर प्रणाली का पुनरोद्धार करा देने से नहर मूल क्षमता से चल पायेगी, जिससे जनपद महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जनपदों में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। अधिष्ठाता महोदय, यह परियोजना नाबार्ड से 247 करोड़ रुपये पर अनुमोदित करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये निर्गत कर दिये गये हैं और वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है। **उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रि–स्ट्रक्चरिंग परियोजना–** समाजवादी सरकार के गठन के पश्चात् प्रदेश के 16 जनपद बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, ललितपुर, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर तथा कौशाम्बी में निचली गंगा नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक से न केवल परियोजना की स्वीकृति करायी गयी बल्कि मौके पर 700 करोड़ रुपये व्यय करके कार्य भी कराये गये हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि निचली गंगा नहर प्रणाली से 2100 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद के अन्तर्गत रोहिणी, जामिनी, सजणम बांधनहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार का कार्य बहुत तेजी से शुरू करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 200 करोड रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जसराना नहर परियोजना, जनपद फिरोजाबाद में 130 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन जसराना नहर परियोजना के अन्तर्गत लगभग 40 कि0मी0 लम्बी नहर प्रणाली का कार्य प्रगति पर है और अधिकांश कार्य जून, 2015 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। इस परियोजना में सिंचाई के साथ–साथ फिरोजाबाद शहर को पानी पीने के लिए भी उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 48 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ सूचना प्रणाली संगठन, सिंचाई विभाग के समस्त कार्यालयों का

कम्प्यूटरीकरण कर सूचना तकनीकी से सुसज्जित किया गया है तथा इसे लखनऊ स्थित मुख्यालय स्तर पर कमाण्ड सेण्टर से जोड़ा गया है, जिससे परियोजनाओं के संचालन एवं प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है। समस्त कृषकों से सीधे संवाद एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु हेल्प लाइन टोल–फ्री नं0– 1800–180–5450 की सुविधा क्रियाशील करा दी गयी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में 3083 करोड़ रुपये के लागत की परियोजना जो 4 वर्षों में पूर्ण होनी थी, के अनुबंध तो गठित कर दिये पर आवंटन सिर्फ 1300 करोड़ रुपये का ही किया गया। वर्तमान सरकार ने आते ही इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाया तथा गत तीन वर्षों में 1237 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये, जिससे 13 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं में से वर्तमान सरकार ने अब तक 4 परियोजनायें पूर्ण करा दी हैं, शेष 09 परियोजनायें आगामी दो वर्षों में पूर्ण करा ली जायेंगीं। इसी क्रम में बुन्देलखण्ड में जमरार बांध परियोजना फेज–टू हेतु रुपया 50 करोड़, पहाड़ी बांध हेतु रुपया 70 करोड़, बण्डई बांध हेतु रु0 120 करोड़, भावनी बांधहेतु रु0 50 करोड़, उटारी बांध हेतु 10 करोड़, कचनौंदा बांधहेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। हमेशा कहा जाता था कि बुन्देलखण्ड सूखा प्रदेश है। हमेशा प्रचार किया गया था कि बुन्देलखण्ड सूखा प्रदेश है। अधिष्ठाता महोदय बुन्देलखण्ड में पानी की कोई कमी नहीं है। जब इतने बांध तैयार हो जाएंगे तो बुन्देलखण्ड के अलावा दूसरे प्रदेशों को भी पानी उपलब्ध होगा। बुन्देलखण्ड की जनता को पानी पीने के लिए झांसी जिले की बबीना तहसील में 15 गांव को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर कार्य चल रहा है पिछले वर्ष इस कार्य हेतु 10 करोड़ स्वीकृत किए गए थे वर्ष 2015–16 के लिए 5 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पूर्व निर्मित बांधों के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 125 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना अधिष्ठाता महोदय बुन्देलखण्ड क्षेत्र हमीरपुर महोबा एवं बांदा में अर्जुन सहायक परियोजना जो वर्ष 2009–10 से निर्माणाधीन है इस परियोजना की कुल लागत 807 करोड़ है। इस परियोजना पर मार्च 2014 तक 597 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं। यह परियोजना शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 109 करोड़ 79 लाख लाख 49 हजार की बजट व्यवस्था प्राविधानित की गई है। इसके अलावा एरच बहुउद्देश्यीय परियोजना जनपद झांसी में ऐरच के पास बेतवा नदी पर नया बैराज बनाकर 612 करोड़ की एक बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने से पीने के पानी की सुविधा के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी होगी। इस परियोजना से बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में 51 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित कर दी गई है। जल सुरक्षा के लिए बन्धियों एवं तालाबों के शुद्धीकरण अधिष्ठाता महोदय आप भलीभांति अवगत हैं कि विगत वर्षों में भूमि के अन्दर के पानी का लगातार दोहन करने से जल का स्तर लगातार घट रहा है। जिससे प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में आ

गए हैं। इसमें बुन्देलखण्ड के जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी बांदा आदि क्षेत्रों के साथ साथ जनपद बरेली, बिजनौर चंदौली के क्षेत्रों में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ।

ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए वर्षा जल संचयन हेतु 116 बड़े–बड़े तालाबों का पुररुद्धार 189 नई बन्धियों का निर्माण तथा दो बड़ी झीलों का पुनरुद्धार करने की परियोजना तैयार कर ली गई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस हेतु 195 करोड़ 20 लाख रुपए का प्राविधान प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि इन कार्यों से भूमि के गिरते जल स्तर में व्यापक सुधार आएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा के साथ साथ जैविक विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। सिंचाई यांत्रिक विभाग की वजह से यद्यपि 31 हजार राजकीय नलकूपों का नेटवर्क है फिर भी यह अपर्याप्त है। हमारी सरकार द्वारा गत दो वर्षों में दो हजार 728 नए राजकीय नलकूप 551 नलकूपों का पुनर्निमाण 4,528 नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा एक हजार नौ सौ अरसठ नलकूपों का ऊर्जीकरण कराया गया । हमारी सरकार बनने से पहले जितने भी नलकूप थे आप देख लें पहले 75 प्रतिशत तक नलकूप खराब थे अब आप पता कर लें हो सकता है कि तीन चार प्रतिशत पांच प्रतिशत इससे ज्यादा खराब नहीं होंगे। हमारा प्रयास है कि वह भी ठीक करा दिया जाय। अधिष्ठाता महोदय प्रदेश में पहली बार राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने हेतु पायलट प्रोजक्ट बनवाए जा रहे हैं शीघ्र ही इसका कार्य शुरू कर दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु नलकूपों के लिये 353 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था करा दी गई है। (मेंजों की थपथपाहट) अधिष्ठाता महोदय, सदन का प्रत्येक सदस्य अवगत है कि प्रति वर्ष प्रदेश में लगभग 34 जनपद बाढ़ से प्रभावित होते हैं और पिछले 65 वर्षों में प्रदेश के 1/3 प्रभावित क्षेत्र ही बाढ़ से सुरक्षित हो पाया है। 60 सालों में 1/3 प्रभावित क्षेत्र ही बाढ़ से सुरक्षित हो पाया है। इसलिये बाढ़ की परियोजना के वित्त पोषण हेतु विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से संसाधन जुटाये गये लेकिन पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कभी भी 15 प्रतिशत से ऊपर धनराशि नहीं मिल पाई।

हमने बहुत प्रयास किया, कई बार मीटिंग भी की, लेकिन वहां से जो धनराशि मिलनी चाहिए थी उसके सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि नहीं मिल पाई जो कि केन्द्र सरकार की उदासीनता का परिचायक है। सीमित संसाधनों के होने के बाद भी राज्य से संसाधन जुटाये गये। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अति संवेदनशील, संवेदनशील बांध सुरक्षित रहें। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वांचल की नदियों का उद्गम स्थल नेपाल राष्ट्र में है इस कारण नेपाल के अधिकारियों से वार्ता की गई है। बाढ़ का पूर्वानुमान करने हेतु एक साफ्टवेयर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बाढ़ आने से पूर्व उसकी जानकारी मिल जाय। (मेजों की थपथपाहट) बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 738 करोड़ रुपये की व्यवस्था करा दी गई है। और इस समय अभी लखनऊ महानगर गोमती रिवर फण्ड। अधिष्ठाता महोदय, सदन के सभी सदस्य अवगत हैं कि समय–समय

पर विभिन्न राजनेताओं द्वारा गोमती नदी पर मात्र झाड़ू फावड़ा चलाकर, अखबारों में फोटों खिंचवाने तक ही साफ कराने का नाममात्र प्रयास किया गया।

लेकिन लखनऊ शहर की जीवनदायिनी गोमती नदी की सफाई, उसके किनारों का सौन्दर्यीकरण करने की सम्पूर्ण परियोजना कभी नहीं बनी। हमारे ऊर्जावान युवा मुख्य मंत्री जी द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त सिंचाई विभाग द्वारा गोमती को एक विश्वस्तरीय स्वरूप दिये जाने का बीड़ा उठाया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके अलावा सरकार द्वारा गोमती नदी में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिये शारदा नहर के महदोइया एवं अटरिया स्केपों की पुर्नस्थापना कर उन्हें गोमती से जोड़ दिया गया है। देश में पहली बार चलती नदी में एक कच्चा बन्धा बनाकर नदी के सामान्य बहाव को डाइवर्ट करके बैराज के गेटों को खोलकर नदी की सफाई का प्रयास किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) नदी की सफाई करने के दौरान माननीय अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजों के समय में नदी में निर्मित एक वियर के दीदार भी वर्तमान पीढ़ी को पहली बार हुए। उक्त योजना के अन्तर्गत नदी के दोनों किनारों पर डाईफ्राम बाल बनाते हुए उसके दोनों किनारों पर सौन्दर्यीकरण के कार्य का एक रिकार्ड समय में विश्व ख्याति प्राप्त मलेशियाई कन्सेल्टेन्ट से विजन डाक्यूमेंट तैयार कराकर न केवल कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है बल्कि इसको दो वर्ष में पूर्ण कराने का इरादा भी है। लखनऊ महानगर में पक्का पुल से लेकर शहीद पथ के मध्य नदी के चेनलाइजेशन सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 80 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु परियोजना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु लगभग 500 करोड़ की व्यवस्था करा दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में गुलों का एक व्यापक नेटवर्क है। यह विभाग अभी तक उपेक्षित था।

यह विभाग अभी तक सिंचाई विभाग में नहीं था यह विभाग अलग था। हमारी सरकार ने निर्णय लेकर इसे सिंचाई विभाग से जोड़ा, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है कि नहरों का पानी खेत तक पहुंचे मौके पर सर्वे कराने से यह ज्ञात हुआ है कि लगभग 75 प्रतिशत गुलें क्षतिग्रस्त हैं और मौके पर ठीक से कार्य नहीं हुए। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय व्ययक में लगभग 311 करोड़ का प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है।

परती भूमि विकास विभाग

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम आई0डबलू0एम0पी0

मान्यवर, वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए वर्ष 2009–10 से अब तक 596 योजनायें स्वीकृत हैं। लक्षित क्षेत्रफल 29 लाख हैक्टेयर तथा अनुमानित लागत तीन हजार पांच सौ चालीस करोड़ है। वर्ष 2009–10 से अब तक 511 करोड़ व्यय करके अब तक तीन लाख चालीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90 और 10 का था। परन्तु भारत सरकार के द्वारा 2015–16 से यह पचास–पचास का अनुपात कर दिया गया। तो पहले यह 90 और 10 का अनुपात था, केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत था और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का था। अब यह 90 और 10 का अनुपात कर दिया गया है। यह है भारत

सरकार। इस वजह से इस योजना पर प्रश्नचिन्ह लग गया। 2015–16 कार्यक्रम में 197 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। हमने तो 197 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित कर दिया है।

अधिष्ठाता महोदय, गंगा पुनर्जीवीकरण योजना 2015–16 में सिंचाई बजट के अनुमोदन के पूर्व मैं एक ऐसे विषय पर मान्यवर, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जो देश की न केवल मां है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। गंगा एवं यमुना नदी पर अविरल धारा बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों से हजारों करोड़ रुपये धनराशि खर्च की गई। यह एक चिन्ता का विषय है कि कई हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी हिंडन नदी के मुहाने पर यमुना नदी में बी0ओ0डी0 का स्तर 30 के ऊपर पाया गया और काली नदी से लेकर कानपुर तक गंगा नदी अत्यन्त प्रदूषित है। अधिष्ठाता महोदय नदियों की सम्पूर्ण जानकारी सिंचाई विभाग के पास रहती है।लेकिन केन्द्र स्तर पर पिछले दस–ग्यारह वर्षों में कभी भी नदियों में पानी बढ़ाने की कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई। नदियों में पानी कैसे बढ़े इसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं है। विभागीय अधिकारियों से बात करके गंगा से उत्तर प्रदेश में बहने वाले भाग यमुना नदी, काली नदी पूर्व व पश्चिम मालिन नदी, रामगंगा, गोमती एवं सई आदि नदियों के कैंचमेंट एरिया का सर्वे कराकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई कार्ययोजना बनाई गई। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की है इस कार्ययोजना पर आई0आई0टी0 रुड़की का मत प्राप्त कर लें। इस परियोजना के अन्तर्गत जल संवर्धन के लिए आधुनिक स्ट्रेक्चर बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। आई0आई0टी0 रुढ़की का मत प्राप्त होने पर इसके वित्त पोषण हेतु सुसंगत संस्थाओं से अनुरोध कर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।

मान्यवर, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये हम यह जो बजट आज लाये हैं तो यह बजट तीन सौ दस करोड़ चौवन लाख चार हजार रुपये तथा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु एक सौ सत्तानबे करोड़ बारह लाख उन्चास हजार रुपये इस प्रकार कुल एक सौ सोलह अरब छब्बीस करोड़ तिरपन लाख तेरह हजार रुपये का बजट हम माननीय सदन के समक्ष हम रख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जब अब तो पूरे प्रदेश का कोई हिस्सा बचा नहीं है इसलिये यह एक बड़ी योजना है और हमनें सिंचाई का जो महत्वपूर्ण बजट है आपके सामने रखा है।

अब सकारात्मक सुझाव तो आपको देने हैं तो दे दीजियेगा। हमनें कोशिश की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले और हर क्षेत्र को पानी मिले और कहीं पर किसानों की फसल सूखने न पाये। मैंने प्रयास भी किया है। इस वर्ष सूखा भी पड़ा था, बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा था, उसके बाद भी आपने देखा था कि मई, जून में भी नहरें चलती रहीं जबकि बरसात के समय में नहरें नहीं चलायी जातीं, क्योंकि सिल्ट जम जाती है, लेकिन किसानों के हित में हमनें उसकी चिन्ता नहीं की थी। सिल्ट जम जायेगी तो सिल्ट निकल जायेगी, लेकिन किसानों की फसल तो बच जायेगी। उसकी वजह से सूखे के बावजूद भी किसानों की फसल अच्छी हुयी। सूखा से किसानों की बहुत बचत हुयी

है। इसलिये आज हम जो बजट लाये हैं हमें भरोसा है कि आप अपनी सहमति देते हुये इसे सर्वसम्मति से पास करा देंगे और आपके जो भी सकारात्मक विचार आयेंगे उसमें जोड़े जायेंगे। इसलिये बिना कटौती लाए इसे पास करा दिया जाये। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नीरज मौर्य जी आप मद संख्या–7(2) पर अपना कटौती प्रस्ताव रखें।

ग्समय 3.50, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, आप मद संख्या–7(3) और 7(4) पर भी कटौती रखवा दें।

श्री अध्यक्ष–

धर्मपाल जी, आप मद संख्या–7(3) तथा 7(4) पर भी कटौती प्रस्ताव रख दें, उसके बाद नीरज जी बोलें।

' डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

नीरज जी, अब आप बोलिए। अब आप तीनों पर बोल सकते हैं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, यह जो परती भूमि विकास विभाग है, इसका जो कार्य–पूर्ति दिग्दर्शक हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है, इसको हमने पढ़ने का प्रयास किया और कम पन्नों में कुछ जानकारियां जो दी गई हैं, उनमें विशेष कर वाटर शेड पर जोर दिया गया है और प्रदेश के लगभग 72 जिलों में इस योजना को संचालित करना बताया गया है। मान्यवर, जो हमारा वाटर सेविंग का कार्यक्रम है, जल संग्रहण या जल विभाजन, यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा महत्वपूर्ण है और तमाम ऐसी जमीनें जहां सिंचाई के लिए नहरें नहीं पहुॅच पाती हैं या अन्य कोई ऐसे साधन नहीं पहुंच पाते हैं जिससे वह सिंचाई कर सकें या तो वहां पर वह बोरवेल लगाते हैं या ऐसे बोरिंग करते हैं और चूंकि आज वहां पर जिस तरह से वाटर लेविल नीचे जा रहा है, कहीं–कहीं तो ट्यूबवेल भी फेल हो जाते हैं। ऐसी भूमि के संरक्षण के लिए इस विभाग की बड़ी महत्ता है और इसके बारे में डिटेल यहां दिया गया है कि यह वर्ष 98 और 99 में क्षेत्रीय विकास विभाग के स्थान पर भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग का गठन किया गया। 17 अप्रैल, 2014 से भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग का पूर्ण गठन होने के फलस्वरूप उक्त विभाग से एकीकृत जल संग्रहण प्रबन्धन, आईडब्ल्यूएमपी का कार्य स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित परती भूमि विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। 17 अप्रैल के बाद इसमें दोबारा संशोधन हुआ कि अब इसको सिंचाई विभाग में कर दिया गया है, ऐसा अभी मा0 मंत्री जी ने सदन को बताया है।

मान्यवर, जल प्रबन्धन को अगर ठीक कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि जो सिंचाई की दिक्कतें हैं, वह काफी हद तक दूर की जा सकती हैं। लेकिन यह योजना चल तो 72 जिलों में रही है और ऐसा बताया गया है कि जो यह योजना है, इसमें हमारे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं या जनसहभागिता है, वह कहीं पर दिखायी नहीं पड़ रही है और यहां तक कि इसकी जो कमेटी बनायी गई है, उसका जो अध्यक्ष है, डी0एम0 बनाया गया है। मान्यवर, डी0एम0 की अध्यक्षता में जितनी भी कमेटियॉ इस तरह की बनती हैं, उसमें हम लोग सदस्य होते भी नहीं हैं और ऐसा इसमें है भी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अगर मा0 मंत्री जी इस पर गंभीर है और इसका भारी–भरकम बजट भी है तो इसमें कमेटी ऐसी बने जिसमें जनप्रतिनिधियों का प्रतिभाग हो। अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश को हमने ले लिया और इसको आप बगैर कटौती के पास करा दीजिए। लेकिन जो हमने आपका पूरा भाषण सुना और जो मुझे यह मिला है, उसमें बहुत से जनपद ऐसे हैं, जहां तक शायद आपकी नजर नहीं पहुंची है और जो यह वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक प्रदेश के 72 जनपदों में 596 परियोजनाओं पर 29.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की आईडब्ल्यूएमपी परियोजना को भारत सरकार द्वारा क्लियर्ड दिया गया है, जिसकी कुल स्वीकृति 3540.79 करोड़ है, बहुत बड़ा बजट है और मान्यवर, इसमें मैंने जो जनपदों का नाम देखा, उसमें बहुत से जनपद जो 72 जनपदों की सूची है, उसमें मैंने अपने शाहजहांपुर को लिया। शाहजहांपुर जनपद के अन्दर इस वाटरशेड पर कहां–कहां काम किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। न ही हमारे किसी विधायक को होगी। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं। हमारे क्षेत्र में मिर्जापुर और क्लान ब्लॉक हैं इन दोनों के बीच हजारों एकड़ जमीन सड़क के दोनों तरफ बंजर पड़ी हुई है और उस पर कुछ किसान तो मेहनत करके थोड़ी–बहुत फसल उगाते हैं लेकिन उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। अगर यह योजना जनपद शाहजहांपुर में चलाई जा रही है तो या तो उन अधिकारियों ने उधर ध्यान नहीं दिया या इस जमीन की तरफ उनकी नजर नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है कि कागजों पर योजना ज्यादा है जमीन पर नहीं है। मान्यवर इसमें दिया गया है कि समेकित वाटर से प्रबन्धन कार्यक्रम में

एस0एल0एन0आर0 स्तर से आयोजित क्षमता निर्माण बहुस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए गए। यह कार्यक्रम अधिकतर लखनऊ में हुए। इनमें एक में 450 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। एक बार राजकीय कार्मिक और वो एक्सपर्ट हैं उन्होंने 27 नियोजनों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण किया। 450 लोग इतने बड़े प्रदेश में अगर प्रशिक्षण पाते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह योजना पूरे देश में प्रभावी है या 72 जिलों में लागू है। 27 लोगों ने जो कि एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसमें अगर आईडब्लूएमपी कार्यों के निस्तारण में प्रतियुक्त बने उससे भी नहीं लगता कि इस योजना को चलाया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो विभाग है हम अगर इसको गम्भीरता से लें और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी जमीनें जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, जहां पर वाटर लेवल नीचे चला गया है वहां पर अगर इस योजना को सही तरीके से लागू कराया जाए तो हम उन किसानों को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं जिनके पास कागज पर जमीन है लेकिन वह जमीन इतनी खराब है कि उस पर वह कुछ कर नहीं पाते। और वह लोग अपने परिवार के जीवन–यापन के लिए या तो प्रदेश से बाहर या प्रदेश में मजदूरी करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो कि यह सरकार इस वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मना रही है। तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विभाग को और गम्भीरता से इसके अधिकारियों के साथ बैठकर देखा जाए कि इन 72 जिलों में क्या–क्या काम हुआ और उसमें अगर यह सुनिश्चित हो जायेगा कि जनप्रतिनिधियों के प्रतिभाग उनको अगर इसमें शामिल किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि सारे लोग बैठक में शामिल होंगे और अपने–अपने क्षेत्र को जो भी इस तरह की जमीनें हैं उनका उस कमेटी के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। तब जाकर यह योजना जमीन पर नजर आएगी। मा0 अध्यक्ष महोदय आज मा0 मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का भी बजट रखा और सिंचाई विभाग से ही बाढ़ नियंत्रण के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राजकीय ट्यूबवेल के बारे में भी मा0 मंत्री जी ने बात की। हमारे जनपद में कई ट्यूबवेल खराब चल रहे हैं और राजधानी लखनऊ के अंदर मैंने स्वयं मा0 मंत्री जी का बयान पढ़ा था अभी दस–पंद्रह दिन पहले कि लखनऊ के भी तमाम राजकीय ट्यबवेल खराब हैं और इस तरह मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जो ट्यूबवेल लगे हैं वह खराब ज्यादा हैं। उन्हें भी ठीक कराने की आवश्यकता है क्योंकि वह ट्यूबवेल लगे और साल दो साल तीन साल चले फिर खराब हो गये। उनके रख–रखाव की भी आवश्यकता है। सिंचाई विभाग के तहत विशेषकर मा0 मंत्री जी ने 2012–13 में जो बजट रखा था उसमें भी तमाम योजनाओं को हकीकत में लाने का आपने सदन को भरोसा दिलाया था। मान्यवर जिसमें विशेषकर मा0 मंत्री जी ने सदन के अंदर यह बताया था कि यह भी सत्य है कि वर्षाकाल में नदियों में पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उक्त पानी के वैज्ञानिक रूप से संरक्षण एवं संकलन पर कोई समग्र सोच प्रदेश में गत वर्षों में विकसित नहीं हुयी है। मान्यवर, जब बरसात में बाढ़ आती है नदियों में पानी आता है और वह पानी गांव, बस्तियों, फसलों को तबाह करता हुआ समुद्र में चला जाता है। ऐसे पानी के संरक्षण के

बारे में एक शोध होना चाहिए। अगर इस पानी को रोकने में हम कामयाब हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि सिंचाई की समस्या से हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। यह वर्ष 2013 में बताया गया था। अब 2015 में चल रहा है। मुझे लगता है कि इस बीच में कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया गया क्योंकि आज कोई ऐसी बात सदन के संज्ञान में नहीं आयी है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी अपना ध्यान लगाये। मान्यवर, आपने यह भी बताया था कि सिंचाई विभाग के कुछ इंजीनियरों द्वारा अमेरिका से नहर प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण बात चल रही है। यह 2013 में बताया था। लेकिन उस बारे में भी बजट में आज बात नहीं आयी कि उसमें कहां तक काम बढ़ा या नहीं बढ़ा।

मान्यवर, जब यह सरकार बनी थी तो सरकार बनने के बाद मा0 मंत्री जी इजराइल गये थे। वैसे तो इजराइल दुनिया के नक्शे पर बहुत छोटा सा देश है। लेकिन सिंचाई के दृष्टिकोण से उन्होंने अपने यहां जो सिस्टम बनाये हैं क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ज्यादा नहीं हैं। और जो मेरे पास आंकड़े हैं। इजराइल का क्षेत्रफल 20770 वर्ग किमी0 में फैला हुआ है। और इसका लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र ही खेती के योग्य है। बाकी वहां रेगिस्तान है। लेकिन उन्होंने वहां पर जो सिंचाई का, जल प्रबंधन का काम किया है उसे स्वयं मा0 मंत्री जी ने बखान किया था और मंत्री जी वहां देखकर भी आये हैं। और आपने सदन को यह भरोसा भी दिलाया था कि उत्तर प्रदेश में हम उस प्रणाली को लागू करने का काम करेंगे। लेकिन आज इस पर कोई चर्चा नहीं हुयी। मान्यवर, इजराइल इतने कम क्षेत्रफल में जो कृषि उत्पादन करता है, वह जो कृषि उत्पादों को निर्यात करता है वह पूरे साल में 2.13 अरब डालर का उनका कृषि निर्यात है। उत्तर प्रदेश उससे बहुत बड़ा है। और हम अपने पूरे देश का देखें तो हमारे देश का जो आंकड़ा है वह 31.86 अरब डालर है। और उत्तर प्रदेश इजराइल से बहुत पीछे है जबकि हम जनसंख्या में क्षेत्रफल में उनसे बहुत बड़े हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, यह नई–नई टेक्निक जहां पर आप स्वयं गये सरकारी अधिकारी जाते रहते हैं। इसको उत्तर प्रदेश में लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाये। और अगर यह कदम बढ़ता है तो सिंचाई के क्षेत्र में यह पूरे प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। और सिंचाई के क्षेत्र में हमारी तमाम फसलें सूख जाती हैं। वाटर लेवल नीचे चला जाता है हमारे ब्लाक डार्क घोषित हो जाते हैं। इससे उन पर हम कहीं न कहीं विजय हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मान्यवर, वहां चूंकि पानी की बहुत कमी है तो वह डिप सिंचाई भी करते हैं। हमारे यहां तो वर्षा का पानी बहुत आता है। और वह इतना आगे बढ़ गये हैं कि हवा से भी पानी निकालने की तकनीक उन्होंने डेवलप कर ली है। इजराइल में वह पेड़ों में ट्राई लगाते हैं और जो रात में ओस गिरती है उसमें से उस ट्रे में वह पानी आता है और उसको सीधे वह पेड़ों की जड़ों में पहुंचा रहे हैं। इस तरह से वह पानी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन में पानी है नदियों में भी पानी है और बरसात का भी पानी है। लेकिन हम यह पानी ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। जिसके नाते आज सिंचाई की समस्यायें

लोगों के बीच में उत्पन्न होती हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ के विषय में थोड़ा आपके बीच में रखना चाहता हूं।

बाढ़ को लेकर माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया था कि 55 सालों में 2013 में आपने बताया था और यह भी कहा था कि माननीय सदस्यों को यह जानकर कदाचित आश्चर्य होगा कि पहले से 11वीं पंचवर्षीय योजना लगभग 55 वर्ष तक बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु लगभग 4 हजार करोड़ रुपये खर्च हो पायें हैं और आपने यह भी कहा था कि अमेरिका में कैटरीना नामक तूफान जब आया तो वहां पर उस विभीषिका से निपटने के लिए न्यू आलिआन्स में रुपये 75 हजार करोड़ बचाने में लगाये गये। आपने तुलना की। मान्यवर, 4 हजार करोड़ रुपये 55 साल में खर्च हुए होंगे यह मैं मानता हूं लेकिन जो सरकार लोगों को राहत देने का काम करती है, कहीं मकान गिरता है, कहीं झोपड़ी गिरती है, कहीं फसल बर्बाद होती है, कभी बारिश हुई या ओले पड़े तो सरकार का जो मानक है वह इसके अनुरूप पैसा देने का काम करते हैं लेकिन अगर किसी का पक्का मकान गिर जाये, ऐसा मकान गिर जाये जो 04 लाख की कीमत का हो और सरकार उसे 35 हजार रुपये देगी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन 4 हजारा करोड़ रुपये से 55 साल में तो काम चला लिया लेकिन जो ऐसे परिवार जो उजड़ गये, जिनके यहां मृत्यु हो गयी, जिन्होंने अपनी जीवन साल भर कैसे जिया शायद इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी पैसा आपने आपदा कोष से दिया, लेकिन अगर हम परमानेन्ट उसका सल्यूशन ढूंढे कि बाढ़ से कैसे निजात मिले।

उत्तर प्रदेश में आपने चिन्हित कर लिया है कि कहां कहां बाढ़े आती हैं और उनमें पहले एक पूरा करेंगे फिर दूसरा पूरा करेंगे लेकिन अगर इसमें परमानेन्ट समस्या का समाधान किया जाये तो यह ज्यादा बेहतर होगा न कि हर साल जहां पर खेत कट गया, जमीन चली गयी, किसान तबाह हो गया और उनको जाकर हम थोड़ा सा दो चार पांच रुपये बांट आये। मान्यवर मैं ज्यादा समय न लेते हुए चूंकि शाहजहांपुर की बात आयी थी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि सारे जिले ले लिये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह शाहजहांपुर को भूल गये हैं और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि शाहजहांपुर में थोड़ी निगाह कर लें और शाहजहांपुर में बाढ़ की विभीषिका बहुत आती है और इसके लिए आपके विभाग ने ही सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर, सादरा नहर, शाहजहांपुर ने बहुत मोटा सा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा, इसकी एक कापी हमें भी दी है, जो हमारे हाथ में है और इसमें जो बाढ़ आती है इसमें ज्यादातर मेरा जिला प्रभावित होता है। मान्यवर, शाहजहांपुर जिला ऐसा है जिसमें लगभग छोटे–बड़े नदी नाले मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा नदियां वहां बहती हैं इसमें खन्नौत नदी, गर्रा नदी, रामगंगा, गोमती नदी, शोत नदी, ऐसे करके वहां इतनी नदियां हैं, बाढ़ की विभीषिका को हर वर्ष झेलना पड़ता है शाहजहांपुर के वासियों को उसमें से भी एक प्रस्ताव आपके पास आया है इसमें एक हिस्से को ही लिया है क्योंकि पूरे जनपद को एक साथ करने में अधिकारी कठिनाई बता रहे थे, इसमें जो पहला भेजा है, उसमें जनपद शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत कुलियाशाह, नजीरपुर तिलैहिंया,

मौजपुर, कीलापुर, सिठौली, नबादा और कई गांव ऐसे हैं जो सिर्फ कागज पर हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। मान्यवर, उक्त गांव में विगत वर्षों से रामगंगा नदी कटान द्वारा कटान हो रहा है। इस वर्ष नदी की मुख्य धारा ग्राम कुनिया हरिहर पुर तिलाहिया, मौजमपुर के निकट आ गयी और मान्यवर मैंने स्वयं मौके पर देखा कि इस धारा ने गांव के स्कूल को उजाड़ दिया, सरकारी भवन गिर गये और कितने लोगों के मकान बह गये इसकी तो गिनती लगभग 300 पक्के मकान गिर गये, 400 कच्चे मकान गिर गये। मान्यवर यहां आपके पास यह आया है, मैं स्वयं मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर विचार करें और शाहजहांपुर की सिंचाई व्यवस्था के साथ–साथ बाढ़ से भी मुक्ति दिला दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई का एक बहुत बड़ा बजट, सदन के सामने प्रस्तुत किया। मा0 अध्यक्ष जी, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की जो हिस्सेदारी थी, वह दिनोदिन घट रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज बहुत बड़ी संख्या में आजीविका का जो साधन है वह खेती–किसानी है। मा0 अध्यक्ष जी अगर किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिले तो न किसान उन्नति कर सकता है न कृषि उन्नति कर सकती है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा नहरों का सिस्टम उत्तर प्रदेश में है । मा0 अध्यक्ष जी अगर हम सिंचित क्षेत्र और बोये हुए क्षेत्र की तुलना करें तो आज देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। हमसे आगे मा0 अध्यक्ष जी दिल्ली है, जहां इसका प्रतिशत 104 परसेण्ट है और पंजाब जिसका प्रतिशत 97 प्वाइण्ट समथिंग है, अभी भी हम देश में अगर सिंचित क्षेत्र और बोये हुए क्षेत्र की तुलना करें तो देश में मा0 अध्यक्ष जी हम तीसरे स्थान पर हैं। सिंचाई विभाग द्वारा जो कार्य प्रगति का विवरण हम लोगों को उपलब्ध कराया गया मा0 अध्यक्ष जी, उसमें सिल्ट सफाई की बहुत तारीफ की विभाग ने, मा0 अध्यक्ष जी इसमें रवी की फसलों के लिए जो लक्ष्य था सिंचाई विभाग का 57315 किमी0 था और उसके अगेन्स्ट विभाग केवल 29847 किमी0 ही सिल्ट सफाई कर पाया ।

मा0 अध्यक्ष जी अभी सिंचाई विभाग ने साल में दो बार सिल्ट सफाई करने का निर्णय लिया है, 15 अप्रैल से 15 जून तक और 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक। मा0 अध्यक्ष जी, जो रवी की फसलें होती हैं, नवम्बर के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुवाई शुरू हो जाती है और अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में चाहे वह आलू हो, चाहे वह मटर हो, उसकी बुवाई शुरू हो जाती है और कृषि विज्ञानिकों ने इसे उचित समय भी माना है। अगर नहरों की सफाई 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक होगी, मा0 अध्यक्ष जी, फसल बोने से पहले किसानों को पलेवा भी लगाना पड़ता है, तो किसानों को कैसे पानी मिलेगा और मा0 अध्यक्ष जी, नहर विभाग भी कभी किसानों का साथ नहीं देता। जब किसानों को पानी की जरूरत होती है, तो नहरों में पानी नहीं आता और जब किसानों को पानी की जरूरत नहीं होती है, तब मा0 अध्यक्ष जी नहरों में पानी आता है। अभी मा0 सिंचाई मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मैं मा0 अध्यक्ष

जी, बड़े ध्यान से सुन रहा था कि शायद इसमें कहीं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे आगरा की भी किसी योजना का नाम होगा, मा0 अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग ने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा, पश्चिम क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मा0 अध्यक्ष जी, जब से आपकी सरकार बनी है, इन तीन सालों का अगर विवरण देखें, तो कृषि योग्य भूमि के अगेन्स्ट सिंचित क्षेत्र का जो सृजन हुआ है, इन तीन सालों में, मा0 अध्यक्ष जी, पश्चिम क्षेत्र में केवल इन तीन सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में केवल 8 हजार हेक्टेयर सृजन क्षमता बढ़ी है। मा0 अध्यक्ष जी, मध्यवर्ती क्षेत्र में 54 हजार हेक्टेयर क्षमता बढ़ी है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 46 हजार हेक्टेयर क्षमता बढ़ी है और पूर्वी क्षेत्र में 334 हजार हेक्टेयर क्षमता बढ़ी है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या नाराजगी है मा0 सिंचाई मंत्री जी, हमारे आगरा से क्या नाराजगी है मा0 अध्यक्ष जी, अभी जिस हिसाब से सिल्ट सफाई की गई, मा0 अध्यक्ष जी, वह मानकों के विपरीत की गई।

सिंचाई विभाग के मानक हैं कि तलहटी की जब नहरों की सफाई की जाय तो बैडवार तक उनकी सफाई होनी चाहिए और जब नहरों की सफाई हो तो उनकी तिरछी सफाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्देश भी दिए, जिलाधिकारियों ने भी निर्देश दिये, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने और ठेकेदारों में एक बात नहीं सुनी, न नहरों की सिल्ट सफाई में बैडवार तक सफाई की गई, न तो इनके किनारे काटे गए। उस मिट्टी को किनारे से थोड़ी दूर डालना चाहिए, वह भी नहीं डाला गया, उस मिट्टी को किनारे डाल दिया गया और मा0 अध्यक्ष जी, जब नहरें चलीं तो वह मिट्टी, धीरे–धीरे खिसक कर नहरों में ही समा गई। मा0 अध्यक्ष जी, टेलों तक पानी पहुंचाने की बात सरकार द्वारा कही गई, खुद इस पुस्तिका में सरकार ने माना कि इनका लक्ष्य 10 हजार 49 टेलों तक पानी पहुंचाने का था और सरकार ने खुद माना, वह पानी पहुंचा पाई केवल 7177 टेलों तक। मा0 अध्यक्ष जी, टेलों तक कैसे पानी पहुंचेगा, अभी मा0 सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को मा0 अध्यक्ष जी कैसे पानी मिलेगा, मा0 अध्यक्ष जी, जो नहरें हैं, जो नहरों का सिस्टम है। जो नहरों की डिजाइन क्षमता है, उस डिजाइन क्षमता पर कभी कोई नहर नहीं चलती। मैंने अपने खुद अपने क्षेत्र में, अपने पास में नहरों को खुद देखने का काम किया। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपर गंगा की जो क्षमता है तो क्या अपर गंगा कभी अपनी क्षमता से चली। अपर गंगा से निकलने वाले अपर मार्क की जो क्षमता है मा0 अध्यक्ष जी, 2300 क्यूसेक है लेकिन 1500, 1600 क्यूसेक से ज्यादा वह नहीं चलती। लोवर मार्क की जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार वह कभी नहीं चलती। मा0 अध्यक्ष जी, खरीफ की फसलों के लिये मार्क फीडर बनाया गया है मध्य योजना से इसकी क्षमता 2700 क्यूसेक है लेकिन आज तक वह मार्क फीडर 400 क्यूसेक से ज्यादा नहीं चला। मा0 अध्यक्ष जी, जो आगरा का हमारा क्षेत्र है कल भी मैंने आपके सामने यहां सदन में बात रखी कि जो आगरा कैनाल है उसकी क्षमता 4000 क्यूसेक है लेकिन वह कभी अपनी क्षमता से चलती नहीं है। ये मा0 अध्यक्ष जी, अगर सिंचाई मंत्री जी चाहें तो इसका रिकार्ड मॅगाकर देख लें। जो पूरे प्रदेश में जो नहरों की क्षमता डिजाइन्ड है उस क्षमता से कभी नहरें चलती नहीं। इसी मारे, इसी कारण नहर के टेल तक पानी नहीं

पहुॅचता और जो हमारे प्रदेश में 3400 किलोमीटर नहरें हैं उनमें से 1100 किलोमीटर नहरें प्रदेश के बाहर हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, कल भी मैंने कहा था कि आगरा कैनाल के एक बहुत बड़े हिस्से का पानी हरियाणा के किसानों द्वारा चोरी किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा, वहां एक और बड़ी समस्या है कि जो नहरें निकली हैं हरियाणा और राजस्थान की उनके लिये जो हमारा एग्रीमेण्ट है उससे ज्यादा वे पानी ले रहे हैं। जब वे उससे ज्यादा पानी ले लेंगे तो वे जो नहर विभाग का रोटेशन है उसे मानते ही नहीं हैं। कब वे नहरें चलनी चाहिये, कब बन्द होनी चाहिये वे नहर कभी बन्द करते ही नहीं हैं, उनकी नहरें हमेशा चलती रहती हैं और उसके कारण से हमारे आगरा को, हमारे आगरा के किसानों को भरपूर पानी नहीं मिलता। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 सिंचाई मंत्री जी ने प्रदेश की बहुत सारी योजनाओं की बात की। जो दो बड़ी योजनायें थीं उनको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब वह योजना करीब 30, 40 साल पुरानी चल रही है 1977 से सरयू परियोजना। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बहुत सारी बातें तो बतायीं लेकिन यह नहीं बताया कि दो राष्ट्रीय परियोजनाओं जिनको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है वे योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी। मा0 अध्यक्ष जी, वैसे और भी योजनायें थीं जो चल रही हैं उन योजनाओं का काम कब तक पूरा हो जायेगा। मा0 मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें। मान्यवर, अभी नलकूपों की बात हो रही थी। जो ये योजना है ये योजना हमारी सरकार में मान्यवर, मा0 कांशीराम जी के नाम से चलाई जा रही थी। आपने उस योजना का नाम बदलकर डा0 राम मनोहर लोहिया जी कर दिया। अभी मा0 मंत्री जी ने यह भी दावा किया कि सभी ट्यूबवेल चल रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे पास 2014 का रिकार्ड है। मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही बता देता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी 3710 नलकूप खराब हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में 1043 नलकूप खराब हैं और पूर्वी क्षेत्र में अभी 2406 नलकूप खराब हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन नलकूपों को तुरन्त सही कराने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में 820 ब्लाक हैं, इन 820 ब्लाकों में से 620 ब्लाकों का भू–जल स्तर गिरावट की तरफ है।

मा0 अध्यक्ष जी, जब प्रदेश में भू–जल स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है तो नलकूप कैसे सफल होंगे। अभी बाढ़ के बारे में भी मा0 मंत्री जी ने कहा और उत्तर प्रदेश में ऐसे करीब 55 जनपद हैं, इन 55 में से 35 जनपद बहुत संवेदनशील हैं जिनमें बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। मा0 अध्यक्ष जी, 73 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें 58 करोड़ 72 लाख क्षेत्र सुरक्षित करने योग्य है। अभी मा0 सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि 7 साल में हम केवल 2114 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित कर पाये हैं। जब से आपकी सरकार बनी पंचवर्षीय योजना चालू हुयी। आपके तीन साल पूरे हो गये। मा0 अध्यक्ष जी, तीन साल में आपके सामने जो लक्ष्य था 3.93 किलोमीटर का, आपको बाढ़ से सुरक्षा करनी थी और अभी तक आप मुश्किल से 1.5 ही कर पाये हैं। मा0 अध्यक्ष जी, किस रफ्तार से सिंचाई विभाग चल रहा है। जिस रफ्तार से सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किये जा रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि जो 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बचेगा उसे हम 70, 80 सालों से पहले कभी भी बाढ़ से सुरक्षित नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी सिंचाई से सम्बन्धित समस्यायें होती थीं उसके लिए माननीय मंत्री जी का हमने बयान भी छपा देखा कि माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो अधिकारी हैं, वह अपने क्षेत्रों में रूकेंगे चाहे वह एच0सी0एन0 हो या चाहे कोई और अधिकारी हो, क्या कोई रूका? क्या उन्होंने आज तक गांव में जाकर कोई समस्यायें सुनीं। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने के लिए एक सिंचाई बन्धु की बैठक होती थी, वह बैठक इस समय इतनी प्रभावहीन हो गई है कि माननीय अध्यक्ष जी, उस बैठक में कोई अधिकारी नहीं आते हैं। अगर मंत्री जी चाहें तो पूरे प्रदेश से, जब–जब बैठकें हुईं उनका रिकार्ड मंगा कर देख लें। न तो उसमें कभी डी0एम0 आता है, और न कभी सी0डी0ओ0 आता है, न कभी उसमें एच0सी0एन0 आता है तो आखिर किसान अपनी जो शिकायतें हैं वह कहां कहेंगे, हम लोग बैठकों में जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी, बैठकर लौट आते हैं। कभी कोई अधिकारी नहीं आता है, यह ऑन रिकार्ड है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सिंचाई बंधु की जो बैठकें हैं, इन्हें फिर से प्रभावशाली बनाने का काम करें जिससे जो जिला स्तर से सम्बन्धित सिंचाई की समस्या हो उनका निराकरण हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पहले भी कहा था कि सिंचाई विभाग अपनी योजनाओं के लिए, सिंचाई विभाग जो उनकी अपनी लिफ्ट कैनाल हैं, उनके लिए बिजली बनाएगा। आपने पिछले बजट में इसका जिक्र किया था, लेकिन इस बजट में वह कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या सरकार इस पर जो विचार कर रही थी, आगे विचार करेगी? अपनी जो सिंचाई की योजनाएं हैं, उनसे बिजली बनाने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष एक बात और कही थी, जो नहरें हैं उस पर सोलर सिस्टम लगाने की बात भी माननीय मंत्री जी ने कही। इस बजट में इसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे तो बिजली की जो कमी रहती है प्रदेश में, उससे भी किसानों को फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने अक्सर देखा होगा कि जो नलकूप लगते हैं और जो बोरवेल खुले रह जाते हैं, उनमें बच्चे अक्सर गिर जाते हैं। प्रदेश में इस तरह की कई घटनायें हुईं। प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी कई घटनाएं हुई, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए किसी–न–किसी की जिम्मेदारी तय की जाए। चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह किसान जो उसे खुदवाता है, अगर इसकी जिम्मेदारी तय हो जायेगी तो आने वाले दिनों में माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से घटनाओं पर रोक लगेगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। माननीय सिंचाई मंत्री ने जिक्र भी किया, कि हमारे प्रदेश में जो नदियां हैं, उनके लिए योजना बनवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत आवश्यक है यमुना नदी हो, यमुना नदी का हाल किसी से छिपा नहीं है। बेतवा नदी का क्या हाल है वह भी सबके सामने है। आज हमें जरूरत है नदियों की जो प्राकृतिक स्थिति थी, जो उनकी पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में उन्हें ले जाने के लिए हमें निश्चित रूप से नदियों के संरक्षण के लिए एक नीति बनानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक योजना बनानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे आगरा के 15 में से 13 ब्लॉक ड्रार्क है। आगरा कैनाल का पानी चोरी हो जाता है। अपर मार्ग से जो हमें पानी मिलता है, उनसे

भी हमारी नहरों में पानी नहीं आ पाता। हमारी नहरें अक्सर सूखी रह जाती हैं, मैं उनके नाम भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला देता हूं चाहे हमारी धकेटा हो, चाहे कुरसन्डा हो, चाहे हमारी सैफरा माईनर को, चाहे सैफई रजवाहा हो, चाहे बरहन रजवाहा हो, चाहे फिरोजाबाद रजवाहा हो माननीय अध्यक्ष जी, उसमें भरपूर पानी नहीं आता है। एक योजना जो अधूरी रह गई है माननीय अध्यक्ष जी, मांट ब्रांच से एक पैरलल हाथरस निकली है, उसका काम अधूरा रह गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस परियोजना को भी पूरा कराने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखने मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री सोबरन सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय लोक निर्माण, सिंचाई, राजस्व ने जो सिंचाई का बजट उत्तर प्रदेश के लिए रखा है उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट पर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, अभी मैं सामने से कटौती के प्रस्ताव को सुन रहा था चौथी बार कटौती के प्रस्ताव को सुन रहा हूं उत्तर प्रदेश में वैसे तो हमारे साथी कहते हैं कि 78 परसेन्ट, 80 परसेन्ट किसान इसमें निवास करते हैं। खेती किसानी के साथ सहयोग करने वाले लोग जो इस पर निर्भर हैं समाजवादी पार्टी के अलावा उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अभी हमारे साथी कटौती पेश कर रहे थे सुझाव दे रहे थे, लेकिन श्रीमन्, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुके हैं मैं प्रश्नवाचक चिह्न उनकी तरफ लगाना चाहता हूं उन्होंने अपने समय में पिछले 5 वर्षो में किसानों के लिए क्या काम किया, क्या योजनायें बनाई सबसे पहले मैं माननीय सिंचाई मंत्री का बहुत आभारी हूं पिछली गर्मियों में जो सूखा था हमारे क्षेत्र के लगभग 85–90 वर्ष के लोग यह कहते सुने गये कि उन्होंने कभी भी इस तरह का सूखा नहीं देखा क्षेत्रीय नदियां सेंगर, अरिन्द्र, ईसन जो लगभग 2–2, 3–300 मीटर में फैलाव लेती थी सितम्बर के महिने मे वहां धूल उड़ रही थी ।

मैं बहुत बधाई देता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी को कि लोअर गंग नहर, साख भोगनीपुर, कानपुर ब्रांच लगातार बहती रहीं, नहरें लगातार पानी देती रहीं और श्रीमन् जो नदियां सूखी पड़ी थीं जिसमें धूल उड़ रही थी उनमें नहरों का पानी छुड़वाकर माननीय मंत्री जी ने पशुओं और जीव जन्तुओं के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों की बात सुनने वाला और देखने वाला समाजवादी सरकार के अलावा कहीं और कोई होता ही नहीं न कोई जाता है। पिछले 5 वर्ष से मैं देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं इस घर को ढंग से रखकर व्यस्थित रखने का काम करता हूं और बाद में कुछ लोग आते हैं जो इसको बरबाद करके चले जाते हैं श्रद्धेय नेता जी, जिन्होंने यात्रा शुरुआत की कहॉ से लेकर के और कहां तक उन्होंने पहुंचाया उन्हें कहीं किसी वंश परम्परा में राजनीति नहीं मिली अपने मेहनत के दम पर लोगो ंको जोड़कर उनके सुख और दुख में जाकर जो उन्होंने कामयाबी हासिल की और किसान की दुखती पीड़ा को उन्होंने सुना, गरीबों मजदूरों अल्पसंख्यकों में जो भरोसा पैदा किया वह बड़ी बात है।

सुबह मैं देख रहा था कि सामने वाले हमारे साथी बहिर्गमन कर गये यह कह गये कि गरीबों की, दलितों की उपेक्षा हो रही है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से उनसे एक बार पूछना चाहता हूं पिछली बार जनपद मैनपुरी में 882 जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने बेटियों की शादी के लिए आवेदन भरे श्रीमन्, 882 लोगों में से एक भी व्यक्ति को रुपया नहीं मिला । दुर्भाग्य की बात थी अल्पसंख्यकों के लिए योजनायें बनी उस समय मैनपुरी जनपद में 5 विधान सभायें थीं मीटिंग बुलाई गयी कि अल्पसंख्यकों की बैटियों की शादी में पैसा दिया जायेगा, दुर्भाग्य था पूरे मैनपुरी में एक व्यक्ति की पुत्री की शादी के लिए उस पिता को रुपया देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकारी ने हमसे कहा तो हम पांचों साथियों ने कहा कि आंख बन्द करके कलम रख दें जिसके नाम पर रख जायेगा वही सौभाग्यशाली होगा। अल्पसंख्यकों के प्रति उनका व्यवहार इतना खराब। हम लोग श्रीमन् गरीब मजदूरों के लिए किसान कामगारों के लिए जो मेहनत करते हैं साइकिल का पंचर जोड़ते हैं उनके लिए अगर एक विश्वविद्यालय बनाया गया उसके लिए आसमान नीचे लाकर के रख दिया । हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत पहल की लेकिन उसको चलने नहीं दिया गया । मजदूरों की बात करते हैं (टोका–टाकी और शोर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सिंचाई पर बोलें।

श्री सोवरन सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समाजवाद की परिकल्पना आचार्य नरेन्द्र देव, जनेश्वर मिश्रा जी, डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, उसे मूर्त रूप देने और अमलीजामा पहनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया। आदरणीय नेता जी के दिशा–निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कोई मामूली काम नहीं हुआ है, यह देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में पानी देने का काम किया है। दिल्ली में कुछ गैलन पानी दे दिया गया तो केजरीवाल की सरकार बन गई, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो सारी नहरें फ्री हो गई, सारे ट्यूबवेल फ्री कर दिये गये। अब किसानों को इससे ज्यादा सुविधायें और कौन सरकार दे सकती है। इसी के साथ मैं अपने सिंचाई मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन यह तो बड़ी बुरी बात है खेद का विषय है कि श्री शिवपाल जी को पता भी नहीं केजरीवाल जी की जीत का कारण और आपने पूरे बजट में इसका जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अगयश रामसरन वर्मा जी, आप बोलिये, आपकी पार्टी ने आपको सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आय–व्ययक 2015–16 की अनुदान संख्या–94, 95 तथा अनुदान संख्या–12 पर हो रही चर्चा में मेरी भागीदारी सुनिश्चित की है, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं तथा कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो मा0 डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा और माननीय नीरज मौर्या जी द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,287.59 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 240.93 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष के क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। जनसंख्या के दष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.49 प्रतिशत है। मान्यवर, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में धमनियां काम करती हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश और प्रदेश में नहरें और नदियां भी धमनियों जैसा काम करती हैं, इसलिये सिंचाई विभाग की नहरों और नदियों का कितना बड़ा महत्व है, यह इससे स्पष्ट हो रहा है। मान्यवर, हमारे जनपद पीलीभीत में अधिकांश नहरों का छोर बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और किसी भी नहर में छोर तक पानी नहीं पहुंचता है। मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि हमारे यहां दो प्रणाली की नहरें हैं, नम्बर–1 शारदा नहर प्रणाली तथा नम्बर–2 शारदा सागर प्रणाली। शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत दो शाखा नहरें हैं। नम्बर–1 निगोही शाखा नहर तथा नम्बर–2 शाहजहांपुर शाखा नहर निगोहीं शाखा नहर के अन्तर्गत 29 अल्पिकायें और 6 रजबहा हैं जिसमें से हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 4 रजबहा ईटगांव रजबहा, भटपुरा रजबहा, करेली रजबहा और बमरौली रजबहा पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से 6 अल्पिकायें हैं, मनकापुर अल्पिका, कनपरा अल्पिका, सिंधौरा अल्पिका, ताजपुर अल्पिका और लिलहर अल्पिका है। इसी प्रकार से शाहजहांपुर शाखा नहर में सोरहा अल्पिका, पटना, मितेपुर, केंड़ा मुसेली, डंडिया और पटनिया सहित 7 अल्पिकायें पड़ती हैं। मान्यवर, शारदा नहर प्रणाली के अन्तर्गत एक बीसलपुर शाखा नहर है जिसमें कि 28 अल्पिकायें और 6 रजबहा पड़ते हैं, इसमें से 11 अल्पिकायें हमारे विधान सभा क्षेत्र में हैं और 3 रजबहा हमारे विधान सभा क्षेत्र में इस बीसलपुर शाखा नहर के पड़ते हैं।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सारी नहरों का छोर हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शारदा नहर प्रणाली की जो निगोही शाखा नहर है, इसमें जनपद पीलीभीत तक तो पानी आता है, उसमें भी कुछ हिस्सा छूटा हुआ है और शाहजहांपुर में इस शाखा नहर में तो कतई पानी नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि 20 वर्षों से इसमें पानी नहीं गया है। इसी प्रकार बीसलपुर शाखा नहर की एक बेनीपुर अल्पिका है, उसमें भी बीसियों साल से पानी नहीं आया है, बड़े–बड़े पेड़ उसमें खड़े हैं, जगह–जगह पर लोगों ने उसको पाटकर उस पर कंडे और उपले रखना शुरू कर दिया है, बठिया रखना शुरू कर दिया है, उस पर जानवर बांधने का काम कर रहे हैं, उस पर चौपाल बना ली है और एक जगह करेली रजबहा पर तो बीचो–बीच में जनता ने एक चबूतरा बना दिया है, चबूतरे पर एक मंदिर बना दिया है और उसमें हनुमान जी की स्थापना कर दी है। मुझे लग रहा है कि जब वह हटाया जायेगा तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी । तो इस प्रकार से अधिकारियों ने कितनी बड़ी

लापरवाही की है तो इन सारी बांतों से ऐसा स्पष्ट होता है कि इन नहरों में बरसों से सिल्ट सफाई नहीं हुयी और नहरों में छोर तक पानी नहीं जा रहा है । मैं समझता हूं कि ब्रिटिश शासन में यह नहरें बनवाई गयी हैं और उन नहरों में अब तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उनका सही रखरखाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग अंग्रेजों से भी बहुत गये गुजरे हैं और अंग्रेजों को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। मान्यवर, मैं गोण्डा की बात करता हूं एक गोण्डा जनपद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें जो भी परियोजनायें थीं उसमें दूसरे आदमी को भुगतान कर दिया गया और फिर उतना ही भुगतान 3 लाख 61 हजार रुपया असली ठेकेदारों को किया गया और इस प्रकार बहुत सारे कार्यो में मिट्टी ढुलाई जैसे अन्य कार्यो में 33.44 लाख का भुगतान किया गया और इस तरीके से 11.74 करोड़ रुपये का जनपद शाहजहांपुर की शाखा निगोही तथा रजबहा में, अल्पिकाओं में सिल्ट सफाई का काम में फर्जी भुगतान किया गया है। इसकी हमने नियम–56 में सूचना डाली थी, इस सूचना के जवाब में कहा कि अभी सूचना संकलित की जा रही है लेकिन एक वर्ष बीत गया, अब तक उस सूचना को पूरा नहीं किया गया है। मान्यवर, इसी तरीके से एक हमारे जनपद में जो नहर की कोठियां हैं, मैं बताना चाहूंगा कि किर्रा नहर कोठी, गोवर नहर कोठी, सरिया, नहरकोठी, खरदहा, नहरकोठी करेली नहर कोठियां हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती हैं, सारी नहर कोठियों की चौखट, किवाड़े, दरवाजे और मलबा सारा कुछ गायब हो गया है, कहीं–कहीं लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है, एक जनपद पीलीभीत की नहर कोठी है, जिसमें पुलिस अधीक्षक का कब्जा है, करेली नहर कोठी पर भी पुलिस ने कब्जा कर रखा है। मान्यवर, हम एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि हमारा जनपद पीलीभीत नदियों से भी घिरा हुआ है, जिसमें शारदा नदी, पिपाहा नदी, खन्नौत नदी, कटना नदी, अमेठी नदी है, यह सारी नदियां भंयकर बाढ़ से प्रभावित रहती हैं जिसमें शारदा नदी में तो इतनी बाढ़ होता है कि रोजाना उसमें कटाव होता है, करोड़ों हेक्टेयर जमीन शारदा नदीं में कट गई है, पेड़ व फसलें भी उसमें बह गई हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री अरुण वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। आज सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह इसलिए महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ बजट है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मा0 अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सिंचाई मंत्री जी ने जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है उससे प्रदेश का किसान खुशहाल है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने इधर के साथियों से कहना चाहता हूं, अभी हमारे मा0 धर्मपाल जी ने कहा कि सिंचाई मानक के अनुरूप नहीं होती है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पिछली बसपा सरकार में सिंचाई तो होती ही नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी सिर्फ कागजों पर ही सिंचाई होती थी। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज मा0 सिंचाई मंत्री जी ने हेड से टेल तक पानी पहुॅचाने का काम किया है। कई ऐसी नहरें थीं जहां टेल तक पानी नहीं पहुॅचता था लेकिन आज वहां टेल तक पानी पहुंच रहा है और किसान सिंचाई कर रहा है।

मा0 अध्यक्ष जी, हम मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक कूरेवा ड्रेन थी, जिसकी सिल्ट सफाई विगत कई वर्षों से नहीं हुई थी। मा0 मंत्री जी को मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के किसानों की ओर से बधाई देता हूं कि सफाई न होने के कारण जो एक हजार बीघा फसल नष्ट हो जाती थी मा0 मंत्री जी ने उसके लिए दो करोड़ रुपए स्वीकृत करके सफाई कराने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, जो हमारे जनपद से हो करके शारदा सहायक समानान्तर जो नहर जा रही है जो लखीमपुर खीरी से हो करके बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर आजमगढ़ जायेगी, वह नहर हमारे विधान सभा के बीचोंबीच जाती है, लगभग 40 किलोमीटर उसका हिस्सा हमारे यहां पड़ता है। उसके पुनरोद्धार के लिए मा0 मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किया है इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी के प्रति बहुत–बहुत आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, बसपा के लोग बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी किसान हैं, किसानों का दुःख–दर्द समझते हैं जो हमारे इधर के साथी बैठे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ''जाके पांव न फटे बिवांई, सो का जानै पीर पराई', इनकी जो मुख्यमंत्री थीं वह किसानों का दुःख–दर्द नहीं समझती थीं। मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद्। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' –

मा0 अध्यक्ष जी, डॉ0 धर्मपाल जी द्वारा प्रस्तुत सिंचाई विभाग पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर मैं बल देती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद्। मान्यवर, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से हो करके गुजरता है, हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। भारत तभी विकास कर सकता है और उत्तर प्रदेश तभी उत्तम प्रदेश बन सकता है जब यहां का किसान खुशहाल होगा। 2015–2016 किसान वर्ष घोषित हुआ, बड़ा स्वभाविक भी था क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस विरासत के उत्तराधिकारी हैं आदरणीय नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी के, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को बहुत–बहुत बधाई देती हूं। मान्यवर, प्रदेश के किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह से नहरों पर निर्भर करते हैं। किसानों की मुख्य सिंचाई के लिए मैंने पढ़ा कि 200 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है इस योजना का लाभ किसानों को पूरी तरह से मिलना चाहिए इसके लिए सख्त मानीटरिंग होने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं

और पहली बार मैंने यह देखा है, मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूं कि टेल तक पानी नहरों में पहुॅचा है, इसके लिए मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी को बधाई भी देती हूं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) इसके साथ–साथ जिस तरह से विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता से यह पूरा काम हुआ है उसकी मैं सराहना भी करती हूं। डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना एक बड़ी लाभकारी योजना है, पर इस योजना में मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जितने पम्प होंगे वे बिजली से चलेंगे, हम सब जानते हैं कि पूरा प्रदेश बिजली के अभाव में जूझ रहा है।

हमारे सामने सबसे बड़ा संकट आज बिजली का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर इस योजना को हमें सफल बनाना है तो इसको हमें वैकल्पिक ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा ताकि पम्प बिजली के अभाव में भी चल सकें। मान्यवर, शहर बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में सुझाव दिया था कि नहरों की पटरी को मोटेरेबुल रोड़ की तरह विकसित किया जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ शहर में शारदा सहायक नहर पर फैजाबाद रोड़ से मोहनलालगंज तक वाया गोसाईंगंज 6 लेन रोड बनाने की व्यवस्था की गयी है। मेरा अनुरोध भी है, सुझाव भी है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए इस तरह की परियोजनाओं/योजनाओं को और नहरों पर इस तरह के मोटेरेबुल रोड़ विकसित किया जाना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे। सबसे पहला सड़कों की लागत कम होगी और जो भूमि अधिग्रहण नई रोड बनाने के लिए करते हैं वह भी कहीं न कहीं कम होगा। मान्यवर, सबसे बड़ी आज समस्या पर्यावरण की है। नहरों के किनारे वृक्षारोपण हो रहा है, मैंने भी कई जगह देखा है नहरों के किनारे, पर हमें और वृक्षारोपण कराना चाहिए इससे पर्यावरण का लाभ होगा तो होगा ही जो एलाइनमेंट हैं, तट हैं उनकी भी मजबूती बनी रहेगी, सुरक्षित रहेंगे यह भी हमें लाभ मिलेगा। मान्यवर, कई बड़ी नहरें हैं उत्तर प्रदेश में जिनका स्पान काफी चौड़ा है। अगर हम इन नहरों का जल परिवहन के लिए इस्तेमाल करें तो इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों और ग्रामीण जनता को मिलेगा। ओलावृष्टि और बे–मौसम बरसात से उत्तर प्रदेश का किसान जूझ रहा है। मैं पुनः फिर धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने 200 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है। मैं सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मा0 सिंचाई मंत्री राजस्व मंत्री भी हैं मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, 15 लाख रुपया तो किसाने के खाते में आया नहीं, उम्मीद है कि यह सारा पैसा जो आपने और मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है यह किसानों के खाते में पहुॅचेगा (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) मैं पहली बार चुनकर के आयी हूं। दो बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि लालगंज एक कस्बा है, जो तहसील हेड क्वार्टर भी है, एन0एच0 पर भी है, ब्लाक हेड–क्वार्टर है और दीवानी भी वहां पर है। बगल में शहरी विकास मंत्री जी बैठे हैं इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको टाउन एरिया भी कर देंगे यहां आबादी बहुत बढ़ भी गई है और आने जाने की बड़ी असुविधा होती है हमारे टाउन एरिया के बगल से ही मैंने टाउन एरिया कह दिया तो शायद जल्दी हो जाएगा कस्बे के बगल से सगरा रजबहा गुजरता है उसपे एक डेढ़ मीटर चौड़ी पुरानी सड़क है लगभग 8 कि0मी0 लम्बी अगर सड़क को चौड़ा करके कस्बे के बगल से निकाल दिया जाएगा तो

यह बाईपास का काम करेगा दूसरा हमारे यहां भभरिया लिफ्ट कैनाल प्रस्तावित है इसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं अगर इस पर धन अवमुक्त हो जाएगा तो इस पर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख्समय 4.50, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मैं माननीय भूमि विकास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सत्ता पक्ष के सभी साथियों से माननीय मंत्रियों से मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि आप तीन साल की अपनी उपलब्धि बताओ। आपकी क्या उपलब्धि है। मैंने उनसे भी कहा था और सदन में भी कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि जो जनता से वायदा करके आए चुनाव के बीच में जिन बातों पर जोर–जोर से कहने का मीडिया के सामने भी जनता के सामने भी वायदा किया हो उस पर खरा उतरने का काम करे। मैं सरकार की अन्य उपलब्धियों पर नहीं जाना चाहता सीधे–सीधे सिंचाई विभाग पर आना चाहता हूं। धर्मपाल सिंह जी ने कहा कि बहुत से ट्यूबवेल खराब थे बात सही है माननीय अध्यक्ष जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 70–75 प्रतिशत सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हुए थे। नहरों में सिल्ट जमा था टेल तक पानी नहीं पहुंचता था। उसी का कारण था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई प्रभावित थी। हिन्दुस्तान किसान प्रधान देश है खासतौर से उत्तर प्रदेश जहां पर उद्योगधंधे कम हैं हमारे पास रोजगार कम हैं हमारा जीवन बसर खेती पर निर्भर करता है। खासतौर से किसान जिसका पूरा भविष्य खेती पर निर्भर करता है और खेती तभी सुदृढ़ हो सकती है जब सिचाई का साधन सुदृढ़ हो।

ऊंचे किस्म के आप बीज लगा दीजिए बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को पिछली सरकार में जहां खाद के लिए लोगों को लाठियॉ खानी पड़ती थीं किसान को आज खाद के लिए किसी किसान को भटकना नहीं पड़ा । खाद का अभाव नहीं हुआ किसान को खाद मिला बीज मिला लेकिन वह खाद बीज तभी सफल होता तभी वह उत्पादन बढ़ता जब सिंचाई के संसाधन होते। माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले सरकार में जो 75 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब थे मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सिर्फ पांच प्रतिशत ट्यूबवेल खराब हैं। सरकारी ट्यूबवेल और नहर की सिंचाई जिसका हमारे नेता जी ने घोषण किया था हमारे नेताओं ने गांव गांव घूमकर कहा था हम उन लोगों की तरह नहीं हैं कभी कभी एक टी0वी0 चैनल पर आता है चैनल का एक आदमी कहता है मुझे प्रसन्नता है कि सवा सौ करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं फिर एक तस्वीर आती है और वह आदमी बोलता है कि मैं रास्ते चलते आदमी का सुझाव भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कब तक सुझाव कब तक मन की बात आप हुकूमत में हैं हुकूमत में आने के बाद जो जनता से वायदा किया जाता है उसको पूरा करने का काम किया जाता है। जनता के साथ वायदा खिलाफी नहीं किया जाता है। हमारी सरकार ने वायदा खिलाफी नहीं किया । वायदा किया था कि सिंचाई मुफ्त करेंगे तो मुफ्त करने काम किया । सिर्फ कागजों पर नहीं किया काम करके किया है। 12 लाख

हेक्टेएयर जमीन सिंचित किया है। हमारे विपक्ष के साथी सवाल करते हैं जादू की छड़ी से सब कुछ नहीं होगा। पांच साल में आपने देखा सरकारी नलकूपों पर, आप भी गांवों से आने का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर जाता था और जैसे ही ट्यूबवेल स्टार्ट करने की बात आती थी ट्रांसफार्मर उड़ जाता था। किसके पास ट्रांसफार्मर रिपेयर की फैक्ट्री थी ? जला हुआ तेल, तेल तो पड़ता ही नहीं था। जैसे ही ट्रांसफार्मर आता था फिट फट से चला जाता था और सरकारी ट्यूबवेलों पर लग जाता था। आज की तारीख में यह कहीं से बात सुनने को नहीं मिली कि सरकारी ट्यूबवेलों पर ट्रांसफार्मर चालू होते ही जल गया। (मेजों की थपथपाहट) सरकारी ट्यूबवेल खराब थे, लेकिन आज सरकारी ट्यूबवेल खराब नहीं हैं। नहरों की जो सफाई हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिसके आंख की रोशनी खराब हो गयी होगी वह भी अगर नहर की पटरी पर जायेगा उत्तर प्रदेश में कहीं तो उसको सफाई नहर की दिखाई देगी। (मेजों की थपथपाहट) अगर नहीं देखना चाहता है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें देखते हुए आदमी अनदेखी करने का काम करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो रिबोरिंग कराने का काम किया। 5051 रिबोरिंग कराया गया। यह बोरिंग किसने कराया था माननीय अध्यक्ष जी? किस हुकूमत में हुआ था? धर्मपाल जी, ट्यूबवेल खराब थे, साढ़े पांच हजार रिबोरिंग कराने का काम किया। और जो वायदा किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नेता जी ने और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हर खेत को पानी देने का काम करूंगा, उस वायदे को पूरा करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को जिन्होंने अगले सत्र में 353 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया है राजकीय नलकूपों को लगाने के लिये। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग जिस इलाके से आते हैं पूर्वांचल के, खास तौर से बलिया, बांसडीह, फेफना कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नहर का इंतजाम नहीं है। आज हम नई नहर नहीं बना पा रहे हैं लेकिन बधाई दूंगा मंत्री जी को कि इन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने का वायदा किया था और पहुंचाकर दिखाने का काम किया। अभी धर्मपाल जी कह रहे थे कि जब किसान को पानी की जरूरत है तो नहर में पानी नहीं। शायद माननीय मंत्री जी की बात आपने नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि आपके जमाने में कभी नहर में पानी तो रहता ही नहीं था और बरसात के दिनों में बन्द कर दिया जाता था। किसान के हित में हमने बरसात के दिनों में भी नहर का पानी बन्द करने का काम नहीं किया। (मेजों की थपथपाहट) जहां तक सफाई की बात है, माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रास्ते में मिलते हैं, घर पर मिलते हैं, कमरे में मिलते हैं तो दूसरी बात करते हैं।

मैंने देखा बसपा के कुछ साथी कह रहे थे कि अभी नहर में पानी आ रहा है, अभी पानी चलने दीजिये, अभी सफाई का काम मत करवाइये। माननीय अध्यक्ष जी, हम भी करायेंगे और आप भी समय समय पर अपनी बात कहते रहेंगे, अच्छी बात है लेकिन मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि खास तौर से बलिया ऐसा इलाका है जहां सरकारी ट्यूबवेल की जरूरत है और मंत्री जी से मैंने आग्रह भी किया। मैं

अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कई इलाकों में ट्यूबवेल इसलिये नहीं लगाये जाते क्योंकि बताया जाता है कि यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। बाढ़ जब आती है गंगा में, घाघरा में तो पानी पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। अगर उस पूरे इलाके को डूब क्षेत्र घोषित कर देंगें तो हम किसान के साथ न्याय नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन तमाम इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से पानी आता है, महीना पन्द्रह दिन रहता है और फिर चला जाता है किसान खेती करता है उसके सिंचाई के लिये वहां भी ट्यूबवेल लगाने का इंतजाम किया जाय। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और कहा भी है। माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़े काम किये, बलिया के लिये ही नहीं किया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिये किया और साढ़े चार सौ करोड़ रुपये से जनेश्वर मिश्र सेतु का निर्माण करके उत्तर प्रदेश और बिहार के रिश्तों को मजबूत करते थे। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि बक्सर का पुल खराब है। बक्सर का पुल उत्तर प्रदेश का पुल नहीं है वहां बिहार से काम चल रहा है। मा0 अम्बिका चौधरी जी उस इलाके के नेता हैं और उपेन्द्र तिवारी बैठे हैं चार लोग लगाए हैं, चार लेबर लगाए गए हैं इस गति से काम हो रहा है। हम जनता से जुड़कर रहना चाहते हैं जनता के सवालों पर खरा उतरना चाहते हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं मा0 मंत्री जी से, कि यह काम जो काम मा0 नेताजी के जमाने में शुरू हुआ था हमारे इलाके में दुबहा विपुड़ा बांध जो अधूरा पड़ा हुआ है बसपा सरकार में उसमें एक हाथ माटी डालने का काम नहीं किया गया है। उस बंधे को फिर से बनवाने का काम किया जाए कम्पलीट किया जाए। उससे कम से कम दो दर्जन गांव बाढ़ के प्रभाव से बच जाएंगे हजारों एकड़ जमीन बच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने डा0 धर्मपाल सिंह जी और नीरज कुशवाहा जी के कटौती के प्रस्ताव पर हमें समर्थन में बोलने के लिए समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो नहर थी उस नहर की खुदाई इन्होंने कराई। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

शान्ति बनाए रखें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इस बात को भी कहना चाहूंगा, जहां मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र में नहर की खुदाई कराई। वहीं इस बात के लिए भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपने वह खुदाई टेल तक नहीं करवाई। जिसका परिणाम यह हुआ मा0 अध्यक्ष जी जब नहर का पानी छूटा है तो

हजारों एकड़ किसानों की फसलें जो टेल से जुड़े हुए थे वह पूरी की पूरी बरवाद हो गईं ऐसे में धन्यवाद आप लें ही लेकिन इस बात के लिए गुजारिश भी करूंगा कि जो गरीब किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं टेल तक खुदाई विभागीय अधिकारियों द्वारा चाहे जिन लापरवाही के तहत नहीं करायी गयी तो उन गरीब किसानों को भी, जिनकी फसलें बरबाद हुई हैं उन्हें मुआवजा जरूर दिया जाए यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दो–तीन हमारे छोटे छोटे सुझाव हैं जो मैं देना चाहता हूं। मंत्री जी से मिलकर मैंने कई बार आग्रह किया था हमारे क्षेत्र में 45 किलोमीटर लम्बा बांध है। कोठा आछीडीह बांध 45 किलोमीटर लम्बा है। केवल पांच किलोमीटर ऐसा अवशेष है जो वह बांध पूर्ण नहीं हो पाया है पांच किलोमीटर वह बांध न बनने के कारण 45 किलोमीटर जो बंधा है उसका उपयोग नहीं हो पाता है।

पूरा का पूरा पानी उधर से घूमकर आता है। हजारों हेक्टेयर फसलों को बरबाद करता है, गांवों को बरबाद करता है। विभाग द्वारा आछीडीह से सरपा तक जो पांच किलोमीटर का बंधा है उसके लिए यहां से प्रस्ताव बनाकर यहां से जो पटना सिंचाई विभाग का मुख्यालय है सिंचाई विभाग का, वहां उसकी स्वीकृति के लिए गया था वहां से कोई ऑब्जेक्शन लग कर आया, उस ऑब्जेक्शन को दूर करके वह पत्रावली शासन की शायद कोई स्टेयरिंग कमेटी होती है, उसके पास पड़ा हुआ है मैंने मा0 मंत्री जी से निवेदन किया था कि वह स्टेयरिंग कमेटी में उसमें सुनवाई हो जाए वह पत्रावली पुनः पटना चली जाए।

भारत सरकार संभवतः उसको धन देती है विभाग के अधिकारियों से आपके माध्यम से इस विभाग से कहना चाहता हूं कि अगर पांच किलोमीटर बंधा बन जाएगा तो उस 45 किलोमीटर बंधे का उपयोग पूर्णतया किसान कर सकेंगे। यह निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहते हैं। एक और बात कहना चाहता था इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा कि पूर्वांचल में पहली बार सरयू, घाघरा की धारा मोड़ने के लिए पार्कोपाइन विधि का इस्तेमाल किया गया था जो लखीमपुर खीरी में किया गया था। 2007 से 2012 की गर्वन्मेंट में वर्ष 2011 में स्वीकृति के बाद आपने 2012 में पार्कोपाइन विधि से गोला तहसील क्षेत्र के बड़हलगंज ब्लाक में सरयू की धारा मोड़ने का काम किया। दो साल से वह पार्कोपाइन विधि का संयंत्र लगा है और वह बहुत बेहतर चल रहा है। बहुत बेहतर चल रहा है उसकी अगर आप मरम्मत करा देंगे तो वह धारा मुड़ जायेगी तो कम से कम 500 से 700 हेक्टेयर किसानों की ऐसी भूमि है वह बांगर जैसी हो जायेगी, मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि तरैना नाला जो गोला तहसील के बीचोंबीच से जाता है। आपने बगल के बासगांव क्षेत्र में नाले की खुदाई कराई उसके लिये आपको धन्यवाद, मगर तरैना नाले की यदि आप खुदाई कराते हैं तो वह मिट्टी तटबंध में भी काम देगी और हजारों हेक्टेयर भूमि जो किसानों की हर साल डूब जाती है वह बच जायेगी। वह पत्रावली आपके पास पड़ी हुयी है और आपके पास इस्टीमेट भी है। सरकार की अगर थोड़ी सी नजर उस पर होगी तो किसानों का भला हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह उस तरैना नाले की

खुदाई कराकर के उसके किनारे वृक्षारोपण कराया जाये तो पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और किसानों की फसलें भी बच सकेंगी। मान्यवर, एक सवाल हमनें सदन में लगाया था। हमारे यहां घाघरा नदी से, सरयू नदी से लगभग 24–25 गांव ऐसे हैं जहां करीब 15–20 किलोमीटर की लम्बाई में बहुत तेजी से कटाव हो रहा है।

जब हमनें सदन में सरकार से सवाल लगाया था तो सरकार की तरफ से जवाब आया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि हां, ये 24–25 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से नदी के खतरे में हैं। मैं यह भी जानता हूं कि गांव को बचाने के लिये भारत सरकार की जो गाईड लाईन हैं कि किसी गांव को बचाने के लिये आप धन नहीं दे सकते। यह आपकी मजबूरी है, मगर वही गाईड लाईन यह भी कहती है कि अगर गांव के समूह खतरे में हैं तो भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार आप धन दे सकते हैं। हमनें यह निवेदन किया था कि जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि 24–25 गांव खतरे में हैं तो क्या ठोकर लगाकर के इन गांवों को बचाने का प्रयास किया जायेगा ? सरकार की तरफ से जवाब आया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह फ्लड एरिया है। यहां मैं मा0 मंत्री श्री नारद राय जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं। उनकी बात का समर्थन भी करता हूं। उन्होंने अधिकारियों की तरफ इंगित करते हुये कहा कि अगर फ्लड एरिया है, दो–तीन महीने पानी रहता है तो क्या बाकी के लिये नलकूप नहीं लगाना चाहिये ? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि फ्लड एरिया है, दो महीने पानी अगर कहीं आता है तो अगर वहां नलकूप लगाया जा सकता है तो दो महीने पानी आने वाले क्षेत्रों को ठोकर लगाकर के उन 20–25 गांवों को भी बचाने का कार्य किया जा सकता है। बहुत अधिक ठोकर न लगायें जाएं, चार से पांच ठोकर भी यदि लगा दिये जायगें तो उन 20–25 गांवों के बहुत सारे लागों, हजारों लोगों के घर बचाये जा सकते हैं, उनकी फसलें बचायी जा सकती हैं। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार उस पर ठोकर लगाये ताकि घाघरा और सरयू का जो कटाव है वह रूक सके। इसके साथ मा0 अध्यक्ष जी, आपके समय की परियोजना है, मैंने एक बार इस पर सवाल लगाया था तो अपने कहा था कि हां। यह मेरे समय की बात है मैं जानता हूं। आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं। हम दूसरी बार जीत कर आये हैं। हमारे पुराने नेताओं ने जो कुछ भी कुछ कहीं आगे छोड़ा है अगर हम उसे पूरा कर सकें तो खुशी होगी। मैं जलकुण्डी परियोजना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके समय के पूर्व की वह परियोजना है।

मा0 मंत्री जी मैं जानता हूं कि भारत सरकार और नेपाल सरकार से जुड़ा यह मामला है, यह आपसे जुड़ा नहीं है, मगर प्रस्ताव तो जा सकता है। एक बार फिर प्रयास किया जाये। पूरे नेपाल का पानी आता है हम पूर्वांचल वालों को तबाह करके चला जाता है। अगर जलकुण्डी परियोजना वह थी कि नेपाल का पानी वहीं रोक दिया जाये और रोककर उससे बिजली बनायी जाये। सिंचाई के साधन होंगे, बाढ़ का पानी पूर्वांचल को तबाह नहीं करेगा। आप सक्षम मंत्री हैं। इस बात के लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव की पत्रावली एक बार पुनः निकलवाईये। जलकुण्डी परियोजना आपको चार चांद लगा सकती है, पूर्वांचल का भला कर सकती है, बिजली दे सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जलकुण्डी परियोजना की फाईल

सरकार निकलवाये और उस प्रस्ताव को पुनः भारत सरकार को भेजा जाये। दो देशों का मामला है मगर प्रस्ताव आपकी तरफ से जाना है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मा0 मंत्री जी से मैं मिला था तो उन्होंने इस बात के लिये आश्वस्त किया था कि 45 किलोमीटर बंधा बन चुका है केवल 05 किलोमीटर बंधा अधूरा है। आपके पास स्टैंडिंग कमेटी की पत्रावली आयी हुयी है आपने उसे मार्क भी किया था और आपने फाईल भी मंगवाई थी, मगर न जाने वह क्या कारण रहा। मेरे पास सूचना आयी कि आपका पत्र गया, आपका मार्क हुआ, पत्रावली आयी आपने आदेश किया फिर किन्हीं परिस्थितियों में अधिकारीगणों ने उस पत्रावली को उस मीटिंग में आपके सामने नहीं रखा। जरूर आप इस बात को देखेंगे कि आपके आदेश के बावजूद वह पत्रावली आपके सामने क्यों नहीं पहुंची, जब कि आपने स्वयं कहा था कि यह कार्य मैं कराऊंगा क्योंकि 05 कि0मी0 के चलते 45 कि0मी0 का बन्धा हमारा बेकार जा रहा है। आपने हमें कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र दुबे–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में हमें बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय से आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जहां पूर्व की सरकारों में किसान अपनी किस्मत को कोस रहा था कि हम किसान हैं, हमें सिंचाई की सुविधा से, खाद की सुविधा से वंचित किया जाता है। नहरों की वह हालत थी कि नहरों की सफाई नोट की सफाई के रूप में केवल कागज पर हुआ करती थी, पहली बार जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, नहरों की सफाई धरातल पर हेड से लेकर टेल तक हुई है और आज पूरी सफाई दिखायी दे रही है और किसान उसका लाभ ले रहा है। आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, जहां सिंचाई मुफ्त हमारी सरकार ने किया। सिंचाई मुफ्त जब नहीं थी तो आगे–आगे अमीन, पीछे–पीछे उसका चपरासी गरीब व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचता था। गरीब व्यक्ति अमीन का नाम सुनते ही घर में घुस जाता था और अपने बेटे से कहता था कि कह दो कि पापा घर से बाहर गए हैं क्योंकि उसके पास डेढ़ सौ रुपया, अढ़ाई सौ रुपया पन–कर देने का पैसा नहीं था। सरकार ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय उन गरीब किसानों के लिए लिया है, मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, जहां लोग 56 इंच की छाती की बात किया करते थे, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, 56 इंच की छाती कहने वाले लोग आज जो विकास पैदा हुआ, वह 9 महीने में कोई विकास पैदा नहीं हुआ बल्कि विकलांग पैदा हुआ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहता हूं कि 56 इंच की जिसकी छाती भी है और उस छाती के अन्दर इतना बड़ा कलेजा है, मा0 सिंचाई मंत्री, शिवपाल सिंह यादव जी का जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है और हमारे यहां जनपद सोनभद्र में इतना बढ़िया काम करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, घाघरा नदी का वह पुल जो 105 वर्ष पुराना पुल था, न जाने कितनी सरकारें आयीं, न जाने कितनी सरकारें चली गयीं, पुल टूटे हुए थे, गांव का आदमी परेशान था, लेकिन अगर उन 18–18 पुलों को देने का, स्वीकृति करने का काम किया तो इतनी बड़ी छाती वाले सिंचाई मंत्री जी ने देने का काम किया है, मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस की

सरकार में एक सोन लिफ्ट परियोजना मेरे यहां शुरू की थी, न जाने कितनी सरकारें आयीं, न जाने कितनी सरकारें चली गयीं। पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं, मा0 सिंचाई मंत्री जी को जिन्होंने इस बजट में 155 करोड़ की परियोजना में 4 करोड़ का बजट देकर अपनी घोषणा को पूरा करने का काम किया है, मैं सोनभद्र की तरफ से आपको बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, उसके अलावा शाहगंज रजबहा जहां के किसान पानी के लिए तरसा करते थे, उस रजबहा को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बजट में प्रावधान किया, इसके लिए मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं मा0 मंत्री जी से दो–तीन बातें अपने जनपद की कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे जनपद की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारा जनपद चार राज्यों से घिरा हुआ है और आदिवासी बाहुल्य भौगोलिक स्थिति में 300 कि0मी0 में मेरा जिला है, इसमें मा0 मंत्री जी का ध्यान अपने सोनभद्र की तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा नलकूप हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है, जहां एक भी सरकारी नलकूप नहीं है, विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि जनपद सोनभद्र में भी सर्वे कराकर वहां सरकारी नलकूप लगाये जायें। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 245 लघु–डाल नहरें हैं, वहां सोनभद्र जिले में मात्र एक लघु–डाल की नहर है। मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान सोनभद्र में आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि पानी का वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जो क्षेत्र हमारा अछूता है वहां लघुडाल की नहरों की स्थापना करा करके उस क्षेत्र को सिंचित करने का काम करेंगे। साथ ही हम मा0 मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि साढ़े पांच सौ किलोमीटर नहर जनपद सोनभद्र में है 26 साल जिले को बने हो गए आज तक वहां सिंचाई विभाग का दफ्तर नहीं है। आपने घोषणा भी की थी। हम आपका ध्यान चाहेंगे। मा0 प्रमुख सचिव ने इसमें आर्डर कर दिया है लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं खुल पाया। मैं मा0 मंत्री जी की कृपा चाहूंगा कि कम से कम सोनभद्र में सिंचाई विभाग का दफ्तर खोला जाए क्योंकि 90 किलोमीटर दूर सोनभद्र का किसान अपने कार्यालय के लिए जाता है। विभागीय अधिकारी हमारे जिले में नहीं आते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक डोनिया बन्धा है उसका पानी एक बूंद भी सिंचाई के काम नहीं आता है। यदि उस पर एक लिफ्ट परियोजना लगा दी जाए तो मध्यपुर का हमारा क्षेत्र जो जल से अछूता है वह सिंचाई क्षेत्र से आबाद हो जायेगा। मा0 मंत्री जी साथ ही आपने घोषणा की थी धोवा पम्प कैनाल के विस्तारीकरण के लिए अब तक उस पर कार्य योजना नहीं बन पाई है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उस परियोजना को पूरा करने का काम करेंगे। इतने अच्छे बजट में कटौती प्रस्ताव लाना यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोई आदमी सोता है उसको कोई भी जगा सकता है लेकिन कोई जागते हुए अगर सोने की नकल करता है सब कुछ देखते हुए भी कटौती लाता है तो वह सोने की नकल कर रहा है उसको कोई जगा नहीं सकता। इसलिए मा0 मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

'श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर आपका बहुत–बहुत आभार यह जो कटौती प्रस्ताव अगर यह धर्मपाल जी ने और नीरज जी ने रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए बहुत समय हो गया तीन–तीन मिनट में कह लीजिए।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर पांच मिनट आप देंगे तो अपने सारे विषय मैं रख दूंगा। आप जानते हैं मैं विषय पर ही बोलता हूं और विषय से ईतर कभी नहीं बोलता हूं। मैं समझता हूं कि सुझाव पर अगर सरकार ध्यान देगी तो कहीं न कहीं उसको लाभ मिलेगा। मा0 अध्यक्ष जी सारे विश्व में जिसमें भारत भी शामिल है 97 प्रतिशत पानी ऐसा है जिसको हम पी नहीं सकते छू नहीं सकते हैं। मात्र 3 प्रतिशत पानी ही ऐसा है जिसको हम पीने नहाने खाने और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रयोग कर सकते हैं। उस तीन प्रतिशत में भी दो प्रतिशत भूगर्भ में है। एक प्रतिशत पानी ऐसा है जो नदियों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था में प्रयोग किया जा सकता है। बहुत जिम्मेदार व्यवस्था का जन्म होने की अब व्यवस्था होनी चाहिए। एक नारा दिल्ली से निकला है मैं समझता हूं सरकार तक पहुंच गया होगा 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप'। प्रति बूंद कैसे हम अपनी कृषि की उपज बढ़ा सकें। कैसे पानी की एक–एक बूंद का उपयोग अच्छे से कर सकें। नहरों में पानी टेल तक पहुंच गया है आप मंत्री जी यहां बैठे हैं बहुत–बहुत बधाई के पात्र हैं लगभग सभी सदस्य इस विषय में एक मत–सा दिखते हैं कि टेल तक पानी पहुंचा है और सिल्ट की सफाई हुई। लेकिन टेल के बाद की एक व्यवस्था होती है जिसे लास्ट माइल कहा जाता है और उस लास्ट माइल में पानी बहुत बर्बाद होता है। कैसे उस बर्बाद होते हुए पानी को रोका जाए मैं समझता हूं सिंचाई विभाग को इस पर भी चिंतन–मनन करने की अब जरूरत है। जैसे कि नीरज जी कह रहे थे इजराइल की चौबीस प्रतिशत धरती जब इतना ज्यादा कृषि एक्सपोर्ट करती है डेढ़ सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर 'सी आफ गैलीली' से साफ पानी लेकर वो पूरे इजराइल को सप्लाई करती है। और उसको सुरक्षित रखती है उस पानी की व्यवस्था को बना कर रखती है। हमें भी सिंचाई के विषय पर इतना संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में अधिकतर व्यवस्था यह है कि हम वर्ष में दो बार कृषि की फसल लिया करते हैं। मैं जिस सदन में हूं उस सदन को सलाह दे रहा हूं मोदी जी तक आप पहुंच कर दे दीजिए। इस सदन में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग दो फसल लेते हैं मोटे तौर पर एक धान की फसल और एक रबी और खरीफ की। बीच का एक वक्त ऐसा आता है मार्च से लेकर जून के अंत तक का लगभग 90 से 120 दिन का वक्त ऐसा आता है। जिसमें जमीन बिलकुल निष्प्रयोज्य रहती है। सिंचाई की नहरों और 'पर ड्राप मोर क्राप' व्यवस्था के माध्यम से पानी के सही संचयन के माध्यम से कृषि को एक फसल और देने का काम आप किसान वर्ष में शुरू कर सकते हैं। यह पानी कैसे कृषि के लिए और उपयोगी सिद्ध हो जाये मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। मान्यवर, 68 वर्षों में या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके पहले भी 500–1000 वर्षों पहले से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वह क्षेत्र वहीं है, जिन नदियों में बाढ़ आती है वह नदियां वही हैं जिन समयों पर बाढ़ आती है वह समय भी वही है। जिन कृषि क्षेत्रों में बाढ़ आती है पानी बढ़ता है वह क्षेत्र भी वही है। लेकिन इन 68 वर्षों में यह सदन या राष्ट्रीय सदन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए समग्र योजना बना पायें और उस समग्र योजना के तहत उनको कुछ लाभ दे पायें। माननीय अध्यक्ष जी, शहर और सड़क से जितनी दूरी किसान की बढ़ती है उतनी गरीबी और अव्यवस्था का प्रतिशत बढ़ता है। यह शोध है।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां सभ्यतायें नदियों के किनारे विकसित हुयी हैं। जबकि होना उल्टा चाहिए था। चाहे विश्व की किसी सभ्यता को देख लीजिए। लेकिन ह्यूमन इन्टरवेंशन ने कहीं न कहीं इस व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, फतेहपुर का एक बड़ा मसला है। एक नदी है उसका नाम ससुरखदेरी नाम है। उसके दो पाट हैं। और वह नदी विलुप्त हो चुकी है। उस नदी को कुछ स्वयं संस्थाओं ने कुछ संगठनों ने और वहां की एक डी0एम0 थी उनसे मिलकर उस नदी में दोबारा पानी लाने और संचयन करने का काम इन संगठनों के माध्यम से शुरू किया गया । मा0 अध्यक्ष जी यह नदी लुप्त हो चुकी है। उस पर सिल्ट जमा हो चुकी है और इसके ऊपर कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं। वाटरशेड के ऊपर इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा यदि उत्तर प्रदेश सरकार यह कार्य करेगी तो यह नदी दोबारा जीवन पा जाएगी। भगूर्भ जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वह बच जाएगा। हमारे यहां 13 में से 8 ब्लाक डार्क जोन में हैं। 47 जिलों में लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। यह बड़ा गंभीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। अब आप बैठ जायें। मा0 योगेश प्रताप सिंह जी बोलें।

श्री विक्रम सिंह–

अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूं। रिवर्स बोरिंग की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, काफी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो ए0टी0पी0 नहीं बना पा रही हैं। वह रिवर्स बोरिंग के माध्यम से गंदा पानी भू–गर्भ में छोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ।

(इस बीच मा0 सदस्य श्री विक्रम सिंह बोलते रहे लेकिन उनका माइक ऑफ था)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। विक्रम सिंह जी बहुत लोगों को बोलना है। दो–दो मिनट बोल लें।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं अभी टेल तक तो पहुंचा ही नहीं, अभी तो हेड पर ही हूं। पहुंचने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप इतनी देर तक बोले। जितना यह बता रहे हैं उतना समय राणा जी में कट जाएगा।

श्री विक्रम सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं आपकी बात को मानते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख्समय 5.25, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा जो सम्मानित सदन के समक्ष वर्ष 2015–16 का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इस बजट के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत जब हमारे निर्वाचन आते हैं, सभी दल अपने विचारधारा को लेकर अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि 2012 का जो चुनाव रहा उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी तथा हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का एजेण्डा जनता के सामने प्रस्तुत किया। हमारी क्या नीतियां होंगी, हमारी क्या सोच होगी, हमारे क्या विचार होंगें इसको जनता के सामने हमने रखा और पूरे प्रदेश की जनता ने हमारी इन योजनाओं पर विश्वास कर बहुत दिन बाद समाजवादी पार्टी की एक बहुमत की सरकार बनी। हमारा उसी दिन दायित्व बढ़ गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी को साथ ही साथ हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव को जो–जो वादे हमने अपने घोषणा–पत्र में किये थे, उन वादों को हमने पूरी तत्परता पूरी तन्मयता से पूरा करने का काम किया है। आज हम विभाग की तरफ नहीं बोलना चाहते बड़ा समय लगेगा हमें अपनी उपलब्धियां गिनाने में।

आज सिंचाई विभाग में ही मैं अपने को सीमित रखना चाहता हूं। सिंचाई विभाग में हमारा वादा था कि हम टेल तक पानी पहुंचायेंगे, माननीय मंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो आपने उस समय यह बताया कि माननीय नेता जी ने आन्दोलन में अपने को 14 वर्ष की उम्र में जेल में राजनीतिक में ले जाने का काम किया था। उसी विचारधारा को लेकर हमने किसानों को मुफ्त पानी देने की बात कही और आज एक छोटा सा प्रदेश जो चार पांच सौ लीटर पानी कहीं मुफ्त देता है, इतना ज्यादा प्रोपोगण्डा होता है हमने अपने प्रदेश की रीढ़ जो किसान हैं, इन किसानों को मुफ्त पानी देने का जो वादा किया था, उसे पूरा करने का काम हमने किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने सिल्ट सफाई की बात की थी। मैं भी इस विभाग में मंत्री रह चुका हूं 2003 से लेकर 2007 तक, सिर्फ एक बार सफाई होती थी। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज वर्ष में 2 बार सफाई का काम किया। अभी भाई विक्रम सिंह जी बोल रहे थे, पक्ष विपक्ष की सीमायें होती हैं, उन सीमाओं को लांघ कर इन्होंने मंत्री जी को बधाई दी और यह कहा कि आपने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है। टेल के बाद जो पानी जाता है उसकी व्यवस्था करिये। यह मंत्री जी की कार्यकुशलता का परिचय है। अभी हम 7 साल से संघर्ष कर रहे थे कि हमें टेल तक

पानी पहुंचाना है और आज हमारा विपक्ष हमसे मांग कर रहा है, हमारे साथी हमसे मांग कर रहे है कि टेल के बाद जो पानी जा रहा है उसकी क्या व्यवस्था आपको करनी है ? यह सिंचाई विभाग की कार्यकुशलता है, मैं मंत्री जी के साथ जो आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसको आपने कार्य रूप में परिणति करने का काम किया। अभी माननीय मंत्री नारद भाई हमारे कह रहे थे 75 प्रतिशत नलकूप हमारे बन्द पड़े थे आज 05 प्रतिशत की संख्या में उनकी बन्दी हैं और वह ऊर्जीकृत हुए हैं, वह चले हैं और सफलतापूर्वक पानी दे रहे हैं। हमारी योजना धाराशायी हो जाती जो हम मुफ्त पानी देने की बात कर रहे थे, अगर वह नलकूप न चलते। आज उन नलकूपों को चलाकर विभाग ने कीर्तिमान स्थापित किया है।

आप बजट की तरफ जायें गोण्डा, बहराइच से लेकर महाराजगंज और गोरखपुर और फैजाबाद का जो हमारा इलाका है, सरयू नहर परियोजना जहां तक मेरी याद्दाश्त काम देती है 1971 में 26 करोड़ रुपये से बनी थी और आज वह परियोजना धीरे–धीरे बिल्कुल कालकलवित होती जा रही थी, समाप्त होती जा रही थी, पिछली बार बड़ी मेहनत करके हमने डुमरियागंज शाखा को चलाने का काम किया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने मेहनत करके सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय नहर परियोजना घोषित कराया यह जिस तेजी से सरयू नहर परियोजना में काम चल रहा है, 2016 तक जो आपने पूरा करने का वादा किया है इस बजट में भी 800 करोड़ की आपने उसकी व्यवस्था की है और योजना हमारे क्षेत्र से होकर निकल रही है। बहराइच से होकर, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और फैजाबाद में इससे सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी। उधर बाण सागर परियोजना का खुद मैंने जाकर दौरा किया था। बाण सागर परियोजना का दुर्भाग्य यह था कि उसी क्षेत्र के जो सिंचाई मंत्री जी थे उन्होंने उस योजना को बन्द करने का काम किया था। मैं उनका नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता हूं, वह बहुत वरिष्ठ मंत्री थे सिंचाई विभाग के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं में हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की परियोजना को बन्द करने का काम किया था और मा0 मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने जा कर के बाण सागर परियोजना में एक नई जान फूंकने का काम किया है और वह परियोजना बहुत जल्दी ही अपनी पूर्णता की तरफ जायेगी। इसी तरह से कनहर परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया है। हमारे भाई पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं, देवकली पम्प नहर थी, किस अवस्था में पहुंच चुकी थी, आज वहां से पानी की व्यवस्था हो रही है। हमारी सरकार इस चीज को लेकर पूरी तरह से संकल्पबद्ध है कि हम पूरे प्रदेश को सिंचाई की सुविधा देंगे। मान्यवर, बहुत लम्बा–चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि आपने कुम्भ में किस तरह से स्वच्छ जल की व्यवस्था की थी, साथ ही साथ मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा।

मा0 अध्यक्ष जी, पहली बार मुझे इस सत्र में बोलने का मौका मिला है, एक मिनट का समय और आपसे चाहता हूं, मा0 मंत्री जी बैठे हैं 2005 में जब नेता जी मुख्य मंत्री थे इस प्रदेश के, हमारा पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता था, एक तरफ घाघरा बीच में सरयू, एक तरफ टेढ़ी नदी, तीनों नदियों के प्रकोप से पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता था, एक फसल हमेशा होती थी और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा,

एल्गिन ब्रिज, चरसड़ी बांध जिसकी लम्बाई 52 किमी0 और सकरौर से लेकर भिखारीपुर बांध जिसकी लम्बाई 22 किमी0 है और भौरीगंज बांध तीनों बांधों का निर्माण 2005 में शुरू हुआ और 2007 में पूरा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य हमारा 2007 में पूरा जब बसपा की सरकार आई, उसके बाद में 2007 में बांध नहीं टूटा, 2008 में बांध नहीं टूटा, दो वर्षों में नया बांध होने के बावजूद भी कभी बांध नहीं टूटा, 2009 में टूटा, 2010 में टूटा, 2011 में टूटा । मा0 सिंचाई मंत्री जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, मैं आपको लेकर गया, मा0 मुख्य मंत्री जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मौके पर लेकर गया और उसी के बाद आपने उस समय वहीं घोषणा की थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद यह बांध टूटेगा नहीं। मैं आपको बधाई दूंगा कि 2011 के बाद कई बार बाढ़ आ चुकी है, 2012 की, 2013 की, 2014 की बाढ़ हम झेल चुके हैं आज तक हमारा वह बांध टूटा नहीं है और टूटेगा भी नहीं, इस तरह का काम हो रहा है। पिछले साल थोड़ा संवेदनशील स्थिति में था, मैंने मा0 मंत्री जी से अनुरोध किया, आप स्वयं मौके पर गये आपने देखा, जा करके व्यवस्था की और एक पक्काकरण की पक्की योजना बनाने का निर्देश आपने अधिकारियों को दिया था, वह योजना बन कर के शासन में आ गई है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी गोण्डा गये थे, उन्होंने किमी0 07 से लेकर किमी0 15 तक के बांध को पक्का करने की घोषणा की है। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उस पर तत्काल काम शुरू किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

'श्री वीरपाल राठी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर मैं सिंचाई विभाग के बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं, मान्यवर यह वास्तविकता है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी ने जो सिंचाई का कार्य कराया है, उसके लिए वह वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं । उनका सफाई अभियान, जब से मैं विधायक बना हूं, तीन वर्ष हो चुके, कोई नहर पश्चिम में ऐसी नहीं जिसपर सफाई न हुई हो, तमाम नहरों में सफाई हुई, लेकिन मान्यवर, मैं इसके साथ ही साथ एक निवेदन करूंगा कि जो नहरों पर पुल हैं, जो कमजोर हो चुके हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं, कई पुल तो ऐसे हैं, जो टूटे हुए हैं, रजवाहों पर, माईनरों पर, मेरा निवेदन है मा0 मंत्री जी से कि उनका निरीक्षण करा लें और उन पुलों पर मरम्मत का कार्य करा दें ।

जो नहरों पर वास्तविकता में पटरी का काम है, जो पक्का कराने का काम है, एक नहर पूर्वी यमुना नहर है जो सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक की नहर है, मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस नहर की पटरी पर कई जिलों के लोग चलते हैं और दिल्ली की ओर बाईपास हम उसको समझते हैं, मा0 मंत्री जी अगर उसे भी पक्की करा दें, तो उनको बहुत सारा धन्यवाद। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, पानी के बंटवारे की बात तो कहूंगा मा0 मंत्री जी वास्तविकता है जब प्रकृति का प्रकोप होता है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तब पानी नहीं मिलता है, हम यह भी कहना चाहेंगे मा0 मंत्री जी से कि उन्होंने पानी दिया है, पानी पहुंचा है, पानी बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मा0 मंत्री जी जो पानी का बंटवारा है, पूर्वी यमुना नहर में जो यमुना के पानी का पांच राज्यों का जो बंटवारा हुआ था। वह बंटवारा यू0पी0 के हक में नहीं हुआ। मान्यवर, इसकी समीक्षा करवा लें और यू0पी0 का पानी बढ़वा दें। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में दोआब परियोजना है। दोआब परियोजना के अन्तर्गत यमुना से पानी मिलता है लेकिन जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो उस समय उस नहर में पानी नहीं आता और वह सूखी पड़ी रहती है। मा0 मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उसमें कुछ गंगा का पानी दे दें। अगर उसमें गंगा का पानी पड़ता है तो कुछ प्रतिशत ही अगर दे दें। मेरा निवेदन है कि उसमें अगर आप गंगा का पानी देंगे तो बहुत बड़ा भला वहां पर किसानों का होगा। एक बात कहकर के क्योंकि थोड़ा सा समय है अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, बड़ौत के अन्दर जनपद बागपत में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा सिंचाई विभाग द्वारा लगायी गयी थी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वह प्रतिमा पांच–पांच बरस हो चुके लेकिन उसका अनावरण नहीं हुआ। इसके अलावा, एक प्रतिमा जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत है जो दोरा में है। नहर की पटरी पर जो गेस्ट हाउस खुला है। मान्यवर, ये सिंचाई विभाग की चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है और इसका अनावरण आज तक नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं आज चाहूंगा कि इसके अनावरण के लिये आज इस सदन के अन्दर मान्यवर, आप इसका अनावरण कर दें। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष उसका अनावरण करे और आज इसकी घोषणा हो। इसी के साथ एक मूर्ति चौधरी चरण सिंह की सहारनपुर में है जो क्षतिग्रस्त कर दी गई थी उसकी फाइल चली हुयी है। मान्यवर, उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया तो उस चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को दोबारा वहां पर लगवाया जाये इसी के साथ मैं सिंचाई विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

देखिये ये हैं कि जो मा0 सदस्य न बोल पायें जिनको बोलने का अवसर न मिल पाये क्योंकि कई बजट हैं तो आप लिखकर दे दो हम जुड़वा देंगे और वह प्रोसीडिंग का अंग हो जायेगा।

(कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

अरे, आप लोग रूको न। अरे भाई, ऐसा नहीं है सबको मौका मिलना चाहिये। आपके तीन चार लोगों को मिला, लोकदल को एक मिला, कांग्रेस को एक मिला। थोड़ा आगे बढ़ने दो, जब वहां से लौटकर आते हैं तब बोलना।

(कतिपय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से शोर की स्थिति होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिये। देखिये, इधर आधे से ज्यादा सदस्य हैं तो उनकी संख्या तो ज्यादा हो ही जायेगी। अगर आप लोग हल्ला मचायेंगे तो हम इसे पास करा देंगे तो बोल नहीं पाओगे।

'श्री विजय मिश्र–

मा0 अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था देश में कृषि एवं कृषि कार्यों पर आधारित रहती है। कृषि की सफलता फसलों के लिये जल की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः जल का भण्डारण एवं उसका सदुपयोग राष्ट्र और प्रदेश के मध्य का विषय है। वर्तमान उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कृषकों को पर्याप्त जल की उपलब्धता एवं सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिये कटिबद्ध है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा कि आज मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। अतएव मैं इसके लिये मा0 सिंचाई मंत्री जी को कोटिशः बधाई देते हुये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सिंचाई की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। जो अभी आदरणीय धर्मपाल जी बता रहे थे कि यहां पर लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई से पोषित होती है। सिंचाई की दृष्टि से प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है जिसमें बुन्देलखण्ड, मध्यवर्ती, उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र हैं। आज के बजट से स्पष्ट है कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा। प्रदेश में वृहद एवं मध्यम राजकीय सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण करके सुविधा आज के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के अन्तर्गत नियोजन के माध्यम से राजकीय सिंचाई साधनों के तीव्र विकास का प्रयास किया गया है। जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं– नहरों की सफाई, आखिरी टेलों तक पानी ले जाना, सिल्ट की सफाई, राजकीय नलकूपों का लगाया जाना। प्रदेश की सिंचाई सुविधा के लिए कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी बजट के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें मुख्य गंगा नहर परियोजना, टिहरी बांध इसी के साथ घाघरा नदी के ऊपर का क्षेत्र भी सिंचाई के साधनों के लिए सम्मिलित किया गया है। सरयू नहर परियोजना में भी इस प्रदेश में सिंचाई का विकसित साधन उपलब्ध कराया जायेगा। बाण सागर परियोजना भी इसी क्षेत्र में उपयोगी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट के माध्यम से जो नीति सिंचाई के विषय में निर्धारित की है उसके विषय में मैं माननीय श्री सिंचाई मंत्री जी को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए बजट में आवश्यक पैकेज दिया गया है इसके साथ–ही–साथ राजकीय लघु सिंचाई योजना को भी विकसित कराया गया है इसके लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं एवं आशा करता हूं कि प्रदेश की सिंचन क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधा हेतु लगभग 73 स्क्वायर किलोमीटर नहर परियोजना पहले से ही विकसित है, इसकी सिल्ट की सफाई का काम प्रस्तुत बजट के माध्यम से पहली बार किया जा रहा है। रवी और खरीफ की फसल के बाद नहरों में दो बार सिल्ट की सफाई होती है, माननीय अध्यक्ष जी, जहां से मैं हूं भदोही ग्रामीण जनपद है और जहां पहली बार टेल तक पानी पहुंच रहा है। टेलों तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा विशेष पैकेज का प्राविधान किया गया है। इसके लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं, भाई धर्मपाल जी कह रहे थे...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

आपको कल बोलना चाहिए था, जब बजट था कारागार का आज हमको बोलने दीजिए सिंचाई पर।

श्री विजय मिश्र–

आठ हजार लीटर पानी का आंकड़ा है, 34 हजार कहां है। इसमें तो कम से कम माननीय मंत्री जी को आप लोग खुले ह्रदय से धन्यवाद दे देते कि पिछली सरकार से हर जगह सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, घटी नहीं। 5 साल में आप अगर अपनी क्षमता निकाल लेते उसके आंकड़े हैं और यह कहना भी नहीं कि कागजों पर कार्य हुआ, आदेश तो कागज पर ही होगा, रिकार्ड कागज पर ही होगा। आदेश कागज से ही चलेगा। आपको न दिखायी पड़े तो क्या किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मिश्रा जी, अब खत्म करें।

श्री विजय मिश्र–

मान्यवर, लगभग 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। 30 वर्ष से ठप बाण सागर परियोजना चालू हो रही है जिससे इलाहाबाद जनपद को भी लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार गोमती सफाई की बात एवं पैसे का बन्दरबांट करती रही है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने इसे लखनऊ में प्रारंभ कर दिया है, इसलिए पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं और बात समाप्त करता हूं अतः मुझे विश्वास है कि सिंचन क्षमता भी बढ़ेगी और माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध और है जो बसपा सरकार में परियोजना थी, अगली सरकार जब आयेगी, एक–एक परियोजना हर पांच साल में आपकी जरूर पूरी करेंगे मैं निवेदन करूंगा।

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी आपने इतने महत्वपूर्ण बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह बजट मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की हित की बात को रखते हुए मान्यवर, मैं सबसे पहले हमारी पिछली परियोजना जो बदायूं जनपद में रामगंगा के लिए, लाखों किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, उस परियोजना को मान्यवर, हम लोगों ने प्रयास करके, क्योंकि मेरे क्षेत्र की परियोजना थी, पिछली दफा मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। मैंने उस परियोजना को लागू कराने के लिए अथक प्रयास करे, उसके टेण्डर भी हुए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी को कि पिछली परियोजना को उन्होंने लागू करके लाखों किसानों के हित की बात को रखा। मैं आपसे बस ज्यादा न कहते हुए इतनी बात कहना चाहता हूं कि तमाम सरकारें यह अधिकारी खा चुके हैं। मान्यवर, ये अधिकारी ये वाली भी सरकार खाने का काम पूरा कर रहे हैं बजट के अंदर मान्यवर, इसमें साफ लिखा है कि राजकीय नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज तथा समुचित आपूर्ति न होने के कारण, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है तथा विद्युत भुगतान हेतु प्रतिवर्ष 15 सौ करोड़ रुपये का भुगतान बिजली विभाग

को करा जाता है। जबकि इनके आंकड़े यह कहते हैं कि 25 से 40 फीसदी ट्यूबवेल हर वक्त खराब रहते हैं । साढ़े 500 से साढ़े 700 करोड़ रुपये इन अधिकारियों की कमजोरी से, इन अधिकारियों की वजह से सरकार को भुगतान करना पड़ता है यह साढ़े सात सौ करोड़ रुपये बचाने का काम यह सरकार कर सकती थी अगर इनके अधिकारी सही काम करते । मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर इन सारे ट्यूबवेलों को सौर उर्जा से जोड़ दिया जाय तो 1500 करोड़ रुपये जो हमारा व्यर्थ में चला जाता है वह किसानों के हित में खर्च होगा। मान्यवर, मेरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में बाढ़ में फौजों को बुलाया जाता है। पिछली दफा जब बाढ़ आई थी तो सेना की मदद लेनी पड़ी थी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे यहां का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र नवादामधुकर, भाऊनगला, वेलाडाडी, धीमरपुर, भौजमपुर, हररामपुर, आसफपुर, नवदिया, बन्डहा, सदुल्लागंज, रूकुमपुर, हजरतपुर ऐसे तमाम गांव हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं इसके लिए बाढ़ को रोकने के लिए एक योजना बनाई जाय, बाढ़ को रोकने के लिए ठोकरे बनाई जायं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

'डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, हम आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस सिंचाई के बजट पर इसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मान्यवर, हमारे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांव गरीब और किसान के उत्थान में लगाने का काम किया ऐसे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जब किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता है। मान्यवर, इस देश के अन्दर जय जवान जय किसान के बहुत से नारे लगाये गये लेकिन जब देश आजाद हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्द स्वराज पुस्तक में आजादी के बाद भारत कैसा होगा लिखा था अगर उसको पूरी तरह से इस देश के जिम्मेदार लोग लागू कर दिये होते तो आज गांव और गरीब किसान की हालत इतनी बदतर न होती। मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन्होंने वर्ष 2015–16 को किसान दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है मान्यवर, हम उसका स्वागत करते हैं हम उस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि हम किसान परिवार से हैं । बहुत से ऐसे लोग जो किताबों में पढ़कर किसानों के हालात का इस सदन में जिक्र कर रहे थे मान्यवर, हमारे जो सिंचाई मंत्री जी हैं उन्होंने खुद खेती की है, किसानी की है। वह ऐसी पृष्ठभूमि के हैं जिन्होंने हल चलाया है खेत की मेढ़ पर काम किया है उन्हें जो किसानों का दर्द है वह मालुम है। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताबों में पढ़कर के जान पाते हैं। मान्यवर, मुझे दो मिनट का मौका दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखकर हमारे साथी नीरज कुशवाहा जी कहे थे हम उनसे पूछना चाहते हैं आपने तो गरीबों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर दलितों के नाम पर बहुत सी बातें की, क्या आपको वह दिन याद है जब किसान पैसा लेकर के खाद के लिए लाइन लगाता था तो आपके राज्य में बेरहम पुलिस किसान पर लाठी और डन्डे चलाती थी उनको अपमानित करती थी हम माननीय सिंचाई मंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं वन्दन करते हैं मान्यवर, आजमगढ़ जनपद जो पूर्वान्चल का ऐतिहासिक जनपद है ऐसे जनपद में जो शारदा सहायक प्रणाली 1972 में लागू की गयी थी उसे फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ जो सुदूर के क्षेत्र थे उसका जो टेल का जनपद था वह आजमगढ़ जनपद था वहां तक पानी पहुंचने में कठिनाई होती थी लेकिन मान्यवर, अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी जब आजमगढ़ जनपद गये थे तो पूरे सिंचाई महकमें को सर्किट हाउस में बुलाकर के जनप्रतिनिधियों के बीच में इस पर गहन चर्चा ही नहीं की बल्कि नहर प्रणाली के लिए 102 करोड़ 43 लाख 56 हजार रुपया माननीय सिंचाई मंत्री जी ने स्वीकृत करने का काम किया। बाढ़ की विभीषिका से जो जनपद आजमगढ़ के सगड़ी का इलाका, गोपालपुर का इलाका था, जहां किसान बदहाल हो जाता था, उसका सुख–चैन छिन जाता था तो हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने मौके पर किसानों के बीच जाकर और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल साहब को ले जाकर जो किसानों के घर बाढ़ से नष्ट हो जाते थे, उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, किसान बाढ़ में अपना सामान नहीं निकाल पाते थे तो उस बाढ़ के नियंत्रण के लिये उसके समुचित समाधान का काम किया है। मान्यवर, हम अपने जनपद की तरफ से सिंचाई मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार प्रकट करने के लिये खड़े हुये हैं, हम उनका साधुवाद करते हैं कि आपने किसानों के दर्द को समझा, ऐसे लोगों के दर्द को समझा जिनके दर्द को न तो कांग्रेस समझती थी, न तो बसपा समझती थी और न ही भारतीय जनता पार्टी समझती थी।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप समाप्त करें।

डा0 संग्राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें प्रस्तुत बजट पर बल प्रदान करने का समय दिया, इसके लिये हम आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करते हैं।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूरी बजट पुस्तिका पढ़ रहा था और अभी तालियों की गड़गड़ाहट भी काफी देर से सुन रहा हूं। सारी चर्चा हुई, सोनभद्र की भी चर्चा हुई, आजमगढ़ की भी चर्चा हुई, लेकिन इस पूरी पुस्तिका के पन्ने पलटने के बाद भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि पूरी पुस्तिका में कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश नाम का कोई शब्द आया हो, कोई योजना वहां के लिये नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार से कहना चाहता हूं और हमारे बहुत से प्रभारी मंत्री यहां पर बिराजमान हैं। सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है, यह केवल एक साल का बजट या एक साल की योजना नहीं है, इसमें दीर्घकालिक योजनायें हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लम्बा क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो गया है। बिजनौर का पूरा क्षेत्र डार्क जोन में हैं, मुजफ्फरनगर का बहुत सारा क्षेत्र डार्क जोन में है, पूरा बागपत डार्क जोन में है, मेरठ का बहुत सारा क्षेत्र डार्क जोन में है, सहारनपुर का बहुत सारा क्षेत्र, मथुरा, गाजियाबाद सब डार्क जोन में है। कारण क्या है, कारण यह है कि जल का यहां जो स्तर है वह बहुत नीचे जा रहा है। मैं पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करना चाहता हूं कि वर्ष 2004–2005 का निर्णय था। रूड़की से लेकर डालीगंज यमुनानगर पूर्वी नहर में लाकर पैरलर देवबन्द कैनाल डाली गई। यह इसलिये डाली गई कि वह सीधा पानी दोआबा तक जायेगा, बागपत तक पानी जायेगा और पूरे क्षेत्र के जल का स्तर उठेगा और पूरे क्षेत्र का जल सिंचन होगा, लेकिन हुआ क्या ? हुआ यह कि जो पूर्वी यमुना नहर में 800 क्यूसेक पानी आता था, 1000 क्यूसेक पानी वहां से तय हुआ था, तो इस प्रकार लगभग कुल मिलाकर 1800 क्यूसेक पानी बैठता था। आज पूरी की पूरी पैरलर देवबन्द नहर में पूरी की पूरी सिल्ट जमी पड़ी हुई है। मैं वास्तव में बधाई देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी रजबहे हैं, सबमें सफाई हुई है, मेरे क्षेत्र में भी सफाई हुई है इसके लिये मैं बड़े दिल से आपको बधाई देना चाहता हूं, इसमें कोई संकोच नहीं है, सफाई हुई है तो सफाई हुई है। लेकिन जो पैरलर देवबन्द नहर है, उसमें सिल्ट जमी पड़ी हुई है, उसका परिणाम क्या हुआ, जो 1000 क्यूसेक पानी आना था, वहां आज 600 से 500 क्यूसेक पानी आ रहा है। 500 वो बैठता है, 800 यमुना पूर्वी नहर का बैठता है, दोनों मिला करके 1000 क्यूसेक के आस–पास पानी बैठता है। योजना क्या थी, योजना यह थी कि 2000 के आसपास जब क्यूसेक पानी आयेगा फोर्स के साथ, तो आगे बागपत तक जायेगा। वह पानी आज आ नहीं रहा और पूर्वी यमुना नहर की भी सतह से खुदाई नहीं हुई।

माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । जब फोर्स के साथ पानी जायेगा, पानी का स्तर उठा रहेगा, तब जाकर उस जमीन में पानी फैलेगा और उसका परिणाम यह होगा कि जल स्तर उठेगा। अभी इजराइल मॉडल की बात चल रही थी मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान इजराइल मॉडल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। पूरे इजराइल मॉडल में क्या है, पूरे इजराइल मॉडल को आप देखिये, पढ़िये और आप गये भी थे वहां पर। पूरे इजरायल मॉडल का तथ्य ही यही है कि एक बूंद पानी का भी उसमें वेस्टेज नहीं है और यहां पानी की आलरेडी कमी है तो इस सिस्टम को अपनाया जाना चाहिये । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जितना भी डार्कजोन है, सबको आप ड्रिप इरीगेशन दो, तो इससे कम पानी लगेगा और ज्यादा क्षेत्र सिंचित हो जायेगा । माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन मेरा आपसे एक और भी है ट्रांसपोर्ट का जो सबसे अच्छा साधन था, वह पटरी के किनारे सारे गेस्टहाउस बने हुये हैं, इसमें सहारनपुर तक का जो मार्ग है, दिल्ली, यमुनोत्री मार्ग पर हम रोजाना बोलते हैं कि यदि वह पटरी चौड़ी हो जाये और पटरी ठीक हो जाय तो दिल्ली यमुनोत्री जो मार्ग है उसके पैरलेल एक मार्ग बन जायेगा और यातायात का एक बहुत अच्छा साधन हो जायेगा। अंत

में केवल एक बात और कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक कांठा नाला है, 150 से 200 गांव उससे प्रभावित होते हैं, एक सुजड़ रजबहा है, उससे भी 100 गांव प्रभावित होते हैं, अभी कैराना का उपचुनाव था तो बहुत सारे लोगों ने वायदा किया था कि हम कांठा नाले को पूर्वी यमुना नहर से जुड़वा देंगे । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ..

(बीच में कुछ सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध किये जाने पर–व्यवधान के कारण कुछ सुना नहीं जा सका)

कृष्णा नदी और हिन्डन नदी दोनों नदियों में देवबन्द नहर से पानी छोड़ा जायेगा, पूर्वी यमुना नहर से पानी छोड़ा जायेगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बोल नहीं पा रहे हैं, वह लिखकर दे दें, हम उसे प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे और वह कार्यवाही का भाग माना जायेगा। आप सब लोग बैठ जाओ, मैं जुड़वा दूंगा।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग द्वारा पुरानी सरकारों में नहरों के किनारे सड़कें बनाई गयी हैं, आज इन सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और वह बिल्कुल जर्जर है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो सड़कें जर्जर है और पुराने समय में नहरों के किनारे बनी हैं, उन सड़कों की मरम्मत कराने की बात भी आप संज्ञान में ले लें । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि इस बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कम ध्यान रखा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डार्क ब्लाकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में आगरा, मथुरा, हाथरस का कुछ हिस्सा, एटा जिले की कुछ तहसीलें लगती हैं, जिन्हें हमारे यहां नहरों से पानी मिलता है, उनका भी ध्यान रखा जाय । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

ख्समय 06 बजे, श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 धर्मपाल जी और नीरज कुशवाहा जी ने जो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कुछ बांतों को रखा है। मैंने पहले ही बताया था अपने बजट भाषण में, कि जो टिहरी डैम है उत्तराचंल में, पहले इसमें 820 मी0 तक पानी भरा जाता था। मैंने उत्तराचंल के मुख्य मंत्री और सरकार से बात करके उस डैम को 830 मी0 तक पानी भरवाया है, इतना पानी बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश की जो 74 हजार किमी0 नहरें हैं, सूखा के रहते हुये भी यहां पानी की कमी नहीं पड़ी तो यह बहुत बड़ा प्रयास था। इससे पहले बहुत सिंचाई मंत्री रहे, बहुजन समाज पार्टी के भी रहे, बी0जे0पी0 के भी रहे, बहुत प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे। सरकार भी उत्तरांचल में रही, उत्तरांचल में बी0जे0पी0 की सरकार रही लेकिन 820 मीटर पानी से बढ़वाये नहीं। अगर बढ़ाये होते

और काम किया होता अगर नहरों में इस तरीके से सिल्ट नहीं जमी होती, जो कि अभी मा0 सुरेश राणा जी कह रहे थे, अगर नहरों की सफाई हो रही होती तो यह स्थिति नहीं आती। हमारी सरकार ने पहले ही दिन निर्णय लिया कि नहरों की दो बार सफाई हो। हमने ब्रान्चों पर भी सफाई शुरू की है, ब्रान्चों का बड़ा काम है सीमित संसाधन हैं। केन्द्र सरकार में प्रधान मंत्री जी की बैठक में भी हमने कहा, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे मैंने उनकी बैठक में कहा कि मा0 प्रधान मंत्री जी, मीटिंग अच्छी चीज है, इसे करना चाहिए लेकिन मीटिंग में निर्णय लेना चाहिए। हमारे प्रदेश में पानी की कमी नहीं है। जो अभी इजराइल का जिक्र आया है तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां से वहां पर 1/3 पानी है। हमारे यहां बहुत पानी है, हमारे यहां तीन–चार महीने बरसात होती है। अगर हम उसी पानी को कहीं रोक लिये होते अगर हमने अपनी छोटी–छोटी नदियों को गहरा कर दिया होता और पानी रोक लिया होता तो यह डार्क ब्लॉक होने की सम्भावना नहीं थी। हमारे पास कितने जलाशय हैं और कितना पैसा गया है, कौन–कौन सी योजनाएं चली हैं, ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से भी चलीं, हमारे जो बड़े जलाशय हैं हमने उसमें भी काम किया है, हमने उन जलाशयों की सफाई करा करके उन जलाशयों को भराने का काम किया है और हमारी आगे योजना है कि छोटी–छोटी नदियों को हम गहरा करेंगे।

हमारे यहां पानी की जरूरत कितनी है क्योंकि चार महीने तो बरसात होती है इसलिए उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। केवल हमें पानी चाहिए किसानों की फसल के लिए चार महीने, तो हम चार महीने किसानों को भरपूर पानी क्यों नहीं दे पाये। इन सारी चीजों पर हमने बहुत विचार किया है और हम काम भी कर रहे हैं। मा0 धर्मपाल जी अभी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं यमुना नदी कहां है यमुना नदी क्या आगरा में नहीं है क्या मथुरा में नहीं है। आगरा में हमने 70 क्यूसिक पानी करीब–करीब एक–डेढ़ साल पहले बढ़ा दिया था। मथुरा में हम बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ेगा, आप क्या करते रहे अभी मा0 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मैंने उनसे कहा, क्यों पैसा नहीं दिया जो हमारे हिस्से का सिंचाई विभाग का पैसा था। केवल मैनेजमेंट खराब था, मैंने कहा कि मैनेजमेंट को संभालो, केवल मैनेजमेंट की कमी है। उत्तर प्रदेश में कोई पानी की कमी नहीं है, इजराइल की जो बात चली है, बहुत अच्छा सुझाव है लेकिन हमारे यहां पानी की कमी नहीं है। तीन चार महीने बरसात होती है और जमीन के अन्दर भी पानी है। जो हमने टिहरी बांधके बारे में बताया है तो जब मैंने पानी बढ़ा लिया है, अगर मैनेजमेंट ठीक हुआ होता तो कहां पानी की कमी थी। पूर्वांचल के लिए आज भी घाघरा नदी में एक लाख क्यूसिक पानी है, पानी की कमी गंगा में जरूर है, यमुना में कमी है लेकिन घाघरा नदी में पानी की कमी कहां है लेकिन क्या व्यवस्था की गई अभी तक। मैंने तो प्रयास किया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लग जायेगा। अगर मैं जवाब दूं तो बहुत समय लग जायेगा और है मेरे पास जवाब और योजनायें भी हैं। मैंने पहले ही बताया कि अभी तक 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा कभी खर्च नहीं हुआ है, मैंने तो इस वर्ष 4000 करोड़ रुपया खर्च भी किया है, और करेंगे। केन्द्र सरकार से प्रयास किया है अगर केन्द्र सरकार नहीं भी देती है तब भी हम संसाधन जुटा करके हम नहरों को ठीक करेंगे। चाहे हमें नहर ब्रांचों की सफाई

करनी पड़े, चाहे रजबहों की करनी पड़े, रजबहों की सफाई मैंने कराई है, माइनरों की सफाई में मनरेगा की वजह से कहीं–कहीं दिक्कत आयी है, हमने प्रयास वहां भी किया है।

मैंने अपने संसाधन वहां भी लगाकर सफाई का काम किया है। अध्यक्ष जी, अब एक–एक का जवाब देंगे तो बहुत समय लग जायेगा, जवाब है मेरे पास, सबका जवाब है लेकिन हम आप सब लोगों को लिखकर जवाब दे देंगे और आपके जो सुझाव हैं उस पर काम भी करेंगें, अमल भी करेंगे। हम आश्वासन देना चाहते हैं कि जहां तक ट्यूबवेल का, सोलर का, तो हमने सोलर पर छूट दी है, अगर कोई भी सोलर लगाना चाहे तो उसे छूट मिलेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। (श्री प्रदीप माथुर ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि घाटों पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।) घाटों पर भी काम कराया है। मथुरा के घाट, अयोध्या के घाट, बनारस के घाट और जितने भी धार्मिक स्थल हैं इसके अलावा भी हमने घाटों का काम शुरू कराया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है इस पर अच्छे सुझाव आये हैं अध्यक्ष जी, अब यह दोनों लोग कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें, तारीफ तो आपने करी है। (प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि टयूबवेल के बारे में भी बता दीजिए।) जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है, यह सही है कि मैंने बहुत सारे ट्यूबवेल ठीक कराये, अभी नारद जी ने बता ही दिया है कि आधुनिकीकरण कराया है, कहीं–कहीं तो पूरा नया ट्यूबवेल लगाना पड़ा है, जो पिछली सरकार थी पता लगा लेना मैंने कई ट्यूबवेल उखाड़े हैं कि ये ट्यूबवेल लगने के एक साल के बाद खराब क्यों हुए ? उसका घटिया पाइप और कहीं–कहीं आर0सी0सी0 गिट्टी जो उसमें पड़ती थी वह भी नहीं डाला। खराब मशीन, घटिया पाइप डाला गया, उसकी वजह से ट्यूबवेल खराब हुए, लेकिन मैंने प्रयास उन ट्यूबवेलों को भी ठीक कराने का किया है। (सत्तापक्ष के द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।) मोटर पम्प से लेकर, पम्प कैनाल, कई पम्प कैनाल पूर्वान्चल के भी हैं ठीक कराये हैं, मेरे आदेश भी हैं और भुपौली तथा फतेहपुर में भी काम कराया है। हमने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन भी भारी मात्रा में किया है और उनके ऊपर कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर की है, करीब–करीब 700 इन्जीनियर मैंने सस्पैंड किये हैं, जो अच्छे अधिकारी थे उनको पदोन्नतियां भी दी हैं इसकी वजह से सिंचाई विभाग में तेजी से काम भी हुआ है इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि इस कटौती प्रस्ताव को वापस लेते हुए बजट को पास करायें।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यमुना की सफाई का काम कब शुरू हो जायेगा? और जो आगरा नहर के पानी की चोरी की बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाये हैं उस पर कब तक रोक लग जायेगी ? मांट फीडर जो उसकी अपनी क्षमता है जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार कभी नहीं चलता है। हमारे हाथरस ब्रांच के पैरलल ब्रांच है उसका कार्य अधूरा पड़ा हुआ है यह पूरा हो जाए तो फिरोजाबाद और आगरा जिले के किसानों को पानी मिल सकेगा इसे कब तक पूरा करा देंगे। अन्त में मैं अपने द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि हम सिंचाई विभाग को आगे बढ़ाएंगे मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सभी सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं सबके क्षेत्र में कहीं न कहीं कोई आवश्यकता है तो मैं चाहूंगा कि जो उधर लोग बैठे हैं जैसे माननीय मंत्री श्री नारद जी कह रहे थे तो इनकी बातों को तो ध्यान न दें लेकिन जो हम लोगों ने बातें कही हैं उसकी घोषणा यहां जरूर कर दें और मैंने एक आग्रह किया बाढ़ को लेकर वह बहुत बड़ी समस्या है। आप भी एक बार हमसे बता रहे थे कि आपके क्षेत्र में भी बाढ़ बहुत आती है। मैं चाहूंगा कि शाहजहांपुर के लिए कुछ घोषणा नहीं की है इस पर आज जरूर आप सदन में घोषणा कर दें जो हमारे पास आया है उसमें बहुत छोटी धनराशि है इस पर आप कृपा कर दें तो जरूर मैं आपके समर्थन में खड़ा होने का प्रयास करूंगा बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी बाढ़ के लिए वैसे तो मैंने शाहजहांपुर का भी प्रस्ताव मंगाया है राममूर्ति वर्मा ने भी दिया यह मंत्री हैं और जलालाबाद से कई बार विधायक भी हुए हैं। उन्होंने भी कई बार कहा है मैंने भी कई नदियों में देखा है। पूर्वांचल में भी देखा है। नेपाल से जो नदियां आती हैं जिससे ज्यादा बाढ़ आती है। भारत सरकार में भी हमने कई बार प्रस्ताव भेजे हैं तो इसमें प्रयास किया है और नदियों के बारे में नदियों में काफी सिल्ट जमी हुई है जहां सिल्ट जमी है उसके लिए बजट भाषण में भी है हमने ड्रेजर खरीदने का इंतजाम कराया है। जिससे सिल्ट न जमे। नदियां जो उथली हो गई हैं अगर सिल्ट न जमे तो उससे कई फायदे हैं सिल्ट को अगर निकाल दिया जाय। हमारे कई बैराज में सिल्ट जमी हुई है जिसकी वजह से पानी की क्षमता भी कम हुई है अगर सिल्ट को निकाल दिया जाए तो बालू भी सस्ती हो सकती है। उसमें मैं काम शुरू कर देता लेकिन मामला हाई कोर्ट में पहुॅच गया हाई कोर्ट में मामला पहुंचा लेकिन उसके बाद भी हमने निर्णय लिया है जो नदियां उथली हैं जिसकी वजह से बाढ़ आती है सिल्ट जम जाती है। सिल्ट न जमने पाए जो कटान है कटान को रोकने के लिए हमने बजट में प्राविधान किया है। हम सर्वे करा लेंगे जो भी हमें लिखित में दे देंगे हम वहां कटान रोकेंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास होगा कि कहीं भी बाढ़ से न तो गांव कटने पाएं किसानों का नुकसान न होने पाए यह हमारा प्रयास हो और जो बजट है उसके पैसे का सही–सही सदुपयोग हो। यह हमारा प्रयास होगा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि वहां पर देख लें कई विधायक देखते हैं और बहुत से विधायक नहीं देखते हैं जिस–जिस विधायक ने देख लिया है और हम तक सूचना दे दी है हमारे प्रमुख सचिव को सूचना दे दी है वहां पर काम हुआ है वहां पर पैसा ठीक से लग गया। गोरखपुर में इतना पैसा गया है अगर उसका हिसाब–किताब ले लिया जाय। इतना पैसा गया है अगर पैसा सही लग जाता तो कभी बाढ़ नहीं आती । हम आपको यही आश्वासन देना चाहते हैं कि पैसे का सही सदुपयोग होगा जहां–जहां नदियों का कटान है हम उस कटान को रोकेंगे। जिससे किसानों का नुकसान न हो गांवों का नुकसान न हो यह हम काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि बजट को पास करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,08,19,51,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 76,54,76,05,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 34,43,60,55,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख्समय 6.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग की चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,00,54,92,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या –51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,01,59,51,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 29,57,71,94,000/– रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे लिये गर्व की बात है कि मुझे आपकी अनुमति से राजस्व विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। विधान सभा की यह पवित्र दीवारें गवाह हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम राजस्व मंत्री, किसान पुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री व देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने इसी सदन में कहा था देश व प्रदेश की खुशहाली का रास्ता खेतों और गांवों से होकर गुजरता है। हमारे इस बजट में चौधरी चरण सिंह जी के विचारों की साफ झलक मिलेगी।

राजस्व का बजट किसानों और किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित है और हम उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में यह स्पष्ट बजट मील का पत्थर साबित होगा। हम राजस्वदारों का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने और पटवारी राज्य की जगह लोक राज्य के पक्षधर हैं। उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा प्रान्त है। इतने बड़े प्रान्त में राजस्व व्यवस्था को काफी सुधारा है। राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की भूमि संबंधी अभिलेखों का समुचित रख–रखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्य देयों, करेत्तर देयों एवं विविध देयों की राजस्व देयों की भांति वसूली करना, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना, कृषि आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला एवं वृक्षारोपण हेतु पट्टों का आवंटन, भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, भूमि अधिग्रहण, चकबन्दी व आपदा राहत एवं जिला गजेटियर सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

इसी तरह से मान्यवर राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण भूमि सुधार के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि, ग्रामीण आवास स्थल, मत्स्य पालन हेतु ताल–पोखर, का आवंटन सफलता पूर्व किया जा रहा है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 2.5 करोड़ खातेदार सहखातेदार आच्छादित हैं जिनकी अप्राकृतिक मृत्यु पर 5 लाख की धनराशि अनुमन्य होती है। वर्ष 2015–16 में 600 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु/अपंगता पर रु0 75 हजार की सहायता दी जाती है। प्रदेश के 56 लाख ग्रामीण इस योजना से आच्छादित हैं। वर्ष 2015–16 में 50

करोड़ का बजट प्रस्तावित है। राजस्व भवनों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत गत दो वर्षों में 14 नई तहसीलों का सृजन किया गया।

(मेजें थपथपाई गईं)

पुरानी तहसीलों व अन्य कार्यालयों का जीर्णोद्धार कराया गया। वर्ष 2015–16 में 232 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 5 जनपदों में मिनी सचिवालय हेतु 50 करोड़ की मांग प्रस्तावित की गई है। प्रदेश के समस्त ग्रामों की खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण हो गया है। पांच जनपदों में से तीन जनपदों मथुरा, गाजियाबाद और हापुड़ में भू–मानचित्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण हो गया है तथा दो जनपदों बाराबंकी और जौनपुर में कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

मान्यवर, नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत सभी लेखपालों एवं कानूनगो को टेबलेट देने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 10 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के समस्त 2189 न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है जिससे वाद की तिथि, काजलिस्ट, पारित आदेश जनसामान्य हेतु इन्टरनेट पर उपलब्ध है। प्रदेश में तहसील दिवस सफलता पूर्वक आयोजित हो रहे हैं। दिनांक 17–07–2012 से 31–12–2014 तक कुल लगभग 13 लाख प्रार्थना–पत्र तहसील दिवस में प्रार्थना–पत्र तहसील दिवस में प्राप्त हुए जिसमें से लगभग 13 लाख का निस्तारण किया जा चुका है।प्रदेश में निर्विवाद वरासत अभियान का अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें अब तक लगभग 96 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण में लगभग 1 लाख गांव की और द्वितीय चरण में लगभग 23 हजार में चकबन्दी पूर्ण की गयी तथा वर्ष 2015–16 में 800 गांवों में चकबन्दी पूर्ण करने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा कृषकों, भू–स्वामियों की सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल दर के चार गुने तक तथा शहरी क्षेत्रों में दो गुने तक भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, वर्ष 2014 में मानसून के दौरान कम वर्षा होने के कारण प्रदेश के 58 सूखाग्रस्त घोषित जनपदों के लिये रुपया 4794.89 करोड़ का मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा गया था जिसके सापेक्ष मात्र 490.28 करोड़ रुपया भारत सरकार से प्राप्त हुआ। गत वर्ष उत्तराखण्ड में बादल फटने एवं अतिवृष्टि से 25 जनपदों में क्षति के लिये भारत सरकार से रुपया 768.92 करोड़ की मांग की जिसके सापेक्ष कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश सरकार के 22 जनपदों में वर्षा के कारण हुई क्षति का आंकलन करने हेतु भारत सरकार से रुपया 500.00 करोड़ की धनराशि अन्तरिम रूप से स्वीकृत किये जाने तथा प्रदेश में हुई क्षति का स्थलीय सर्वेक्षण/आंकलन किये जाने हेतु केन्द्रीय दल भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। तदोपरान्त विस्तृत मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा चक्रवाती तूफान से हुई क्षति से राहत हेतु रुपया 42.09 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से रुपया 200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

प्रदेश में कृषकों के मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करने के आदेश दिये गये। दैवी आपदा में भारत सरकार द्वारा

मृत्यु होने पर रुपया 1.5 लाख की धनराशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त 3.5 लाख रुपये अर्थात् कुल 5 लाख की आर्थिक सहायता मृतक आश्रितों को दी जायेगी। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) यानी भारत सरकार डेढ़ करोड़ देगी तो हमारी सरकार 3.5 करोड़ और जोड़ देगी तो 05 लाख रुपया मृतक को सहायता दी जायेगी। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 18–3–2015 को निर्गत कर दिया गया है। इसलिये किसानों के हित में जो मैंने कहा था कि चौधरी साहब के सपनों का यह बजट है तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बजट पर अपने सुझाव जरूर देंगे और सुझावों के साथ सभी लोग सर्वसम्मति से इसे पास कर दीजियेगा। यह बजट किसानों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक राजस्व विभाग का सवाल है, यहां भारत में जो ज्ञात बन्दोबस्त है वह शेरशाह सूरी के जमाने से चलकर के पहला बन्दोबस्त परगना आदि बनाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद उनके कुशल प्रबन्धक थे राजा टोडरमल, जो भूमि व्यवस्था देखते थे। तब यह दुराभाव नहीं था। शेरशाह सूरी के समय में उन्होंने भूमि का प्रबन्धन देखा। उसके बाद अकबर के नौ रत्नों में भूमि व्यवस्था देखने का काम राजा टोडरमल जी द्वारा ही किया गया।

जरीब की व्यवस्था अकबर द्वारा चलाई गई, दूसरी बार ब्रिटिश शासनकाल में दोबारा भूमि का बन्दोबस्त उनके द्वारा किया गया। मान्यवर, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा कि जमीदारों का भूमि के ऊपर अधिपत्य नहीं रहेगा, काम करने वाले, खेती करने वाले, किसानी करने वाले लोगों को भूमि का अधिकार दिया जायेगा। लगान न दे पाने के कारण उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, अध्यक्ष जी, यह किसी से छिपा नहीं है। पुस्त, दरपुस्त लोग नौकरी करते थे, खेत–खलिहान उनसे छीन लिए जाते थे। इसी को देखते हुए वर्ष 1950 में जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट लाया गया, उसके बाद 1960 में बहु जोत थी, लोग सैकड़ों, हजारों बीघे जमीनों के मालिक थे, उत्तर प्रदेश में 1960 में सीलिंग अधिनियम लाया गया। मान्यवर, इसी राजस्व विभाग के बाबत मुझे यह कहना

है। राजस्व विभाग में अगर सही तरीके से कार्य किया जाये, उसके कर्मचारी, उसके अधिकारी, जिम्मेदार नेता लोग अगर सही तरीके से काम करें तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 70–80 परसेण्ट झगड़े अपने आप समाप्त हो जायेंगे।

आज गांव में जो झगड़े होते हैं, चाहे 107/16 हो, चाहे 151 हो, चाहे सर फुटौअल तक की जो नौबत आती है, अध्यक्ष जी, वह किसानों की जमीन की नाप और नपाई से सम्बन्धित आप सर्वे करा लें, न्यायालय में जितने वाद लम्बित हैं, वह भी सब इन्हीं कारणों से लम्बित हैं। उनकी पैमाइश को लेकर झगड़े हो रहे हैं, कोई व्यक्ति जबरन मेड़ तोड़ देता है, उसके बाद मेड़ बंधाने के लिए वह सीएच 41 की कार्यवाही करने के लिए जाता है, वह थाना दिवस या तहसील दिवस में प्रार्थना–पत्र देने जाता है। मान्यवर, तहसील दिवस का हाल यह है कि तहसील दिवस में जो लोग प्रार्थना–पत्र लेकर जाते हैं, बाहर बैठे हुए वही पुलिस के अधिकारी, वही तहसील के अधिकारी अगर उनको पता चल जाये कि आज तहसील दिवस में जिलाधिकारी जी आने वाले हैं तो उस प्रार्थना–पत्र को वहां पहुंचने नहीं देते हैं क्योंकि अगर वह प्रार्थना–पत्र वहां तक पहुंचेगा, वहां पहॅुचने के बाद अधिकारी की जानकारी में आयेगा, रिकार्ड में लिखा जायेगा तो उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, यह बात उसको बतानी पड़ेगी, इसलिए उनको वहां बहुत ज्यादा रोका जाता है। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, राजस्व में 4–5 चीजें माननीय मंत्री जी ने बतायी हैं कि चकबन्दी, राजस्व परिषद्, दैवी आपदा राहत, जिला गजेटियर और भूमि का अध्यासन। अध्यक्ष जी, मैं एक–एक विषय पर आपको बताना चाहता हूं कि आज राजस्व परिषद् जिसको राजस्व के वादों का निपटारा करने के लिए जिसका गठन किया गया था, उसकी स्थिति यह है कि वहां के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति सजा के तौर पर होती है। अगर कोई जिलाधिकारी जिले में गलत काम करता है और उसको वहां से हटाया जाना होता है तो वह वेटिंग लिस्ट के तौर पर राजस्व परिषद् में अटैच कर दिया जाता है। मैं यह बात इसलिए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप रिकार्ड मंगा कर दिखवा लें कि राजस्व परिषद् में पिछले सालों में कितने लोग आए न्यायिक सदस्य के रूप में और कितने चले गए। मान्यवर, जो राजस्व परिषद् के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वह राजस्व वादों का निराकरण करें क्योंकि वह जानते हैं कि मैं सजा के तौर पर यहां पर आया हूं, काम करने में उनका मन नहीं लगता है, दिमाग में है कि कैसे सांठ–गांठ करें, कैसे अपना अनुरोध पहुंचायें और जिले में डी0एम0 बनकर फिर पहुंचे या किसी मलाईदार पोस्ट पर फिर पहॅुचे, इसी उधेड़–बुन में वह रहते हैं। मान्यवर, राजस्व परिषद् के न्यायालयों में क्या दशा है, कितने वाद लम्बित हैं, यह मैं बाद में बताऊंगा। मान्यवर, इसी तरह से चकबन्दी है। चकबन्दी के बारे में तो कहावत प्रचलित है, हर बार सदन में यह चर्चा आती है कि जिस गांव में चकबन्दी हो जाती है, 12 साल तक चोरी और डकैती वहां पर नहीं होती है। आग लगने के बाद भी गांव में कुछ बच जाता है क्योंकि आदमी वहां से अपना कुछ न कुछ सामान कपड़ा, जेवर, पैसा, जानवर निकाल कर चला जाता है, लेकिन चकबन्दी जब चल रही होती है तो चकबन्दी से निपटने के लिए वह अपनी सम्पत्ति ज्यादातर दे देता है। उसके बाद कर्ज लेकर रिश्वत दे करके चकबन्दी का निराकरण कराता है। कई जिलों में ऐसी

जगह है जहां बीस–बीस पच्चीस–पच्चीस साल से चकबन्दी हो रही है। आज तक फाइनल नहीं हुआ। हर जिले में करीब एक या दो जगहों पर यह है। चकबन्दी में स्टाफ की इतनी कमी है कि न एस0ओ0सी0 पूरे हैं न डी0डी0सी0 पूरे हैं न सी0ओ0 पूरे हैं न चकबन्दी के लेखपाल पूरे हैं। न उनके पास वाहन हैं। और जो बजट उनको एलॉट होता है उसका 98–99 प्रतिशत उनको वेतन देने में ही चला जाता है। अगर ऐसे स्टाफ की कमी है और चकबन्दी इतना मालामाल है तो यह प्रस्ताव कर दिया जाए कि चकबन्दी में लोग पैसे देकर नौकरी रखने के लिए तैयार हैं। तो उनसे पैसे ले लिए जाएं और उन्हें नौकरी पर रख लिया जाए और कमाई से वो अपना काम चलायें। जैसे चीनी मिल में ज्यादातर होता है। जिला गजेटियर की बात मैं करूं तो ब्रिटिश काल से गजेटियर की बात चली आ रही है। गजेटियर में उस जिले की भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उस जिले में कौन से धार्मिक स्थान हैं इन सबका जिक्र होता था। आजाद होने के बाद जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, साहित्य में हमने भी पढ़ा है कि आठ जिले में गजेटियर बनने का काम हुआ है। ज्यादातर वह अंग्रेजी में है या उर्दू में होंगे। उनका अनुवाद होना चाहिए उनका डिजीटाइजेशन होना चाहिए। आज भूमि अध्यापन की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। 2013 में जो संशोधन बिल पास हुआ और जो 2014 में लागू हुआ है उसके बाद तुरन्त छः–सात महीने के अंदर भूमि को अध्यापित करने का बिल लैण्ड इक्यूजिशन एक्ट लाया जा रहा है यह किस लिए लाया जा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। इसके परिणाम क्या हैं। देश कितना चिन्तित है लोकसभा कितनी चिन्तित है यह देखने की बात है कि किस तरह से लोग संसद से राष्ट्रपति भवन तक उस बिल के विपरीत में जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी भूमि अध्यापन में और एक प्रदेश सरकार द्वारा इसमें भी थोड़ा–सा संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर बहादुर उर्फ 'शेरू भैया'–

मा0 अध्यक्ष जी सदन 12 और साढ़े बारह बजे तक चला है इधर हमने सदन को 8:30 और 9:00 बजे तक चलते नहीं देखा। अभी हमें सिंचाई विभाग पर बोलना था तो आपकी अनुमति नहीं मिली। मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन आपने कहा था क्योंकि किसानों से जुड़ा राजस्व विभाग से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी संजीदगी इतनी है कि आज सत्तापक्ष के कितने मंत्री जी यहां बैठे हैं। पूरी–पूरी कैबिनेट यहां है। सब लोग संजीदा हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के मुख से कुछ ऐसे सुझाव आ सकते हैं जिससे इन राजस्व घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। पूर्व राजस्व मंत्री जी से हमने कहा था कि इंतखाब के अंदर हिस्साकशी का उनका जितना अंश बनता है वह डाला जाए। बहुत बड़े झगड़े की यह जड़ है। अगर दो सगे भाई हैं एक भाई के एक बेटा है और एक भाई के दो बेटे हैं। फिर एक वाले पर एक पोता हुआ और दूसरे पर चार हुआ। तो उसका एक 1/8 हुआ और उसके 1/2 हुआ और सबके नाम एक साथ सम्मिलित हैं। इंतखाब में बैनामा कराने वाले कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं जो तहसील माफिया की तरह होते हैं उनका सिर्फ यह काम होता है कि उन्होंने बड़ी भूमि

का बैनामा कराया बैनामा कराने के बाद आपत्ति दायर की। उसके बाद केस लड़ा सील किया पैसे लिए और समझौता कर लिया। अगर इंतखाब में अंश होगा कि इस व्यक्ति का इतना अंश है इस व्यक्ति का इतना हेक्टेअर है तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा झगड़े जो गांव में होते हैं वह इस बात पर होते हैं कि उनका उस पर बनता है एक एकड़ और वहां पर पांच एकड़ का बैनामा हुआ है। अध्यक्ष जी मेरे संज्ञान में ऐसी बात हैं कि खसरा में खतौनी में वो एक एकड़ के काश्तकार थे। एक एकड़ का नक्शा है लेकिन एक एकड़ पर चालीस एकड़ खतौनी में उन्होंने दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद इंतखाब लिया। इंतखाब कराने के बाद बैंक में लोन लिया। लोन के बाद जब बैंक के अधिकारियों ने सत्यापन किया जब आर0सी0 हुई तो पता चला कि वह चालीस एकड़ के नहीं एक एकड़ के काश्तकार थे। इस तरह की जब बातें आईं वह सिर्फ इन्हीं वजहों से आई हैं। क्योंकि उसमें अंश दर्ज नहीं था। आज खसरा कम्प्यूटराइज्ड हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जब खतौनी बदली जाती थी तो न जाने कितने आदेश फर्जी चढ़ जाते थे। किसी की जमीन किसी के नाम, किसी की जमीन किसी के नाम चढ़ जाती थी। मान्यवर, 1960 में सीलिंग एक्ट आया है। सीलिंग में सरप्लस जमीन डिक्लेयर हुयी उसका अमलदरामद हो नहीं पाया। वह आवंटन के लिए गयी नहीं इससे पहले उन्होंने बैनामा कर दिया। सीलिंग की जमीनों पर गांव के गांव बसे हैं। ग्राम समाज की जमीनों पर गांव के गांव बसे हैं। और मान्यवर, शहरों के किनारे हम देखते हैं कि किस तरह से तालाब और पोखरों पर अतिक्रमण किया जाता है। सदन ने चिंता की है मैं उस चर्चा में रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि पोखरों से अवैध निर्माण को खाली कराया जाये। लेकिन लखनऊ के आसपास के गांवों में लखनऊ जिले से सटे हुए उन पोखरों को पाटा गया। ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करके घर बनवाये गये हैं। सीलिंग की जमीनों, चारागाह की जमीनों पर घर बनवाये गये हैं। यह लगभग सभी सदस्यों की जानकारी में है।

मान्यवर, समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन आपने भी पढ़ा होगा अक्सर खबरें प्रकाशित होती हैं कि 10–10 करोड़पति लेखपाल यहां पर तैनात होते हैं। लेखपालों की सम्पत्ति 20–20 करोड़ की होती है। तो इन सब चीजों पर अगर हम यहां पर कायदे से चर्चा करेंगे तो मा0 अध्यक्ष जी उसका निष्कर्ष निकलेगा। मान्यवर, शमशान और कब्रिस्तान की जमीनों पर भी कब्जा किया गया क्योंकि उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता। अगर गांव के किसी गरीब से गरीब आदमी के खेत में थोड़ी मिटटी निकाल लें या उस पर अपना कुछ खलिहान लगा लें तो उस पर आदमी तुरंत आपत्ति दर्ज करता है। अब चूंकि अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण हो रहा है अब सच्चाई सामने आ रही है। अमूमन हिन्दु भाई लोग अपने नजदीकियों के शवों को नदी के किनारे लिये चले जाते हैं। तो वह जो गांव के अंदर श्मशान है उसका उपयोग लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन अब जब उन अन्त्येष्टि स्थलों की बाउंड्रीवाल करायी जाएगी तो वह जमीन कब्जे में है। हमारे पास तमाम शिकायतें आती हैं कि फलां गांव में शमशान की जमीन पर, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा है। मा0 अध्यक्ष जी, इस पर अभियान चलाकर इसको दिखवाना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी हमने बचपन में जब हम तीन तेरह के थे तब

देखा है कि अधिकारीगण कमिश्नर, डी0एम0, एस0डी0एम0 गांवों में रात्रि विश्राम करने के लिए आते थे उनका कैम्प लगता था। पता कैसे चलता था, गांव में वह अर्दली आते थे मुर्गे ढूंढने के लिए और वहां तलाशा जाता था कि कौन आदमी अच्छा मुर्गा बना लेता है। तो 10–5 गांव में जो अच्छा मुर्गा बनाने वाला होता था वह बुलाया जाता था। मान्यवर, तीन साल से मैं इस विधान सभा में हूं और हर बार यहां से निर्देश होता है कि गांव में अधिकारी रात्रि विश्राम करेंगे लेकिन आज तक हमारे जिले में एक भी अधिकारी रात्रि विश्राम के लिए हमारी जानकारी में तो नहीं आया। अधिकारी किसी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे तो देखेंगे कि गांव में बरसात सही हुयी है कि नहीं हुयी है। अमलदरामद सब हुये हैं कि नहीं हुये हैं। दूसरी चीज मा0 अध्यक्ष जी, बहुत से खाते बेनामी हैं। इन बेनामी खातों का कैसे पता लगाया जाये। यह कोई बड़ी बात नहीं है। रहने वाले हरियाणा के हैं, रहने वाले पंजाब के हैं, रहने वाले उत्तरांचल के हैं। यहां पर जमीन लिये हैं। रिश्तेदार, नातेदार, परिवार अब तो हर चीज है। किसानों के लिए चाहे धान हो। चाहे गेहूं, हम तो गन्ने का किसान हैं, पेमेन्ट बैंकों के माध्यम से होता है। हमारा एकाउण्ट खुला हुआ है, उस एकाउण्ट में सीधे पैसा आता है। अमीन आ जाते है लगान की रसीद काटेंगे और चले गये लेकिन यह सत्यापन होना चाहिए कि इस गांव में जो राजस्थान, के महाराष्ट्र के आदमी के नाम जमीन दर्ज है, क्या वह जिन्दा है ? क्या वह मृत है ? क्या वह सत्य है ? क्या वह असत्य है ? इस चीज की जानकारी हो जाये तो अध्यक्ष जी हजारों एकड़, दसों हजार एकड़ बेनामी सम्पत्ति उत्तर प्रदेश में है, उन जिले में जिनमें जमीन की कीमत ज्यादा है उन जिलों में वह पकड़ में आ जायेंगे। अध्यक्ष जी आय निवास, आय प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, शस्त्रों का नवीनीकरण हर 6 महीने में कहते हैं कि दूसरा लगेगा। जाति तो बदलेगी नही, निवास इतनी जल्दी बदलेगा नहीं, माननीय मंत्री जी हम लोगों के पास भी आते हैं कहते हैं कि आय प्रमाण–पत्र बना दें। सच्चाई यह है कि हम क्या जाने कि आय क्या है ? लेकिन अब चूंकि परेशान हो जाते हैं तो कहते है कि लिख दें तो कोई 12000 रुपया सालाना बनवा ले जाता है कोई 18000 रुपया ले जाता है तो यह आय प्रमाण पत्र हर 6 महीने में किया गया है, इसमें शस्त्रों के नवीनीकरण में, लेखपालों से कितना काम लेंगे, तहसीलों में कितने मुकदमें लम्बित हैं।

लेखपाल है नहीं, नायब तहसीलदार है नहीं, तहसीलदार है नहीं, व्यवहारिक तथ्य यह है कि कानूनगो तो आज है ही नहीं। लेखपाल साहब के पास ही कानूनगो का चार्ज है। संग्रह अमीन तहसीलों में है नहीं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन पदों पर भी भर्ती की जाये। तहसील मुख्यालय पर 24 घण्टे बिजली देनी चाहिए। अगर 24 घण्टे बिजली उनको मिलेगी तो जो कम्प्यूटर से निकलने वाला इन्तखाब है वह उन लोगों को मिलता रहेगा। अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं लैण्ड यूज चेन्ज कराने का बहुत ही गम्भीर मामला है। यहां जो कृषि योग्य भूमि है उसको व्यवसायिक कराने के लिए जो लाखों रुपये की कमाई की जा रही है इसपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आपके यहां जो शत्रु सम्पत्तियां है, शत्रु सम्पत्तियों में हमें लगता है दो–दो चार–चार सौ एकड़ कई तहसीलों में जितनी जमीन हैं, उन सम्पत्ति की जमीन को कूट रचित करके

आज कोई प्रदेश में लेखा हमारी समझ से हो तो हम नहीं कह सकते वर्ना उत्तर प्रदेश में यह होना चाहिए कि कितनी शत्रु सम्पत्ति थी, कितनी एकड़ जमीन शत्रु सम्पत्ति की थी और उस जमीन को जिन–जिन लोगों ने जब जब नाम कराया उनपर दोष होना चाहिए कि अगर इन्होनें नाम कराया है तो उन पर एफ0आई0आर0 हो। पिछली बार हुकुम सिंह जी थे, राजस्व विभाग पर कटमोशन रखते हुए उन्होनें एक अधिकारी का नाम लिया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने यहां से जाने के बाद उस पर कार्यवाही की थी। अध्यक्ष जी वक्फ की जमीनें, आज उनका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। वक्फ की जमीनों को बेचा जा रहा है। अध्यक्ष जी मंत्री जी का कद बड़ा है, 44 अरब 59 करोड़ 86 लाख 37 हजार का बजट है और उनमें राजस्व से हटकर हम कोई बात भी नहीं कर रहे हैं कि कोई अलग हटकर बात कर रहे हैं। आज पट्टेदार जिनको पट्टा सरकार ने दिया है, उनको कब्जे में कर भूमि की श्रेणी चेन्ज की जाती है, आज इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भूमि की श्रेणी बदली जा रही है। अध्यक्ष जी इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष जी जो सबसे गम्भीर समस्या है आपदा ने किसानों को, चक्रवात, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जिससे, गेहूं, आलू, सरसों, तिलहन, दलहन उनकी फसलें नष्ट हो गयीं और अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 40 करोड़ रुपये दिया गया है और 200 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी ने अपने कोष से देने की बात की। आप अन्य विभागों पर खर्च कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गोमती की सफाई पर जैसे 56 करोड़ रुपये, 500–600 करोड़ रुपये खर्च करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लॉयन सफारी पर आप खर्च करें हमें खुशी है, आप साईकिल ट्रैक बनायें हमे उसमें खुशी है, दुग्ध विकास पर आप पैसा खर्च करें हमें उसमें खुशी है, सड़क बनवायें उसमें हमें खुशी है, सिंचाई में आप खर्च करें हमें खुशी है, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, हमें इस बात का बड़ा दुःख है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो अन्नदाता हैं, जिसमें 50 से ऊपर किसानों ने आत्महत्यायें की हैं, सदमें से मौत हुई है, हार्टअटैक से मौत हुई, कुयें में कूद कर जान दी है, फांसी लगा कर जान दी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी हमें यह कहना है कि किसानों को जब राहत मिलने की बात आती है, इसमें दिक्कत कहां आ जाती है आपको मालूम है, इकाई जो इसकी बनाई गई, वह इकाई बना दी गई तहसील और ब्लाक अब चूंकि सूखे की बात आती है, सूखे में तो सूर्य भगवान एकदम से तपिश दिये तो तपिस में पूरी तहसील में 50 परसेण्ट से ऊपर हो गया, ब्लाक में 50 परसेण्ट से ऊपर हो गया, ये सब मानक में आ गए। अब बारिश और चक्रवात, ओलावृष्टि गांव–गांव, दो–दो, तीन–तीन गांवों के पैचेज में हुआ, मा0 अध्यक्ष इसलिए इसमें जो आप तहसील और ब्लाक का मानक बनाये हैं 50 प्रतिशत इसमें क्षति की बात करते हैं, रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में एक भी ब्लाक पूरा

50 परसेण्ट से ऊपर इसमें नहीं आ रहा है कि जिसमें उनका नुकसान हुआ हो, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, इसको संशोधित करने की, इसको सही करने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त ।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या –

मा0 अध्यक्ष, सिर्फ 10 मिनट का समय और दे दें। अभी तो हम कुछ बोले ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अभी कहां थे, अभी कुछ बोले नहीं, तो जो बोले हैं वह क्या है। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, बाढ़ की कटान से जिन लोगों का घर कटा, सरकार ने उनको अनुदान दिया, हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका पूरा घर और जमीन सब कटान में कट गये, तो उनको आपने अनुदान दिया, करीब 50 हजार लोग बेघर हुए और बसाया आपने उसमें, हम मिले थे पूर्व मा0 मंत्री जी से और उन्होंने कहा था कि 10 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था यहां पर थी, यहां पर कहा जिले से प्रस्ताव भिजवाओ।

श्री अध्यक्ष–

जो आप बोल रहे हो, इसमें और बहुत से साथी बोलेंगे।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तो सब रखा ही है, यह तो हम सिर्फ जानकारी के आधार पर बोले, आंकड़े तो अब देंगे।

श्री अध्यक्ष–

जानकारी ही काफी है, आंकड़े किताबों में हैं, उसकी जरूरत नहीं है, अब आप बैठें।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, हम दो–तीन चीजें पढ़ दें बस। आंकड़े जो आये ग्राम समाज की कृषि भूमि का आवंटन 2009–10 में लक्ष्य था 08 हजार और उपलब्धि हुई 12 हजार, डेढ़ सौ प्रतिशत तक किया और 2014–15 में लक्ष्य था 3840 हेक्टेयर और प्राप्ति हुई है 4483 कुल 124 प्रतिशत। इसी प्रकार ग्रामीण आवास स्थल आवण्टन चूंकि बेघर लोग भी इसी में आवास पाये, 2010 और 2011 में 20 हजार परिवार से लेकर के 51 हजार यानी 259 प्रतिशत रहा और 2014–15 में 125 प्रतिशत हुआ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं। अब हो गया।

श्री शमेशर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा बस यह कहना है कि बाढ़ से जो विस्थापित हुए हैं, जिनके घर नदियों में कट कर गिर गये हैं, उनको चार–पांच जिलों में जो बजट दिखाया है, चार–पांच जिलों में दो–दो, तीन–तीन गांवों में बसाया गया है, कटान हुआ है एक विधान सभा में कम से कम 50 और 60 गांवों के लोगों के घर नदी में समायें हैं और एक गांव में दो गांवों में बसा देने से उनके आंसू बुझने वाले नहीं, जितना आपने किया ठीक है, उन लोगों को घर मिला, लेकिन और लोगों को भी आवास के लिए जगह मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अब बैठ जांए, अब इधर से कौन बोलेगा ? हां, अनूप गुप्ता जी आप अपनी बात रखें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 राजस्व मंत्री द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं। यह जो कटौती का प्रस्ताव मा0 शमशेर बहादुर जी लाये हैं तो इनकी सरकार कितनी गंभीर थी आपदा राहत के लिये इनको शायद नहीं मालूम कि इनकी सरकार थी और जब गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती थी तो धान जब कट जाता था तब जाकर फसल मिलती थी लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार मा0 अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने तुरन्त जहां–जहां पर हानि हुई वहां अधिकारियों को भेजकर के पैसा दिलाने का काम किया है। मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूं अपने मा0 राजस्व मंत्री जी को। मा0 राजस्व मंत्री जी ने जब हमारे कृषकों के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत उन किसानों को 5 लाख रुपया देने का काम किया है जिनको अन्य सरकारें एक लाख रुपया दिया करती थीं। मैं ज्यादा जगहों की बात नहीं करता हूं।

हमारे राजस्व मंत्री जी के द्वारा हमारे जनपद सीतापुर में ही 24 करोड़ 44 लाख रुपया 764 किसानों को 5–5 लाख रुपया दिया गया है जो किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना में खत्म हुये हैं। मैं मा0 राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र महोली में एक तहसील हमको दी है और वह ऐसी वैसी तहसील नहीं है, आदर्श तहसील बनने जा रही है। देखियेगा कि जैसे आप ताजमहल देखते हो वैसे ही एन0एच0 24 पर आकर तहसील देखना। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं और मैं अखबार में पढ़ रहा था कि केन्द्र सरकार ने आज उत्तर प्रदेश के आपदा एवं राहत का बजट कम कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से यहां के प्रदेश का बजट कम कर दिया। ये मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरी ओर इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी हमारी सरकार गांव के लिये, किसान के लिये दृढ़ संकल्प है कि हमको हर पीड़ित के दुख को दूर

करना है लेकिन केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश का बजट कम कर दिया। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर हमको बोलने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह राजस्व का बजट है प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण बजट है। मा0 मंत्री जी ने यहां चौधरी चरण सिंह जी के नाम का उल्लेख किया। सच में ये सुनकर मन को बड़ी प्रसन्नता हुई और चौधरी चरण सिंह जी सच में किसानों के मसीहा थे। मा0 अध्यक्ष जी आप जानते हैं, अवगत हैं कि जब देश की, प्रदेश की कृषि प्रभावित होती है तो अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है और किसी प्रदेश की जब अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है तो सब चीज चौपट हो जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के बजट में सच में चौधरी चरण सिंह जी के नाम का उल्लेख हुआ है तो मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहूंगा। मान्यवर, पहले लेखपाल का नाम पटवारी हुआ करता था और पटवारी इतना ताकतवर होता था कि जिसकी जमीन जिसके नाम करना चाहे, उसके नाम कर देता था। कहीं कोई गिड़गिड़ाता रहता था तो उसकी नहीं सुनी जाती थी, पटवारी की ही सुनी जाती थी। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों को सम्भाल लें, यह विवाद अपने आप सुलझ जायेगा। इनके अधिकारी ऐसे रंग बदलते हैं, गिरगिट तो बाद में रंग बदलता है इनके अधिकारी पहले रंग बदल लेते हैं। ये कहें बैठने को तो इनके अधिकारी लेट भी जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर राजस्व विभाग को ठीक करना है तो आप अपने अधिकारियों पर लगाम कसने का काम करें। माननीय अध्यक्ष, श्री शमशेर बहादुर जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं आप भी मुझे लग रहा है कि जल्दी–जल्दी बजट पास कराना चाहते हो तो इसलिए मैं सुझाव देकर अपनी बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान वर्ष घोषित किया है और आज उत्तर प्रदेश का किसान वास्तव में आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या कोई आसानी से नहीं करता है, जब उत्तर प्रदेश की खेती प्रभावित होगी गेहूं, आलू, चना, मसूर, दलहन, तिलहन और आम की फसल भी प्रभावित हुई है।

मान्यवर, यह 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने दैवीय आपदाओं का भी उल्लेख किया है, जब दैवीय आपदायें आती हैं, दैवीय आपदायें तेरह प्रकार की हैं, बाढ़, सूखा, भूकम्प, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहरी, अग्निकांड, कीटनाशक हिमस्खलन, बादल फटना, भू–स्खलन, लू प्रकोप, आकाश विद्युती प्रभाव तो इस बार मान्यवर, गेहूं तो खत्म ही हो गया, लेकिन रतिया रोग इतनी जोर से लगा कि गेहूं की फसल आधी से भी कम रह गयी। इसमें मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत साफ मन से राजनीति करनी चाहिए। आपदा प्रबन्धन में भारत सरकार की नीयत किसी भी प्रदेश को कमतर आंकने की नहीं है। यहां मुझे भी कष्ट होता है पहले भी तीन सालों में यही होता रहा है कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही

है। अब भी माननीय अध्यक्ष जी, यही हो रहा है। जहां जिसकी जिम्मेदारी हो, वह वैसा काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, ये भारत सरकार की बात तो बाद में करें अभी आपदा प्रबन्धन में आपने वर्ष 2014–15 में 10 करोड़ की व्यवस्था की थी और फिर राहत बजट आपने वर्ष 2014–15 में 49 लाख 47 हजार 791 हजार दिया और वर्ष 2015–16 में आपने 47 लाख 90 हजार 951 हजार कर दिया तो मान्यवर, बजट तो खुद सरकार ने ही कम कर दिया तो केन्द्र सरकार का उल्लेख करना उचित नहीं लगता। जब आप ही आपदा प्रबन्धन का बजट कम कर रहे हैं, तो भारत सरकार पर आरोप लगाना मिथ्या प्रतीत होता है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि किसान परेशान है। किसान खेती करे तो कैसे करे और मान्यवर, खेती न करे तो फिर क्या करे ? उसको आत्महत्या करने के अलावा कुछ बचता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या न कर पाये इसलिए मान्यवर, तत्काल किसान को जो दैवीय आपदा से नुकसान हुआ है, उस फसल की भरपायी करने के लिए तत्काल बजट आवंटित कर देना चाहिए। मान्यवर, आज बजट की समीक्षा हो रही है, बजट पास भी कराया जा रहा है, तो प्राथमिकता इसमें किसान होना चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जैसे जमीन अमलदरामद होती है। पिता की जमीन पुत्र के नाम अपने आप आ जानी चाहिए, लेकिन अमलदरामद में ही मान्यवर, इतना समय लग जाता है, जब तक लेखपाल को राजस्व विभाग के अधिकारियों को पैसा न दिया जाए, तब तक वह अमलदरामद नहीं करते, तो मान्यवर, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि अमलदरामद को भी टाइम बाउण्ड कर दें कि पिता की जमीन पुत्र के नाम इतने समय में आ ही जानी चाहिए यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मान्यवर, यह हो जायेगा इंसाफ का राज, यह हो जायेगा कानून का राज। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि आपने पट्टे कर दिये गांव में, पट्टा होने के बाद भी कुछ लोगों के कब्जे हैं उस पर। कब्जा होने के बाद वह कमिश्नर के यहां से स्टे ले आते हैं तो मान्यवर, काहे का स्टे, जो पात्र है उसका पट्टा हो गया है, तो पट्टेदार को आपको कब्जा दिलाना चाहिए और जो स्टे ले आया है उस स्टे की समीक्षा होकर, उसको वैकेट कराने की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव भी देना चाहता हूं और मान्यवर, यह जो चकबन्दी हो जाती है। चकबन्दी हो जाने के बाद 20–20 साल तक चकों पर कब्जा नहीं हो पाता। सी0ओ0 उसको कब्जा ही नहीं कराते, जब तक रुपया नहीं ले लेंगे, तब तक चकबन्दी के अधिकारी, सी0ओ0 इत्यादि उस पर कब्जा कराने का काम नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम यह भी आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर भी कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी अब तहसील दिवस चल रहे हैं, तहसील दिवसों पर मुश्किल से 10 प्रतिशत ही कार्रवाई होती है और उसको फिर लिख दिया जाता है अगले तहसील दिवस पर कि इस पर 90 प्रतिशत कार्रवाई नही होती तो तहसील दिवस जो चल रहे हं इससे बहुत फायदा होगा हम लोगों की समस्याएं हल हो जायेंगी जो कायदे के काम हैं वह हो जाये तो तहसील दिवस को प्राथमिकता से लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी, डिमान्ड और डेमोग्राफी यह डिमान्ड किसान की डिमान्ड उसकी जो जमीन की आवश्यकता है इसके लिए एक जीआईएस सिस्टम है। जी0आई0एस0 बन जाय यह आंध्र प्रदेश में लागू है, गुजरात में लागू है हमारे उत्तर प्रदेश में भी हम जी0आई0एस0 सिस्टम बना दे तो लेखपाल का जो मनमानापन है नापने का यह अपने आप समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, 2–3 और सुझाव हैं मान्यवर, सरकार को अभी जो फसली ऋण है चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो किसान इस हैसियत में नहीं है कि वह ऋण दे पाये और बड़े किसानों का जो बकाया है उसकी जमीन नीलाम न की जाय यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राजस्व विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आज बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने का आपने अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, स्वयं माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव रखते समय जिन भावनाओं के साथ इस बजट को रखा है मैं समझता हूं कि उनके शुरुआत के जो वाक्य हैं चौधरी चरण सिंह का स्मरण करते हुए और इस किसान वर्ष में इस साल जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2015–16 को किसान वर्ष घोषित करने का काम किया है उस किसान वर्ष में इस देश के महानतम किसान नेता चरण सिंह जी का जो बजट समर्पित करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है मैं उसके लिए उनकी सराहना करता हूं और उसके लिए मैं मान्यवर, उनको बार बार अपनी ओर से बधाई भी देता हूं श्रीमन्, जितने कदम उठाये गये हैं उनका बहुत संक्षिप्त ब्यौरा आपने रखा है बहुत संक्षेप में आपने बजट रखा। आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि समाजवादी लोगों का अपना काम करने का संस्कार इस ढंग का है कि हम बात कह करके अपनी बात नहीं बतायेंगे काम करके अपनी बात बतायेंगे इस तरह का आचरण समाजवादियों का है। इसलिए उन्होंने सम्पूर्ण बजट रखते हुए यह बात संक्षेप में उन्होंने रख दी है ज्यादा बात बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों का मैं संक्षेप में जरूर उल्लेख करूंगा क्योंकि किसी बात को अंडरलाइन करना है तो आपको उसकी नब्ज पकड़नी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वस्तुतः स्थिति है क्या।

मान्यवर, किसान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में कई साथियों ने जिक्र भी कर लिया इसलिए मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है। 16 करोड़ से यह योजना 2004 में शुरू हुई मात्र 16 करोड़ से। माननीय नेता जी ने इस देश में पहली बार किसानों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना 15 अगस्त, 2004 को जारी किया था और इसलिए किया था कि उस समय तक किसानों के लिए किसी तरह की अलग से कल्याणकारी योजना ऐसी नहीं थी कि अगर उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाय तो उनके बिलखते बच्चो का आंसू पोछने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध हो सके और यह योजना मान्यवर, एक लाख रुपये से शुरू की गयी थी। घोषणापत्र में अपने, हमने 2012 के चुनाव के घोषणा–पत्र में जो वायदा किया था कि यह राशि 5 लाख कर दी जायेगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह राशि 5 लाख कर दी गयी मात्र इसके लिए बधाई नहीं देना चाहता हूं जो पिछले वर्ष 375 करोड़ उसके पिछले वर्ष 300 करोड़ की राशि रखी गयी थी उस राशि को बढ़ाकर 600 करोड़ इस साल आपने करने का जो प्राविधान किया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है माननीय धर्मपाल सिंह जी ने भी वह बात कही है और हम सबका सरोकार है उस बात से वस्तुतः अगर आपदा में किसान की मदद नहीं की जा सके तो आप चाहे जितना बजट बनाते रहिये जिस किसी के लिए जो भी कीजिए चाहे विकास का कोई कार्य कर लीजिए चाहे किसी के लिए कितनी अच्छी दावत कर लीजिए लेकिन उसकी दुःख की घड़ी में उसकी कठिनाई में उसकी आपदा में अगर उसकी मदद नहीं होगी तो किसी सरकार के भी सरकार होने का कोई मतलब नहीं है और आपदा में भी किसी के दोष देने का कोई मतलब नहीं है ।

मान्यवर, आपदा प्रबन्ध के लिये हमारे यहां एक संस्था एस0डी0एन0ए0, राज्य दैवीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण है, इसकी क्या स्थिति थी ? यहां पर तमाम साथियों ने कटौती रखी, शेरू भइया आपने कटौती रखी है, मैं राजनीतिक तौर पर नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं सन् 2003 से 2007 तक नेताजी मुख्य मंत्री थे तो यह प्राधिकरण प्रभावी था और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछली सरकार में पूरे पांच वर्ष, 2007 से लेकर 2012 तक इस प्राधिकरण की एक भी बैठक नहीं हुई। यह नान फन्क्शनिंग था, स्टेट का प्राधिकरण ही अगर डिफाल्ट था तो मान्यवर उसके बारे में सोचने का कोई सवाल कहां पैदा होता है, उनके बारे में कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है और इसलिये जब यह सरकार फिर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई तो इस प्राधिकरण की दोबारा से बैठक हुई और इस प्राधिकरण को जीवन्त बनाया गया। इस संबंध में अनेक कदम उठाये गये मैं उनका विस्तार से उल्लेख करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहता।

माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष हैं और मा0 राजस्व मंत्री जी को उसका उपाध्यक्ष बनाकर इस प्राधिकरण की फन्कसनिंग शुरू की गई। मुझे खुशी इस बात की है कि जब एन0डी0एन0ए0 की राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आपदा प्राधिकरणों के तमाम लोगों की बैठक होती है, जिसमें वहां ग्राम्य विकास के मंत्री जो होते हैं वह उसकी बैठक लेते हैं, जब उनकी चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनकी भूरि–भूरि सराहना पूरे देश में हुई है, यह हमारी उपलब्धि है। इसलिये किसानों के दर्द के प्रति उनके आपदा के समय में उनका निदान करने में हमारी क्या भागीदारी और चिंता है इसे समझा जा सकता है यह मैं कहना चाहता हूं। आक्षेप नहीं है कि केन्द्र सरकार ने क्या दिया है, मैं कोई आक्षेप की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन केन्द्र सरकार ने एक गाइड लाइन दी और वो गाइड लाइन पूरे देश के लिये लागू हो, क्योंकि केन्द्र सरकार दैवीय आपदा के लिये थोड़ी–थोड़ी मदद प्रदेश सरकार को देती है और उसी गाइड लाइन के हिसाब से इसका वितरण होता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय राजस्व मंत्री जी ने अगर यह प्रबन्ध किया कि जितनी गाइड लाइन में जो व्यवस्था है, उतनी ही राशि दे सकते हैं, लेकिन माननीय

मुख्य मंत्री जी ने अपने कोष से 200 करोड़ रुपया अतिरिक्त देकर कहा कि जितनी राशि उसमें मिलती है उससे दोगुनी राशि हम मिलाकर उसको देंगे। अगर एक लाख रुपये उससे मिलता है तो दो लाख रुपये स्टेट की ओर से दिया जायेगा, इस प्रकार तीन लाख रुपये हम देंगे का काम करेंगे। मैं समझता था कि प्रतिपक्ष इसकी सराहना करेगा लेकिन आप किन कारणों से सराहना करने में संकोच कर रहे हैं, यह बात मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। जो बात अच्छी है, उस बात की तारीफ होनी चाहिये और हमने 200 सौ करोड़ रुपया कोई बांध के नहीं रखा है, यह ध्यान रखियेगा। मैंने तमाम व्यवस्था इस सदन में बैठकर देखी है कि पहले यह होता था कि जब कोई आपदा हो जाती थी तो दैवी आपदा की रिपोर्ट महीनों में आती थी। अभी जो बारिश हुई और इसके पिछली बार जब बारिश हुई तेज हवायें चली, फसलें गिर गई और नुकसान हुआ मैं उसकी तारीख का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तीन दिन में जिले से रिपोर्ट आनी चाहिये और तीन दिन में जिलों से रिपोर्ट आई। जिन जिलों में भी आंशिक और कम या ज्यादा नुकसान हुआ था, पचास लाख रुपया तो तुरन्त भेज दिया गया, इसके बाद जिन्होंने जितनी डिमाण्ड की उतनी डिमाण्ड के सापेक्ष तुरन्त धनराशि भेज दी गई। जिन्होंने दो करोड़ मांगा, तीन करोड़ मांगा तत्काल दिया गया और यह दो सौ करोड़ रुपये तो तत्काल दिया ही गया है, इसमें और जितने रुपये की आवश्यकता होगी तो सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है, उतना रुपया भेज करके उनकी आपदा को दूर करने में जो मदद सरकार कर सकती है, वह मदद करेगी और सरकार कर रही है। यह सारा इंतजाम करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें और आई हैं।

जब पिछली बार आदरणीय नेता जी मुख्य मंत्री थे तो अभूतपूर्व काम हुआ। 14 साल से कम्प्यूटराइजेशन का काम चल रहा था और कहा गया कि 14 साल और चलेगा, सरकार ने लक्ष्य तय किया और 10 महीने के अंदर खतौनी का कम्प्यूटराइजेशन करने का काम किया गया और पूरी तरह से प्रक्रिया को ट्रांसपैरेण्ट बनाया गया। पिछली बार खतौनी का कम्प्यूटराइजेशन करने का काम किया गया जिससे लेखपाल के चंगुल से लोगों को आजादी मिली। इस बार यह तय हुआ कि राजस्व के न्यायालयों में जो मुकदमें लम्बित हैं, आप सबका अनुभव होगा कि कब कौन सी तारीख पड़ेगी लोगों को यह पता नहीं चलता था, पेशकार साहब अपने पास रखे हुये हैं जो लोगों का बता दिया वो बता दिया, थोड़ी फाइल निकाली, थोड़ी नहीं निकाली। सारे राजस्व न्यायालयों का शत–प्रतिशत कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है। नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद् के न्यायालयों तक सभी न्यायालयों का कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है। पूरी काज लिस्ट, सारी आर्डर शीट सबकी सब कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से सामने है, पेशकार के चंगुल से इस बार निकालने का काम सरकार ने किया है।

माननीय मंत्री जी को इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं, इसकी सराहना होनी चाहिये । इस कारण क्या हुआ, इस पारदर्शी व्यवस्था के चलते जो काम हुआ, वह यह हुआ कि राजस्व न्यायालयों में जो मुकदमें लम्बित रहा करते थे, उन लम्बित मुकदमों की संख्या में बहुत कमी आई है। पहले यह जानबूझकर लम्बित रहते थे । होता यह था

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत अनुभव है, आप तो स्वयं राजस्व मंत्री रहे हैं। आपने गांव की तकलीफें देखी हैं । होता यह था कि एक ही तारीख को सारे मुकदमें खारिज और फिर एक ही तारीख को सारे मुकदमे री–स्टोर । यह होता था तो मान्यवर, इन चीजों से इसको निकालने के लिये उसको पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का जो काम माननीय मंत्री जी ने किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन् भूमि अध्याप्ति में तो एक बात जरूर जाननी पड़ेगी क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, जमीन किसान की मां होती है, किसान की जमीन उसकी सिर्फ सम्पत्ति नहीं है, किसान की जमीन उसकी मां है और इसीलिये एक बिस्वा जमीन पर, एक बित्ता जमीन पर लोग अपनी जान दे देने को तैयार हो जाते हैं, इतनी आसानी से कोई अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होता ।

वह इस बात को अपना अपमान मानता है कि मेरी जमीन पर इसने अपना हल कैसे चलाया। वह सिर्फ सम्पत्ति की बात नहीं है, यह हमारे संस्कार हैं, हम धरती को अपनी मां कहते हैं और मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही कि इसका ध्यान रखा जाना चाहिये और जो एक्वीजीशन का कानून आप लेकर आये हैं, राजनीतिक तौर पर आप इसमें चाहे जितना भी तर्क दे लीजिये, लेकिन भूमि अध्याप्ति का जो कानून केन्द्र सरकार लेकर आई है और उसके कारण किसानों की जमीन को जो लूटने का इंतजाम हुआ है, हम उसके मुखालिफ हैं और इसीलिये हमारी सरकार ने जो अपना इंतजाम किया है वह दूसरा है। हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी करार नियमावली थी कि किसान को धारा–4 करने के बाद करार नियमावली के साथ हम उससे बातचीत करके उसे तैयार करेंगे और तब उसकी जमीन का पैसा देंगे । लेकिन उसके आगे बढ़ने का काम हुआ अभी पिछली कैबिनेट में, आप लोगों ने तय किया इसको, कि अब किसान की जमीन को धारा–4 नहीं करेंगे, सरकार के लिये भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम भूमि अध्याप्ति करने के बजाय उससे बात करेंगे और 10 करोड़ तक की जमीन यदि होगी तो एस0डी0एम0 और यदि 10 करोड़ से ऊपर की जमीन होगी तो डी0एम0 यानि जिले का कलेक्टर इसके लिये अधिकारी होगा और बैठकर बात करके किसान से जो मूल्य वह तय करेंगे, उस मूल्य पर उसकी जमीन खरीदी जायेगी और उसका एक्वीजीशन नहीं करने का काम करेंगे, यह एक बड़ा फैसला लिया गया है, इसलिये इसकी सराहना होनी चाहिये । इस सदन में इस बात की सराहना होनी चाहिये कि जो सरकार ने इतना महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा, आपने खुद बहुत सारी बातें कह दीं, बेनामी खातों का मामला तो जब यह ट्रांसपेरेंट हो गया, कम्प्यूटराइजेशन के साथ पारदर्शी हो जाने के बाद बेनामी की समस्या बहुत कम हुई है और यह और कम हो सकती है, इसमें हमारी आपकी भागीदारी बढ़नी चाहिये इसलिये कि तहसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप नेट पर जहां चाहे वहां पूरा रिकार्ड देख सकते हैं और डिजीटाइजेशन, जिसकी बजट में व्यवस्था की गयी है, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है । खेतों के नक्शे जब डिजीटाइज हो जायेंगे तो गांव में खेत की मेड़ से संबंधित 50 फीसदी झगड़े कम से कम अपने आप कम हो जायेंगे, हम अपना खेत स्वयं नाप लेंगे और संतुष्ट हो जायेंगे, अगर उसमें कमी नहीं है तो यह बात नहीं होगी। इस कारण

इसकी बहुत सराहना होनी चाहिये। बजट में जो तमाम बातें आपने उठाई हैं, इसके लिये जो तमाम प्रस्ताव लाये गये हैं, उसके लिये माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं और अन्त में मान्यवर, कहना चाहूंगा कि शेरू भैय्या ने अपने बचपन का अनुभव बताया, यह अच्छी बात है । बचपन में कई तरह का अनुभव लोगों को है, गांव में पढ़ने वाले तमाम लोगों को मास्टर साहब मुर्गा बना दिया करते थे और कई लोग पकड़कर मुर्गा बनाने के लिये बुलाये जाते थे, आपने पुरानी बात बताई, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिये समय दिया, आपको भी बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, चूंकि सुझाव मांगे गये हैं तो मैं कुछ सुझाव देने जा रहा हूं । माननीय मंत्री जी तहसील दिवस जब लगता है तो तहसील दिवस पर कम से कम सौ–सवा सौ दरख्वास्तें पड़ती हैं और सुबह अखबार में डी0एम0 का बयान आता है कि तीन मामलों का पांच मामलों का निस्तारण किया गया। अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह लेखपाल करे तो शायद तहसील दिवस में न तो इतनी भीड़ हो और न ही इतनी आवश्यकता हो। दूसरा सुझाव है कि जो अगलगाही है, बधाई है सरकार को 15 सौ रुपए से 55 सौ रुपया आपने घरजरही में किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का घर आज आप पक्का बनवा रहे हैं और गांव के अन्दर 80 प्रतिशत मकान पक्के बन चुके हैं लेकिन जहां किसानों के जानवर रहते हैं वह आज भी झोपड़ी और फूस के हैं ऐसी दशा में मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसानों के जानवरों का जो झोपड़ी और फूस जल रहा है उस पर भी कुछ हजार–15 सौ रुपया अहैतुक सहायता देने की कृपा करें। मेरा तीसरा कहना है कि यदि कहीं पर रजिस्टर्ड वसीयत की गई है, रजिस्टर्ड वसीयत करने के बाद लेखपालों के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत को छिपा करके प–क–11 से फैसला कर दिया जाता है। जो लेखपाल रजिस्टर्ड वसीयत को छिपा करके प–क–11 से इस तरह की घटना कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, सुझाव मांगे हैं तो हम सुझाव दे रहे हैं। तीसरी चीज कि जो भी लेखपाल हैं, जिनके क्षेत्र में पत्थर–नसब की जाती है और तहसील दिवस पर आदेश किया जाता है कि पत्थर–नसब होनी चाहिए। गांव के अन्दर पत्थर हैं ही नहीं, मैं आपको यह कहूंगा कि उन लेखपालों को आप सस्पेंड कर दें, जिनके क्षेत्र में पत्थर हैं ही नहीं। अगर पत्थर रहेगा तो जमीन की पैमाइश आसानी से हो जाती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, यह सब जानते हैं, आप बैठिये।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

लेकिन मान्यवर, हो नहीं रहा है ना।

(सदस्य श्री लोकेश दीक्षित एवं श्री कुंवर कौशल सिंह दोनों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

'श्री लोकेश दीक्षित–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

मान्यवर, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज की गई और उसी विधान सभा के अन्दर वहां के जिन्दारा के पास, यह बेनामी सम्पत्ति है उस सम्पत्ति को अर्जित करके सरकार अपने हाथ में ले, यह मेरा सुझाव है।

श्री लोकेश दीक्षित–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जब उनकी तरफ के 30 मिनट बोल सकते हैं तो हम भी 20 मिनट जरूर बोलेंगे क्योंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष–

बीस मिनट नहीं बोल पायेंगे, यदि ऐसा करेंगे तो हम बजट पास करा देंगे। मंत्री बोल सकते हैं क्योंकि उनको बोलने का हक है।

श्री लोकेश दीक्षित–

मान्यवर, ठीक है 19 मिनट बोल लेंगे। यह किसानों से जुड़ा मामला है। मैं जानता हूं कि सदन में यह पार्टी अपने आपको किसानों का मसीहा कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असली किसानों का रहनुमा कौन है, कौन उनकी दुखती रग पर मरहम लगाता है, कौन उनको समय पर पानी देता है। जो आज पूरे प्रदेश में लूट मची है, चकबन्दी के नाम पर लूट मची है, हमारे बागपत में कम से कम आठ नौ गांवों में चकबन्दी विभाग के अधिकारी मनमानी लूट मचाते हैं, डोलाकाट में भी पैसे लिये जाते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में एक ही किसान नेता है जिसका नाम पूर्ण रूप से किसान लेते हैं। पहले बन गये देश के प्रधानमंत्री किसानों को छलावा दे करके परन्तु आज लोग कहते हैं कि यदि इस देश में कोई किसानों की नेता है तो वह बहन कुमारी मायावती जी हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि वह किसानों की रहनुमा हैं, वर्ष 2007 में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री बनी थीं तो गन्ने का रेट 115 रुपए प्रति क्विंटल था और बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्य मंत्री बनने के बाद गन्ने का रेट 260 और 280 रुपए प्रति क्विंटल करने का काम किया। यह होता है लिखतम और वह होता है वक्तम, वक्तम से काम चलने वाला नहीं है। धैर्य रख करके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनो, आपको सुनना पड़ेगा, जब विपक्ष बोलता है तो सत्ताधारी को सुनना पड़ेगा। बहिन कुमारी मायावती जी जब मुख्य मंत्री बनी थी तो पश्चिम की नहरों में काई लग गयी थी क्योंकि इतना पानी रहता था नहरों के अन्दर। (सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करते रहने पर शोर/व्यवधान) सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, अगर सीखना है तो बहिन कु0 मायावती जी से सीखो। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और यह एक मिशन है और मिशन का काम कौन करेगा, इस मिशन को पूरा बहिन कु0 मायावती जी करेंगीं क्योंकि वह बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी हैं यह बहुजन समाज पार्टी मान्यवर, कांशी राम साहब की पार्टी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हमारा यहां निवाड़ा, गौरीपुर और सिसाना के किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। ((सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करते रहने पर शोर/व्यवधान जारी रहा) (श्री जाहिद बेग व श्री बंशी सिंह पहाड़िया के अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करते रहे)।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें, सदस्य बोल रहे हैं उनकी बात तो सुनिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, मायावती जी कब से किसानों की नेता हो गयी ?

श्री लोकेश दीक्षित–

गन्ना किसान मर रहा है लेकिन गन्ना किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया, कई दिनों तक किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया किन्तु उनका मुआवजा नहीं दिया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि गौरीपुर और सिसाना के किसानों की 500 बीघा जमीन पी0डब्लू0जी0 ने ले ली, उनको लोक निर्माण विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और पश्चिम का किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की बात नहीं सुनेंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी वरना हम भी धरना–प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये।

श्री लोकेश दीक्षित–

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, हमारे काबिल मंत्री हैं मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि किसानों का मुआवजा दिलायें क्योंकि अगर पश्चिम का, खास करके हमारे यहां का किसान खून का आंसू रो रहा है वह अपनी बहन–बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है। शहरी विकास मंत्री जी भी बैठे है मान्यवर, उनके पास न जमीन रही न खेती करने के लिए कोई काम रहा। आज वह किसान बहुत परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि निवाड़ा और गौरीपुर के किसानों का मुआवजा दिलाने का काम करें। मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैय्या–

आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी–अभी पूर्व राजस्व मंत्री जी..

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा अवसर दे दें कुछ लोग बजट पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने श्री शमशेर बहादुर सिंह जी को बुला लिया है, अब बैठिये कुछ नहीं सुना जायेगा। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी अपनी बात जारी रखिये।

(श्री उपेन्द्र तिवारी को बोलने की अनुमति न दिये जाने पर भा0ज0पा0 के श्री सुरेश राणा, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री विक्रम सिंह व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री बंशी सिंह पहाड़िया व श्री ललितेशपति त्रिपाठी आदि के साथ सदन की वेल में आ गये जिससे शोर/ घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

भट्टा पारसौल में किसानों की हत्या कराने वाली मायावती कब से किसानों की नेता हो गयीं, वह किसानों की नेता नहीं हो सकती। किसानों के नेता तो चौधरी चरण सिंह जी थे, यह किसानों की नेता कब से हो गयी ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,00,54,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बंध में राहत) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,01,59,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा लगातार समय देने का आग्रह करने के कारण घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 29,57,71,94,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(तदुपरान्त कांग्रेस के सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये किन्तु उपेन्द्र तिवारी के विरोधस्वरूप कतिपय भाजपा सदस्यों के साथ सदन के वेल में बैठ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था नहीं इस पर बहस हो गई है सभी दलों के लोग बोले कितना चलेगा बाद में बवाल करते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कांठ निवासियों की दिनांक 29–10–14 को दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

दूसरी सूचना श्री भाई लाल कोल की है यह अनुपस्थित हैं।

तीसरी सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद एटा के विकास खण्ड–शीतलपुर अन्तर्गत बाहरी चुन्गी, नगला, मुरली वीरपुर से सरनऊ तक के मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बंध में। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश के आचार्यों/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक पद पर पदास्थापित किए जाने के सम्बन्ध में। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त विलासपुर–मिलकखानम– स्वार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बंध में यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

छठी सूचना श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीद नगर में लड़कियों हेतु बालिका इण्टर कालेज बनवाए जाने के सम्बंध में। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

सातवीं सूचना श्रीमती रूचिवीरा की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड मौ0 पुर देवमल में समाजवादी पेंशन योजना में घोर धांधली के सम्बंध मे। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

आठवीं सूचना श्रीमती सीमा की बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 2–2–2011 के प्रस्तर –7 के प्रदेश के वी0आर0सी0–सह समन्वयकों को प्रधानाध्यापक उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के बराबर वेतनमान दिये जाने के सम्बंध में यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

नवीं सूचना श्री जयप्रकाश निषाद की जनपद–गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में पॉलीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बंध में। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

दसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नगला तुहीराम में विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

ग्यारहवीं सूचना श्री अबरार अहमद की यह अनुपस्थित हैं।

बारहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण किए जाने के सम्बंध में । यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत । शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल उपस्थित नहीं हैं।

जनपद रायबरेली स्थित समसपुर पक्षी विहार में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख कि गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में जिसमें करीब 35 लाख की आबादी है तथा वहां पर कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में वहां की जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद गाजियाबाद में जिला एम0एम0जी0 चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर क्रियाशील है। जनपद गाजियाबाद के साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के वासियों को जिला एम0एम0जी0 चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद में टांस हिण्डन क्षेत्र में राज्य बजट के अन्तर्गत 02 नग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 05 हैल्थ पोस्ट क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त 05 अरबन प्राथ0 स्वास्थ्य केन्द्र तथा अपग्रेडेड हैल्थ पोस्ट क्रियाशील हैं जिसके माध्यम से ट्रान्स हिण्डन क्षेत्र, गाजियाबाद में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत पांच सौ आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खदिनांक 16–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि ''जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र 239, बिन्दकी के अन्तर्गत 500 आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। मुख्यतः जिनमें विकास खण्ड–खजुहा के अन्तर्गत सरकारी डेरा मजरे कंसाखेड़ा, खरुआ खेड़ा, मजरे कंसाखेड़ा तथा विकास खण्ड–तिलियानी के अन्तर्गत ठकुराइन पुरवा, कबीरपुर मजरे अस्ता, चौहान नगर मजरे कोराई एवं विकास खण्ड–मलवा के अन्तर्गत बाबा का पुरवा, मोहनी पुरवा मजरे रावतपुर आदि ग्राम पंचायतों की आबादी लगभग 500 है, किन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया। जिससे उक्त ग्राम पंचायतों के निवासीगणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्रीय ग्राम पंचायत की जनता द्वारा कई बार उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग की गई है।

उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, फतेहपुर के पत्र संख्या–1347/जि0पं0/निर्माण/2014–15, दिनांक 17–03–2015 एवं उसके साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 16–03–2015 को दी गई सूचना में उल्लिखित जनपद फतेहपुर में खजुहा विकास खण्ड के अन्तर्गत सरकारी डेरा (मऊ) मजरा कंसाखेड़ा की कुल आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) 149 है एवं खुरुवा डेरा मजरा कंसाखेड़ा की आबादी 161 है। इसी प्रकार मलवां विकास खण्ड के अन्तर्गत बाबा का पुरवा मजरा रावतपुर की आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) 410 है व मोहिनी पुरवा मजरा रावतपुर की आबादी 115 है।

विकास खण्ड तेलियानी के अन्तर्गत ठकुराइन पुरवा मजरा अस्ता की आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) 170 है, कबीरपुर मजरा अस्ता की आबादी (2001 जनगणना के आधार पर) 220 है व चौहान नगर (नोनिहन पुरवा) मजरा कोराई की कुल आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) 147 है। इस प्रकार उपरोक्त मजरों की आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) 500 से कम है। अतः शासन की 500 अथवा 500 से अधिक की आबादी की बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने वाली योजना के अन्तर्गत उक्त बसावटें आच्छादित नहीं हैं एवं वर्तमान नीति के अनुसार इन बसावटों को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।,

जनपद फिरोजाबाद में किसानों को खराब आलू की दवा दिये जाने से किसानों की बर्बाद हुई फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में जी0टी0 रोड पर स्थायी सब्जी मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सितम्बर में जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख किया गया..

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सितम्बर, 2014 के दूसरे सप्ताह में एक शासनादेश जारी करके प्रदेश के अशासकीय वित्त पोषित जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरे जाने हेतु जारी किया गया था। 6 महीने से अधिक का समय बीत गया उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा के जूनियर स्तर के बेसिक विद्यालयों में जो अशासकीय वित्त पोषित हैं एक भी शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी को रिक्त स्थानों को भरे जाने हेतु सेवायोजित नहीं किया गया है। सैकड़ों स्थान शिक्षकों के तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त आज भी हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बुरी तरह से प्रभावित है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कई वर्षों की मांग के बाद यह शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था परन्तु यह भी नियुक्ति इस शासनादेश के सन्दर्भ में आज तक नहीं की गई है जिससे यह शासनादेश प्रभावी नहीं हो सका है।

मा0 सदस्य द्वारा जनहित में सितम्बर, 2014 के दूसरे सप्ताह में जो शासनादेश वित्त पोषित अशासकीय विद्यालयों में रिक्त स्थान भरे जाने के लिये जारी किया गया था उसके तहत नियुक्तियां होने की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश सं0–2435/79–6–2014 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा हटाने के आदेश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में भर्ती हेतु उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियमावली, 1978 व उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली, 1984 (अध्यावधिक संशोधित) में विहित प्रावधानों व समय–समय पर शासन स्तर से निर्गत अद्यतन शासनादेशों/निर्देशों/नियमों के आलोक में दिशा निर्देश जारी करते हुए उक्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती हेतु आदेश दिये गये थे। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है, दो सप्ताह के अन्दर उक्त दिशा निर्देश जनपदों को जारी कर दिये जायेंगे।,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन स्थित बाबरी बिजली पर क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु .....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्उठाया गया है कि विधान सभा क्षेत्र थानाभवन जनपद शामली अन्तर्गत स्थित बाबरी बिजलीघर पर 05 एम0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है लेकिन आस–पास के गांव सहित बाबरी गांव का बिजली घर से जुड़ा होने के कारण बिजली घर ओवरलोड है। ग्रामीणों को भारी लो बोल्टेज की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन से मिलकर उक्त ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि 10 एम0वी0ए0 तत्काल किये जाने का अनुरोध किया है परन्तु स्थानीय विद्युत विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाबरी उपस्थान पर क्षमतावृद्धि कर 10 एम0वी0ए0 का परिवर्तक लगाने का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत है। फर्म द्वारा नये परिवर्तक का क्रय आदेश किया जा चुका है एवं अप्रैल, 2015 तक उक्त कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।,

प्रदेश में अनुसूचित जाति के बाहुल्य बस्तियों में जांच में सही पाये गये 197 विद्यालयों का आवर्तक अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह वक्तव्य स्थगित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अब हम उठते हैं । कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ संख्या–132 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार आवास विभाग कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग की अनुदानों पर चर्चा में जो मा0 सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके, उन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वह संलग्न हैं।

श्री जगपाल सिंह

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी वि0स0–4 सहारनपुर में बड़ी नहर का पुल काफी समय से क्षतिग्रस्त है। सहारनपुर से चिलकाना रोड पर बड़ी नहर का पुल टूटा हुआ है जिससे जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से महोदय चाहूंगा कि इस बड़ी नहर के पुल को बनवाने की कृपा करें।

2–ग्राम धुन्ना से धाना जाते हुए राजवाहे की पुलिया टूटी है जिससे काफी गांव का आवागमन बन्द है। अतः जनहित में इस राजवाहे की टूटी पुलिया को बनवाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के आबादी वाले क्षेत्र में बहने वाले राजवाहें जिनकी वजह से ग्राम की आबादी वाले क्षेत्र में गंदगी पानी से बनी रहती है वर्षा के समय तो आबादी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती हैं।

अतः मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्राम आबादी के अन्दर बहने वाले राजवाहे आबादी क्षेत्र में पक्का कराने का सुझाव देता हूं ताकि आबादी के अन्दर राजवाहे का पानी न पहुंचे आबादी के अन्दर कच्चे राजवाहे से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और गरीबों के कच्चे मकान गिर जाते हैं जिस कारण बड़ी जनहानि होती है ग्राम में वर्षा का पानी भर जाता है और गन्दगी से मच्छर आदि काफी पैदा हो जाते हैं जिससे बड़ी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है इस लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आबादी के अन्दर राजवाहे पक्के कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश बंसल–

1–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के 16 प्रमुख कार्यों में से एक कार्य मलिन बस्तियों का सुधार निपातन है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में रोजी कालोनी, माता कालोनी, संघर्ष कालोनी, भीमनगर, सुदामापुरी, लठमार कालोनी, आदि बहुत सी मलिन बस्तियां हैं जिनमें मूलभूत सुविधाओं जैसे क्षतिग्रस्त सड़क, सीवर पानी की निकासी जलापूर्ति आदि का अभाव है।

बजट में शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक वाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली निर्माण हेतु 310 करोड़ के बजट का प्राविधान है।

कृपया इस बजट में मेरे क्षेत्र की इन मलिन बस्तियों को सम्मिलित किया जाय।

आवास विकास परिषद् द्वारा क्षेत्रों में सड़क, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता, जल सम्भारण आदि अनेक नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कराना भी है।

2–मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद में आवास विकास परिषद् की एक सड़क जो हिण्डन बैराज से मा0 कांशीराम आवासीय .....

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे आवास विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसमें मेरे निम्न सुझाव व कार्य सम्मिलित करवाने की कृपा करें।

1–आवास विकास की एक सड़क जो हिण्डन के राज्य से मान्यवर कांशीराम आवास कालोनी होते हुए प्रताप विहार आती है। बिल्कुल क्षतिग्रस्त है कृपया इसको बनवाने की कृपा करें।

2–मेरे क्षेत्र की मलिन बस्ती भाता कालोनी, रोजी कालोनी, सग्रहस कालोनी, भीम नगर, सुदामापुरी आदि में सड़क निर्माण कराये जायें।

3–मेरे विधान सभा का करीब 2 लाख आवादी का क्षेत्र जो एन0एच0 24 तथा ग्रेटर नोयडा के बीच में स्थित है जिसमें अकबरपुर, बहरामपुर, बागू, डून्डाडेग आदि एरिया जाता है उसमें 90ः एरिया में सीवर लाइन नहीं है तथा 80ः एरिया में पानी की लाइन भी नहीं है। कृपया इसकी भी व्यवस्था कराई जाये।

4–मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र स्लम एरिया है। कृपया गाजियाबाद को भी इस बजट में जो 21 शहर लिये गये है सम्मलित करके स्लम मुक्त करा जाये।

5–माता कालोनी, रोजी कालोनी, सग्रहस कालोनी जो मलिन बस्ती है। इनमें विद्युत आपूर्ति कराये जावें।

आपका बहुत–बहुत आभार।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष, प्रत्येक व्यक्ति की यह सपना होता है कि इसके सिर पर एक छत हो। मान्यवर, जमाना कुछ न कहते हुये अपने क्षेत्र की आवाम से जुड़ी एक समस्या आप के सामने रखना चाहती हूं।

मेरी विधान सभा सिकन्दराबाद के जनपद बुलन्दशहर में कई साल पहले धारा 4 हुई थी। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उससे प्रगति नहीं हुई। जबकि ग्रेटर

नोयडा के नजदीक होने की वजह हैं। वहां पर व्यवस्थित आवासीय कालोनी बने कोई व्यवस्थित कालोनी न होने की वजह के वहां पर जलभराव आदि विकट समस्या है। कृपया वहां पर आवासीय कालोनी बनवाने की कृपा करें।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी,

विषय :–आवास के सम्बन्ध में।

महोदय,

बहुसंख्यक वर्ग से अतिपिछड़ा/अतिदलित व अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समाज शोषित पीड़ित व उपेक्षित है। यह वर्ग गरीबी के साथ–साथ जातीय व धार्मिक भेद–भाव से ग्रसित है। अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त अतिपिछड़े/अतिदलित और मुस्लिम को उनकी आबादी के अनुपात में शहरी आवास के दुर्बल और मध्य वर्ग के आवास में मात्रांकित करने की कृपा करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते है कि आवासीय परियोजना हेतु ग्राम कलियाखेड़ा, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही विचाराधीन है इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि :––

"भूमि अधिग्रहण के समय गरीब किसानों के गांव की परिधि में बने कच्चे व पक्के मकानों को न गिराया जाय अर्थात मकानों को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त रखा जाय।"

क्योंकि सरकार की मंशा गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। एक बार गरीब किसान का मकान गिर जाने के बाद वह दूसरा मकान नहीं बनवा पाता है तथा उसे मकानों का उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 कृपया कार्यवाही का अंग बनाने की कृपा करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

आदरणीय,

अध्यक्ष जी,

वि0स0 (उ0प्र0),

लखनऊ।

मा0 सिंचाई मंत्री जी के बजट पर अपना समर्थन करते हुए किसान वर्ष मनाने पर धन्यवाद देते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सुल्तानपुर जनपद से आने वाली रजवाहा (फूलपुर) रजवाहा पर ग्राम लारपुर गौहर, ब्लाक पवई में नहर पर पुल बनाया जाना साथ ही साथ ग्राम अहिरीपुर, ब्लाक मिर्जापुर में टूटे पुल का पुनः निर्माण किया जाना साथ ही ग्राम नरसिंहपुर नहर पर पुल जोकि ब्लाक पवई में पड़ता है। बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त पुलों का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करें।

श्री सतराम कुशवाहा–

माननीय अध्यक्ष जी,

कृपया अनुरोध है कि जनपद जालौन के माधोगढ़, विधान सभा में निम्न कार्य कराने का कष्ट करें।

(1) रेढर रौरा माईनर पर परावर जाने के लिये परावर की मड़इया के पास की टूटी पुलिया बनवाई जाय एवं भीम नगर रामपुरा ब्लाक की टूटी पुलिया ठीक कराई जाय।

(2) मान्यवर, पिछले बजट के समय 301 रामपुरा ब्लाक के वधाबलरी ग्राम में जाने वाली माइनर को पक्का बनाने हेतु नियम–301 में आप द्वारा पास किया गया। महोदय, उपरोक्त नहर 5 कि0मी0 पक्की कराई जाय।

(3) लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत रामपुरा ब्लाक में ग्राम पतदाही यमुना नदी पर एवं नदीगांव ब्लाक के कुरचौली सजैरा मिर्जा नदी पर पम्पसेट द्वारा पम्पसेट योजना लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू किया है।

(4) रामपुरा ब्लाक एवं नदी गांव ब्लाक तथा माधौगड़ ब्लाक में सर्वे कराकर लगभग 100 राजकीय नलकूप की स्थापना कराने का कष्ट करें।

श्री महावीर सिंह राणा–

मा0 अध्यक्ष महोदय,

आपके माध्यम से मा0 सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं। मेरी विधान सभा 01 बहेर में नावार्ड योजना के अन्तर्गत 100 गहरे नलकूप लगाने की योजना 2006–2007 में स्वीकृत हो गये थे। अभी 15 ही लगाये गये है डार्क ब्लाक घोषित का असर नहीं पड़ सकता है। क्योंकि ये नलकूप 200 से 300 मीटर गहरे है, 27 नलकूप पुनः निर्माण गहरे (क्मचम ठवंतपदह) नलकूप रीबोर कराने मांग करता हूं इससे धार क्षेत्र किसानों को सिंचाई का लाभ हो जाएगा।

मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि मा0 मंत्री जी गत वर्षो 2013–2014 में इसे बाढ़ उत्तराखण्ड से लगा मेरी विधान सभा के सड़के व पुल बह गये थे पुनः निर्माण के लिए सड़कें, पुल गावं के बांध को पुनः निर्माण के लिये जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा 24 करोड़ का आपदा व राजस्व विभाग को भेजा गया था परन्तु अभी तक कोई धन आवंटन नहीं हुआ है।

50 गांव का रास्ता बन्द है। मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि नलकूप लगवाने, सड़कों बांधो–पुलों का निर्माण कराने का कार्य कराने का कष्ट करें।

श्री सुल्तान बेग–

मा0 अध्यक्ष जी,

उ0प्र0 विधान सभा, लखनऊ।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव के धर्मपाल जी द्वारा रखा है, पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं मा0 अध्यक्ष जी रोहेलखण्ड नहर खण्ड सिस्टम बरेली के तीन विधान सभाओं वहेदी, मीरगंज, लोनीपुर में एक मात्र सिंचाई का साधन है। यह नहर किच्छा नहर के नाम से जानी जाती है इसकी ब्वं 278 त्नपब है परन्तु यह केवल लगभग 100 त्नदपब पर ही चलती है। पूरी नहर पूरी तरह पेसज पटेरा और सिवार के कारण पट चुकी है। सारी पटरियां पट्टे करा करके तहस नहस हो चुकी है। परन्तु पैसा होने के वावजूद अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका एक कारण और भी है कि किच्छा डैम के अन्दर जितने आर्टीजन है वह मछली माफियाओं द्वारा बन्द कर दिये जाने पर यह काम विभाग के अधिकारियों की संगठन द्वारा किया जाता है। वाटर लेवल नीचे कर रहा है। अतः एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 2012 में रो0ख0न0ख– सिस्टम बरेली पुनः स्थापना हेतु जो धन लिया है यह कार्य नहीं किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने का कष्ट करें।

मा0 अध्यक्ष जी, इस नहर की स्थापना 2005 में हुई थी तब से समाज तक पुनः स्थापना कार्य नहीं हुआ।

जल स्तर भी नीचे जा रहा है अगर सरकार उत्तराखण्ड सरकार को दबाव बनाकर जल्द से बनवाया जाये। इससे न्च्ण्न्ज्ञण् दोनों राज्यों को लाभ होगा। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जय प्रकाश अंचल–

माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सिंचाई के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी और विकास पुरुष सिंचाई मंत्री जी ने प्रदेश के किसानों को जितनी सुविधाएं दी हैं आज तक प्रदेश के इतिहास में इतनी सुविधाएं कभी नहीं मिलीं। एक तरफ जहां हमारी सरकार ने सिंचाई को मुफ्त कर दिया वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक विनाश लीला से परेशान किसानों को क्षतिपूर्ति देकर उनके हर सुख–दुःख में भागीदार बनने की कोशिश की है।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने 30880 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने की सुविधा हेतु खरीफ एवं रबी फसल से पूर्व सिल्ट सफाई का कार्य कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने में सुविधा होगी तथा टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

प्रदेश में सिंचाई (यांत्रिक) विभाग के अन्तर्गत 30917 राजकीय नलकूप से कुल 34.31 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता एवं 247 लघु डाल नहरों से, जिनकी कुल क्षमता 3937 क्यूसेक है के माध्यम से 1.72 लाख हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित है, जिसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने प्रदेश में किसानों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एच0आई0बी0पी0 तथा नाबार्ड को

अधिकाधिक योजनाएं स्वीकृत करायी हैं, जिन परियोजनाओं पर सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका है उन पर पुलों का निर्माण हो रहा है इसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के किसानों को सिंचन क्षमता की वृद्धि की है वही पर बन्द नलकूपों को तत्काल पुनर्स्थापना एवं आधुनिकरण करने का समय से आदेश दिया है वहीं आवश्यकतानुसार बांधों के तटबन्धों एवं कटान निरोधक कार्यों पर भी तेजी से काम करने के लिए भी निर्देश दिये हैं वहीं पानी की क्षति न हो, इसके लिए नहरों की लाइनिंग की भी व्यवस्था की हैं जिसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

किसानों की जनसहभागिता बढ़ाने के लिए 2014–15 में खरीफ 1422 फसलों के कुल 3348 लक्ष्य के सापेक्ष 3381 कि0मी0 नहरों में गुणवत्तापूर्वक सिंचाई कराई हैं जिसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए गंगा, घाघरा, दोआब घाघरा के उत्तर का क्षेत्र घाघरा, गंडक दोआब को सम्मिलित किया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। चौ0 चरण सिंह दोहरी घाट पम्प नहर की क्षमता का पुनर्स्थापना, चौ0 चरण सिंह देवकली पम्प नहर की कंक्रीट लाइनिंग की व्यवस्था व चौ0 चरण सिंह दोहरी घाट सहायक पम्प नहर के पुनर्स्थापना की है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान बलिया जनपद के बैरिया विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों की सिंचाई के लिए नहर की कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि बैरिया विधान सभा में जहां गंगा और घाघरा नदी का मिलन होता है वहां पर एक पम्प कैनाल की व्यवस्था की जाय तथा मेरे क्षेत्र में ज्यादा राजकीय नलकूप की स्थापना करायी जाय ताकि किसान अपनी सिंचाई क्षमता की वृद्धि कर सकें।

मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान बैरिया विधान सभा के दियरांचल क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण हजारों–हजार परिवार विस्थापित हो जाते हैं वहां पर वे किसी तरह बंधे पर शरण लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पुनर्वास के लिए जहां व्यवस्था आवश्यक है वही गंगा और घाघरा नदी पर बंधों पर पत्थरों की पिचिंग एवं ठोकर बनाना अति आवश्यक है क्योंकि बैरिया विधान सभा के प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं और उनका परिवार भिन्न–भिन्न हो जाता है। बिहार का भी पानी जहां मेरी विधान सभा की तरफ आता है वहीं पर नेपाल से पानी छोड़ने के कारण हमेशा यहां की जनता बरसात के मौसम में भय के वातावरण में अपना जीवन गुजारते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं सिंचाई मंत्री जी से बलिया के बाढ़ विभीषिका वाले क्षेत्र बैरिया जो तीन नदियों के बीच में बसा है, को बाढ़ से बचाने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम का अनुरोध करता हूं ताकि आम जनता को इस बाढ़ की समस्या से स्थाई निदान मिल सके।

मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि सिंचाई के बजट पर हमें बोलने का मौका दिया सके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरीश चन्द उर्फ गामा पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग के बजट के समर्थन में बल देने के लिये आपके आज्ञा से अपनी बात कहना चाहता हूं। यह किसान वर्ष के रूप में हमारी सरकार ने किसानों की तरक्की के लिये मा0 सिचाई मंत्री शिवपाल यादव ने हर खेत को पानी हर किसान को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने हेतु आदरणीय सिंचाई मंत्री जी ने जो कार्य किया है। वह एक आदर्श है। आपकी कृपा से मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं।

1–मान्यवर, मैं जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा से आता हूं। मेरी विधान सभा बेलन नहर टेल पर स्थित है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद शहर में स्थापित है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थानान्तरित कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी से अनुरोध है बेलन नहर के कार्यालय को इलाहाबाद शहर से स्थानान्तरित कर लखनपुर बस्ती में स्थानान्तरित कर दिया जाय इससे किसानों को त्वरित फायदा होगा।

2–सिरसा पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि के साथ–साथ 33/11 का सब–स्टेशन बनाकर चौबीस घन्टा बिजली उपलब्ध कराया जाय। जिससे बेलन नहर टेल पर पानी नहीं पहुंचता तो पानी पहुंचने लगेगा। जिससे किसानों का फायदा होगा।

3–आपकी कृपा से बाण सागर परियोजना का कार्य तीब्र गति से चल रहा है। परन्तु अभी तक 305 व मेजा का चैनल अभी तक जुड़ नहीं पाया है। जिससे अभी तक इसका फायदा इलाहाबाद जनपद को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसी चैनल से उपरौध राजबहा जो 70–80 कि0मी0 का है। उसकी बाण सागर योजना के अन्तर्गत चौड़ी व सी0सी0 कराने हेतु उस पर धन उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

4–हमारी विधान सभा क्षेत्र मेजा जो गंगा जी व टोन्स नदी के किनारे स्थित है। इसमें लगभग 300 ट्यूबवेल स्थापित है। इनके अनुरक्षण व रख–रखाव में कठौली कार्यशाला पिछली नेता जी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में शहर में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसे पुनः कठौली में स्थापित करने हेतु 3 करोड़ का प्रस्ताव बनकर प्रमुख सचिव, यांत्रिक के यहा प्रस्तुत किया गया है। इसे स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

माननीय अध्यक्ष जी,

मा0 श्री सतीश महाना जी द्वारा आवास विभाग के बजट पर पेश किये कटौती प्रस्ताव पर मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, आवास विभाग का कार्य जैसा कि विभाग के नाम से ही विदित है, लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। नगर नियोजन, परिवहन, स्कोस्ट्रम्ज पर्यावरण सुधार आदि कार्य तो यह विभाग करता ही है किन्तु मुख्य कार्य है आवास उपलब्ध कराना। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र से निरन्तर शहरी क्षेत्र की ओर पलायन हो रहा है। इसके कारण अनेक हो सकते हैं लेकिन इसके कारण नगरीय क्षेत्र में आवासों की अत्यधिक आवश्यकता है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में 15.84 लाख आवासीय इकाइयों की आवश्यकता बताई गई है अर्थात् 3.17 लाख

आवासीय इकाइयां प्रतिवर्ष। सरकार ने 'सबके लिए आवास' योजना का वर्णन किया है इसमें 2014–15 में 52 हजार आवासीय इकाइयों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया किन्तु दिसम्बर, 14 तक कुल 3999 इकाइयां ही पूर्ण हो पायीं जिसमें नगरीय दुर्बल वर्ग लक्ष्य 28 हजार भवन/भूखण्ड के सापेक्ष केवल 1786 भवन/भूखण्ड विकसित से पाएं, अन्य आय वर्ग के 12 हजार लक्ष्य के सापेक्ष केवल 704, मध्यम आय वर्ग लक्ष्य 8 हजार के सापेक्ष दिसम्बर, 14 तक केवल 811, उच्च आय वर्ग लक्ष्य 4 हजार के सापेक्ष केवल 698 मान्यवर, इस गति से विभाग द्वारा कैसे लोगों को मांग के अनुरूप आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

मान्यवर, 'हाई टेक टाउनशिप' योजना में नगरीय क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड/भवन की आपूर्ति के सापेक्ष मांग अधिक होने के कारण 13 हाई टेक टाउनशिप का विकास किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 14 तक 9592 एकड़ भूमि असेम्बल की गई एवं 5141.61 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ, ऐसा बताया गया। किन्तु दिसम्बर, 14 तक ई0डब्लू0एस0 के केवल 94 और एल0आई0जी0 के कुल 88 आवास से पूर्ण हो सके। मान्यवर, ऐसे में सरकार कैसे इस समस्या को इस गति से विवरण कर पायेगी।

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अगर देखें तो इस वर्ष ई0डब्लू0एस0 के 6000 मकान प्राधिकरण को बनाने थे मगर केवल 1088 पर ही काम शुरू से प्राप्त, अल्प आय वर्ग के 2 हजार के सापेक्ष सिर्फ 438 पर काम शुरू हुआ, मध्यम आय वर्ग के 2400 के सापेक्ष केवल 1600 पर काम शुरू से पाया।

वर्षों से अनेक योजनाओं जैसे कानपुर रोड साइज योजना, गोमती नगर शुभम योजना, बसन्त कुंज आदि में आवंटी इन्तजार ही कर रहे हैं। स्प्क्ण्प् के अधिकारी/इन्जीनियर अपना काम छोड़कर अन्य सभी काम कर रहे है।

मान्यवर, 'नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद' में अनेक बड़ी–बड़ी योजनाएं ही ली जा रही है। लेकिन शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार की स्थानीय योजनाएं शामिल नहीं हो पा रही हैं। लखनऊ में जैसे आवास विकास, लखनऊ विकास प्राधिकरण आदि द्वारा जो सड़कें सुधार हेतु इसमें शामिल भी की जाती है उनमें प्राथमिकता किसकी हो यह निर्णय कई बार उचित नहीं होता। अनेक बार यह देखा गया कि कम खराब मार्ग ले लिया गया और बहुत अधिक जीर्ण–शीर्ण मार्ग छूट गये। इस बार भी मेरे निवार्चन क्षेत्र में आवास–विकास विभाग द्वारा इन्दिरा नगर, विकास नगर में बहुत से जीर्ण–शीर्ण मुख्य मार्गों को शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि उक्त सभी जीर्ण–शीर्ण मार्गों को अविलम्ब आवास–विकास अवस्थापना निधि द्वारा बनवाया जाय।

मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या अनधिकृत कालोनियों की है। सरकारी योजनओं में भूखण्ड/भवन न मिल पाने के कारण लोग मजबूर होते है अविकसित क्षेत्रों में नारकीय जीवन जीने पर।

इन सभी अनधिकृत कालोनियों को विनियोजित कर उनमें विकास कराया जाए।

अध्यक्ष जी को बहुत अधिक आभार।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी,

उ0 प्र0 विधान सभा।

'सिंचाई के बजट चर्चा पर भाषण'

मान्यवर, मैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में अपनी बात रखने हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं सोरांव वि0 सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण गंगापार में शारदा सहायक प्रणाली की नहरों की गुणवत्तापरक शानदार सिल्ट सफाई के लिये हृदय से बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी द्वारा हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में 10 से 12 राजकीय नलकूप स्थापित कराने के लिये भी सोरांव विधान सभा क्षेत्र के लाखों किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2014–15 में चार ग्राम यथा कटभर पबरेजपुर, चककाशीराम, अब्दालपुर एवं खालसा में स्थापित राजकीय नलकूप बन कर तैयार हो गया है जिसका शीघ्र ऊर्जीकरण कराने का कार्य शीघ्रताशीघ्र कराये जाने का आग्रह करता हूं। मान्यवर, हमारे विधान सभा के तीन ब्लाक में से दो ब्लाक मऊ आइमा एवं बहरिया डार्क ब्लाक घोषित हो गया है जिस कारण सिंचाई हेतु बोरिंग प्रतिबन्धित हो गई है। अतः आग्रह करूंगा कि मनसइता बरसाती नदी पर वाटर रिचार्ज हेतु 16 चेकडैमों का प्रस्ताव शासन में लम्बित है। जिसे स्वीकृत करने का कष्ट करें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी को आदरणीय नेता जी के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जनपद की नहरों की पुनरोद्धार योजना का स्वागत करता हूं साथ ही हमारे सोरांव क्षेत्र की नहर प्रणाली जो शारदा सहायक के सर्किल 18 खण्ड एक एवं खण्ड 39 से पोषित होती है की सम्पूर्ण शारदा नहर प्रणाली विधान सभा क्षेत्र सोरांव का भी पुनरोद्धार कराने की कृपा करेंगे तो सम्पूर्ण गंगापार इलाहाबाद के किसानों को लाभ पहुंचेगा और हम सब आपके आभारी रहेंगे। मान्यवर, सौर ऊर्जा चलित नलकूप योजना सराहनीय कदम है जिससे किसान अवश्य लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक बहरिया के सिंचाई खण्ड–39 इलाहाबाद एवं जनपद प्रतापगढ़ के सिंचाई खण्ड 02 के पोषित क्षेत्र में उमरनताल ड्रेन एवं दॉया ताल ड्रेन का सम्पूर्ण क्षेत्र जलप्लावित रहता है और हजारों एकड़ फसली क्षेत्र बर्बाद रहता है। अतः इसके निवारण हेतु हम सहित मा0 मंत्री जी शिवाकान्त ओझा जी प्रयासरत हैं और जिसके परिणामस्वरूप 67 लाख की लागत से प्राक्कलन बनकर तैयार हो चुका है। जिसके फलस्वरूप उमरनताल ड्रेन कि0मी0 4.7 या फूलपुर ड्रेन किमी0 10.4 पर सायफन की रिमाडलिंग तथा सायफन के बेड को ताल के बेड के समतुल्य लाने हेतु 0.85 मीटर लेवेलिंग सहित सम्पूर्ण ड्रेन लेन्थ के 10.8 कि0मी0 की सिल्ट सफाई के महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्रताशीघ्र स्वीकृत करने हेतु मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अन्त में मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

आदरणीय अध्यक्ष आपने मुझे सिंचाई विभाग के निर्माण अनु0 सं0–94 व अनुदान सं0–95 सिंचाई विभाग अधिष्ठान व अनु0 सं0–12 भूमि विकास एवं जल संसाधन के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी मैं श्री नीरज मौर्या जी के प्रस्ताव जो कटौती का है मुझे बल देना है किन्तु सरकार ने आजादी के बाद आज तक जितनी सरकारें बनी किसी की हिम्मत किसानों के हक में इतना बड़ा फैसला नहीं लेनी की नहीं थी। जो सरकार ने यह फैसला किया जो ऐतिहासिक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सुझाव, और मेरा

(1) आग्रह यह भी है कि सरकार ने जवाब में कहा है कि नहर, रजवाहों की 98ः तथा माइनरों, अल्पिकाओं की 27ः ही सील्ट सफाई हुई। इसे बढ़ाया जाय।

(2) मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा, अरनिया ;।तदपंद्ध जो डार्क ब्लाक घोषित है। क्या यहां सरकार की नहरें, रजवाहे अल्पिकायें को बढ़ाने की कोई कार्य योजना है।

(3) मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के नालों पर बनने वाले पुल जो स्टेयरिंग कमेटी की बैठक न होने के कारण लम्बित है जो निम्न हैं :–

(1) क्योली (निकट खुर्जा जं0), मदकोला, नगला हरभजन, किर्रा, हसनगढ़ नागल शीघ्र स्वीकृति दिलाई जाये।

(4) मा0 अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि नहरों रजवाहों पर माइनर, अल्पिकाओं पर बनी काली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी सर्वे कराकर मरम्मत कराई जाये।

(5) बड़ी–बड़ी नहरों की साइड में नाले की शक्ल इसलिये बन गई या नाले बहुत पहले बनाये गये थे उनकी सिल्ट सफाई कराई जाये।

(6) लोहिया नलकूपों की संख्या जिले में 6–7, विधान सभा में 01 तो इसे बढ़ाकर 20–25 किया जाय।

(7) नहरों व रजवाहें, अल्पिकाओं नाले आदि पर अतिक्रमण हो रहे हैं। उनका शत–प्रतिशत सर्वे कराकर अतिक्रमण हटवाये जायं ताकि जाने–आने व अधिकारियों के निरीक्षण में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

(8) नहरों, रजवाहे, नाले, अल्पिकाओं की पटरी पर मिट्टी के ढेर न बने पट्टी समतल करायें ताकि आवागमन में प्रयोग हो सके।

(9) यदि मिट्टी अधिक हो जाती है तो ।तमं बीमपि यह ैण्ण्ण स्तर से नहीं ग्राम्द स्तर से नीलामी कराई जाये। ऊपर के अधिकारियों के पचड़े में कार्य लम्बा बाधित हो जाता है।

(10) ैण्ण्ग्राम्द के दौरे सुनिश्चित कराये जायं। कार्यालय में बैठकर पानी चोरी, सिल्ट सफाई की दिक्कत पटरियों का रख–रखाव सम्भव नहीं है।

(11) बुलन्दशहर से छतारी की तरफ जाने वाली काली नदी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कलैना, बाढा–बादशाहपुर पचगाई हमीरपुर पर बन्धा बनाया जाय तथा बाढ़ की स्थिति में आर–पार जाना दूभर हो जाता है। कसैबा बाढ़ पर पुल बनाया जाय।

(12) डार्क जोन ब्लाकों में ॅजमत तमेवतेम के लिये शत–प्रतिशत सर्वे कराकर तालाब बनाये जायें और पानी की पूर्ति हेतु बोरिंग/नहरों से पानी व्यवस्था की जाय।

बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राममूर्ति सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष आपने सिंचाई विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। मैं जनपद शाहजहांपुर की ददरौला विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं हमारे क्षेत्र में गर्रा नदी बीच से निकलती है। साथ में ही नहर के किनारे रोड है जो 2010 के सैलाब में गर्रा नदी ने सड़क काट दी जिससे लगभग 60 गांवों का रास्ता बन्द हो गया। अजीजगंज मरगवां रोड पर ग्राम रुद्रपुर व रितीरिफ हरगांव के पर सड़क काट दी है। परियोजना सिंचाई विभाग से स्वीकृत हो गई है। धन का आवंटन होना है। माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक धन आवंटन कराके बरसात से पहले निर्माण कराने की कृपा करें जिससे उक्तके लोगों का आवागमन ठीक से हो सके। मैं आपका आभारी होऊंगा।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय विधान सभा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई विभाग के डा0 धर्मपाल सिंह जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

मा0 अध्यक्ष किसान का विकास बिना सिंचाई के नहीं हो सकता है। ब्लाक नूरपुर 6 वर्षों से डार्क जोन में आता है। जिससे किसानों की सिंचाई नहीं हो पायी है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं और मेरी विधान सभा क्षेत्र के नूरपुर ब्लाक में न ही नलकूप विभाग के द्वारा नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं। जिससे नल व नलकूप नूरपुर ब्लाक में लगाया जाये।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि नूरपुर ब्लाक को डार्क जोन से निकाला जाये और एक नहर है। नूरपुर नगर के पास वाली नहर में पानी छोड़ा जाये और नूरपुर विधान सभा के किसानों को सिंचाई से निजात दिलाई जा सके। अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जाये।

श्री प्रदीप चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मान्यवर, हम जनपद सहारनपुर के विधान सभा गंगोह से चुनकर आते हैं। हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जिसमें पिछली बार भी बाढ़ आयी और भारी नुकसान किसानों का हुआ है जो ठोकरें बनी हैं उन पर तेजी से कार्य कराया जाये जमुना नदी के साथ–साथ ग्राम सनौली से ग्राम कुण्डा कला तक जो हमारे क्षेत्र का हिस्सा है वहां बन्धा हुआ है जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और बार–बार टूटता रहता है जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। पिछली बार भी बंधा टूटकर किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। मान्यवर, अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं जो सरकारी नलकूप लगे हैं उनमें कुछ खराब हो चुके हैं दूसरी गम्भीर

स्थिति इसलिये भी उत्पन्न हो गयी कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक गंगोह, नानौता व रामपुर ब्लाकों को सहारनपुर नलकूप डिवीजन से हटाकर शामली डिवीजन में जोड़ दिया गया है जिससे किसानों में भारी रोष व असुविधा उत्पन्न हो गयी है ऐसी स्थिति में सहारनपुर के इन ब्लाकों के डिवीजन को सहारनपुर डिवीजन से वापिस जोड़ा जाये मा0 अध्यक्ष जी जनपद सहारनपुर के सभी ब्लाक डार्क जोन में आये हुए हैं वाटर लेविल बहुत नीचे पहुंच जाने के कारण किसानों के सामने सिंचाई हेतु बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हथनी कुण्ड बैराज से लिंक चैनल–2 के नाम से चिलकाना, नकुड़ व गंगोह क्षेत्र से होते हुए शामली की सीमा में नहर प्रस्तावित है इस नहर को भी स्वीकृति प्रदान करायी जाये जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और किसानों को फसलों में पानी देने में सुविधा मिलेगी।

आपका आभारी हूं।

श्रीमती रुचीवीरा–

आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय सिंचाई व राजस्व मंत्री जी द्वारा महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया, आपने मुझे बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष जी, दो सुझाव आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं।

(1) गंगा बिजनौर में, प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, गंगा की ही धार उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश की सीमा का विभाजन करती है। बिजनौर में गंगा पर कोई तटबन्ध न होने के कारण अपना मन मौजी ढंग से स्थान परिवर्तन करती रहती है। जिसके कारण बिजनौर के किसानों की जमीन कभी गंगा के इस पर कभी गंगा के उस पार चली जाती है बिजनौर के किसानों की जमीनों पर (हजारों एकड़) उत्तराखण्ड के दबंग भू–माफिया हथियारों के बल पर बिजनौर के गरीब छोटे–छोटे किसानों की जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं लेकिन मेरे जनपद में कोई भी अनुदेशक, ड्राफ्टमैन व ट्रेसर नहीं है। पद रिक्त चल रहे हैं जिस कारण किसानों को अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है और किसान परिवार भुखमरी के कगार पर है। अध्यक्ष जी इन रिक्त पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करवाया जाय ताकि सीमा पर (उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश) व (मुजफ्फरनगर व बिजनौर) जनपद की सीमा कर किसानों की जमीनों की नपाई हो सके। 72 ग्रामों के किसान प्रभावित व पीड़ित है।

(2) अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री शिवपाल यादव जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने बिजनौर में गंगा के किनारे 13 ठोकरें जो कि लागत (11 करोड़ 26 लाख रु0) स्वीकृत करके किसानों के दुख–दर्द को समझा और राहत देने का काम किया काम ठोकरों पर चल रहा है। इस योजना का नाम कुन्दनपुर टीप परियोजना के नाम से है। अध्यक्ष जी शेष गांवों में 28 ठोकरें लगनी अति आवश्यक है। धामपुर सिंचाई खण्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को जा चुका है मंत्री जी से अनुरोध है उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र आगणन बनवा कर स्वीकृत करने का कष्ट करें। बिजनौर मुख्यालय को भी गंगा के कटान से खतरा हो सकता है रावली बैराज के पास से हर वर्ष कटान होता है। मंत्री जी विषय की गम्भीरता को देखते हुए उदारता दिखायेंगे।

एक धन्यवाद आपके माध्यम से मंत्री जी को करना चाहती हूं कि उन्होंने 47 करोड़ का बाबा वाली पुल बिजनौर में गंगा पर बनने की स्वीकृति दे दी है। मैं बजट के पक्ष में समर्थन करती हूं।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ (डा0 आर0 के0 वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने मुझे माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। हम सभी ये बात दोहराते हैं। जब तक किसान के हर खेत में हरियाली न होगी तब तक देश के हर कोने में खुशहाली न होगी। मान्यवर, मैंने पेश की गई कार्य विवरण पुस्तिका का अध्ययन किया बजट आवंटन में बहते पानी के लिये जो योजनायें हैं उनमें तकनीकी कमियों की वजह से भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश रहती है। जिससे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और कार्यदायी संस्थायें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का काम करती है। बजट बनाते समय ऐसी योजनाओं के लिये दिल खोलकर धन आवंटित किया गया है किन्तु जिन योजनाओं से स्थाई कार्य होता है किसानों के हित में दूरगामी परिणाम होंगे। उन परियोजाओं के लिये धन आवंटित करने में कटौती की गई है जिससे मैं इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, लगातार गिरता भू–गर्भ जल स्तर हम सबके लिये चिन्ता का विषय है लेकिन सरकार ने वाटर रिचार्जिंग स्कीमों के लिये जितना धन आवंटित करना चाहिये नहीं किया सत्र, 12–13 में लक्ष्य था केवल 89 बन पायेंगे, सत्र 13–14 में केवल 48 चेकडैम बन पाये थे, सत्र, 2014–15 में 183 चेकडैम बनाने का लक्ष्य था जनवरी, 2015 तक केवल 30 चेकडैम बन पाये। आज से वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम पर जमीन पर कार्य नहीं हो पा रहा है। जिसका परिणाम है मैं जनपद प्रतापगढ़ से चुनकर आया हूं वहां 17 विकास खण्डों में से 15 विकास खण्ड डार्क एवं क्रिटिकल जोन में आ गये हैं। वहां कि किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है। डार्क एवं क्रिटिकल जोन की वजह से निःशुल्क बोरिंग का फायदा प्रतापगढ़ के किसानों को नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सरकार डार्क एवं क्रिटिकल जोन के क्षेत्र में नई नहरों का निर्माण कराये। जो किसान नहरों से सिंचाई नहीं करते अपने निजी ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। अब बिजली का बिल माफ किया जाय। नहर की पटरियों का डामरीकरण किया जाय। कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कृषक परिवार का कोई भी कमाऊ बेटा जो परिवारिक जिम्मेदारी उठाता हो मौत होने पर उसके नाम राजस्व भू–अभिलेख में जमीन न होने पर यदि उसके पिता के नाम पर जमीन है तो भी उस परिवार को कृषि दुर्घटना बीमा योजना का फायदा दिया जाना चाहिए। मेरी विधान सभा का विकास खण्ड मान्धाता में प्रतापगढ़ रजवहा से नूरपुर माइनर प्रस्तावित है उसका निर्माण अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। मान्यवर, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अमरपाल शर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी,

मेरी विधान सभा साहिबाबाद के अन्दर हिण्डन नदी से जो नहर वैशाली वसुन्धरा इन्द्रापुरम् खोडा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाती वह सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसे बनवाने का कष्ट करें और खोडा कालोनी संगम पार्क के सामने एक छोटा पुल बनवाने का कार्य करें जिससे छठ पूजा पर पूजा करने वालों को आने–जाने की असुविधा जो होती है उस पुल के बनने से लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विषय : कार्यवाही में शामिल कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि जनपद झांसी विधान सभा बबीना में निम्नलिखित है :–

(1) ईसागढ़ से पाली तक नहर की मटहरी का रोड बनवाये

(2) पारीक्षा रेलवे क्रासिंग से पंचार रोड तक नहर की सड़क बनवाये

(3) बाकुवां से पुलिया तक शहर की सड़क बनवाये

(4) डायमण्ड रोड से दौन भूपनगर दुनारा होते हुए थाने के सामने तक सड़क बनवाये

(5) पारीक्षा बांध से चिरगांव तक नहर की सड़क बनवाई जाये

(6) पचार से सिमथरी तक नहर कागज में है लेकिन किसानों ने नहर खत्म कर दिया है उसे बनवाया जायें और पानी भी पहुंचाया जाये

(7) गोरामछिया से बाडमऊ झील तक नहर की सड़क बनवाई जाये

(8) करारी से भकारा तक नहर की सड़क बनवाई जाये

(9) ढिलौली से कंचनपुर तक नहर की सड़क बनवाई जाये

(10) कंचनपुर से करारी तक नहर की सड़क बनवाई जाये।

श्री कालीचरन सुमन–

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा।

विषय : सिंचाई कटौती प्रस्ताव में मेरे प्रस्ताव जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 अध्यक्ष जी निम्न प्रस्ताव जोड़ने की कृपा करें जो इस प्रकार है :–

1–नहर की पटरियों की मरम्मत कराये, ।.रोहता नहर से दिगनेर तक ठ. जारूआ कटारा माइनर ब्नगला जयराम पर माल माइनर की पटरी की मरम्मत क.पबावली माइनर की मरम्मत कार्य म.श्यामो माइनर की मरम्मत कार्य।

2–यमुना नदी के किनारे बसे, ग्रामों की कटान, कृषि योग्य भूमि की कटान रोकने हेतु ग्राम बरोली गूजर मेहरा नाहरगंज विसासा, महल बन्टीसा ठार खेम आदि ग्रामों ठोकर (तटबन्ध) बनवाने की कृपा करें।

3–आगरा रोहटा नहर पर ठाकुर दास घड़ी के सामने नहर पर पुल बनवाने की कृपा करें।

4–सिरोली–बाई खेड़ा पुल जो बना है वह पुल घटिया सामग्री से बना है, उसकी जांच कराये, उस पुल को ठीक करायें।

5–श्यामो माइनर पर टूटी पड़ी पबावली के पुलिया बनवाने की कृपा करें।

6–90 आगरा ग्रामीण के क्षेत्र अन्तर्गत आगरा रोहटा नहर पर क्षतिग्रस्त पुल ।.बहेटा–वंजहेरा ठ.दिगनेर ग्राम के पास क्षतिग्रस्त पुलिया सैमरी ताल जारूआ कटारा आदि ग्रामों के सामने नहर पर बनी पुलिया पुनः निर्माण करायें।

7–बजहेरा ग्राम के पास के सामने, एन0टी0पी0सी0 विभाग द्वारा दिये गये 5,00,000 पांच लाख के लगभग दिये गये धनराशि से वजेहरा में पुल बनवाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

श्री जगराम पासवान–

मा0 अध्यक्ष जी,

आज सिंचाई विभाग बजट पर हमें कहने का अवसर दिया इसके लिये आपको आभार प्रकट करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी हम बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र होने के राप्ती नदी के दोनों तरफ जो बांध है जो जगह–जगह पर बाढ़ आने के कारण कट गया जो निम्न जगह है विकास खण्ड बलरामपुर व श्री दत्तगंज में रामपुर कोलवा व चन्दापुर और नन्दमहरा भगना जोत का बांध कट गया है जो जनहित में बहुत जरूरी है।

मा0 अध्यक्ष जी महत्वपूर्ण सिंचाई बजट पर कहने का अवसर दिया। आपको धन्यवाद और बजट पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अलगू प्रसाद चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी,

मा0 अध्यक्ष जी मुझे बोलने का समय दिये उसके लिये आपको धन्यवाद देते हैं हमें सिंचाई विभाग पर बोलने पर समय दिये। मा0 अध्यक्ष जी 2012 और 2013 में भीषण बरसात लगभग 24 घण्टों में 450 मि0मी0 बरसात हुआ जिससे सभी सड़कें टूट गयीं दूसरे वर्ष 2013 और 2014 में सरयू नदी पर महाबांध टूट गया था जिससे पूरे क्षेत्र में सभी के घरों में 3 फीट से लेकर 8 फीट तक चला गया था सभी किसानों के पक्के मकान गिर गये या जर्जर हो गये मा0 अध्यक्ष जी सभी गरीब किसान का कच्चा मकान गिर गया सभी छप्पर बह गये। मा0 अध्यक्ष जी हम मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। टूटे हुए बन्धे को छः माह में 10 करोड़ देकर उसको बन्धा बना दिये और 25 करोड़ दे करके 10.5 कि0मी0 पीचिंग करा दिये उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी से अपने क्षेत्र में भीषण बरसात और बहराडाडी बांध टूट जाने से सड़कें

और मकान गिर गये या बह गये सड़कों को दैवी आपदा से मरम्मत करा दें और सभी का गिरा हुआ मकान बनवाने और 2012 और 2013 में जो क्षतिग्रस्त सड़कों बनाने की अध्यक्ष जी बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खान–

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर कहने का अवसर दिया। आपका मैं बहुत आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि इसमें किसानों का बहुत खास ध्यान रखा गया है पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे हो इसका पूरा प्रयास मा0 मंत्री जी द्वारा किया गया है। मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूं तो मेरे क्षेत्र में कोडरी घाट के पुल से लेकर खरझार नाले के सिल्ट सफाई से लेकर बहुत सारे नलकूपों को ठीक करवाया गया है परन्तु अभी भी बहुत सारे नाले व नदियां हैं जिसमें सिल्ट जमा हो जाने से लाखों किसानों की फसलें बरबाद हो जाती है हजारों एकड़ भूमि वर्ष में लगभग आठ महीने जलमग्न रहता है जिससे लाखों की संख्या में किसान तथा कृषि प्रभावी होती है, मैंने मा0 मंत्री जी से आग्रह किया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मा0 मंत्री जी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तुलसीपुर में सेवरहता नाले, बूढ़ी राप्ती नदी खरझार नाले आदि में सिल्ट सफाई का कार्य अवश्य कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहूंता हूं कि मा0 सिंचाई मंत्री जी ने नहरों की सफाई कराई है और टेल तक पानी पहुंचाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी मा0 मंत्री को बधाई देता हूं लेकिन मा0 अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा खेरागढ़ के विकास खण्ड में कोई नहर नहीं है पहाड़ी क्षेत्र है। डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है यहां के गरीब किसान केवल बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं। वहीं मा0 अध्यक्ष जी विकास खण्ड जगनेर में तीन बंधे कच्चे बने हुए हैं (1) रिछोहा बंधा (2) गुंगावद बंधा (3) होलीपुरा बंधा। इन बंधों में बरसात के दिनों में पहाड़ से पानी बहकर आता है लेकिन कच्चे होने के कारण बंधे टूट जाते हैं और बरसात का पानी निकल जाता है मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहता हूं कि गरीब किसानों की ओर दृष्टि रखते हुए इन तीनों बंधों को पक्का कराने की कृपा करें। जिससे बरसात का पानी रुक सकेगा। जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और गरीब किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सकेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री इन्दल कुमार–

माननीय अध्यक्ष आपने सिंचाई मंत्री जी के बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मौका दिया। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

समाजवादी पार्टी के तेजस्वी मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री ने किसानों की सिंचाई माफ कर दिया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं तथा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र के ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता है मलिहाबाद में नहरों की सफाई करायी इसके धन्यवाद देना चाहता और कहना चाहता हूं प्रायः या संज्ञान में रहता मलिहाबाद को मार्च, अप्रैल, मई के महीने बागों की सिंचाई की जरूरत पड़ती लेकिन तब पानी नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं उस पानी को छोड़ने के लिये अधिकारियों को निर्देशित करें तथा काकोरी रजवहा पर पुलिया टूटी है। उसको जनहित में शीघ्र बनाने का कृपा करें तथा सिंचाई निर्माण द्वारा नरौना पुल से नहर पटरी कठिगरा जलियामऊ होते सैफपुर तक क्षतिग्रस्त रोड चौड़ीकरण तथा उच्चीकरण कराने की कृपा करें तथा लोधी से वेहा नाला पर अधूरा पुल पूरा कराने के जनहित की समस्या का निदान हो सके और मलिहाबाद फल मण्डी क्षेत्र है और दशहरी आम के लिये विश्व में मशहूर मलिहाबाद ब्लाक को डार्क जोन में डाल दिया गया जिससे वहां सरकारी ट्यूबवेल नहीं लग पा रहे हैं। मंत्री जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वेता नाला झिलगी लला पर जगह–जगह चक डम्प बनाकर पानी रोक कर जल स्तर बढ़ाने की जरूरत है जिसमें मलिहाबाद डार्क जोन बाहर आये और सरकार के लोहिया नलकूप योजना का लाभ मिल सके।

अध्यक्ष जी आपने हमको बोलने के लिये मौका दिया। आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बंशीधर बौद्ध–

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

महोदय,

आपको सादर अवगत करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलहा 282 बहराइच में नदी घाघरा, सरयू नदी के कटान से जो लोग बेघर हो गये हैं वह लोग सड़क के किनारे व नहर के बन्धों पर अपनी झोपड़ी बनाकर जीवन बसर कर रहे हैं।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है जांच कराकर तत्काल प्रभाव से उजड़े हुए लोगों को ग्राम समाज की जमीन पर बसाये जाने की कृपा प्रदान करें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने हमें राजस्व विभाग की विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम सरकार और विशेषकर राजस्व मंत्री जी के समक्ष कुछ अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण राजस्व समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जहां बोला तहसील क्षेत्र के बड़हलगंज ब्लाक के मंझारिया गांव में दलित समुदाय के लोगों को 40 साल पहले पट्टा दिया गया था जिसे गांव के दबंगों ने जबारिया कब्जा कर लिया है। विधान सभा में सवाल भी लगाये गये। जनता दरबार में आपसे भी

फरियाद हुई। कमिश्नर, डी0एम0, तहसील के तो वे गरीब कमजोर चक्कर लगाकर थक गये। आमरण अनशन तक किया गया। मगर आज तक उन्हें पट्टे की जमीन दबंगों से जमीन छुड़ा नहीं पाई। उम्मीद करता हूं कि सरकार उन गरीबों की भूमि उन्हें वापस दिलायेगी।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि तहसीलों में लेखपालों, कानूनगो, नायब तहसीलदार की भारी कमी है। इन पदों पर तत्काल भर्ती करायी जाये क्योंकि इन पदों के खाली रहने से गांव–गांव में विवाद बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि राजस्व की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा।

मा0 अध्यक्ष जी चकबन्दी की हालत काफी दयनीय है। 20–20, 25–25 वर्षों से चकबन्दी चलती आ रही है। पीढ़ियां गुजर जा रही हैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार चकबन्दी प्रक्रिया को सरकार शीघ्रता से कराने के लिये कार्य योजना बनाये।

मा0 अध्यक्ष जी तहसील दिवसों पर लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। काम न मिलने के कारण आत्महत्या करने की घटनायें बढ़ रही हैं। गोला तहसील के ओझौकी गांव के अरविन्द ओझा ने न्याय की गुहार लगाते–लगाते आत्महत्या कर लिया। तहसील और समाधान दिवसों पर लोगों को न्याय मिले यह व्यवस्था सरकार सुदृढ़ करे।

श्री अध्यक्ष जी दैवी आपदा में किसानों की फसलों के और घरों के नुकसान की भरपाई में जो धनराशि दी जाती है वह बहुत कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। जिन किसानों की दुर्घटना में मौत होती है उसे 5 लाख रुपये की सहायता सरकार का बेहतर कदम है। मगर इस योजना में किसान परिवार के अन्य उन सदस्यों को सम्मिलित किया जाये क्योंकि नाम तो कई जगह बुजुर्गों का होता है और व्यवहारिक रूप से कार्य उनके भाई या बेटे करते हैं। ऐसे में उनकी मौत पर भी सहयोग उन्हें मिले सरकार ऐसी व्यवस्था करे।

अन्त में हम कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा, उ0 प्र0।

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मा0 धर्मपाल जी एवं मा0 नीरज जी द्वारा सिंचाई विभाग के बजट वर्ष 2015–16 पर लायी गई कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

सिंचाई विभाग का बजट इस प्रदेश के 22 करोड़ आबादी को प्रभावित करने वाला विषय है। विशेष करके मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर के लिये मड़िहान एक सूखाग्रस्त, नक्सल प्रभावित एवं पठारी क्षेत्र है। सिंचाई की समस्या यहां पर जटिल इसलिये है क्योंकि यहां पर भू–गर्भ जल का कोई स्रोत नहीं है।

मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी का एवं सिंचाई मंत्री माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे दादा स्व0 लोकपति त्रिपाठी द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में सिंचाई

मंत्री के हैसियत से कनहर सिंचाई परियोजना की एक सोन पम्प कैनाल की स्थापना करायी गयी थी। इन दोनों परियोजना को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। सैकड़ों पत्र लिखने के बाद इस वर्ष सोन पम्प हेतु रु0 5 करोड़ का प्रबन्ध बजट में किया गया है। कृपया मंत्री जी यह सुनिश्चित करायें कि जो इस समय सोन पम्प कैनाल का टेल जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र के सीमा तक निर्धारित हुआ है उसे मड़िहान ब्रान्च की टेल तक, कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने का कार्य सुनिश्चित करायें। माननीय अध्यक्ष जी, घाघर प्रणाली की नहर लगभग 100 किलोमीटर लम्बी है। यदि इस नहर पर सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कर पम्प संचालित किया जाये जिससे विभाग द्वारा करोड़ों बिजली के बिल पर खर्च होता है उसमें कुछ बचत हो जायेगी। बांणसागर परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है। अध्यक्ष जी आपके द्वारा मैं अनुरोध करता हूं कि जरगो बांध से हुसैनपुर वियर तक लगभग 13 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण बांणसागर द्वारा करायी जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, इस कटौती प्रस्ताव पर मैं बल इसलिये दे रहा हूं क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र मड़िहान के साथ अन्याय किया जा रहा है। 108 किलोमीटर लम्बी घाघर प्रणाली की नहर में मरम्मत का कार्य मात्र 0 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक पड़ने वाली पुलियों का मरम्मत शामिल है। पुलियों के निर्माण से पानी की उपलब्धता बढ़ने वाली नहीं है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस प्रणाली में पड़ने वाली झाल, लाइनिंग, फाटक की मरम्मत यदि हो जाती तो पानी निश्चित रूप से टेल के किसानों तक पहुंच जाता। इस 108 किलोमीटर में सैकड़ों अवैध कुलाबे विगत कई वर्षों से बनाये गये हैं जिनको बन्द करके पानी आगे तक टेल तक पहुंचाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे क्षेत्र के लिये कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर धन का प्रबन्ध नहीं किया गया है। इन योजनाओं की स्थिति पर एक झलक डाल देंगे तो खुद समझ में आयेगा कि धनाभाव के कारण किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। इस क्रम में बेलन–बकहर पोषक नहर जिसका कमाण्ड क्षेत्र 9670 हेक्टेयर है उनके सापेक्ष सिंचाई मात्र 5700 हेक्टेयर का हो पा रहा है। बकहर–मड़िहान फीडर चैनल जिसका कमाण्ड क्षेत्र 11670 हेक्टेयर है उसके सापेक्ष मात्र 1670 हेक्टेयर सिंचित हो रहा है। सोन पम्प कैनाल का कमाण्ड क्षेत्र 90 हजार हेक्टेयर के सापेक्ष मात्र 32 हजार हेक्टेयर सिंचित हो पा रहा है।

मान्यवर, सिरसी बांध पर स्थित चौधरी चरण सिंह पम्प कैनाल की स्थिति और भी दयनीय है। पिछले वर्ष इस पम्प कैनाल के दोनों हजार के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर जल गये और विभाग के खाते में उनके मरम्मत हेतु मात्र रु0 98/–थे। किसी तरह से किसानों ने मेरे साथ दबाव बनाकर एक ट्रान्सफार्मर का मरम्मत करवाया। अभी तक दूसरा ट्रान्सफार्मर किसी निजी ठेकेदार के पास धनाभाव के कारण गिरवी रखा पड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान के अपर खजुरी बांध से निकलने

वाली बांयें हाथ की नहर जो बहुती न्यायपंचायत के अधिकांश गांव को सींचती हैं। विगत कई वर्षों से मात्र एक से 2 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले किसानों की सिंचाई हो पा रही है। अपर खजुरी दायें वाली नहर जो मेरे क्षेत्र में पड़ता भी नहीं है वह जिस गांव में स्थित है उस गांव की भी सिंचाई नहीं कर पा रही है। दांती ग्राम को सींचने वाली यह नहर बांणसागर नहर से दो भाग में बंट गयी है। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि बांणसागर के उच्च अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस नहर के पुनर्निर्माण की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष जी, एकबार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया।

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 डा0 धर्म पाल सिंह के द्वारा सिंचाई विभाग के वर्ष 2015–16 के बजट में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा कटौती में बल देता हूं।

मा0 सिंचाई मंत्री जी, चित्रकूट जनपद के प्रभारी मंत्री भी है सिंचाई विभाग को बहुत सारा बजट दिया गया है। जबकि बुन्देलखण्ड में 7 जनपद है उसमें चित्रकूट जनपद भी शामिल है मगर बजट में चित्रकूट जनपद को अछूता रखा गया है।

जबकि चित्रकूट जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है मूलभूत समस्यों में बहुत पीछे है। इसके साथ–साथ दस्यु प्रभावित जनपद भी है। यह जनपद पहाड़ी श्रृंखलाओ से घिरा हुआ है तथा बहुतायत क्षेत्र डार्कजोन घोषित है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है क्योंकि इस पाठा क्षेत्र में बहुत सारी छोटी–छोटी सिंचाई विभाग की पुरानी बन्धिया बनी हुई है। जिसमे माडव बन्धी, जरवामाफी बन्धी, बराह माफी बन्धी, खिचड़ी बन्धी, बगदरी बन्धी, गढ़वा बन्धी, इटवा बन्धी, खपटिहा बन्धी, इत्यादि छोटी–छोटी बन्धियां पाठा क्षेत्र में बहुत पुरानी बन्धियां बनी है।

जिसमें मूलभूत समस्या इस बात की है कि उन बन्धियों में सीपेज (लीकेज) होने लगा हैं। जिसके कारण बरसात का रोका गया पानी धीरे–धीरे सीपेज करके निकल जाता है। उक्त बन्धियों के निकेज की टेक्नीकल तरीके से जांच कराकर उसके रोकथाम के लिए धन उपलब्ध करा दिया जाये तो बरसात का जल उन बन्धियों में रूकने लगेगा और पानी का रिसाव भी नहीं होगा। जिससे बन्धियों का जल स्तर/क्षेत्र का जलस्तर भी बढ़ेगा और पाठा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। जिससे किसान पूर्णतः अपनी खेती को सिंचित करके पूर्णता खुशहाली महसूस करेगा और साथ भुखमरी के कगार से भी बचेगा।

इसके साथ साथ खपटिहा फीडर अधूरा पड़ा है उसको भी धन देकर संचालित किया जाये। ओहन बांध से निकली भौरी पश्चिमी शाखा ध्वस्त पड़ी है उसको सही कराया जाये।

और साथ ही साथ मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री को यह भी बताना चाहूंगा कि लघु डाल को वर्ष 2009–10 मे सिरावल पम्प कैनाल का 213.10 लाख व राजापुर पम्प कैनाल को 50.00 लाख रु0 की धनराशि 33 के0वी0ए0 का स्वतंत्र फीडर लाइन सब स्टेशन का

कार्य तथा फीडर लाइन एवं 33/044 के0वी0ए0 का सब स्टेशन के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराने तथा बिजली का फीडर लगाने थे यह पैसा बिजली विभाग को लघु डाल ने वर्ष 2013 में निर्गत कर दिया था। मगर आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। जिससे यह दोनो पम्प कैनाल अपूर्ण पड़े है। इन दोनो पम्प कैनालो के सब स्टेशन को यथाशीघ्र पूरा कराकर चालू कराया जाय। जिससे क्षेत्र के किसान अपने खेतों की सिंचाई सही तरीके से कर सके।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से में मा0 सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो लघु सिंचाई द्वारा वर्ष 2014–15 के वित्तीय वर्ष में बैच डैम बनाने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये लघु सिंचाई को उपलब्ध कराया गया हैं यही पैसा सिंचाई विभाग के उक्त बन्धियों में दे दिया गया होता तो आज वहां का कुछ दूसरा ही दृश्य सामने दिखता। वहां पर इन बन्धियों के रोकथाम से वाटर रिर्चाज और पाठा क्षेत्र के किसानों के चेहरे में खुशहाली दिखती।

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा मा0 मंत्री जी अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त बन्धियों के रिसाव को रोकने के लिए कारगर प्रयास किये जाये।

श्री राम मगन रावत–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा हैदरगढ़ जनपद बराबंकी में शारदा सहायक खण्ड 28 व निर्माण खण्ड लखनऊ द्वारा संचालित है उसमें मेरी विधान सभा से सम्बन्धित रजवहा वाश, सुवेहा रजवहा व इन्हौना में समय–समय पर पानी की कटौती कर ली जाती है। जिससे किसानों का काफी नुकसान होता है आप से अनुरोध है कि किसानों के हित को देखते हुए आहरित पानी में कटौती न की जाय तथा शारदा सहायक खण्ड 25 द्वारा संचालित नवावगंज रजवहा बराबंकी जो करीब 50 कि0मी0 लम्बी है लम्बाई की हिसाब से सकरी है। जिससे किसानों को आखिरी टेल पर पानी नहीं मिल पाता है। आपसे अनुरोध है कि नवावगंज राजवहा को चौड़ी करा कर किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी दिलाने की कृपा करें।

श्रीमती कृष्णा पासवान एवं श्री विक्रम सिंह–

सेवा में,

आदरणीय अयक्ष जी,

निवेदन है अध्यक्ष जी कि फतेहपुर जनपद के किसानों की फसले पर दैवी आपदाओं का पहाड़ टूटा है। बारिस और ओलावृष्टि के कारण किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। कृपया फतेहपुर जनपद के किसानों की मदद सरकार करे यह सुनिश्चित करने की कृपा करें।

पी0एस0यू0पी0—एल0 58 विधान सभा (99)—21—7—2015—813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।